लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५१, १९६१ / १८८२ (शक)

[२८ फरवरी से १३ मार्च १९६१ / ९ से २२ फाल्गुन १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

तेरहवां सत्र, १९६१ / १८८२ (शक)

(खण्ड ५१ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५१——अंक ११ से २०——२८ फरवरी से १३ मार्च १९६१/९ से २२ फाल्गुन १८८२ (शक)

अंक ११——मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१/९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ से ३७९, ३८१ से ३८३ और ४०३ . . . ९९७–१०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ३१८ से ३७२, ३८०, ३८४ से ४०२ और ४०४ से ४२५ . . . १०१८–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४५ से ५५७, ५५९ से ६१२ और ६१४ से ६८३ . . . १०६७–११३१

स्थगन प्रस्ताव——

कराची में भारतीय उच्च आयोग पर आक्रमण . . . ११३१——३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११३४

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ११३६–३७

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——

कलकत्ते की गोदियों में खुरचने और रंग करने वालों की हड़ताल . . . ११३७

धार्मिक न्यास विधेयक——

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . . . ११३८

विधेयक प्रस्तुत किये गये—— . . . ११३८–३९

१. रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक १९६१

२. विनियोग विधेयक, १९६१

३. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६१

रेलवे आय व्ययक——सामान्य चर्चा . . . ११३९–४१

श्री तंगामणि . . . ११३९–४०

श्री विमल घोष . . . ११४०–४१

सामान्य आय व्ययक (१९६१–६२)——उपस्थापित . . . ११४१–६६

वित्त विधेयक, १९६१——पुरःस्थापित . . . ११६६

निक संक्षेपिका . . . ११६७–७८

विषय सूची

पृष्ठ

अंक १२—बुधवार, १ मार्च, १९६१/१० फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२६ से ४३० और ४३२ से ४३५ . . ११७९—१२०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३१ और ४३६ से ४७२ . . . १२०१—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८४ से ७०६, ७०८ से ७७७ और ७७९ से ७९८ १२२०—७३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १२७३

राज्य सभा से सन्देश १२७३

दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया १२७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय . . . १२७४—७६

सदस्य द्वारा त्याग पत्र १२७६

तारांकित प्रश्न संख्या ९०८ के उत्तर में शुद्धि . . १२७६—७७

विनियोग विधेयक १९६१—पारित किया गया . . . १२७७

आय व्ययक (रेलवे)—सामान्य चर्चा . . . . १२७७—१३०२

आदिवासियों के संबंध में आधे घंटे की चर्चा . . . १३०२—०७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—

सततरवां प्रतिवेदन १३०७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १३०८—१५

अंक १३—गुरुवार, २ मार्च, १९६१/११ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७४ से ४८३ . . . . १३१७—४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . १३४०—४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ और ४८४ से ५१५ . . . १३४३—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९९ से ८९१ . . . . १३५९—९९

सदन में शिष्टाचार का पालन . . . . . १३९९—१४००

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४००

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम में रहने वाले बंगालियों को मतदाता सूचियों में दर्ज करना १४०१—०२

विषय सूची पृष्ठ

रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा . १४०२–३३

दैनिक संक्षेपिका १४३४–४०

अंक १४--शनिवार, ४ मार्च, १९६१/१३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५१६ से ५१९, ५२१, ५२२, ५२४, ५४३ और ५२५ १४४१–६४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या . . . १४६४–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५२०, ५२३, ५२६ से ५४२ और ५४४ से ५६१ १४६६–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९३७, ९३९ से ९६२ और ९६४ से ९७३ १४८५–१५२२

स्थगन प्रस्ताव--

उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश . १५२२-२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५२४–२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

पटसन के मूल्यों में वृद्धि १५२५

सरकारी कार्य के लिये समय नियत करना . १५२६

सभा का कार्य १५२७

रेलवे आय-व्ययक --सामान्य चर्चा . . . १५२७–४१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--

सतत्तरवां प्रतवेदन . . . १५४१

धार्मिक पूजा स्थानों के राजनैतिक प्रचार के लिये प्रयोग पर प्रतिबन्ध संबंधी--संकल्प . . १५४१–५४

सरकारी कर्मचारियों की कार्मिक संघ की कार्यवाहियों संबंधी संकल्प . १५५४–५९

दैनिक संक्षेपिका . १५६०–६६

अंक १५--सोमवार, ६ मार्च, १९६१/१५ फाल्गुन १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ५६८, ५७०, ५७१, ५७४, ५७६ से ५८० और ५८२ से ५८७ १५६७–९५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ और ५ १५९५–१६००

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९, ५७२, ५७३, ५७५, ५८१ और ५८८ से ६०४ १६०१—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७४ से ११०६ १६१२—७६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १६७६–७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——

कांगों के लिये भारतीय सैनिक १६७७—७९

अनूदानों की अनूपूरक मांगें (उड़ीसा) १९६०–६१ १६७९

राज्य सभा से सन्देश १६७९

समिति के लिये निर्वाचन——

दिल्ली विकास प्राधिकार की परामर्श परिषद १६७९

रेलवे आय व्ययक——सामान्य चर्चा . . १६८०–१७०१

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव १७०१–१७

खंड २ से ४ तथा १ . १७१७

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१७

दैनिक समवाय (संशोधन) विधेयक . . १७१७–२३

विचार करने का प्रस्ताव १७१७–२२

खंड २ से ९ तथा १ . . १७२२

पारित करने का प्रस्ताव १७२२–२३

अनुदानों की अनूपूरक मांगें——रेलवे १९६०–६१ . . १७२३–२५

सभा का कार्य . . . १७२५–२६

दैनिक संक्षेपिका . . १७२७–३५

अंक १६——मंगलवार, ७ मार्च, १९६१/१६ फाल्गुन, १८८२ (शक)

निधन संबंधी उल्लेख १७३७–४३

दैनिक संक्षपिका १७४४

अंक १७——बुधवार, ८ मार्च, १९९६१/१७ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६५९ से ६६२, ६६४ से ६६६, ६६८ से ६७२, ६७४, ६७५, ६७८ और ६७९ १७४५–६९

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६४९, ६५१ से ६५८, ६६३, ६६७, ६७३, ६७६, ६७७ और ६८० से ६९० . . . . १७७०–१८०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०७ से १२१८ और १२२० से १३०१ . १८०४–८३

स्थगन प्रस्ताव

सिमलाबहल और बद्रचक कोयला खानों में हुई दुर्घटनायें . १८८३–८६

पंडित गोविन्द बल्लभ के निधन पर प्रधान मंत्री का सन्देश . १८८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--

अठत्तरवां प्रतिवेदन . . . १८८८

पूर्वी पाकिस्तान में अल्प संख्यकों पर आक्रमण के संबंध में वक्तव्य . . १८८८

रेलवे दुर्घटना के संबंध में वक्तव्य १८८८–८९

औषधीय तथा प्रसाधन (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक--पुरस्थापित १८८९

सभा का कार्य १८८९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६०–६१ . . . १८९०–९६

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा संबंधी संकल्प . . १८९६–१९०४

दैनिक संक्षेपिका . १९०५–१६

अंक १८--गुरुवार, ९ मार्च, १९६१/१८ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६९२, ६९४ से ७००, ७०४, ७०६, ७०९ और ७११ १९१७–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७०१ से ७०३, ७०५, ७२० और ७१२ से ७२८ . . . १९४३–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०२ से १३९९ . . . १९५५–९४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १९९४–९५

आंध्र प्रदेश में गुड़ के भाव में गिरावट के बारे में वक्तव्य . . १९९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १९९५

राज्य सभा से सन्देश १९९५

विनियोग (रेलवे) विधेयक--पुरस्थापित १९९६

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा--संबंधी संकल्प . . . १९९६–२००६

आतिशबाजी के सामान के कारखाने में विस्फोट के बारे में वक्तव्य . . १९९९

विषय सूची	पृष्ठ
उड़ीसा के बारे में अनुदानो की अनुपूरक मांगें . . .	२००७—२२
अनुदानों की मांग (रेलवे) १९६१–६२ . . .	२०२३—६०
दैनिक संक्षेपिका . . .	२०६१—६७

अंक १९—शुक्रवार, १० मार्च, १९६१/१९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२९ से ७३७	२०६९—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३८ से ७६५ और ६५० . . .	२०९०—२१०२
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०० से १४९३ . . .	२१०२—४१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

रेलगाड़ी से गिर जाने के कारण मृत्यु	२१४१
तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ के अनुपूरक प्रश्नों के बारे में . .	२१४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

धागर नदी में बाढ़ . . .	२१४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१४३—४५
सभा का कार्य	२१४५
उड़ीसा विनियोग विधेयक—पुरस्थापन स्थगित . . .	२१४५–४६
विनियोग (रेलवे) विधेयक १९६१—पारित . . .	२१४७
अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६१–६२	२१४७—७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठत्तरवां प्रतिवेदन	२१७२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित—

(१) श्री नारायणन् कुट्टि मेनन का अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, १९६१ . . .	२१७२
(२) श्री केशव का भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा ४ का संशोधन)	२१७३
(३) श्री अरविन्द घोषाल का राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक, १९६१ श्री अरविन्द घोषाल का ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के संभरण का अन्त विधेयक	२१७३
प्रस्ताव करने का विचार (अस्वीकृत) . .	२१७३—८५

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति—	
बासठवां प्रतिवेदन	२१८६
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा (नये अध्याय ५क का रखा जाना) . . .	२१८६
विचार करने का प्रस्ताव	२१८६
दैनिक संक्षेपिका	२१८७—९४
अंक २०—सोमवार, १३ मार्च, १९६१/२२ फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७६६, ७७८, ७६७ से ७६९, ७७३ से ७७७, ७७९, ७८३ से ७८५, ७८७ और ७९२ . . .	२१९५—२२२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ७७२, ७८० से ७८२, ७८६, ७८८ से ७९१ और ७९३ से ८०३	२२२०—३०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १५४०, १५४२ से १५५६, १५५८ और १५५९ .	२२३०—६०
स्थगन प्रस्ताव—	
१. चलती रेलगाड़ी से गिरने के कारण श्री के० रामाराव की मृत्यु .	२२६०—६२
२. रुद्रसागर में कथित दुर्घटना . .	२२६२–६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
अदीस अबाबा में रहने वाले भारतीय नागरिकों की शिकायतें .	२२६३–६४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२२६५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ आठवां प्रतिवेदन . . .	२२६५
लोक लेखा समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन .	२२६६
समिति के लिये निर्वाचन—	
लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति . . .	२२६६
उड़ीसा विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित .	२२६६–६७
कार्य मंत्रणा समिति—	
बासठवां प्रतिवेदन	२२६७
अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६१–६२	२२६७—२३२२

विषय	पृष्ठ
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरस्थापित . . .	२३२२
रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव	२३२२—२४
दैनिक संक्षेपिका	२३२५—३०

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPND—LSIII—2292(Ai) LS—15-4-61—125

लोक-सभा

सोमवार, ६ मार्च, १९६१

१५ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आश्चर्यजनक धान 'तिपखिया'

†*५६२. **श्री दी० चं० शर्मा** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में 'तिपखिया' नाम का एक आश्चर्यजनक किस्म का धान उगाया गया है जो ६० से ६५ दिन के अन्दर पक जाता है और खेत में दर्मियाने अथवा देर से बोई जाने वाली किस्म का धान पुनः बोया जा सकता है, तथा इस प्रकार एक मौसम में धान की दो फसलें हो जाती हैं;

(ख) क्या देश के अन्य भागों में भी इस तरीके को चालू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) 'तिपखिया' अभी हाल में निकाले गये किस्म का धान नहीं है । उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के किसानों को यह पहले से ही मालूम है । यह अप्रैल के पहले हफ्ते में खासकर उन खेतों में बोया जाता है जो नहर के पानी पर निर्भर रहते हैं, और इसकी फसल जून के तीसरे हफ्ते में काटी जाती है । सरकारी कृषि-विभाग तो केवल गर्मी में 'तिपखिया' धान पैदा करने की प्रणाली का विकास कर रहा है जिससे एक ही मौसम में उसी खेत में धान की दो फसलें उगायी जा सकें ।

(ख) एक ही मौसम में धान की दो फसलें उगाने की प्रथा नयी नहीं है । देश के दक्षिणी भागों में कई क्षेत्रों में यह प्रचलित है । देश के अन्य भागों में, खासकर असम और बंगाल में, 'बोरो' नाम के थोड़ी अवधि के धान के किस्म प्रचलित हैं और जहां कहीं सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक ही मौसम में धान की दो फसलें उगाने की प्रथा का समर्थन किया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) चावल पैदा करने वाले राज्यों में उनके कृषि विभाग विस्तार अभिकरणों (एक्स्टेन्शन एजेन्सीज़) के ज़रिये, उपयुक्त क्षेत्रों में एक ही मौसम में धान की दो फसलें उगाने की प्रथा को लोकप्रिय बना रहे हैं।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : क्या किसी सरकारी विभाग ने यह धान पैदा करने की प्रणाली की वैज्ञानिक दृष्टि से छानबीन की है और यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इसकी ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश कृषि विभाग इसके ब्योरे तथा उसके प्रचार के सम्बन्ध में अध्ययन कर रहा है।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : यदि धान पैदा करने का यह तरीका इतना लाभदायक है तो केन्द्रीय सरकार ने अब तक इसकी ओर क्यों ध्यान नहीं दिया ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं नहीं समझता कि इस ओर कम ध्यान दिया गया है। कई बातों की ओर कुछ देर से ध्यान जाता है और फिर उनके प्रचार में भी कुछ देर हो जाती है। हो सकता है कि इस मामले में भी कुछ देर हुई हो। यह एक तरीका नहीं है, यह एक प्रकार की फसल है जो विशिष्ट प्रकार के बीज से विशिष्ट प्रकार की आवश्यकताओं, जैसे सिंचाई, से एक खास मौसम में पैदा की जाती है।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : एक एकड़ में कितनी पैदावार होती है और उस पर कितना लागत खर्च आता है।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : लागत मुझे मालूम नहीं; उत्पादन १५ मन प्रति एकड़ बताया जाता है।

श्री साधन गुप्त : चूंकि पश्चिम बंगाल धान पैदा करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, वहां धान की तीन फसलें पैदा करने के लिए क्या किया गया है ?

†**डा० प० शा० देशमुख** : मुझे मालूम हुआ है कि पश्चिम बंगाल दो फसलों के लिए अधिकाधिक जमीन ले रहा है लेकिन यह मालूम नहीं कि यह किस हद तक किया गया है। यह फसल सिंचाई पर निर्भर होती है और इसका प्रचार वहीं किया जा सकता है जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हों।

यमुना जल-विद्युत् परियोजना

+

*५६३. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना जल-विद्युत योजना के प्रथम चरण के निर्माणकार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसके लिये केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को अब तक क्या सहायता दे चुकी है और भविष्य में देने वाली है;

(ग) उस योजना के द्वितीय चरण को प्रारम्भ करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उसका निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जाने की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) प्रारम्भिक कार्य प्रगति कर रहे हैं ।

(ख) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता परियोजना-क्रम से विनिहित नहीं की जाती ।

(ग) तथा (घ). द्वितीय चरण के कार्य को अभी आरम्भ करने का विचार नहीं है । राज्य सरकार ने अभी तक द्वितीय चरण का परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री के उत्तर से स्पष्ट है कि अभी इस योजना का प्रथम चरण में ही प्राम्भिक कार्य किया जा रहा है मैं जानना चाहता हूं कि जब इस की आधारशिला सन् १९४९ में प्रधान मंत्री जी के कर कमलों द्वारा रक्खी गई थी तो उसके बाद भी इसमें कोई तेजी क्यों नहीं लाई जा रही है और ढील-ढाल क्यों की जा रही है ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य को मालूम है कि पहले यमुना हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला था। उसके बाद एक कोच डैम के बारे में इनवेस्टिगेशन हुआ और यह सोचा गया कि इस कोच डैम से ज्यादा बेनीफिट मिलेगा तो फिर कोच डैम पर इनवस्टिगैशन हुआ और उस पर इनवेस्टिगेशन होते हुये यमुना हाइडल का इनवेस्टिगेशन स्थगित कर दिया गया। अब पता चला है कि कोच डम कोई एकोनामिकल नहीं हो सकता तो उसको ड्रौप कर दिया है और अब यमुना हाइडल का काम फिर आगे बढ़ा दिया गया है।

श्री भक्त दर्शन : जब इसका कार्य इतने वर्ष के बाद प्रारम्भ हुआ है तो इसको पूरा करने में कितना समय लगने का अनुमान है और उसमें क्या कुछ तेजी लाई जायगी ?

श्री हाथी : फर्स्ट स्टेज का काम थर्ड प्लान के दरमियान खत्म हो जायगा ।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार ने इस बात का विश्वास दिलाया है कि जिन किसानों की जमीनें और मकान लिय जा रहे हैं उन्हें पहले ही उचित क्षतिपूर्ति दे दी जायेगी ?

†**श्री हाथी :** जैसा कि मैंने बताया सरकार की यह नीति है कि जिनकी जमीनें ले ली गई हैं उन्हें उचित क्षतिपूर्ति दी जाये ।

†**श्री त्यागी :** क्या वह जमीन ले लेने से पहले दे दिया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को इस परियोजना में दिलचस्पी है या क्षतिपूर्ति तथा अन्य ब्यौरों के सम्बन्ध में है ? माननीय सदस्य इस परियोजना के बारे में ही जानकारी पूछें। जमी ले लेने के बादनें आगे क्या कार्यवाही की जायगी यह साधारण प्रक्रिया है । अन्यथा हमारा सारा समय इसी पर बीत जायगा । हम प्रति दिन दस प्रश्न से अधिक नहीं निबटा पाते। जब तक कोई यह आकर न कहे कि उसकी जमीन क्षतिपूर्ति दिये बिना ही ले ली गई है तब तक इन बातों पर समय गंवाना बेकार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** यह परियोजना मेरे निर्वाचित क्षेत्र में है। अभी एक मामला ऐसा देखने में आया है जहां किसान की जमीन उसे क्षतिपूर्ति दिये बिना ही ले ली गई है ; मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की नीति क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इस परियोजना को छोड़ क्यों नहीं देते ? ये सभी आनुषंगिक हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** पहले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि दूसरे दौर के बारे में परियोजना रिपोर्ट अभी योजना आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है ?

†**श्री हाथी :** परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार तैयार करती है। वह योजना आयोग को अभी तक नहीं मिली है ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

†

†*५६४. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास करने की योजनाओं को सरकार ने अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप से मंजूरशुदा योजनाओं का क्या ब्योरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभापटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८]**

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल से असम तक जल परिवहन काफी कम कर दिया गया है और क्या इसका यह कारण है कि पाकिस्तान से माल के जहाज कम आते हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** बहुत बड़े पैमाने पर किसी कमी की मुझे जानकारी नहीं है। कभी कभी मौसमी या और किसी तरह के परिवर्त्तन हो सकते हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** पहले काफी माल पश्चिम बंगाल से असम स्टीमर से भेजा जाता था, अब वह हवाई जहाज से भेजा जाता है। इसका क्या कारण है ?

†**श्री राज बहादुर :** अनुमान है कि असम को भेज जाने वाले और वहां से आने वाले कुल माल का ६० प्रतिशत जल परिवहन से आता जाता है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** बकिंघम नहर योजना के बारे में क्या स्थिति है, वह किस दशा में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** बकिंघम नहर को जाने वाली सड़कों में सुधार करने, नहर में सुधार करने तथा दो रास्तों के लिए सरकारी क्षेत्र में १० लाख रुपये की रकम की व्यवस्था की गई है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** कहा जाता है कि संयुक्त स्टीमर कंपनियों को २ करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया था । यह ऋण कितनी कम्पनियों को दिया गया था ?

†**श्री राज बहादुर :** यह ऋण खास तौर से उन कंपनियों को दिया गया था जो असम और देश के शेष भाग में अधिकतर व्यापार करती हैं ताकि वे पुराने जहाजी बेड़े की जगह नया जहाजी बेड़ा ला सकें ।

†**श्री आचर :** गोखले समिति ने कुन्दापुर से मंगलौर तक एक नहर बनाने के पक्ष में रिपोर्ट दी है । क्या उस पर विचार किया जा रहा है और क्या वह तीसरी योजना में शुरू की जायगी ?

†**श्री राज बहादुर :** प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध मे ब्योरा विवरण में दिया हुआ है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** १५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर में यह बताया गया है कि संयुक्त स्टीमर कंपनियों के लिए ऋणों का अस्थायी अनुमान १५० लाख रुपये है और मिट्टी आदि हटाने के लिए ७५ लाख रुपये के ऋण का अनुमान है । अब इस विवरण से यह मालूम होता है कि संयुक्त स्टीमर कंपनियों के लिये ऋण ५० लाख रुपये कर दिया गया है और मिट्टी आदि हटाने के लिये ७५ लाख रुपये की जगह २५ लाख रुपये कर दिया गया है । किन कारणों से ये परिवर्तन किये गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** योजना आयोग के परामर्श से इन योजनाओं की पूरी पूरी छानबीन की गई है और उपलब्ध वित्तीय संसाधन तथा विकास की विभिन्न मदों की प्राथमिकता को देखते हुये उसकी सलाह से ही ये परिवर्तन किये गये हैं ।

कुलपहाड़ स्टेशन पर गोदाम

*५६५. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या रेलवे मंत्री १७ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे की मानिकपुर-झांसी लाइन पर स्थित कुलपहाड़ स्टेशन पर गोदाम बनाने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हा, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां ।

(ख) इस काम को १९६१-६२ में शुरू करने के सवाल पर मध्य रेलवे विचार कर रही है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इस स्टेशन गोदाम न होने के कारण प्रतिवर्ष हजारों मन गल्ला वर्षा के कारण खराब हो जाता है और यद्यपि पहली तथा दूसरी योजना में इस प्रयोजन के लिये व्यवस्था की गई थी फिर भी अभी तक गोदाम नहीं बनाया गया है गोकि छोटे-छोटे स्टेशनों पर गोदाम बनाये जा चुके हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं । आने वाले या बाहर भेजे जाने वाले किसी भी माल को बरसात के कारण कोई नुकसान नहीं पहुंचा है । अभी तक इसका कोई समाचार नहीं मिला है और न ही यह बात मेरी नजर में आयी है । स्टेशन कर्मचारी छत डालने के बारे में सावधान हैं और अभी तक किसी नुक्सान का समाचार नहीं मिला है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैंने खुद देखा है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** १९६०–६१ में शेड डालने के लिये १५,००० रुपये की व्यवस्था की गई है लेकिन हम समझते हैं कि और बड़ा शेड आवश्यक होगा । १९६१–६२ में १ लाख रुपये की लागत का और बड़ा शेड बनाने का विचार है ।

राज्यों को विद्युत् उत्पादन के लिये आवंटन

†*५६६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत् उत्पादान के वास्ते विभिन्न राज्यों को तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए जो आवंटन किया गया है, उससे पिछड़े हुए राज्यों एवं क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों का अन्तर कहां तक दूर होगा ;

(ख) क्या यह सच नहीं कि यह अन्तर और भी बढ़ जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार आवंटन करने का क्या औचित्य है ; और

(घ) क्या यह जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जायेगा कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य के लिए विद्युत की कितनी स्थापित क्षमता की मंजूरी दी गयी थी और तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिए कितनी मंजूरी दी गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) सिंचाई और विद्युत संबंधी कार्यकारी दल ने विस्तृत बोझ सर्वेक्षण (लोड सर्वे) आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए बिजली पैदा करने की अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकताओं तथा उनके लिए निधियों के आवंटन की सिफारिश की थी । इस कार्यक्रम से सभी राज्यों में बिजली की स्थिति सुधर जायगी । विभिन्न राज्यों में बिजली का उत्पादन बढ़ाने का प्रश्न इसलिए उत्पन्न नहीं होता कि बिजली की सप्लाई मांग से संबंधित है जो प्रत्येक राज्य में अलग अलग है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३९]**

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या बिजली पैदा करने के संबंध में हमारा भावी कार्यक्रम ऐसा होगा कि हम मांग से अधिक पैदा कर सकेंगे ? माननीय मंत्री के विवरण के अनुसार हम मांग पूरी कर सकेंगे । वर्तमान स्थिति यह है कि मांग हमेशा ही सप्लाई से ज्यादा हो जाती है । क्या अब तीसरी योजना में स्थिति बिलकुल उलटी हो जायगी ?

†**श्री हाथी :** मैं ने यह कभी नहीं कहा और न ही मेरे उत्तर से यह मतलब निकलता है कि इतनी बिजली पैदा की जायेगी कि वह मांग से अधिक हो जायगी । कमी तो रहेगी, या हम थोड़ा सा आत्म निर्भर हो जायें लेकिन वह मांग से अधिक नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** विवरण के अनुसार, दूसरी योजना के अन्त में भी राजस्थान में बिजली की स्थापित क्षमता जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सब से कम थी । सरकार इसे किस तरह उचित समझती है कि तीसरी योजना में भी राजस्थान के लिए महाराष्ट्र, गुजरात या मैसूर के लिए मंजूर की गयी रकम की आधी रकम नियत की जाये ?

†**श्री हाथी :** विभिन्न राज्यों में जो योजनाएं चल रही हैं हमें उन पर भी विचार करना चाहिये । उदाहरण के लिए भाकड़ा को लीजिये, हम इस संपूर्ण परियोजना को बंद नहीं कर सकते और कोई नयी योजना नहीं चालू कर सकते । दूसरी बात यह कि हमें पन बिजली की संभावित क्षमता को भी देखना होता है । महाराष्ट्र में कोयला परियोजना जारी है । आप उसे बंद करके वह रुपया किसी दूसरी परियोजना के लिए नहीं दे सकते । हमें विभिन्न राज्यों के बारे में उपलब्ध साधनों और उनकी मांग के अनुसार तथा इस तथ्य को देखते हुए कि कुछ परियोजनाएं जारी हैं जिन्हें समय से पूरा करना है, विचार करना होता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान की मूल मांग ५० करोड़ रुपया थी जो ३२ करोड़ रुपया कर दी गयी है ? इस बात को देखते हुए कि राजस्थान पहली योजना के अन्त में सब से नीचे था और तीसरी योजना में भी सबसे नीचे है और वह और अधिक पिछड़ जायगा, सरकार यह कटौती किस तरह ठीक समझती है ?

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** अभी हाल में प्रधान मंत्री ने कहा था कि बिजली के उत्पादन के संबंध में, भारत ने अच्छी प्रगति नहीं की है । क्या योजना आयोग या मंत्रालय ने तीसरी योजना में बिजली के उत्पादन के लिए अधिक रुपया नियत किये जाने की मांग की है ?

†**श्री हाथी :** वास्तव में यह मंत्रालय और भारत सरकार इस बात के लिए बहुत आतुर है कि ज्यादा बिजली पैदा की जाये । हमने १ करोड़ ५० लाख किलोवाट की कल्पना की थी लेकिन उपलब्ध साधनों की सीमा के अन्तर्गत ही हमें सब कुछ करना है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में—और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भी—सरकार का यह ध्येय है कि पिछड़े हुए इलाकों में बिजली ज्यादा पैदा की जाये, लेकिन हो यह रहा है कि पिछड़े हुए इलाकों में भी उसी तरह कट दिया गया है, जिस तरह कि डेवेलप्ड इलाकों में और पिछड़े हुए इलाकों की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है ?

श्री हाथी : कट तो नहीं दिया गया है । वहां भी बढ़ता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरी कठिनाई यह है । संपूर्ण योजना हमारे सामने नहीं है । जब मैं ने चार संसदीय योजना समितियों बनायी थीं तब माननीय सदस्यों को योजना की अनेक मदों पर चर्चा करने का हर अवसर दिया गया था । वह कहते हैं कि संसाधनों के संपूर्ण चित्र को ध्यान में रखा गया है और संपूर्ण कटौती लागू की गयी है । क्या इस ब्यौरे की चर्चा भी यहां की जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मा० ला० द्विवेदी : माताटीला योजना हमारे इलाके में बिजली के लिये बनाई गई थी, लेकिन न पहली पंच वर्षीय योजना में और न दूसरी योजना में उस को हाथ में लिया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ और यह कब तक हो जायगा ।

†**श्री हाथी :** मैं उसका उत्तर दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दुस्तान में इस तरह की कई जगहें हैं । क्या करें ?

†**श्री हाथी :** माताटीला परियोजना दूसरी योजनायें योजना के मुख्य भाग में शामिल नहीं की गयी थी । इसलिए उसे छोड़ दिया गया । लेकिन उस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए मंत्रालय ने योजना आयोग को इस बात के लिए राजी किया कि इसे योजना के मुख्य हिस्से के बाद का स्थान दिया जाये और अब विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं मंजूर की जा चुकी हैं और काम आगे बढ़ता जायगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** सरकार की इस घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए कि पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा, क्या मैं जान सकता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों की ओर और खासकर राजस्थान के लिए बिजली नियत करने के संबंध में क्या विशेष ध्यान दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं उत्तर के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यह नीति का प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । अगला प्रश्न ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** माननीय मंत्री ने बड़ी गलत धारणा उत्पन्न की है क्योंकि उन्होंने कहा है कि वह पांच गुना होगी लेकिन यहां बिलकुल उलटा है ।

†**डा० सुशीला नायर :** क्या मैं जान सकती हूं कि .

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्यों को कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

ज्यों ही कोई प्रश्न लिया जाता है, मैं उन माननीय सदस्यों को जो अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, अवसर देता हूं और पहले उन्हें निबटाने की कोशिश करता हूं । लेकिन सभी अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दिये जाने के बाद जब मैं अगला प्रश्न लेने की कोशिश करता हूं और उस समय यदि कोई माननीय सदस्य अनुपूरक-प्रश्न पूछते हैं तो मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाता है । मैं उन माननीय सदस्यों को जो बाद में अपने स्थान पर खड़े होते हैं, अनुमति देने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि जहां तक एक प्रश्न का संबंध है वह तो फिर अनन्त हो जायगा ।

जहां तक श्री हरिश्चन्द्र माथुर का संबंध है, वह नीति का विषय है । मैं ने उन्हें पर्याप्त समय दिया है । प्रत्येक राज्य में अर्थ विकसित क्षेत्र हैं । क्या मैं नीति, कार्यक्रम आदि के ब्यौरे संबंध में यहां प्रश्नों के लिए अनुमति दूं ? वह इन बातों की चर्चा इस सभा में समय समय पर विभिन्न वाद विवादों के दौरान कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर:** कभी कभी प्रश्न अनुपूरक प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न होता है और फिर उसे प्रश्न पूछने पड़ते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** इन्हीं सब बातों से प्रादेशिकता उत्पन्न होती है । हम सदा ही प्रादेशिकता का विरोध करते रहते हैं और फिर भी यहां चीजें हो रही हैं

†**अध्यक्ष महोदय:** शांति, शांति । जब मैं ने अगला प्रश्न पुकारा है तब माननीय सदस्य इस प्रकार बोलना जारी नहीं रख सकते । मैं ने उन्हें काफी प्रश्नों के लिए अनुमति दी है । वे नाराज न हों । अगला प्रश्न ।

पंजाब के लिये क्षेत्रीय योजना का निर्माण

\+

†*५६७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के लिए संशोधित क्षेत्रीय योजना का निर्माण करने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** पंजाब के लिए क्षेत्रीय योजना में परिवर्तन करने के मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस बारे में पंजाब सरकार से कोई निश्चित कार्यक्रम प्राप्त हुआ है ?

†**श्री अ० म० थामस :** न कोई निश्चित योजना मांगी गयी थी और न ही वह प्राप्त हुई है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या ऐसी स्थिति आ गयी है जब कि पंजाब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सभी क्षेत्रीय निर्बन्धन ढीले कर दिये जायें या हटा दिये जायें और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आशय का कोई अंतिम निर्णय कर लिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** सरकार स्थिति पर विचार कर रही है और बहुत शीघ्र ही, चालू मौसम की फसलों का परिणाम मालूम होने के बाद, गेहूं के लिए संभवत: क्षेत्र नहीं होंगे । मैंने कई बार इस प्रश्न का उत्तर सभा में दिया है । मैं केवल वर्तमान फसलों के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा हूं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या पंजाब में अतिरिक्त गेहूं की वर्तमान स्थिति पर भी सरकार विचार कर रही है जिस से कि अगली फसल में गेहूं का भाव अनावश्यक ही गिर न जाये ?

†**श्री स० का० पाटिल :** जी हां । अतिरिक्त का प्रश्न तो न केवल पंजाब में बल्कि प्रत्येक जगह है । उस के लिए एक मात्र उपाय यह है कि एक ही क्षेत्र हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या यह सच है कि पंजाब सरकार खुद गेहूं बेच रही है और यदि हां, तो उस राज्य में राज्य व्यापार बंद करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** जी नहीं । बात यह है कि मध्य प्रदेश और पंजाब सरकार, दोनों के पास ही कुछ स्टाक था जो बेचना था लेकिन गेहूं एक साल से ज्यादा नहीं टिकता, वह खराब हो जाता है और इसीलिये पंजाब और मध्य प्रदेश में कभी कभी कुछ थोड़ी कठिनाई हो जाती है । लेकिन हम उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गेहूं बेचा जा सके ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** मेरी जानकारी यह है कि पंजाब सरकार अभी भी गल्ला वसूली कर रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने बताया है कि कोई निर्णय किया जाने वाला है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अंतिम निर्णय कब किया जाने वाला है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं ने बताया ह कि फसलें कटने के बाद अर्थात् अब से कुछ ही हफ्तों बाद ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : माननीय मंत्री के उत्तर से यह मालूम होता है कि यह तो सारे देश से अतिरिक्त गेहूं खींचने का सवाल है । खेती संबंधी भाव तय करने वाले बोर्ड की नियुक्ति के बारे में मंत्रालय की योजना के मामले में क्या हुआ, जिस से भाव की गिरावट से किसानों को बचाया जा सके।

†**श्री स० का० पाटिल :** यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार को क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं जिस से कि वह अतिरिक्त गेहूं आर्थिक मूल्य पर बेच सके ?

†**श्री स० का० पाटिल :** जहां कहीं वह अपना गेहूं बेचना चाहती है हम सभी प्रकार की सुविधायें उसे देते हैं । क्षेत्रीय निर्बन्धन आदि हटाने के अतिरिक्त हम उसे जहां चाहें वहां बेचने के लिये अनुमति देते हैं । फिर पंजाब में भाव कुछ थोड़े ऊंचे हैं ताकि वह अपना स्टाक वहां बेच सके । हम उस के लिए अनुमति दे रहे हैं । इस से अधिक कुछ नहीं किया जा सकता ।

राजस्थान नहर में नौवहन सुविधायें

+

†*५६८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान नहर में नौवहन सुविधाओं सम्बन्धी योजना पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय नहर की केवल सिंगल लाइनिंग ही की जा रही है, क्या इन सुविधाओं की अभी से व्यवस्था कर दी जायेगी ताकि यदि बाद में इस से नौवहन योग्य बनाने का निर्णय कर दिया गया तो उस कार्य में व्यर्थ में अधिक देर न लगे ?

†**श्री हाथी** : वास्तव में इस समय इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या इस संबंध में अभी से प्रबन्ध कर दिये जायें या नहीं ताकि यदि बाद में उसे नौवहन योग्य बनाने का निर्णय किया गया, तो परिवर्तन तथा संशोधन में अधिक देर न लग जाये ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि नहर की नौवहन सम्बन्धी क्षमता के बारे में विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि नहर में दोहरा पलास्टर किया जाये ? अतः यदि इस पर इस समय केवल सिंगल पलास्टर किया गया, तो बाद में उसे नौवहन योग्य कैसे बनाया जा सकेगा ?

†**श्री हाथी** : वास्तव में इन्हीं बातों पर तो विचार किया जा रहा है । जहां तक विशेषज्ञों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य की जानकारी ठीक है । इस समय इन बातों पर विचार किया जा रहा है कि क्या इस नहर में इकहरा प्लास्टर करना चाहिये या कि दोहरा प्लास्टर, इसे कब तक पूरा कर दिया जाये, आदि ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या सरकार काण्डला और अन्य स्थानों से भी नौवहन सम्बन्धी सुविधायें देने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है ?

†**श्री हाथी** : इस सम्बन्ध में हम ने अभी तक विचार नहीं किया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या राजस्थान नहर का डिज़ाइन अभी तक अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं किया गया है ? यदि हम उसे नौवहन के योग्य बना रहे हैं, तो उसकी क्षमता कितनी होगी और योजना की रूप रेखा क्या है ?

†**श्री हाथी** : यहां नहर का डिजाइन बनाने का प्रश्न नहीं है । प्रश्न तो उस की लाइनिंग का है । क्षमता तो उसकी उतनी ही रहेगी । इन सभी बातों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

मुगलसराय और कलकत्ता के बीच बिजली की रेलगाड़ियां

+

*५७०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री सुविमन घोष :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कालिका सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगलसराय से कलकत्ता तक बिजली की रेलगाड़ियां चलाने की योजना को कार्यान्वित करने में अब तक और क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह कार्य पूरा हो जायेगा ;

(ग) इस सारी योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ;

(घ) क्या गाड़ियों की गति पर भी इसका कुछ प्रभाव होगा ; और

(ङ) यदि हां, तो कितना ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ङ). एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) सेउड़ाफुली-तारकेश्वर शाखा सहित हावड़ा-बर्दवान खण्ड पर अगस्त १९५८ से और प्रधान खांटा-पाथरडीह शाखा सहित आसनसोल–गोमी खण्ड पर फरवरी १९६१ से बिजली गाड़ियां चल रही हैं। गोमो-मुगलसराय और आसनसोल-दुर्गापुर खण्डों पर काम जारी है ।

(ख) जी हां, कार्ड लाइन होकर दुर्गापुर––डाक्स खण्ड को छोड़ कर ।

(ग) बिजली योजना पर कुल अनुमानित खर्च इस प्रकार है :––

(करोड़ रुपयों में)

(१) सेउड़ाफुली-तारकेश्वरी शाखा सहित हावड़ा–बर्दवान खण्ड	१८.४७
(२) प्रधानखांटा–पाथरडीह और तेतुलमारी–कुसुण्डा–धनवाद शाखा लाइनों सहित दुर्गापुर––मुगलसराय खण्ड	२२.९१

(घ) और (ङ). आसनसोल––गोमा मुख्य लाइन खण्ड पर अभी हाल में बिजली गाड़ियां चलायी गयी हैं। इस खण्ड पर समय की काफी बचत तभी हो सकती है जब दुर्गापुर से मुगलसराय तक सारे खण्ड पर बिजली गाड़ी चलाने की व्यवस्था हो जाय और सभी गाड़ियां बिजली से चलने लगें। कलकत्ता के उपनगरीय खण्डों में समय की बचत इस प्रकार हुई है :––

खण्ड	समय की बचत (मिनटों में) अप गाड़ियां	डाउन गाड़ियां
हावड़ा-बडेल	२७	२२
हाबड़ा-बर्दवान	७३	६४
हावड़ा-तारकेश्वर . . .	४०	५१

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : माननीय उपमंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में लिखा है कि मुगलसराय-कलकत्ता लाइन पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिजली की रेलगाड़ियां चाल हो जायेंगी, परन्तु साथ ही यह भी लिखा है "कार्ड लाइन हो कर दुर्गापुर-डाक्स खण्ड को छोड़कर "। क्या मैं जान सकता हूं कि इस खण्ड को किस तरह से छोड़ा जा रहा है ?

†मूल अंग्रेजी में

श्री शाहनवाज खां : इसकी इस वक्त चन्दां हाल जरूरत नहीं समझी गई।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : तृतीय पंचवर्षीय योजना में मुगलसराय-कलकत्ता के बीच जब बिजली की रेल गाड़ियां चालू हो जायेंगी, तो इस में कोयले की कितनी बचत होगी ?

श्री शाहनवाज खां : जितनी कोयले की गाड़ियां बन्द होंगी, वह सब बचत ही बचत है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका कोई अनुमान लगाया गया है या नहीं लगाया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : अनुमान लगाया गया है, लेकिन आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

†**श्री साधन गुप्त :** बरद्धान और आसनसोल के बीच के सेक्शन में बिजली से गाड़ियां कब तक चलानी प्रारम्भ की जायगी और कब तक गाड़ियां सीधे ही हावड़ा से अनुवाद तक चलाना प्रारम्भ होंगी ?

†**श्री शाहनवाज खां :** बरद्धान से दुर्गापुर तक के सेक्शन में फिलहाल बिजली से चलने वाली गाड़ियां प्रारम्भ नहीं की जायेंगी ।

†**श्री महन्ती :** इस लाइन पर बिजली से गाड़ियां चलने के कारण इस सेक्टर में परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने में कितनी सहायता मिली है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** मैं यह नहीं कह सकता कि कठिनाइयां पूर्णतया दूर हो गयी हैं ? परन्तु जहां हम पहले ४७ गाड़ियां चलाते थे अब ७८ गाड़ियां चला रहे हैं।

†**श्री महन्ती :** मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । बिजली से गाड़ियां चलाना प्रारम्भ करने के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया है कि इस से हावड़ा और मुगलसराय के बीच के सेक्शन में यातायात की अत्यधिक भीड़ भाड़ कम हो जायगी। सभा यह जानना चाहती है कि उस भीड़ भाड़ को कम करने में कहां तक सहायता मिली है ? और माननीय मंत्री का यह कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं तो माननीय मंत्री के कथन से यह समझा हूं कि इस से ३१ कठिनाइयां दूर हो गयी हैं ; पहले केवल ४७ गाड़ियां चलती थी; परन्तु अब ७८ गाड़ियां चल रही हैं।

†**श्री महन्ती :** वह तो केवल गाड़ियों की संख्या है । कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस के अतिरिक्त और किसी चीज़ की आवश्यकता है ?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या हावड़ा और बरद्धांन के बीच कार्ड लाइन पर भी बिजली से गाड़ियां चलाने के बारे में कोई प्रस्थापना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** फिलहाल उस प्रस्थापना को स्थगित कर दिया गया है ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** हावड़ा--मुगलसराय सेक्शन के अतिरिक्त और किस सेक्शन में बिजली से गाड़ियां चलाने के बारे में विचार किया जा रहा है और क्या इस समय कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सका ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण में यह लिखा है कि अपगाड़ियों में .२७ और ७३ मिनटों की बचत हुई है और डाउन गाड़ियों में .२२ और ६४ मिनटों की बचत हुई हैं । तो डाउन गाड़ियों में समय की बचत कम क्यों है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** ये तो प्रविधिक मामले हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** जी हां, यह प्रविधिक मामला है ।

चलती गाड़ियों में शिकायतों की पेटी

†***५७१. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलती गाड़ियों में शिकायतों की पेटी रखने की प्रणाली चालू की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्योरा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां ।

(ख) सभी यात्री गाड़ियों के गार्ड के डिब्बे में टेम्पर प्रूफ बक्स रखे जा रहे हैं जिन पर यह लिखा होता है कि "सुझाव और शिकायतों की पेटी"। पेटियों में डाले गये पत्रों को उन स्टेशनों पर रखे गये रजिस्टर में नोट किया जाता है जहां गाड़ियां समाप्त होती हैं और फिर वे पत्र हैडक्वार्टरों या डिवीजनल/जिला दफ़्तरों को भेज दिये जाते हैं जहां उन पर विचार किया जाता है और उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** वह प्रणाली इस समय कैसी चल रही है और गत ६ महीनों में कुल कितनी शिकायतें आयी हैं ?

†**श्री स० वें० रामस्वामी :** अभी तक १९७ पत्र आये हैं, परन्तु गार्ड के कमरों में रखे गये बाक्सों में कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न ही कोई उपयोगी सुझाव प्राप्त हुआ है ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि कभी कभी ये शिकायतें फाड़ कर फेंक दी जाती हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यदि माननीय सदस्य ऐसा कोई मामला मेरे ध्यान में लायें तो मैं उस के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकता हूं ।

†**श्री प्रभातकार :** किसी भी शिकायत के आने के समय से लेकर उस के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तक कितना समय लग जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह तो विभिन्न शिकायतों के प्रकार पर निर्भर करता है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** : क्या यात्रा करने वाले लोगों को बताया जाता है कि शिकायत का डिब्बा गाड़ी में कहां रखा हुआ है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** पिछले कुछ समय से यह डिब्बा गार्ड के कमरे में रखा जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** : मैं नहीं समझता कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों को भी यह ज्ञात होगा ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अब इसका अच्छी प्रकार से प्रचार किया जायेगा ।

आयात की गई वस्तुओं का नौवहन

†*५७४. { **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी परियोजनाओं के लिए जिन वस्तुओं का आयात किया जाता है, उनकी खरीद लागत-बीमा-भाड़ा आधार पर की जाती है अथवा नौका-पर्यन्त-निःशुल्क आधार पर ;

(ख) क्या इन वस्तुओं के नौवहन के मामले में हमें भी कुछ अधिकार हैं ; और

(ग) इस में से कितना माल भारतीय जलपोतों के लिए आरक्षित किया जाता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) 'नौका पर्यन्त निःशुल्क' के आधार पर खरीद और 'लागत-बीमा भाड़ा' के आधार पर बिक्री करने के सम्बन्ध में प्रत्येक यत्न किया जा रहा है और यद्यपि सरकारी विभाग और उपक्रम पूर्णरूपेण सहयोग दे रहे हैं तथापि इस सम्बन्ध में कुछ अपवाद हैं और इसलिये सभी मामलों में उक्त सिद्धान्त का पालन करना संभव नहीं है ।

(ख) नौवहन के मामलों में हमें भी पर्याप्त अधिकार हैं, परन्तु सम्पूर्ण भारतीय नौवहन व्यापार पर एकाधिकार जमाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है ।

(ग) भारतीय जलपोतों द्वारा वहन के लिये कोई माल आरक्षित नहीं है, परन्तु हमारा लक्ष्य ४० प्रतिशत माल के वहन का है जो कि कई सामुद्रिक देशों के लक्ष्य से कम है ।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच नहीं है कि यह निर्णय कर लेने के वावजूद भी, कि सभी वस्तुओं का क्रय "नौका पर्यन्त निःशुल्क" आधार पर किया जाये, कई मंत्रालय अभी तक 'लागत बीमा भाड़ा' के आधार पर वस्तुओं का क्रय कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री राज बहादुर** : 'नौका पर्यन्त निःशुल्क' आधार पर ही खरीद करनी चाहिये । "लागत बीमा भाडा" के आधार पर खरीद करना ग़लत है ।

†**श्री मुरारका** : मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति यह है कि सभी वस्तुओं की खरीद "नौका पर्यन्त निःशुल्क" आधार पर की जाये । तो भी अधिकांश वस्तुओं की खरीद "लागत बीमा भाड़ा" पर की जा रही है जिस से विदेशी संभरण-कर्ताओं को लाभ हो रहा है ।

†**श्री राज बहादुर** : हमारी नीति यह है कि खरीद 'नौका पर्यन्त निःशुल्क' के आधार पर की जाये और विक्रय 'लागत बीमा भाड़ा' के आधार पर किया जाये । हम इस संबंध में यत्न कर रह हैं । राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है और सभी राज्य उपक्रम इस का पालन करने का यत्न कर रहे हैं ; परन्तु सभी मामलों में इस सिद्धान्त का पालन करना संभव नहीं है । इस का पहला कारण तो यह है कि नौवहन के पर्याप्त स्थान का अभाव है, दूसरा यह है कि किसी भी पत्तन में रखने के लिये आवश्यक जहाज़ों की कमी और तीसरे कारण में विभिन्न आर्थिक कारण आदि सम्मिलित हैं ; परन्तु अपनी ओर से हम यथा संभव यत्न कर रहे हैं ;

†**श्री मुरारका** : इस के अतिरिक्त यदि नौवहन पर हमारा नियंत्रण हो, तो उस से निश्चित रूप से कई लाभ होंगे । वस्तुओं को 'नौका पर्यन्त निशुल्क' के आधार पर मंगवाने में क्या क्या कठिनाई हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : इस के लिये एक समिति स्थापित की गयी है जिसे समन्वय समिति कहते हैं। उसके अध्यक्ष परिवहन सचिव है और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि उस के सदस्य हैं। वे इस सम्बन्ध में यत्न कर रहे हैं ; और जहां भारतीय नौवहन कम्पनियां इस काम के लिये उपलब्ध नहीं होती, वहां भारकित जहाज़ों की व्यवस्था करने के लिये एक 'भारकित जहाज़' समिति' भी स्थापित की गयी है ।

जहां तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई मत भेद नहीं है । प्रश्न तो इसे कार्यान्वित करने का है ।

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय मंत्री का यह कहना है कि नीति के सम्बन्ध में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है । उन्होंने यह भी बताया है कि राज्य सरकारों को भी इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया है। परन्तु केन्द्रीय सरकार में ही विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उस नीति का पालन नहीं किया जा रहा है । अतः जब भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा ही निर्णयों का पालन नहीं किया जा रहा है तो इस प्रकार की समितियां नियुक्त करने से क्या लाभ है ? इन निर्णयों का पालन करने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक नीति का सम्बन्ध है, विभिन्न मंत्रालयों में कोई मतभेद नहीं है ; परन्तु इस कार्य के लिये भारतीय जहाज़ों की उतनी अधिक संख्या में उपलब्धि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी उपक्रम और केन्द्रीय क्षेत्र इस संबंध में सचेत हैं और हम इस नीति का अधिक से अथिक पालन करने का यत्न कर रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० सुशीला नायर :** माननीय मंत्री ने मेरा प्रश्न समझा नहीं । यदि 'नौका पर्यन्त निःशुल्क' के आधार पर खरीद नहीं की जाती है और हमारे पास अपने जहाज़ भी नहीं हैं, तो उस स्थिति में उन के जहाज़ इस्तेमाल किये जा सकते हैं। परन्तु यहां तो करार करते समय भी हम इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हम इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं कि सामान का आयात 'नौका पर्यन्त निःशुल्क' आधार पर किया जाये । इसका क्या कारण है ?

†**श्री राज बहादुर :** सभी सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में यह बात सच नहीं है । वास्तव में सभी सरकारी उपक्रम इस संबंध में सचेत हैं ; हम ने एक ऐसी योजना बनाई है जिस से सभी सरकारी उपक्रमों में इस नीति का पालन किया जा सकता है ।

†**श्री मुरारका :** सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय कर लेने के बाद कितना आयात नौका पर्यन्त निःशुल्क आधार पर किया गया है और कितना 'लागत बीमा भाड़े" के आधार पर ?

†**श्री राज बहादुर :** मेरे पास गत तीन वर्षों में सामान के आयात और निर्यात के सम्बन्ध में सभी इकट्ठे आंकड़े हैं ; नौका पर्यन्त निशुल्क आधार और 'लागत बीमा भाडा' आधार के संबंध में अलग अलग आंकड़े नहीं हैं। यदि वे इस संबंध में पूछते हैं तो मैं इसका उत्तर सभा पटल पर रख दूंगा ।

डीजल बसों से धुआं

+

†*५७६. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० के० देव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक २१ जनवरी, १९६१ के 'स्टेटसमैन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि डीजल बसों से निकलने वाला धुंआ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवायी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने विदेशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग रीतियों तथा प्रक्रियाओं के संबंध में अध्ययन करने के लिये और भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरों के पथ प्रदर्शन के लिये एक प्रारूप पुस्तिका को तैयार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की है । इस समिति से यह कहा गया है कि वह बड़े शहरों में धुंआ निकालने वाली बसों से वातावरण के दूषित होने के सम्बन्ध में व्यापक अध्ययन करे ।

आशा है कि वह समिति अपनी रिपोर्ट इस वर्ष ही सरकार को प्रस्तुत कर देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस कमेटी के कौन कौन से लोग सदस्य हैं और उस के टर्म्स आफ रिफ्रेंस क्या हैं ?

†**श्री करमरकर :** इसके सदस्य निम्नलिखित हैं :—

१	श्री एन०वी० मोदाक .	बम्बई निगम के विशेष इंजीनियर	सभापति
२	श्री एस० राजगोपालन .	असिस्टेण्ट डी० जी० (पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग) डीटीई, ई०, जी०एच० एस०	सदस्य सचिव
३	श्री पी० सी० बोस .	चीफ़ इंजीनियर, वेस्ट बंगाल	सदस्य
४	श्री पुरतेज सिंह .	इंजीनियर इन्चार्ज, भिलाई परियोजना	सदस्य
५	श्री एन० माजुमदार . .	प्रोफेसर आफ़ सेनेटरी इंजीनियरिंग आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ़ हाईजिन एण्ड कलकत्ता	सदस्य

उस के टर्म्स आफ़ रिफ्रेंस हैं, पब्लिक हेल्थ जीनियरिंग के बारे में सिफ़ारिश करना, जो सवाल मानीय सदस्य ने उठाया उसको मिला कर ।

प्रादेशिक खाद्य तथा निदेशक, कलकत्ता

†*५७७. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक खाद्य निदेशक, कलकत्ता ने २५००० से अधिक बोरी खाद्यान्न के लिए, जो खराब हो चुका है और जिसका उपयोग पशुओं के खाद्य अथवा मुर्गियों के खाद्य के रूप में, अथवा औद्योगिक मांड अथवा ऐसे अन्य औद्योगिक उत्पादों अथवा उर्वरकों के निर्माण के लिए किया जाना है, इच्छुक खरीदारों से 'जैसी भी हो और जहां भी हो, सिद्धान्त के आधार पर ८ फरवरी, १९६१ तक टैंडर मांगे हैं जिन में उन से यूल्य-दर देने के लिये कहा गया है ;

(ख) खराब हो चुके खाद्यान्न की, जिसकी बिक्री की पेशकश की गयी है, कुल मात्रा कितनी हैं, यह खाद्यान्न किस किस्म का है, इसे प्राप्त करने पर कितनी लागत आयी थी और कुल कितनी हानि होगी ;

(ग) इस विक्रयार्थ माल के खराब हो जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में विभिन्न प्रदेशों में केन्द्रीय खाद्य भंडारों में से खराब हुआ, कितना खाद्यान्न बेचा गया या किसी अन्य प्रकार से निकाला गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). जी, हां। उस गेहूं की २७,०७४ बोरियों की बिक्री के लिये, जो कि नमक के पानी से जहाज में खराब हो गया था, टेण्डर मांगे गये थे। यह गेहूं २३०० मीट्रिक टन है जिसकी मूल लागत लगभग ७.५ लाख रुपये थी। जहाज के मालिक पर इस नुकसान का दावा कर दिया गया है। जब तक इन दावों के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से फैसला नहीं कर दिया जाता और नष्ट गेहूं को बेच नहीं लिया जाता, तब तक यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अन्तिम नुकसान कितना होगा।

(घ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

क्षेत्र का नाम	१९५९–६०	१९६०–६१ (दिसम्बर तक)
पूर्वी क्षेत्र	१७७३ मीट्रिक टन	७२२ मीट्रिक टन
दक्षिणी क्षेत्र	५१७ ,,	२४९ ,,
पश्चिमी क्षेत्र	७०९४ ,,	२६७८ ,,
उत्तरी क्षेत्र	३८ ,,	१६६ ,,

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : इस विवरण में केवल दो ही वर्षों के सम्बन्ध में नष्ट हुए गेहूं के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी है। क्या इस संबंध में भी कोई सर्वेक्षण किया गया है कि गोदामों में कितना खाद्यान्न नष्ट हुआ है, और क्या उस खाद्यान्न को किसी न किसी प्रकार से बेच दिया गया है या कि अभी तक ऐसा खाद्यान्न है जिसे अभी तक बेचा ही नहीं गया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जहां तक जहाजों में खराब होने वाले खाद्यान्न का सम्बन्ध है, स्टीमरों के पहुंचने पर नुकसान का अनुमान अन्तर्राष्ट्रीय नाविक सर्वेक्षकों द्वारा लगाया जा रहा है। जहां तक गोदामों में होने वाले नुकसान का सम्बन्ध है, वह नुकसान बहुत कम है। यह नुकसान लगभग २ प्रतिशत है।

टिड्डियों का आक्रमण

+

†*५७८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री बहादुर सिंह :
श्री नेकराम नेगी :
डा० विजय आनन्द :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्यों में टिड्डियों के आक्रमण का कोई नया खतरा है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस का निवारण करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

टिड्डी विरोधी अनुसन्धान केन्द्र, लन्दन और मरुस्थल टिड्डी नियंत्रण सम्बन्धी खाद्य तथा कृषि संगठन प्रविधिक परामर्शदात्री समिति से प्राप्त हाल ही की जानकारी के अनुसार, इस वर्ष टिड्डियों के आक्रमण की आशंका है ।

भारत में टिड्डियों के आक्रमण अधिकांश राजस्थान के ८२,००० वर्गमील के मरुस्थल से होते हैं जहां अधिकांश टिड्डियां अंडे देती हैं। उन टिड्डियों को नष्ट करने के लिये टिड्डी विरोधी कार्यवाहियां करने के लिये केन्द्रीय टिड्डी चेतावनी संगठन के अधीन मरुस्थल के क्षेत्र में स्थापित सभी अर्थात् ४१ केन्द्रों को आधुनिक उपकरण, कीटाणु नाशक तथा अन्य विषैली औषधियां संभरित कर दी गयी हैं । विभिन्न सामरिक स्थलों पर लगाये जा चुके बेतार के सेट टिड्डियों के संबंध में सूचनायें देने और नियंत्रण कार्यवाहियों के लिये निकट का सम्पर्क स्थापित करने के लिये इनका इस्तेमाल किया जा रहा है ।

टिड्डी विरोधी प्रभावकारी वैमानिक कार्यवाहियों के लिये पहले ही एक वैमानिक यूनिट है जिसमें इस समय २ हवाई जहाज़ हैं। अब दो जहाज़ और भी बढ़ाये जा रहे हैं।

भारत में टिड्डियों के आक्रमण के कारण ये हैं कि अरब सागर के क्षेत्र या उस के आस पास के क्षेत्र में टिड्डियां अधिक संख्या में अंडे देती हैं और उन के नियंत्रण के संबंध में पर्याप्त कार्यवाही नहीं की जाती है । टिड्डियों के आक्रमण के ज़ोर को कम करने के लिये भारत सरकार गत ७ वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय टिड्डी नियंत्रण आन्दोलन में भाग ले रहा है ।

टिड्डी नियंत्रण संगठनों और उपायों की कार्यक्षमता को सुधारने के लिये राज्य सरकारों के पदाधिकारियों को ४ दिन का प्रशिक्षण देने के लिये बीकानेर में अप्रैल, १९६१ में एक कोर्स प्रारम्भ करने का विचार है । जिन राज्यों पर टिड्डियों के आक्रमण की आशंका हो सकती है, उन्हें गरमियों और पतझड़ के मौसम में टिड्डी नियंत्रण सम्बन्धी कार्यवाहियां करने के लिये पहले ही सचेत कर दिया गया है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उक्त कार्यवाहियों के अतिरिक्त आशंकाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को भी टिड्डी नियंत्रण के लिये कीटाणु नाशक औषधियों संभरित करने का कोई विचार है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : वह संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि अभी तक यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो सका है कि ये टिड्डियां किस किस क्षेत्र में आक्रमण करेंगी । अतः औषधियों का वितरण, लाभ दायक सिद्ध न होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेकार जाने वाले खाद्य का उपयोग

+

†*५७९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में आजकरल जो खाद्य व्यर्थ बर्बाद हो जाता है, उस के उपयोग के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के डा० आर्थर स्टाहल के सुझावों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इन क्या इन सुझावों को देखते हुए फल एवं सब्जी परिरक्षण उद्योग के आधुनिकीकरण की कोई योजना तैयार की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). इस संबंध में एक प्रैस रिपोर्ट देखी है जो कि खाद्य तथा कृषि संगठन के एक खाद्य परीक्षण विशेषज्ञ, डा० स्टाहल द्वारा, जो कि मैसर्स नागपुर, ओरेंज ग्रोअर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन (प्रोसेसिंग फैक्टरी, नागपुर द्वारा नियुक्त किये गये थ, दी गयी बतायी जाती है । परन्तु भारत सरकार को उन से कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । जब कभी वे रिपोर्ट भेजेंगे, उस पर उचित प्रकार से विचार किया जायेगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार सीधे ही मेसर्स नागपुर औरेंज ग्रोअर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन से इस प्रयोग के सम्बन्ध में विशेषतया नारंगियों से 'पेक्टिन' निकालने के सम्बन्ध में जानकारी मांग नहीं सकती ताकि हमें मुरब्बे, जेली आदि के निर्माण के लिये इसे आयात करने पर अधिक राशि खर्च न करनी पड़े ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी, हां हमें इस रीति के बारे में ज्ञात है । वास्तविक कठिनाई तो इसके संग्रह और इसे मितव्ययी बनाने के सम्बन्ध में है क्योंकि हमारे यहां विभिन्न औद्योगिक कारखाने नहीं हैं । तो भी हम डा० स्टाहल की रिपोर्ट तथा प्रैस रिपोर्ट के परिणामस्वरूप इसकी ओर अधिक ध्यान देंगे । वास्तव में सी० एफ० आर० आई० मैसूर इस कार्य में पहले ही व्यस्त है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस समय कुल कितने 'पेक्टिन' का आयात किया जा रहा है और यदि उसका निर्माण यहीं प्रारम्भ कर दिया गया, तो उससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मुझे इस समय ज्ञात नहीं है । मुझे इस बारे में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से पता करना पड़ेगा ।

रेलवे के सेवानिवृत्त व्यक्तियों के दावों का निपटारा

†*५८० **राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर रेलवे (लखनऊ डिवीजन) के सेवानिवृत्त व्यक्तियों के बहुत से दावे पिछले कई वर्षों से निपटारे के लिए विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन मामलों की संख्या कितनी है और इन मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख). लखनऊ डिवीजन में भविष्य निधि के ८ मामले और पेंशन के ५६ मामले एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन हैं । पेंशन के समस्त मामलों में पूर्वानुमान पेंशन मंजूर की गई है । प्रशासन समस्त मामलों के अन्तिम रूप से निपटारे के लिए प्रयत्नशील है और उनका यथाशीघ्र निपटारा हो जायेगा ।

†राजा महेन्द्र प्रताप : क्या समस्त शिकायतों के सम्बन्ध में जांच कराने की योजना बनाई जा सकती है ताकि शिकायत का मौका ही न आये ?

†श्री शाहनवाज खाँ : हमारा संगठन समस्त शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करता है और समस्त शिकायतों के बारे में तुरन्त कार्यवाही की जाती है । परन्तु इस बीच में और शिकायतें आ जाती हैं ।

†श्री त० ब० विट्ठलराव : कुछ पूर्वानुमान पेंशन मंजूर की जा रही है । यह पूर्वानुमान पेंशन कुल पेंशन की कितनी प्रतिशत है ?

†श्री शाहनवाज खाँ : मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता परन्तु वह विभिन्न मामलों में भिन्न भिन्न होती है । परन्तु सामान्यतः वह लगभग ९० प्रतिशत होती है ।

†श्री त० ब० विट्ठलराव : पेंशन के इन मामलों के निपटारे में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†श्री शाहनवाज खां : कुछ मामलों में कतिपय रिकार्ड पूरे नहीं हैं; कुछ मामलों में वेतनक्रम आदि के सम्बन्ध में झगड़ा है । इन सब पर विचार करके निर्णय करना होता है ।

पूर्व रेलवे के अम्बिका कलना स्टेशन के निकट लोहे की वस्तुओं की चोरी

+

†*५८२. { श्री मुहम्मद इलियास :
श्री सुबिमन घोष :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के अम्बिका कलना स्टेशन के समीप २६ जनवरी, १९६१ अथवा उसके आसपास, रेलवे द्वारा प्रयुक्त होने वाली लोहे की वस्तुओं की चोरी हो गयी;

(ख) यदि हां, तो क्या चोरों के साथ कोई मुकाबला हुआ था;

(ग) यदि हां, तो इस मुठभेड़ में कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(घ) मृत तथा घायल व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ङ) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(च) क्या उस स्टेशन के निकट इससे पहले भी कभी ऐसी चोरी हुई थी; और

(छ) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । दुर्घटना २८ और २९ जनवरी, १९६१ के बीच की रात को हुई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). केवल एक अभियुक्त जिसका नाम सरबन सिंह था और जो सलकिया (हावड़ा) का रहने वाला था दुर्घटना-स्थल पर मरा हुआ था। घायल कोई नहीं हुआ।

(ङ) अभी तक ४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

(च) हां, श्रीमान्।

(छ) लगभग ९२ रुपये के टाई बारों की क्षति हुई।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या यह सच नहीं है कि पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे में खड़गपुर से हावड़ा तक और आसनसोल से हावड़ा तक चोरों के दल दिन दहाड़े मालडिब्बे खोल कर माल उतार लेते हैं और इसे रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हम प्रत्येक पूर्वविधान कर रहे हैं। रेल गाड़ियों में सशस्त्र रेलवे सुरक्षा दल चलता है। वास्तव में हमें जनवरी में यह सूचना मिली कि इस प्रकार चोरियां हो रही हैं और हम ने चौकीदारों की रक्षा के लिए सशस्त्र सन्तरी नियुक्त कर दिये हैं। अनुमान है कि लगभग ३० डाकू चौकीदारों पर हमला करने आये थे। जब चेतावनी दिये जाने पर भी डाकू लौटे नहीं तो गोली चलाई गई जिससे एक व्यक्ति मर गया।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** जो व्यक्ति उस मुठभेड़ में मारा गया वह कोई बाहरी व्यक्ति था अथवा उस दल का सदस्य था जिसने इस स्टेशन पर चोरी की थी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** स्पष्टतः वह दल का सदस्य था और संभवतः दल का एक प्रमुख व्यक्ति था। उसके पास कुछ कागजात मिले थे जिनमें एक कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पहचान पत्र था जिसमें उसका नाम सरबन सिंह वल्द रनका सिंह व पता ५३ ग्राण्ड ट्रंक रोड, सलकिया, हावड़ा दिया गया था।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या उस समस्त दल को गिरफ्तार करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है जो बड़े नियोजित ढंग से हावड़ा से इन स्थानों तक चलता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी:** हम इस मामले में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हम डाकुओं के उपद्रव पर नियंत्रण कर लेंगे।

लक्का द्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपों में डाक्टरों की कमी

†*५८३. **श्री नल्लाकोया :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपों में स्थित औषधालयों में डाक्टरों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अर्हताप्राप्त डाक्टरों को इन द्वीपों में कार्य करने के लिए भेज सकती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) चूंकि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है इसलिए उस संवर्ग में से डाक्टरों को लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपों को भेजना संभव नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग से इन द्वीपों के लिए शीघ्र ही उपयुक्त डाक्टर भर्ती करने के लिए कहा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नल्लाकोया :** क्या माननीय मंत्री ठेके के आधार पर भर्ती समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेंगे क्योंकि इस प्रणाली से त्यागपत्र आदि द्वारा नई समस्यायें उत्पन्न होती हैं ?

†**श्री करमरकर :** क्या मानीय सदस्य थोड़ा जोर से बोलेंगे ? मैं प्रश्न नहीं सुन सका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न दुहरा देने की कृपा करेंगे ?

†**श्री नल्लाकोया :** क्या माननीय मंत्री ठेके के आधार पर भर्ती समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेंगे क्योंकि इस प्रणाली से त्यागपत्र आदि द्वारा नई समस्यायें उत्पन्न होती हैं ?

†**श्री करमरकर :** परन्तु उससे कई पुरानी समस्यायें तो हल हो गई हैं ।

†**डा० सुशीला नायर:** चूंकि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा मौजूद है इसलिए सरकार को कुछ अतिरिक्त भर्तियां करने में क्या बाधा है ताकि ऐसे लोगों को दूरस्थ स्थानों को भेजा जा सके ? ऐसे स्थानों पर केवल स्थायी सेवा के लोग ही रहेंगे क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी चली जाने का डर रहेगा । नया व्यक्ति वहां जाने से इन्कार कर सकता है । सरकार को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में ऐसे पदों के लिए कुछ अतिरिक्त भर्तियां करने में क्या बाधा है ?

†**श्री करमरकर :** सरकार को कोई भी बाधा नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री को ऐसे उत्तर से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए ।

†**श्री करमरकर :** संभवतः आपने मेरा मूल उत्तर नहीं सुना था । मैंने मुख्य उत्तर में यह कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग से इन पदों के लिए शीघ्र उपयुक्त डाक्टर भर्ती करने के लिए कहा गया है । इस उत्तर के पश्चात् यह प्रश्न पूछा जा रहा है । ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** नये लोग स्तीफा दे कर छुट्टी पा सकते हैं इसलिए उनके बदले वहां पुराने लोगों को रखा जाना चाहिए क्योंकि वे अपनी पुरानी नौकरी सहज ही नहीं छोड़ सकेंगे ।

†**श्री करमरकर :** प्रश्न यह नहीं था । प्रश्न यह था कि सरकार को भर्ती करने में क्या बाधा हो रही है । मैंने उत्तर दिया कि कोई बाधा नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** डा० नायर का प्रश्न भिन्न था ।

†**श्री करमरकर :** यदि ऐसा है, तो मुझे खेद है ।

†**डा० सुशीला नायर :** चूंकि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लोग सहज ही नौकरी नहीं तोड़ सकते हैं इसलिए सरकार उस सेवा में कुछ अतिरिक्त लोगो को क्यों नहीं रख लेती है ताकि इन स्थायी सरकारी कर्मचारियों में से कुछ को इस प्रकार के दूरस्थ स्थानों को भेजा जा सके ?

†**अध्यक्ष महोदय :** नये लोगों के बजाये, जो शीघ्र ही इस्तीफा देकर लौट आते हैं, ऐसे लोगों को वहां नियुक्त किया जाना चाहिए जो पहले से नौकरी में हों ।

†**श्री करमाकर :** ताकि ऐसे व्यक्ति भी इस मामले पर पुनर्विचार करके वहां से इस्तीफा दे दें!

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे बड़ा आश्चर्य है ! क्या एक नये भर्ती किये गये व्यक्ति और पुरानी नौकरी वाले व्यक्ति में कोई अन्तर नहीं है ? यदि पुरानी नौकरी वाला व्यक्ति भी इस्तीफा दे देता है तो अन्य लोगों को वैसा करने में क्या कठिनाई होगी जिन्हें पुरानी सेवा जाने का भय भी नहीं होगा ? सभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं माननीय मंत्री को उनका तर्कसंगत उत्तर देना चाहिए । डा० सुशीला नायर का सुझाव है कि वहां पुराने लोगों को भेजा जाना चाहिए । माननीय मंत्री कहते हैं कि वे भी इस्तीफा दे देते हैं यदि वे भी इस्तीफा दे देते हैं तब तो कुछ नहीं किया जा सकता, परन्तु फिर भी पुराने लोग सहज ही इस्तीफा नहीं देंगे, अतः कठिनाई क्या है ?

†**श्री करमरकर :** मैं भली प्रकार समझाये देता हूं ताकि संदेह की गुंजाइश न रह जाये जब तक डाक्टरों को एक स्थान से दूसरे को भेजने के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया जायेगा तब तक हम वैसा नहीं कर सकते और अभी ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है । केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है इसलिए हम किसी भी व्यक्ति को दिल्ली से अमीनदीवी नहीं भेज सकते हैं । हमारे पास केवल भर्ती करने का विकल्प रह जाता है और हम ने संघ लोक सेवा आयोग से डाक्टरों की भर्ती करने के लिए कहा है और क्या कार्यवाही की जानी चाहिए यह बताने में मैं असमर्थ हूं । जब तक कोई उपयोगी सुझाव न दिया जाये मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या अभी तक कोई अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा नहीं है ?

†**श्री करमरकर :** उसका निर्माण अभी नहीं हुआ है । मैंने अपने मूल उत्तर में यही कहा था कि "चूंकि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है इसलिए उस संवर्ग में से डाक्टरों को लक्कादीव आदि को भेजना संभव नहीं है ।"

†**डा० सुशीला नायर :** यदि ऐसा है तो समय समय पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए पदों का विज्ञापन कैसे निकाला गया है ? बहुत से लोगों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में भर्ती किया गया है । मैं जानना चाहती हूं कि वह सेवा कौन सी है ?

†**श्री करमरकर :** हम केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिये कोई भर्ती नहीं कर रहे हैं । हम कुछ पदों के लिए लोगों की भर्ती कर रहे हैं जो विज्ञापित किये जाते हैं । यदि विलिंगडन अस्पताल में कोई सीनियर सर्जन का पद है तो हम उसे विज्ञापित करते हैं, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए नहीं । जब तक उस सेवा का निर्माण नहीं हो जाता तब तक उसके लिए हम लोगों की भर्ती कैसे कर सकते हैं ?

†**श्री वें० ईयाचरण :** क्या वहां नियुक्त किये जाने वाले डाक्टरों को कोई विशेष भत्ता दिया जाता है ताकि वे वहां जाने के लिए आकर्षित हों ?

†**श्री करमरकर :** मैं इसके लिए पूर्व सूचना चाहूंगा । परन्तु जहां तक मेरे नोटों में दी गई जानकारी है ऐसा कोई भत्ता नहीं है मैं इसके बारे में मालूम करूंगा ।

जोरहाट में भोगडोई पुल

†***५८४. श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १३ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यातायात

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जोरहाट में भोगडोई पुल का विस्तार करने और मौजूदा राष्ट्रीय राजपथ को चौड़ा करने के लिए आसाम राज्य की सरकार की सलाह से कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: जी, हां राज्य सरकार राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७ पर जोरहाट के वर्तमान पुल से नीचे की ओर प्रस्तावित उप-मार्ग पर नये पुल के निर्माण के लिए सहमत हो गई है। अतः वर्तमान भोगडोई पुल का विस्तार करने और वर्तमान राष्ट्रीय राजपथ को चौड़ा करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्रीमती मफीदा अहमद**: क्या यह कार्य तीसरी योजना अवधि के दौरान में किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर**: हां श्रीमान्, यही विचार है।

'लग्ज़री' कारों का आयात

†*५८५. **डा० विजय आनन्द** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पर्यटन के लिए २०० 'लग्ज़री' कारों का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को कारों का कितना आवंटन किया गया है; और

(ग) आवंटन की प्रक्रिया क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) पर्यटकों के उपयोग के लिए १९५९ में २०० नहीं वरन् ६० कारों का आयात किया गया था।

(ख) विभिन्न राज्यों को ६० कारों का आवंटन निम्न प्रकार था :

दिल्ली	२३
जम्मू तथा काश्मीर	१०
मद्रास	२
महाराष्ट्र	४
उड़ीसा	२
पंजाब	३
राजस्थान	३
उत्तर प्रदेश	७
पश्चिम बंगाल	४
	५८
एयर इंडिया इन्टरनेशनल	२
	६०

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ६० कारों में से २७ कारें लोकप्रिय पर्यटक केन्द्रों में अच्छी परिवहन सुविधाओं जहां ऐसी सुविधाओं का अभाव है का उपबन्ध करने की दृष्टि से राज्य सरकार के संचालकों को वितरित की गई थीं शेष में से दो कारें एयर इंडिया इन्टरनेशनल को अपने प्रतिष्ठित अतिथियों जैसे विदेशी यात्रा एजेण्ट आदि, की सवारी के लिए आवण्टित की गई थीं। शेष ३१ कारें दिल्ली बम्बई, कलकत्ता मद्रास और मदुरै के गैर-सरकारी संचालकों को उनकी वर्तमान कारों की संख्या, वित्तीय स्थिति और पर्यटक यातायात की दृष्टि से उस स्थान के महत्व के आधार पर आवण्टित की गई थीं।

†**डा० विजय आनन्द** : क्या किन्हीं राज्यों, विशेषकर दिल्ली से कोई शिकायत आई है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे राज्य सरकारों से प्राप्त किन्हीं शिकायतों की जानकारी नहीं है।

†**श्री महन्ती** : इन २०० 'लक्जरी' कारों के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : विवरण में कारों की संख्या ६० बताई गई है २०० नहीं और उनके आयात की अनुमति विदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ली गई थी कुछ वर्षों से बड़ी कारों के आयात पर प्रतिबन्ध है।

†**श्री महन्ती** : मेरा प्रश्न यह नहीं है। इन 'लक्जरी' कारों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है। इस समय जबकि हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है क्या इन कारों के बिना काम नहीं चल सकता था ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे रहा था जो एक गलत धारणा पर आधारित था। उनकी संख्या २०० नहीं थी वरन् ६० थी। मैं यह बता रहा था कि हमें उनका आयात पर्यटक यातायात की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करना पड़ा इन कारों का मूल्य २३००० रुपये से लेकर २५००० रुपये तक प्रति कार है और उनका आयात बिल्कुल खुली हुई हालत में किया गया है। मैं समझता हूं कि विदेशी मुद्रा के रूप में भी यही मूल्य होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने पूछा था कि इन कारों का आयात भी क्यों किया गया ?

†**श्री राज बहादुर** : हम बड़े आकार की कारों का निर्माण नहीं करते हैं और बड़े आकार की कारों पर प्रतिबन्ध रहा है। वे डी० एल० जेड० कारें हैं जो विदेशियों के काम आती हैं।

†**श्री महन्ती** : ये 'लक्जरी' कारें इस समय किस प्रकार काम में लाई जा रही हैं ? क्या उनका विस्तृत ब्यौरा बताया जा सकता है ?

श्री राज बहादुर : समस्त ब्यौरा विवरण में दिया हुआ है। वे दिल्ली तथा बम्बई, कलकत्ता मद्रास आदि जैसे अन्य स्थानों में डी० एल० जेड० टैक्सियों के रूप में पर्यटकों के काम में आती हैं। कुछ कारें राज्य सरकारों को उनके राजकीय अतिथियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवण्टित की गई हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्यों को जो कारें दी गई हैं वे भी पर्यटकों के प्रयोजन के लिए हैं।

महाराष्ट्र में गन्ने की खेती

†*५८६. **श्री गोरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि महाराष्ट्र में चीनी के कुछ कारखानों ने इस मौसम में गन्ने की बुवाई नहीं की है और इसका कारण यह बताया है कि महाराष्ट्र राज्य विधान मंडल में पेश 'भूमि की अधिकतम सीमा विधेयक' के उपबन्धों के अनुसार जोत की भूमि के जिस पर उनका अधिकार है, सरकार द्वारा लिये जाने की संभावना है; और

(ख) गन्ने की खेती और चीनी के उत्पादन के वर्तमान स्तर को कायम रखने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में भूमि की अधिकतम सीमा विधेयक के कारण किसी भी चीनी के कारखाने ने गन्ने की बुवाई नहीं रोकी है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री गोरे** : क्या महाराष्ट्र के चीनी उत्पादकों का एक प्रतिनिधिमण्डल इस विभाग के प्रभारी मंत्री से मिला था ?

†**श्री अ० म० थामस** : हां, श्रीमान्। एक प्रतिनिधिमण्डल ने मंत्री जी से भेंट की थी

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या इन फार्मों की अधिकतम सीमा में अधिक भूमि उन किसानों को आवंटित की जायगी जो यह आश्वासन देंगे कि वे इस भूमि में गन्ने की खेती करते रहेंगे ?

†**श्री अ० म० थामस** : वास्तव में इस मामले के सम्बन्ध में काफी चर्चा होने के बाद यह निश्चय किया गया था कि फार्म की इकाई कायम रखी जानी चाहिए। अर्थात् इन फार्मों को टुकड़ों में नहीं बांटा जाएगा जिससे उत्पादन को हानि पहुंचे।

†**श्री गोरे** : वर्तमान उत्पादन को कायम रखने के लिए क्या कदम उठाऐ जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** हमें महाराष्ट्र सरकार ने यह आश्वासन दिया है--और हमारी भी यह इच्छा थी--कि वे इस बात का भरसक प्रयत्न करेंगे कि चीनी का उत्पादन कम न हो। इस आश्वासन से अधिक हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

†**श्री गोरे** : वह राज्य फार्म के रूप में होगा अथवा संयुक्त फार्ए के रूप में ? कारखानों से भूमियां ले लिए जाने के पश्चात् इन फार्मों का क्या रूप होगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह सुझाव दिया गया है कि अधिकतम सीमा के सिद्धान्त के लागू किऐ जाने के परिणामस्वरूप उपलब्ध भूमि राज्य फार्म के रूप में रखी जा सकती है अथवा स्वामित्व अंश कुछ किसानों को सहकारी आधार पर दे दिये जायें। विचार यह है कि फार्म की एकता कायम रहे और वह एक इकाई बना रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेत्र बैंक

†*५८७. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेत्र बैंक स्थापित करने के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हैं, तो वे क्या हैं और किन राज्यों में उठाये गये हैं; और

(ख) क्या इन बैंकों की आवश्यकता के प्रति जनता का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा-व्यवसाय में संलग्न लोगों की सेवायें प्राप्त किये जाने का प्रयास किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) सात नेत्र बैंक निम्नलिखित अस्पतालों में चल रहे हैं

१. एस० सी० बी० मेडिकल कालेज अस्पताल, कटक, उड़ीसा ।

२. सरकारी नेत्र चिकित्सालय, मद्रास ।

३. एर्सकिन सरकारी अस्पताल, मदुरै, मद्रास

४. स्टेनले सरकारी अस्पताल, मद्रास

५. पी० एम० बी० पुरुष चिकित्सालय, बीकानेर, राजस्थान

६. आसाम मेडिकल कालेज अस्पताल, डिब्रूगढ़, आसाम ।

७. गांधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़

बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों में नेत्र बैंकों की स्थापना के प्रस्ताव सम्बन्धित राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं ।

(ख) अधिकांश राज्यों द्वारा जनता को मृत्यु के बाद नेत्रदान करने की शिक्षा देने के लिए प्रचार कार्य किया जा रहा है । ऐसे मामलों में राज्य सरकारें चिकित्सा विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त करती हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

कांगो में राष्ट्रसंघ का विशेष प्रतिनिधि

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४.** { **श्री इन्द्रजीत गप्त :** / **श्री रघुनाथ सिंह :** }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगो में राष्ट्रसंघ के विशेष प्रतिनिधि श्री राजेश्वर दयाल के स्थान पर किसी पश्चिमी गुट के व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) क्या इस मामले में भारत सरकार से परामर्श किया गया है; और

(ग) राष्ट्रसंघ के अधिकारियों ने श्री दयाल को हटाने के क्या कारण बताये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :(क) से (ग). यह सच है कि कांगो में राष्ट्र-संघ के विशेष प्रतिनिधि श्री राजेश्वर दयाल के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति

†मूल अंग्रेजी में

को नियुक्त किया जा रहा है । वास्तव में राष्ट्रसंघ के महासचिव ने भारत सरकार से श्री राजेश्वर दयाल के अपने वर्तमान पद पर कुछ महीने और बने रहने के लिए सहमत हो जाने का अनुरोध किया है । भारत सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या हाल में सर्वश्री कासावुबू, मोबुटू आदि ने राष्ट्रसंघ पर श्री दयाल को हटा लेने के लिए जोर डाला है और क्या भारत सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : समाचारपत्रों में इस आशय की अफवाहें प्रकाशित हुई हैं कि श्री कासावुबू ने पहले भी श्री दयाल के बारे में शिकायतें की थीं और उनकी नियुक्ति का अनुमोदन नहीं किया था परन्तु राष्ट्रसंघ के महासचिव ने हर बार श्री कासावुबू की शिकायतों को ठुकरा दिया ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि पश्चिम के जिम्मेदार पत्रों ने यह कहा है कि कांगो स्थित ब्रिटिश दूतावास, जिसके प्रधान एक भूतपूर्व आई० सी० एस० अधिकारी हैं, श्री दयाल के विरुद्ध कानाफूसी का केन्द्र बना हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कानाफूसी की चर्चा यहां नहीं की जा सकती है

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या श्री दयाल के कार्य की राष्ट्रसंघ और भारत सरकार द्वारा प्रशंसा की गई है ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या भारत सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित हुआ है कि राष्ट्रसंघ के महासचिव द्वारा श्री दयाल के दो सहायक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किय जा रहे हैं और यदि हां तो वे किन देशों से लिये जा रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, श्रीमान्, मेरा ध्यान इस ओर नहीं आकर्षित किया गया है । मैं पहली बार ही उसके बारे में सुन रहा हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि पेकिंग पीपुल्स डेली ने श्री दयाल के विरुद्ध यह लिखा है कि कांगो में श्री गिजेंगा की वैध सरकार को चुनौती दिये जाने की जिम्मेदारी श्री दयाल पर है और यह आरोप कहां तक सही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न यहां कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा निवेदन है कि . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सुन चुका हूं । प्रश्न यह है कि क्या पश्चिमी शक्तियों के कहने से श्री दयाल के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है । माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि क्या श्री दयाल पर किन्ही अन्य व्यक्तियों ने कोई आरोप लगाये हैं । ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हम उसके कारणों में नहीं जा रहे हैं

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न इस प्रश्न के सम्बन्ध में अवश्य उत्पन्न होता है

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक प्रश्न से प्रत्येक चीज उत्पन्न होगी । प्रश्नों का आन्तरिक सम्बन्ध तो ऐसा है कि समस्त विश्व को एक प्रश्न में लाया जा सकता है

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : हम सब श्री दयाल की ऐसे आरोपों से रक्षा करना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जैसा माननीय सदस्य ने उल्लेख किया।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : चूंकि भूतकाल में श्री हैमरशोल्ड ने सुरक्षा परिषद् के निर्णयों का आपत्तिजनक निर्वचन किया है इसलिए क्या सरकार ने सुरक्षा परिषद के नवीनतम निर्णय के निर्वचन के सम्बन्ध में श्री दयाल को कोई परामर्श अथवा निदेश दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जब से हम ने श्री दयाल की सेवायें राष्ट्र संघ को सौंपी हैं तब से सरकार ने उन्हें कोई सलाह नहीं दी है वह वहां राष्ट्रसंघ की ओर से काम कर रहे हैं। वह अपने कार्य की सूचना हमें नहीं देते हैं और न हम उन्हें यहां से सलाह ही देते हैं। यदि हमें कुछ कहना होता है तो हम महासचिव से कहते हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या यह अधिक अच्छा अथवा गरिमामय नहीं है कि जहां हमारी आवश्यकता न हो वहां से हम हट जायें ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यह कौन कहता है कि हमारी आवश्यकता नहीं है। समस्त संसार को हमारी आवश्यकता है। **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : यदि हमारा कोई अधिकारी राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में कार्य करता है और सरकार को अपने कार्य की सूचना देता है अथवा नहीं देता है तो हम यह कैसे जान सकते हैं कि राष्ट्रसंघ के निदेशों के अन्तर्गत उसके कोई कार्य हमारी सरकार की नीति के विरुद्ध तो नहीं जाते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रत्येक जागरूक अधिकारी हमारी नीतियों से निश्चित रूप से परिचित होता है। यदि वह उन आधारभूत नीतियों के विरुद्ध कोई बात करता है तो या तो हमें उसको वापस बुला लेना चाहिए अथवा उसे स्वयं वापस आ जाना चाहिए।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा उससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब श्री दयाल के प्रतिवेदन पर विचार भी नहीं किया गया तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी नीति को ठुकराया जा रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसके लिए हमें उसके इतिहास पर नजर डालनी होगी। उसे ठुकराया नहीं गया था। यह सही है कि उस पर भली प्रकार विचार नहीं किया गया क्योंकि इस प्रतिवेदन के आने के शीघ्र बाद ही राष्ट्रसंघ ने यह निर्णय किया कि कांगो के मामले पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि समझौता समिति वहां जाकर प्रतिवेदन न दे। इसलिए इस प्रतिवेदन पर विचार भी स्थगित कर दिया गया। उसके पश्चात् कुछ और बातें होने लगीं और स्थिति बदल गई। यह कहना ठीक नहीं होगा कि प्रतिवेदन को ठुकरा दिया गया अथवा उस पर विचार नहीं किया गया। उस समय उसे स्थगित किया गया था और फिर उसे लाने का कोई अवसर नहीं आया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : मैं अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मैंने अपने प्रश्न में माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान पेकिंग पीपुल्स डेली, जो चीनी साम्यवादी दल का प्रमुख पत्र है, में प्रकाशित एक लेख की ओर आकर्षित किया था जिसमें श्री राजेश्वर दयाल के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि वह कांगो में गिजेंगा की वैध सरकार को खत्म कराने का खुला प्रयत्न कर रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता था कि केवल पश्चिमी शक्तियां ही नहीं वरन् अन्य गुट की शक्तियां भी श्री दयाल के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि ये कहां तक सही हैं। इस मामले में प्रधान मंत्री ही प्रकाश डाल सकते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या पश्चिमी शक्तियों के अतिरिक्त कुछ पूर्वी शक्तियां भी उसमें हितबद्ध हैं ?

†श्री हेम बरुआ : हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालें।

†श्री जवाहरलाल नेहरु : मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य मुझ से पेकिंग के पत्र में प्रकाशित एक लेख पर विचार प्रकट करने के लिए कह रहे हैं। यह सर्वविदित है कि अनेक मामलों में पेकिंग के समाचार पत्रों अथवा पेकिंग सरकार के विचार हमारे विचारों से मेल नहीं खाते हैं, विशेषकर इस मामले में। इतना ही नहीं इसमें तो तथ्य भी गलत हैं। संभवतः उन्हें कांगो की घटनाओं की सही जानकारी नहीं है।

भारत में जासूसी

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५. { श्री हेम बरुआ : श्री रघुनाथ सिंह

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १ मार्च, १९६१ को स्टेट्समैन नई दिल्ली में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि "सोमवार को न्यूजवीक पत्रिका में यह समाचार छपा है कि श्री ख्रुश्चेव ने श्री नेहरू से भारत में रूसी जासूसी के लिये क्षमा मांगी है" और इस से आगे ,,चीन के लिये जासूसी करने वाले तथा जनवरी में भारत से निकाले गये तीन रूसी दूतावास के कर्मचारियों की रूसी विदेश सेवा ने भर्त्सना की है और श्री ख्रुश्चेव ने श्री नेहरू को क्षमायाचना का व्यक्तिगत पत्र भेजा है" ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह समाचार सच है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है। इस पत्रिका में एक दम ग़लत समाचार छपा है। श्री ख्रुश्चेव का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है और इस समाचार में उन के बारे में कही गई बातें निराधार हैं।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कुछ जूनियर कर्मचारियों ने हाल में ही कुछ गुप्त पत्र किसी दूतावास को बता दिये थे। उन के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है और उस दूतावास के प्रधान ने खेद प्रकट कर दिया है। इन में से चीन की ओर से अथवा के लिये जासूसी करते हुए कोई नहीं पकड़ा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : हम अभी तक अंधेरे में हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हाल में ही माननीय प्रधान मंत्री ने बताया था कि लोक हित के कारण वह उन देशों के उन माननीय व्यक्तियों के नाम बताने को तैयार नहीं हैं जो जासूसी करना चाहते थे ।

†**श्री अशोक मेहता** : श्रीमान् मेरा एक औचित्य प्रश्न है । समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि प्रधान मंत्री ने यह बताया है कि क्षमायाचना श्री ख्रुश्चेव ने नही की है परन्तु यहां के रूसी राजदूत ने की है । उन्होंने बाहर समाचार पत्रों को जो कुछ बताया है, उन्हे निश्चित रूप से यहां भी बताना चाहिये । या तो वह समाचार झूठा है ऐसा उन्हें हमें बताना चाहिये अथवा उन्हें कम से कम हमारा इतना विश्वास अवश्य करना चाहिये जितना वह बाहर समाचार-पत्रों का करते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य किस समाचारपत्र के बारे में बता रहे हैं ।

†**श्री अशोक मेहता** : आप जब रानी अथवा श्री कोसीजिन को विदा करने हवाई अड्डे पर गये थे तब संभवतया आप ने यह कहा था और समाचारपत्रों ने उसे प्रकाशित कर दिया ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने जो कुछ यहां पर बताया है वही वहां कहा था । यह कहना गलत है कि श्री ख्रुश्चेव ने क्षमा याचना की है । मैंने यही कहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि राजदूत ने क्षमायाचना की है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बिल्कुल नहीं । मैंने जो कुछ यहां पर बताया है वही वहां पर कहा था । वह इंटरव्यू नहीं था । माननीय सदस्य मेरे हवाई अड्डे पर जाने पर घूमते हुए कुछ बातें कह देने का ज़िक्र कर रहे हैं । मैंने यही कहा था जो यहां कहा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । सभासद दो बार पहले भी यह जानने को उत्सुक थे कि नई दिल्ली में कौन से दूतावास किस देश के लिये जासूसी कर रहे थे । इन दोनों अवसरों पर ही हमें बताया गया कि इस की जानकारी हासिल करने से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । हमारे प्रश्न तथा सभासदों की जानकारी की मांग का 'न' में ही उत्तर मिलता है । हम यहां पर अंधेरे में हैं और समस्त विश्व में यह समाचार फैल गया है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : आप का औचित्य प्रश्न क्या है ?

†**श्री हेम बरुआ** : मैं बता रहा था । कई बार जब श्री गोरे ने प्रधान मंत्री का ध्यान समाचार-पत्रों के समाचारों की ओर दिलाया . . . .

†**श्री मुहम्मद इलियास** : माननीय सदस्य औचित्य प्रश्न पूछने अथवा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करने खड़े होते हैं और उन के भाषण के अन्त में पता लगता है कि कोई बात ही उन्होंने नहीं कही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : प्रधान मंत्री समाचार बताना नहीं चाहते हैं । विश्व के समाचार पत्रों में एक देश का नाम उल्लिखित है । परन्तु जब हम प्रधान मंत्री का ध्यान उस ओर दिलाते हैं तो हम को अंधेरे में ही रखा जाता है । मेरा यही औचित्य प्रश्न है कि जब समस्त विश्व के समाचार-पत्र जानते हैं तो क्या प्रधान मत्री सभा को समाचार देने से इन्कार कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य औचित्य प्रश्न पूछने के बजाय और बहुत सी बातें कहना आरम्भ कर देते हैं। स्पष्ट है कि वह यह जानना चाहते हैं कि जब सच अथवा झूठ बात का इतना प्रचार हुआ है तो क्या उस को सभा को बताना लोक हित नहीं है जिस से देशवासी ऐसे दूतावासों से अपना सम्पर्क न रखें और उन के हाथों का खिलौना न बनें। यह आशंका ठीक ही है। परन्तु अध्यक्ष हमेशा माननीय मंत्री के स्वविवेक का ध्यान रखता है और उसी पर छोड़ देता है कि वह जब समय ठीक हो तब समाचार को सभा को दे। मैं समझता हूं कि औचित्य प्रश्न यह है कि क्या इस को बताना लोकहित में है अथवा नहीं। यह एक सुझाव मात्र है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि यह एक औचित्य प्रश्न नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा वह मैंने नहीं सुना। मैंने 'विश्व समाचारपत्र' शब्द सात अथवा आठ बार सुना। मैं कह चुका हूं कि विश्व के समाचारपत्रों ने जो कुछ बताया है वह एकदम ग़लत है।

†**श्री हेम बरूआ** : इस के दो भाग हैं ; कौन सा भाग ग़लत है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा निवेदन है कि हम किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस सभा में तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों में कुछ प्रथाओं का निबाह किया जाता है। इस मामले का सम्बन्ध तीन देशों से है। एक देश से नहीं। इस के अलावा भी मैं बताना चाहता हूं कि अन्य कई मामलों से छः अथवा सात विदेश सम्बन्धित थे। बड़े अथवा छोटे सभी देशों की यह आदत ही होती है इसलिये यदि मैं केवल एक अथवा दो देश का नाम लेता हूं तो वह भी अनुचित होगा। यदि मामला वास्तव में गभीर होगा तो मैं सभा को अवश्य बताऊंगा। सच यह है कि मामला केवल बेकार के पत्रों से सम्बन्धित था। मैं मानता हूं कि यह एक ग़लत बात हुई है परन्तु गंभीर नहीं हुई है। अन्यथा हमें कूछ और कार्यवाही करनी पड़ती। कुछ कार्यवाही की जा रही है।

†**आचार्य कृपालानी** : भारत में, रूसी, और भारतीय मित्रता संघ, चीन आदि, की कई संस्थायें बनाई जा रही हैं तो क्या यह उचित नहीं है कि भारतीय जनता यह जान पाये कि उसे किस से अपना सम्बन्ध बनाना चाहिये।

†**श्री तंगामणि पाणिग्रही** : अमरीका तथा पश्चिम जर्मनी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि सावधानी और सुरक्षा की नीति अपनानी है तो मेरी सलाह है कि वह अपना सम्बन्ध किसी भी संस्था से न बनायें।

†**श्री हेम बरूआ** : इन जासूसी के कामों से हमारे देश की सुरक्षा को खतरा होने पर भी हम विदेशों के साथ उदारता का बर्ताव कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या प्रश्न है।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : जब तक इसको गृह-कार्य मंत्री नहीं बना दिया जायेगा जब तक इन की समस्या नहीं सुलझ सकती है।

†**श्री हेम बरूआ** : प्रधान मंत्री ने जिन छः तथा सात देशों का उल्लेख किया है क्या, उन देशों के घटनावश यदि कोई भारतीय जासूसी करता पकड़ा जाये तो वह देश ऐसी ही उदारता दिखायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बम्बई के बूचड़खाने के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ की रिपोर्ट

†*५६९. **श्री आसर :**
श्री बाजपेयी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ, श्री एन० ई० वेरनबर्ग, ने बम्बई के बूचड़खाने के बारे में कोई रिपोर्ट पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या सरकार उस रिपोर्ट की एक प्रति टेबल पर रखेगी ?

†**कृषि उप-मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन से श्री वरनबर्ग के प्रतिवेदन की सीमित संख्या में प्रतियां मिली हैं । इसलिये प्रतिवेदन की पांच प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं

विवरण

विशेषज्ञ की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं ।

(१) बांदरा के वर्तमान बूचड़खाने को बन्द करना और बसे हुए क्षेत्रों से दूर उपयुक्त स्थान पर नये और आधुनिक बूचड़खाने का बनाया जाना । (२) पशुओं के ठहरने के स्थान की व्यवस्था और मारने से पहले उन की डाक्टरी जांच कराने की व्यवस्था (३) मांस के रक्षण के लिये कोल्ड स्टोरेज तथा मिल रूम बनाना । (४) पशु उपोत्पादो का पूरा उपयोग करना और (५) पशुओं के बाजार की व्यवस्था करना ।

बम्बई के नगर निगम ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और योजना बना ली है । महाराष्ट्र सरकार इस कार्य के लिये निगम को ऋण दे रही हैं । भारत सरकार ने भी अस्थायी रूप में योजना स्वीकार कर ली है और राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह इस को अपनी तृतीय पंच-वर्षीय योजना में शामिल कर लें और योजना में निश्चित अधिकतम धनराशि के अन्दर ही धन व्यय करें ।

कोरबा (भोपाल) में तापीय विद्युत् संयंत्र

†*५७२. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को रूसी विशेषज्ञों के बल से, जिसने कोरबा (भोपाल) में प्रस्तावित तापीय बिजलीघर के सिलसिले में दौरा किया था, रिपोर्ट मिल गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने स्टेशन की स्थापना के स्थान का चुनाव कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो कहां, और

(घ) प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उप-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) कोरबा के वर्तमान बिजलीघर के निकट ढेंगुर नाले के उत्तरी किनारे पर भूमि निश्चित की गई है ।

(घ) २०० एम० डब्ल्यु ० ।

पोचमपाद परियोजना

†*५७३. **श्री पांगरकर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामी रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच पोचमपाद परियोजना के बारे में इस बीच आगे चर्चा हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उप-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) कृष्णा-गोदावरी के पानी के संबंध में तथा पोचमपाद समेत इन नदियों पर प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में संबंधित राज्यों से चर्चा की गई है ।

(ख) और (ग). अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया परन्तु संबंधित राज्यों की सलाह से मामले पर विचार किया जा रहा है ।

वंशधारा परियोजना

†*५७५. **श्री रामी रेड्डी :**
श्री संगण्णा :
श्री वेंकटा सुब्बैया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वंशधारा परियोजना के गोट्टा जलाशय सम्बन्धी प्रस्थापना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) क्या इस बीच परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है ;

(ग) इस परियोजना पर कब कार्य शुरू होने की सम्भावना है और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(घ) परियोजना की पुनरीक्षित लागत कितनी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) इस योजना से कितने क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उप-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) गोट्टा जलाशय के संबंध में पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन और प्राक्कलनों की राज्य सरकारों से मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) भाग (क) के आधार पर उत्पन्न नहीं होता है।

खाद्यान्न का राज्य व्यापार

†***५८१. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को खाद्यान्न के राज्य व्यापार के बारे में समान नीति अपनाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वे खाद्यान्न के राज्य व्यापार की नीति का पालन करती रहेंगी ?

†**खाद्य तथा कृषि उप-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य व्यापार योजना के बारे में राज्य सरकारों को भेजे गये मई, १९५९ के परिपत्र के अतिरिक्त और कोई आदेश नहीं दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डबरा (मध्य प्रदेश) की चीनी मिल में हड़ताल

५८८. श्री रा० चं० शर्मा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डबरा मध्य प्रदेश के चीनी के कारखाने के श्रमिकों ने ११ फरवरी, १९६१ से हड़ताल कर रखी है और कारखाने के मालिक तथा प्रबन्धकों ने किसानों से गन्ना खरीदने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीनी के कारखाने के मालिक ने डबरा क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों से यह संविदा कर रखा है कि वे गन्ना केवल उसी के पास बेचेंगे; और

(ग) कारखाने के मालिक के गन्ना खरीदने से इन्कार करने के कारण खेतों में पड़े कटे हुए गन्ने और खड़ी फसल को नष्ट होने से बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). विवरण सदन के समक्ष रख दिया गया है।

विवरण

(क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार डबरा चीनी मिल के श्रमिकों ने ११ फरवरी, १९६१ को हड़ताल प्रारम्भ की, जिसके फलस्वरूप मिल की गन्ने की खरीद इस तारीख से बन्द हो गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चूंकि राज्य सरकार ने चीनी के प्रत्येक कारखाने के लिये गन्ना क्षेत्र सुरक्षित कर दिया है इसलिये किसी विशेष क्षेत्र के गन्ना उत्पादक उसी कारखाने को अपना गन्ना बेच सकते हैं जिसके लिये वह क्षेत्र सुरक्षित किया गया है तथापि उन्हें स्वतंत्रता है कि वह चाहे तो अपना गन्ना खांडसारियों को बेचें अथवा गुड़ बनायें ।

(ग) राज्य सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप हड़ताल समाप्त हो गई है और मिलों ने गन्ना पेरना आरंभ कर दिया है ।

बड़ी लाइन और मीटर लाइन के डीजल रेलवे इंजनों की खरीद

†*५८९. **श्री ब्रज राज सिंह :**
श्री रामकृष्ण गुप्त
श्री पांगरकर :
श्री याज्ञिक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष विकास ऋण निधि में से रेलवे को जो ऋण मंजूर किया गया था, उससे ४० बड़ी लाइन के डीज़ल रेलवे इंजन और ११० मीटर लाइन के डीज़ल रेलवे इजन खरीदने के लिए विश्व भर से टेंडर मांगे गये थे,

(ख) किन सार्थों ने टेंडर भेजे थे ;

(ग) क्या यह सच है कि बड़ी लाइन के रेलवे इजनों के बारे में सब से कम राशि का टेंडर इन्टरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक वालों का था और यह जनरल मोटर्स ओवरसीज़ आपरेशन की मूल्य-दरों से १०,००० डालर और अमेरिकन लोकोमोटिव (एल्को) से १३,००० डालर कम था ;

(घ) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा जनरल मोटर्स का टेंडर, स्वीकार किया गया है और यदि हां, तो इस ऊंचे टेंडर को स्वीकार करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन्टरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक रेलवे इजनों का संभरण जनरल मोटर्स से तीन महीने पहले करने को तैयार थी ;

(च) क्या यह भी सच है कि इन्टरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक अमरीका की सब से पुरानी और रेलवे इंजनों का सम्भरण करने में सब से अधिक अनुभव प्राप्त सार्थ है ; और

(छ) क्या मीटर लाइन के रेलवे इजनों के बारे में कोई निश्चय किया गया है ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ४० बड़ी लाइन के डीज़ल इंजन खरीदने के लिए समस्त विश्व से टेंडर मांगे गये थे और मीटर गाज़ डीज़ल इजनों के टैंडर केवल अमरीका से मांगे गये थे ।

(ख) टैंडर भेजने वाली सार्थों के नामों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(ग) क्योंकि इंजन खरीदने के धन डी० एल० एफ० ऋण से व्यय किया जायेगा इसलिए इसका ध्यान रखा गया था कि अमरीका के निर्माताओं के टैंडरों पर विचार किया जाय । अमरीका के तीन निर्माताओं से टैंडर मिले थे । इनमें से इटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी ने अपने इंजनों के जो मूल्य बताये थे वह जनरल मोटर्स के मूल्य से ९,९६८ डालर कम थे और ओवरसीज़ डीज़ल कारपोरेशन (एल्को) से १३५३७ डालर कम थे । परन्तु हमारी विशिष्टताओं के अनुसार

†मूल अंग्रेजी में

इंजन को बनाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त यंत्रों को लगाने पर तथा टैंडर देने वालों द्वारा स्वयं ही मूल्य कम कर देने के आधार पर, यह देखा गया कि इंटरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी के मूल्य इन दोनों फर्मों की तुलना में बहुत थोड़े ही कम रह जाते हैं।

(घ) बड़ी लाइनों के इंजनों के लिए जनरल मोटर्स का टैंडर स्वीकार किया गया था क्योंकि टैक्नीकली यह सबसे कम था और लागत तथा मरम्मत आदि का आवर्त्तक व्यय देखते हुए वाणिज्यिक रूप में भी यह स्वीकार किये जाने योग्य था।

(ङ) इण्टरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी इंजनों को तीन महीने पहले देने को तैयार थी परन्तु इंजनों को चालू हालत में करने की तिथि उनकी जनरल मोटर्स से बाद की थी।

(च) डीजल इंजन बनाने के सम्बन्ध में तीनों टैंडर करने वाले प्रसिद्ध हैं। इन तीनों में जनरल मोटर्स सबसे बड़ी फर्म है।

(छ) जी हां। मोटर गाज डीजल इंजनों के आयात के आर्डर अमरीका को दिये गये हैं।

इलाहाबाद एक्सप्रेस में चोरी

†*५९०. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ व १६ फरवरी, १९६१ के मध्य रात में इलाहाबाद एक्सप्रेस (पूर्वोत्तर रेलवे) से इलाहाबाद व गोरखपुर के बीच रेलवे के २१ स्टेशनों की आय के १०,००० रुपये चोरी हो गये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जोर ब्रेकवान जिसमें कैश बाक्स रखा था उसकी तली काट कर तथा तीन इंच मोटे प्लेट के कैश बाक्स को काट कर सारा रुपया ले गये जबकि बराबर के हिस्से में रेलवे सुरक्षा बल के सैनिक बैठे थे और साथ ही गार्ड भी उपस्थित था; और

(ग) यदि हां, तो क्या चोरों का पता लगा लिया गया है ?

रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें रामस्वामी) : (क) और (ख). जी हां। १६-२-६१ को सुबह जब गाड़ी गोरखपुर पहुंची, तो पता चला कि पूर्वोत्तर रेलवे के इलाहाबाद-वाराणसी खण्ड के १९ स्टेशनों की आमदनी के ७,९९४ रुपये सफरी तिजोरी से गायब हैं।

(ग) अभी नहीं।

लमडिंग और मरिआनी के बीच रात की गाड़ियों का बन्द किया जाना

†*५९१. **श्री ले० अचौ० सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के पाण्डु-तिनसुकिया प्रदेश के लुमडिंग और मरिआनी जंकशनों के बीच रात को चलने वाली सभी गाड़ियों को विद्रोही नागाओं की गतिविधियों के कारण १७ फरवरी, १९६१ से बन्द कर दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या गाड़ियों को, रात को गश्त दे रहे दो सैनिकों को चोट आने के कारण बन्द किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेल के इस सैक्शन पर विद्रोहात्मक कार्यवाहियों को रोकने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इस सैक्शन पर रात की गाड़ियों को चलाना पुनः कब शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) १७ फरवरी, से २८ फरवरी १९६१ तक एक अप तथा एक डाउन यात्री गाड़ियों का चलाया जाना बन्द कर दिया गया था ।

(ख) विद्रोही कार्यवाहियों से बचने के लिये यात्री गाड़ियों का चलाया जाना रोक दिया गया था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) १ मार्च, १९६१ से गाड़ियां सामान्य रूप से चलायी जाने लगी हैं ।

कर्णफूली बांध

†*५९२. **श्री राम कृष्ण गुप्त:**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री १५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाया गया है कि कर्णफूली बान्ध के अन्तर्गत कितने क्षेत्र के पानी में डूब जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उप-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) सर्वेक्षण समाप्त हो जाने पर ही इसका पता लगगा कि कितना क्षेत्र पानी में डूब जायेगा इसलिये अभी इसका कुछ पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खाद्य ज़ोन

†*५९३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री पांगरकर :
श्री उस्मान अली खां :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौजूदा खाद्य ज़ोनों का अभी हाल में विस्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं;

(ग) ये परिवर्तन कब से किये गये हैं; और

(घ) क्या यह एक तदर्थ व्यवस्था है अथवा प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम का एक भाग है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उप-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). २४ नवम्बर, १९६० से एक संशोधित जोन व्यवस्था लागू की गई है जिसके अधीन गेहूं, गेहूं की वस्तुओं तथा चावल मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात को लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों द्वारा भेजा जा सकता है।

(ग) इस संशोधित जोन व्यवस्था से महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में चावल और गेहूं के मूल्य कम हो गये हैं और मध्य प्रदेश में किसानों को इन वस्तुओं के अधिक मूल्य मिलने लगे हैं ;

(घ) भारत सरकार समय समय पर जोन व्यवस्था का पुनरीक्षण करती रहती है और जोनों को बड़ा बनाने के उद्देश्य से आवश्यक विनियोजन करती रहती है। इसी नीति के कारण यह संशोधित जोन व्यवस्था की गई है।

तपेदिक की रोकथाम

*५९४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** १ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय तपेदिक रोकथाम कार्यक्रम का कार्यान्वित करने सम्बन्धी लक्ष्य की पूर्ति में असफलता के कारणों का पता लगाने और देश में तपेदिक की रोकथाम के मार्गोपायों का सुझाव देने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी उसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) समिति ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है; और

(ग) समिति सम्भवतः कब तक अपना कार्य पूरा कर लेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १. स्वास्थ्य मन्त्री, महाराष्ट्र (संयोजक)
२. स्वास्थ्य मन्त्री मैसूर (सदस्य)
३. स्वास्थ्य मन्त्री, राजस्थान (सदस्य)
४. स्वास्थ्य मन्त्री/उप-स्वास्थ्य मन्त्री, गुजरात (सदस्य)
५. डा० पी० वी० वेंजमिन, क्षय रोग मन्त्रणाकार, स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशालय (सचिव)

(ख) अब तक समिति ने सामान्यतः देश में होने वाले तपेदिक के मामलों, योजना में सम्मिलित तपेदिक की स्कीमों और लक्ष्यपूर्ति में कमी के स्थूल कारणों पर चर्चा की है।

(ग) समिति को प्रथमतया एक वर्ष के लिये नियुक्त किया गया है और आशा है कि वह इस अवधि के अन्त में अपनी रिपोर्ट दे देगी।

रेलवे कर्मचारी को चुनाव लड़ने की अनुमति

†*५९५. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे में कुसुन्दा के सहायक तौल लिपिक[1] ने नवम्बर १९६० में धनबाद नगरपालिका के लिये चुनाव लड़ा था और वह नगरपालिका का सदस्य चुना गया;

(ख) क्या रेलवे सेवा आचरण नियमों के अन्तर्गत इस बात की अनुमति है ;

(ग) क्या उस क्लर्क ने चुनाव लड़ने की विशेष अनुमति प्राप्त की थी; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Assistant weigh clerk

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) दो वर्षों तक उसकी वेतन वृद्धि रोक दी गई है और उससे म्यूनिसिपल कमिश्नर के पद से त्याग पत्र देने को कहा गया है।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच अन्तर्राज्यीय बस सेवा

†*५९६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन उपक्रम और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच अन्तर्राज्यीय बस सेवा चालू करने के बारे में कोई मतभेद हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह मतभेद किस बात पर है; और

(ग) क्या इस बीच इसका समाधान हो गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

१९४९ में उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली प्रशासन ने एक समझौता किया था जिसके अनुसार दिल्ली-उत्तर प्रदेश के बीच चलने वाली बसें २ उत्तर प्रदेश की होंगी और एक दिल्ली की होगी। समझौते में यह भी व्यवस्था थीं जब तक दिल्ली प्रशासन इन मार्गों पर बसें चलाने के योग्य न हो जाय तब तक उत्तर प्रदेश सरकार का ही एकाधिकार रहेगा। अब दिल्ली परिवहन उपक्रम दिल्ली-उत्तर प्रदेश के कुछ मार्गों पर बस चलाने योग्य है। परन्तु उत्तर-प्रदेश परिवहन प्राधिकार का यह विचार है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें दिल्ली प्रशासन की बसें नहीं हैं। अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है परन्तु विवाद समाप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

प्रादेशिक खाद्य निदेशक के कार्यालय में धोखादेही

†*५९७. **श्री आसर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के प्रादेशिक खाद्य निदेशक के कार्यालय द्वारा पिछले वर्ष बम्बई में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को १७,००० रु० की धोखादेही का एक मामला दर्ज कराया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में दो खजान्चियों को मुअत्तल किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि इस धोखादेही में छ: पदाधिकारियों का भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार को पता है कि विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, दिल्ली के इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस के कहने पर पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच बन्द कर दी गयी थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उप-मंत्री (श्री अ० म० थामस)**:(क) से (ग). प्रादेशिक निदेशक (खाद्य) के कार्यालय में नकद धन की जांच करने पर पता लगा कि लेखों और धन में अन्तर है। लेखों की व्यौरेवार जांच के बाद १३,०७५ रुपये कम पाये गये। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई थी और विशेष पुलिस संगठन ने भी जांच आरंभ कर दी थी। तीन खजान्ची मुअत्तल किए गये थे जिनमें से दो पदच्युत कर दिए गए। अधिकरण कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(घ) विशेष पुलिस ने जांच बन्द नहीं की है अपितु वह विभागीय जांच पूरी होने की प्रतीक्षा कर रही है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नौवहन सामान सम्बन्धी नये नियम

†*५९८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान सम्बन्धी नये नियमों से विदेश जाने वाले जहाजों पर काम करने वाले नाविकों को कठिनाई पेश आ रही है;

(ख) क्या नाविक कल्याण बोर्ड ने नौवहन के महा-निदेशक से विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कलकत्ता में टिड्डियों का आक्रमण

†*५९९. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९६१ के अन्तिम दिनों में कलकत्ता के कुछ भागों में टिड्डियों ने आक्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इससे फसलों को अनुमानतः कितनी क्षति पहुंची है;

(ग) क्या यह भी सच है कि किसानों को टिड्डियों के आक्रमण के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी गयी थी क्योंकि उस इलाके में टिड्डी दलों का पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है, और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इस सिलसिले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) पहली ही बार सर्दियों में पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में टिड्डियों का दल आया था । टिड्डियों के दल के आने का पहले पता न होने के कारण तथा उनके थोड़ी देर तक रहने के कारण पहले चेतावनी नहीं दी जासकी थी ।

(घ) इस संबंध में किए गए प्रबन्ध दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१. टिड्डियों की स्थिति के बारे में पाक्षिक समाचारों की भारत तथा पाकिस्तान के बीच अदला-बदली ।

२. शीघ्र सूचना के लिए टिड्डियों की स्थिति के बारे में संक्षिप्त साप्ताहिक रिपोर्ट की अदला-बदली और दूसरे देश द्वारा कार्यवाही ।

३. दोनों प्रदेशों के सीमान्त प्रदेशों के बारे में तार द्वार टिड्डियों की जानकारी की अदला-बदली ।

४. पड़ौसी देशों में टिड्डियों की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए समय-समय पर भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बैठक करना और भारत तथा पाकिस्तान में उनके आने का निधारण करके तैयारी करना ।

ग्राम्य जीवन बीमा

†*६००. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री उस्मान अली खां :
श्री कोडियान :
श्री आसर :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पंचायतों के अभिकरण द्वारा ग्राम्य जीवन बीमा की कोई योजना है ; और

(ख) इस योजना के बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) और (ख). वित्त मंत्रालय से यह प्रश्न संबंधित है और उन्होंने इसका उत्तर देना स्वीकार कर लिया है । वित्त मंत्री बाद में किसी तारीख को इसका उत्तर देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डीजल रेलवे इंजनों का निर्माण

†*६०१. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री २३ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में डीज़ल से चलने वाले रेलवे इंजनों का निर्माण करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक संयंत्र स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां)**: सरकार द्वारा यह निर्णय किये जाने पर कि डीज़ल इंजिनों का निर्माण सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा, अब विशेष समिति परियोजना का खुलासा बनाने के लिये स्थापित की गई है । समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिस पर रेलवे मंत्रालय विचार कर रहा है ।

मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार समिति

*६०२. श्री भक्त दर्शन :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २३ नवम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् के तत्वाधान में मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार समिति स्थापित करने का जो निश्चय किया गया था उसे कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : यह विषय भारत सरकार के विचाराधीन है ।

क्षय-रोग

†*६०३. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षय रोग की रोक थाम और इस रोग का प्रतिरोध करने के अन्य उपायों के लिये पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कुल कितनी धन-राशि निर्धारित की गयी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि दूसरी योजना की अवधि में निर्धारित राशि में से अब तक ६ करोड़ रुपये से अधिक व्यय नहीं किया जा सका;

(ग) इस धनराशि का आवंटन (एक) केन्द्रीय सरकार, (दो) विभिन्न राज्य सरकारों और (तीन) विभिन्न राज्यों की विभिन्न क्षय रोग संस्थाओं को किस अनुपात से किया गया; और

(घ) व्यय में कमी होने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में क्षय रोग योजनाओं के लिये क्रमशः ४६२.९९ लाख रुपये और १५०७.०२ लाख रुपये आवंटित किये गये थे ।

(ख) क्षय रोग योजनाओं पर राज्यों द्वारा व्यय की गयी धनराशि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु दूसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के सामान्य मूल्यांकन से यह अनुमान लगाया गया है कि क्षय रोग योजनाओं के लिये आवंटित धनराशि के उपयोग में कमी है ।

(ग) पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्र तथा राज्यों के बीच क्षयरोग योजनाओं के लिये क्रमशः १७.९ प्रतिशत तथा ८२.१ प्रतिशत और २१.३ प्रतिशत तथा ७८.७ प्रतिशत आवंटन हैं। राज्य क्षय रोग संस्थाओं को कोई आवंटन नहीं किये गये हैं ।

(घ) कमी मुख्यतः निम्न कारणों से है :—

(१) राज्य सरकारों द्वारा योजना की धीमी क्रियान्विति ।

(२) एक्सरे तथा अन्य यंत्रों को लेने में कठिनाई ।

(३) प्रशिक्षित कर्मचारियों की अनउपलब्धता ।

रेलवे में भिखारियों आदि से निपटने के लिये विशेष दल

†*६०४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री ९ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिखारियों और ऐसे फेरी वालों एवं खोमचे वालों से निपटने के उद्देश्य से, जिनके पास लाइसेंस न हों, रेलवे के प्रत्येक खंड में यात्री टिकट परीक्षकों और रेलवे सुरक्षा बल के 'रक्षकों' के विशेष दल नियुक्त करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्य पर कितने व्यक्ति लगाये गये हैं और १९६०–६१ में अब तक इस पर कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) इस कार्य में कितनी सफलता मिली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) तारांकित प्रश्न संख्या ८०५ के उत्तर में बताये गये अनुसार मध्य, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम रेलवे पर विशेष दल बनाये गये हैं। अन्य रेलों पर यह कार्य टिकट जांच करने वाले दल अपने कामों के साथ साथ यह काम भी करते हैं। इस लिये इन दलों के बनाने की प्रगति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ख) केवल इसी काम के लिये २७६ व्यक्ति लगाये गये हैं और १९६०–६१ में (जनवरी १९६१ तक) अनुमानतः ३.५ लाख रुपये व्यय किये गये थे ।

(ग) बुराई को बूर करने में दलों ने बड़ा सुन्दर काम किया है ।

दिल्ली के गांवों के लिये पानी की सप्लाई

†९७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) दिल्ली के कितने गांवों में १९५७ से १९६० के दौरान, पानी पहुंचाने की योजनायें चालू की गयीं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक कुल कितना खर्च किया जा चुका है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

१. दिल्ली के उन गांवों की संख्या जहां १९५७ से १९६० के बीच पानी पहुंचाने की योजनायें चालू की गयी हैं .	६१
२. अब तक किया गया कुल खर्च	४.२ लाख रु०

राज्यों को रासायनिक उर्वरकों का दिया जाना

†**९७५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राज्यों को किस आधार पर रसायनिक उर्वरक दिये जाते हैं ;

(ख) पिछले तीन साल में पंजाब राज्य को कितना दिया गया ; और

(ग) उसका वितरण किस अभिकरण के द्वारा होता है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) नाइट्रोजन उर्वरक सामान्यतया विभिन्न राज्यों की मांगों तथा उपलब्ध पूर्ति (सफाई) के आधार पर दर के हिसाब से दिये जाते हैं। कुछ विशेष कारणों से, जैसे सूखा या अतिवृष्टि, उससे खड़ी फसलों की हानि, उर्वरक आदि के उपयोग की किसानों की क्षमता, थोड़ा बहुत रद्दोबदल किया जाता है ।

(ख) निम्नलिखित परिमाण में उर्वरक दिये गये थे :—

वर्ष	अमोनिया सल्फेट	यूरिया	अमोनियम सल्फेटनाइट्रेट	कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट	अमोनिया सल्फेट का जोड़
१९५७–५८	३५,५००	४,३४०	४७६	..	४५,८८४
१९५८–५९	१५,०००	४,३००	३,६५०	२०,०००	४९,४२०
१९५९–६०	७,२००	..	..	१५,५००	२२,७००

(ग) राज्य में उर्वरक बांटने के लिये पंजाब स्टेट कोआपरेटिव सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन ही मख्य अभिकर्ता (सोल एजेंट) है ।

दिल्ली में दवाओं की खरीद

†**९७६. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन साल में प्रत्येक वर्ष दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में सरकारी अस्पतालों के लिये कितने मूल्य की दवायें खरीदी गयीं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : पिछले तीन साल में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के लिये खरीदी गयी दवाओं की लागत इस प्रकार है :—

१९५७–५८	१७,०८,८९८ रु० ९४ नये पैसे
१९५८–५९	२३,०३,४८९ रु० ८० नये पैसे
१९५९–६० . . .	२५,४०,२७६ रु० ९१ नये पैसे

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के गांवों में बिजली लगाना

†९७७. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने वर्ष १९६०–६१ में गांवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) पंजाब सरकार से अभीतक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुरी स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर निरामिष भोजनालय

९७८. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के पुरी स्टेशन पर एक निरामिष भोजनालय की व्यवस्था की गयी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का वहां विभागीय निरामिष भोजनालय खोलने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). स्टेशन पर एक भोजनालय है, जहां सामिष और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन दिये जाते हैं ।

यह व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है ।

मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर भोजन-व्यवस्था

९७९. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के मुगलसराय स्टेशन पर भोजन-व्यवस्था विभाग द्वारा होती है ।

(ख) क्या यह सच है कि उक्त स्टेशन पर साधारणतया भोजन बड़ी कठिनता और देरी से मिलता है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि जो खाद्य पदार्थ इस भोजनालय द्वारा दिये जाते हैं वे ठीक नहीं होते ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मुगलसराय स्टेशन पूर्व रेलवे में है और वहां खान पान की विभागीय व्यवस्था है ।

(ख) देर से भोजन मिलने की बात नोटिस में नहीं आयी है ।

(ग) जी नहीं । जुलाई से दिसम्बर १९६० तक की अवधि में सामिष भोजनालय से दिये गये भोजन के बारे में केवल एक और शाकाहारी भोजनालय से दिये गये भोजन के बारे में तीन शिकायतें आयी थीं । इन शिकायतों में जो त्रुटियां बतायी गयी थीं, उन्हें दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाई की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य रेलवे में सिकन्दराबाद डिवीजन में रेलवे क्वार्टर

†६८०. श्री **पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद डिविजन में १६६०-६१ में कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टर बनाने का विचार है ; और

(ख) १६५६–६० में कितने क्वार्टर बनाये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) लगभग ८८ ।

(ख) १२५ ।

जनगांव (आन्ध्र प्रदेश) में ऊपरी पुल

†६८१. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में जनगांव में ओवर ब्रिज तैयार करने के संबंध में आज तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) वह संभवत : कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जनगांव स्टेशन के पास वर्तमान रेल फाटक (लेवल क्रासिंग) की जगह ओवर ब्रिज बनाने की योजना आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रद्द कर दी है और वह पैदल चलने वालों के लिए एक ओवर ब्रिज बनाने की योजना की छानबीन कर रही है ।

पश्चिम रेलवे में रेलवे स्कूल

†६८२. { **श्री पांगरकर** :
श्री ओंकार लाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी फिलहाल पश्चिमी रेलवे कितने स्कूल चला रही है ;

(ख) उनमें कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ; और

(ग) इन स्कूलों में कितने अध्यापक काम कर रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :

(क)	परम्परागत ढंग के स्कूल	३०
	एक अध्यापक वाले प्राइमरी स्कूल	६०
	जोड़	१२०
(ख)	परम्परागत ढंग के स्कूल	६,७४७
	एक अध्यापक वाले प्राइमरी स्कूल	३,६८१
	जोड़	१०,४२८

†मूल अंग्रजी में

(ग) परम्परागत ढंग के स्कूल	२३७
एक अध्यापक वाले प्राइमरी स्कूल . . .	९०
जोड़ .	३२७

रेलव लाइनों की तोड़फोड़

†९८३. **श्री पांगरकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० की दूसरी छमाही में रेलवे लाइनों की तोड़फोड़ के कितने मामले पकड़े गये ; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) १५८। इनमें वे ४३ मामले भी शामिल हैं जिनमें रेलवे लाइन पर रुकावटें रखी हुई पायीं गयीं।

(ख) निम्नलिखित निरोधात्मक उपाय किये गये हैं :—

(१) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गयी है कि वे रेलवे लाइन के पास के गांवों में प्रचार करें और वहां के बाशिन्दों को यह समझायें कि ऐसे कार्यों का कितना गंभीर परिणाम पड़ता है ताकि ऐसे कार्यों से अलग रहें।

(२) राज्य पुलिस अधिकारियों ने प्रभावशाली सुरक्षा गश्त चालू की है।

(३) रेलवे लाइन की तोड़फोड़ के अपराध की ओर राज्य का खुफिया विभाग विशेष ध्यान देता है।

(४) इस बात की ओर ध्यान देने के लिए कार्यवाही की गयी है कि रेलवे लाइन के पास कोई ढीला साज सामान या पुर्जे न छोड़े जायें जिससे रेलवे लाइन की तोड़फोड़ में सहूलियत होती हों।

(५) पास के गांवों में लुहारों और दूसरे लोगों पर, जिन पर रेलवे के साज सामान के व्यापार करने का संदेह होता है और रेलवे लाइन के पास घूमने वाले चारवाहा लड़कों पर निगरानी रखी जाती है।

(६) संकटग्रस्त क्षेत्रों में सशस्त्र रेलवे पुलिस फोर्स के कर्मचारियों तथा पर्मानेन्ट वे गैन्गमैन को पैदल तथा ट्राली से गश्त लगाने के लिए रखा गया है।

(७) ऐसे काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को बड़ी सख्त सजा दी जाती है।

(८) इस संबंध में रेलवे अधिकारियों को या पुलिस को खबर पहुंचाने वाले लोगों को यथोचित पुरस्कार घोषित किये गये हैं।

(९) उचित नियंत्रण रखने के लिए राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ घनिष्ट समन्वय तथा सम्पर्क रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि के लिये भूमि का कृष्यकरण

९८४. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में कितने एकड़ नई भूमि कृषि योग्य बनाई गई तथा उसमें खेती की गई है ;

(ख) इस में से कितने एकड़ भूमि सरकार की सहायता से और कितने एकड़ भूमि स्वयं कृषकों द्वारा कृषि योग्य बनाई गई ; और

(ग) कृषि योग्य बनाई गई ऐसी भूमि से प्रति वर्ष खाद्यान्न के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख):** (क) पिछले पांच सालों में भूमि सुधार और भूमि विकास योजनाओं के अन्तर्गत कुल लगभग १८.५ लाख एकड़ भूमि क्षेत्र में कार्य हुआ। नई भूमियों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भूमि सुधार के लिए सहायता राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है सरकार की सहायता और स्वयं किसानों द्वारा सुधार की गई भूमि के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) नई भूमियों के सुधार से वार्षिक अतिरिक्त खाद्य उत्पादन लगभग ८ मन प्रति एकड़ होने का अनुमान है

दिल्ली दूध योजना

†९८५. **श्री कुन्हन :**
श्री कुरील :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दूध योजना के अन्तर्गत फरवरी, १९६१ के अन्त तक दूध के कुल कितने डीपो खोले गये ;

(ख) जबसे योजना शुरू हुई है तब से क्या इस योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस योजना का काम संतोषजनक ढंग से और बिना किसी वित्तीय हानि के चल रहा है ; और

(घ) यदि नहीं तो फरवरी १९६१ तक कितनी हानि हुई ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) फरवरी १९६१ के अन्त तक दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत शहर के विभिन्न भागों में दूध के ३५५ डीपो खोले गये हैं।

(ख) योजना के कार्यों की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।

(ग) और (घ). योजना का काम संतोषजनक ढंग से चल रहा है। इस योजना से सरकार को लाभ या हानि का अनुमान अभी नहीं लगाया गया है क्योंकि योजना अभी साल भर से ही चल रही है और ऊपरी खर्च जैसे पूंजी पर ब्याज और संयंत्र मशीनें और इमारतें आदि पर ह्रास आदि का खर्च नहीं निकाला गया है क्योंकि अभी इमारतों संबंधी हिसाब-किताब पूरा नहीं हुआ है और कुल साज-सामान का एक हिस्सा ही काम में लाया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में भू-संरक्षण

†९८६. **श्री ओंकार लाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राजस्थान में भू-संरक्षण के लिए कुल कितनी रकम नियत की गयी थी ;

(ख) अब तक राज्य सरकार कितनी रकम काम में लायी ; और

(ग) राजस्थान में भू-संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत क्या-क्या कार्यक्रम शुरू किये गये ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) ५१.१५ लाख रुपये ।

(ख) दूसरी योजना अवधि के अन्त तक ३९.५२ लाख रुपये ।

(ग) सीमान्त भूमि में जंगल लगाना, कम दर्जे के जंगलों की उन्नति, बांध बनाना, चारदीवारी बनाना और सर्वेक्षण तथा भू-संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण ।

बीकानेर में टिड्डियों के सम्बन्ध में छानबीन

†९८७. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टिड्डियों संबंधी छानबीन के एक केन्द्र के लिए बीकानेर में एक इमारत बनाने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह काम संभवत: कब शुरू किया जायगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा) :** (क) जी हां ।

(ख) अप्रैल, १९६१ तक काम संभवत: शुरू हो जायगा ।

उड़ीसा में डाकखानों की इमारतें

†९८८. **श्री कुंभार :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) उड़ीसा मंडल (सर्कल) में डाकखानों की इमारतें बनाने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रत्येक वर्ष कितनी रकम दी गयी ; और

(ख) उपर्युक्त रकम से प्रत्येक डाक-डिविजन में डाकखाने की कितनी इमारतें बनायी गयीं या अभी बनायी जा रही हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) :**

(क)	१९५६–५७	२,०४,८०० रुपये
	१९५७–५८	१,४१,३०० रुपये
	१९५८–५९	१,२१,८०० रुपये
	१९५९–६०	२,४९,००० रुपये
	१९६०–६१	२,४८,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

(ख) डिविजन

	डाकखाने की इमारतों की संख्या	
	बनायी गयीं	जो बनायी जा रही हैं
बरहामपुर (जीएन) . . .	३	—
कटक	३	४
पुरी .	१	—
सम्बलपुर . .	१	—
	८	४

डाक तार विभाग में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†९८९. **श्री कुंभार :**
श्री सरजू पांडेय :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डाक-तार विभाग के विभिन्न मंडलों में प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सेवाओं में सुरक्षित स्थानों पर अब तक भर्ती की जा चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

सम्बलपुर–टिटलागढ़ रेलवे लाइन

†९९०. **श्री कुंभार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में सम्बलपुर-टिटलागढ़ रेल लाइन के निर्माण कार्य के संबंध में अब तक प्रत्येक मद में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) काम में शीघ्रता करने के लिए किस प्रकार के उपाय काम में लाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या जमीन प्राप्त करने के संबंध में काम ठीक तरह से चल रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) मुख्य मदों के संबंध में प्रगति इस प्रकार है–

मिट्टी खोदने हटाने का काम	२० प्रतिशत
पुल . .	१० प्रतिशत
कर्मचारियों के क्वार्टर . . .	५ प्रतिशत

अब तक कुल १० प्रतिशत प्रगति हुई है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कार्य की शीघ्रता और वह तकनीकी ढंग का होने के कारण सामान्य प्रबन्धक (जनरल मैनेजर) के अधिकार में एक अलग प्रशासन स्थापित किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में सिंचाई की छोटी परियोजनायें

†१९१. **श्री कुंभार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक प्रत्येक वर्ष छोटी सिंचाई योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई ;

(ख) उस सहायता से अब तक प्रत्येक जिले में कौन-कौन सी छोटी सिंचाई-परियोजनायें कार्यान्वित की गयीं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ;

(घ) प्रत्येक परियोजना के, यदि कोई हो तो, प्रत्याशित संशोधन अनुमान क्या हैं ; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये उस राज्य के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये नियत नयी रकम को छोड़ कर और कितनी रकम नियत की जा रही है ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० मों० वें० कृष्णप्पा):** (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में राज्य सरकार को निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई थी :—

वर्ष	रकम (लाख रुपयों में)
१९५६–५७	३४.४१
१९५७–५८ .	३१.१०

१९५८–५९ से चालू की गई नई प्रक्रिया के अधीन अब विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता "कृषि विकास" शीर्षक के अधीन योजनाओं के समूह के लिये इकट्ठी मंजूर की जाती है और न कि अलग-अलग योजनाओं के लिये अलग-अलग। फिर भी, दूसरी योजना के बाकी तीन साल में छोटी सिंचाई के लिये नियत की गई निधियों के आंकड़े इस प्रकार हैं: —

वर्ष	नियत रकम (लाख रुपयों में)
१९५८–५९ .	४१.९०
१९५९–६० .	५३.१३
१९६०–६१	३२.००

†मूल अंग्रजी में

तकनीकी सहायता के सम्बन्ध में, भारत सरकार के परीक्षणात्मक नलकूप संगठन (एक्स-प्लोरेटरी ट्यूबवेल्स आर्गेनाइजेशन) ने स्टैन्डर्ड साइज़ के सिंचाई नलकूप तैयार करने के लिये उस राज्य में संभाव्य क्षेत्रों की उपयुक्तता निर्धारित करने की दृष्टि से उन क्षेत्रों की खोज बीन के उद्देश्य से प्रयोग के लिये भू-छिद्रण कार्य शुरू किये। भारत सरकार के विशेषज्ञों ने छोटी सिंचाई निर्माण कार्यों के अधिक अच्छे आयोजन, उन के सुनिश्चित रखरखाव तथा सिंचाई सुविधाओं के अधिक अच्छे उपयोग के बारे में भी तकनीकी सलाह दी थी।

(ख) से (घ). जानकारी राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ङ) १९४.४० लाख रुपये की रकम नियत करने का विचार है।

उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाना

†१९९२. **श्री कुंभार :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक प्रत्येक वर्ष गांवों में बिजली लगाने की योजना के अधीन उड़ीसा राज्य को कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई ;

(ख) निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उस सहायता से अब तक प्रत्येक जिले में किन किन जगहों पर बिजली लगाई गई या लगाई जाने वाली है ;

(ग) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ; और

(घ) उस राज्य के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी रकम नियत की जा रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) गांवों में बिजली लगाने की योजनायें तयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जहां तक वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है, निम्नलिखित ऋण राज्य सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये बिजली सुविधाओं के विस्तार के कार्यक्रम के अधीन मंजूर किये गये थे :—

	(लाख रुपयों में)
१९५६–५७ .	३८.००
१९५७–५८	४.००
१९५८–६०	कुछ नहीं।
जोड़	४२.००

१९६०-६१ में गांवों में बिजली लगाने के लिये केन्द्रीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). आवश्यक जानकारी अभी उड़ीसा सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उड़ीसा की तीसरी योजना में गांवों में बिजली लगाने की योजनाओं के लिये निधियों की निम्नलिखित व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है :—

	(करोड़ रुपयों में)
(१) जारी योजनायें .	०.१५६
(२) नयी योजनायें . .	१.२५०
जोड़ .	१.४०६

कांटाभांजी और टिटलागढ़ स्टेशनों पर भारिक

†१९९३. **श्री कुंभार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में कांटाभांजी और टिटलागढ़ स्टेशनों पर अभी तक कुल कितने भारिक पंजीकृत किये गये हैं ;

(ख) पिछले तीन साल में उन से प्राप्त अभ्यावेदनों का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) दोनों में से प्रत्येक स्टेशन पर १६ ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन केन्द्र

†१९९४. **श्री कुंभार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक दक्षिण पूव रेलवे में कितने और कहां-कहां स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में अब तक प्रत्येक वर्ष उन केन्द्रों को कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गयी ;

(ग) उन में क्या क्या काम किया गया ;

(घ) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में और केन्द्र खोले जा रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन के लिये कितनी रकम नियत की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क)

संख्या और स्थान जहां स्वास्थ्य एकक खोले गये		वे स्थान* जहां परिवार नियोजन संबंधी कार्य किया जाता है
रांची	१	गार्डन रीच (कलकत्ता)
मेछड	१	खड्गपुर
नौपाद	१	अदरा
टाटानगर	१	टाटानगर
सहडोल	१	चक्रधरपुर
खड्गपुर	२	बिलासपुर
खुर्दा रोड	१	नैनपुर
		नागपुर
		वाल्टेयर
		खुर्दारोड

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य एकक बनाने तथा उन के साज सामान पर १७,४७,००० रुपया खर्च किया गया । वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में परिवार नियोजन कार्य के सम्बन्ध में गर्भ निरोधक वस्तुओं की सप्लाई पर ३,३७९ रुपया खर्च किया गया और १९६०-६१ में ५,००० रुपये खर्च किये जाने का अनुमान है ।

तकनीकी सहायता के सम्बन्ध में, हाल में खोले गये स्वास्थ्य एककों में अतिरिक्त डाक्टर, दाइयां, कम्पाउन्डर और अन्य सहायक प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किये गये । तीन असिस्टेंट सर्जनों को परिवार नियोजन कार्य के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया ।

(ग) १९५८-५९ में १२४ वन्ध्यकरण क्रियाएं (स्टेरेलाइजेशन आपरेशन्स) और १९५९-६० में १५२ क्रियाएं की गयीं । संपूर्ण रेलवे जनता को परिवार नियोजन के मामले में जागरूक बनाया गया है ।

(घ) और (ङ). तीसरी पंचवर्षीय योजना में और स्वास्थ्य एकक खोलने की योजना तथा उन के लिये दी जाने वाली रकम पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में राष्ट्रीय राजपथ और पुल

†१९९५. श्री कुंभार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजपथ तथा पुल बनाने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रत्येक वर्ष अब तक कितनी रकम दी जा चुकी है ;

(ख) उपर्युक्त रकम से कौन कौन से राष्ट्रीय राजपथ तथा पुल बनाये गये या अभी बनाए जा रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रजी में

*अलग से कोई परिवार नियोजन केन्द्र नहीं खोले गये ।

(ग) बाकी काम कब तक पूरा हो जायगा ; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस प्रयोजन के लिए कितनी रकम दी जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी देने वाले दो विवरण संलग्न हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ग) तीसरी योजना अवधि में ।

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है ।

मध्य प्रदेश में डाकघरों के भवन

९९६. श्री रा० च० शर्मा : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में मध्य प्रदेश को डाकघरों के भवन बनाने के लिये कितना धन मंजूर किया गया था और ये भवन कहां-कहां बनाये जायेंगे ;

(ख) वर्ष १९६०-६१ में कहां-कहां डाकघरों के भवन बन चुके हैं और कहां-कहां बनने शेष हैं ; और

(ग) मध्य प्रदेश के तहसील मुख्यालयों में कहां-कहां डाकघर के भवन नहीं हैं और उन्हें बनाने के लिये क्या योजना तैयार की गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). १,३३,६०० रुपये ।

निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित किये गये हैं :—

१. बेरहामपुर डाकघर } निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ किया
२. बेमेतारा डाकघर } जा रहा है ।

३. जबलपुर प्रधान डाकघर—मंजूरी दी जा रही है ।

(ग) संलग्न सूची के अनुसार। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२]** विभाग की यह नीति है कि बड़े डाकघरों की इमारतों अर्थात् प्रधान डाकघर, ज़िला-नगरों के डाकघर इत्यादि को प्राथमिकता दी जाय। बहुत ही सीमित स्थानों को छोड़ कर तहसील मुख्यालयों में डाकघर भवन बनाने के प्रस्तावों को व्यावहारिक रूप में स्वीकार करना संभव नहीं हो सकेगा ।

औषध नियंत्रण अधिनियम

†**९९७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में दिल्ली में औषध नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन किये जाने के कितने मामले पकड़े गये थे ;

(ख) इस वर्ष में कितने अभियोग चलाये गये ;

(ग) अब तक कितने मामलों का फैसला किया गया है ;

(घ) कितने मामले लम्बित हैं ; और

(ङ) लम्बित मामलों का शीघ्र निबटारा करने के लिये क्या कारवाई की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) २०० मामले ।

(ख) २० अभियोग ।

(ग) ६ मामले ।

(घ) १४ मामले ।

(ङ) अधिकांश लम्बित मामलों में सफाई पेश की जा रही है और शीघ्र ही उनका फैसला होने वाला है ।

पूर्व रेलवे में डाक्टरों के लिये क्वार्टर

†९९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में, जैसा कि रेलवे बोर्ड ने निर्धारित किया है, उसके अनुसार कितने रेलवे डाक्टरों (असिस्टेंट सर्जनों) को क्वार्टर दिये गये हैं ; और

(ख) उनमें से शेष डाक्टरों को क्वार्टर देने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९८ असिस्टेंट सर्जनों में से, १५५ को क्वार्टर दिये गये हैं । विभिन्न डिवीज़नों में उनको कैसे क्वार्टर दिये गये हैं यह सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) असिस्टेंट सर्जनों के लिये क्वार्टरों का निर्माण एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है ।

रेलवे कर्मचारियों की सेवाओं का समाप्त किया जाना

†९९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर, १९६० और १ मार्च, १९६१ के बीच रेलवे प्रशासन संहिता के नियम १४८ के अन्तर्गत जिन रेलवे कर्मचारियों को नोटिस दिया गया था, या जिनकी सेवायें समाप्त की गई थीं, उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त अवधि में अपील करने पर कितने मामलों पर पुनः विचार किया गया ; और

(ग) इस प्रकार पुनर्विचार किये जाने के परिणामस्वरूप कितने लोगों को पुनः नौकरी पर लिया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग). सूचना रेलवे प्रशासन से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर रेलवे पर विश्राम गृहों का निर्माण

†१०००. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में अब तक उत्तर रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर विश्राम गृह बनाये गये हैं ; और

(ख) १९६१–६२ में किन स्टेशनों पर विश्राम गृहों के निर्माण का विचार है और उनका प्राक्कलन क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९६०-६१ में उत्तर रेलवे में कोई नया विश्राम गृह नहीं बनाया गया ।

(ख) १९६१-६२ में ३००० रुपये की अनुमानित लागत से बशरतगंज में एक विश्राम गृह बनाने का विचार है। वाराणसी में भी एक विश्राम गृह बनाने का विचार है किन्तु स्थान अभी अन्तिम रूप में तैयार नहीं किया गया है ।

पंजाब में राष्ट्रीय राज पथ

†१००१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि पंजाब में विशेषकर अम्बाला डिवीजन में राष्ट्रीय राजपथों की हालत खराब हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). १९६० की बाढ़ों के द्वारा दिल्ली-गुड़गांव-जयपुर सड़क (राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८) और दिल्ली-हिसार-सुलेमां की सड़क (राष्ट्रीय राजपथ संख्या १०) को कुछ हानि पहुंची थी । इन सड़कों को विशेष मरम्मत के अनुमान मंजूर किये जा चुके हैं और काम प्रगति पर है । तथापि अम्बाला डिवीजन में राष्ट्रीय राजपथों को कोई क्षति नहीं पहुंची । पंजाब के राष्ट्रीय राजपथों की हाल में खराब के बारे में कोई दूसरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई ।

राजस्थान में 'पैकेज प्रोग्राम'

†१००२. श्री ओंकार लाल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये राजस्थान में आरम्भ किये गये पैकेज प्रोग्राम की रूप-रेखा क्या है ;

(ख) इस काम के लिये प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की जायेगी ;

(ग) इस काम के लिये कितने नये कर्मचारी लगाये गये हैं और उन पर कितना वार्षिक व्यय होगा ; और

(घ) राजस्थान में १९६० में अनाज का वार्षिक उत्पादन कितना था तथा इस कार्यक्रम की पूर्णता के पश्चात् कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी वाला टिप्पण सलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४३]

राजस्थान के लिये अनाज का उत्पादन लक्ष्य

†१००३. श्री ओंकार लाल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राजस्थान के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसके लिये आवश्यक आवंटन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य के लिये खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य तथा परिव्यय अभी तैयार करना है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजस्थान में मुर्गीपालन का विकास

†१००४. श्री ओंकार लाल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुर्गीपालन के विकास के लिये राजस्थान सरकार को कोई राशि आवंटित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि ;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में मुर्गीपालन विकास के लिये कोई योजना पेश की है ; और

(घ) इस विषय में राजस्थान में जिलावार अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख). दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चालू की गई अखिल भारतीय मुर्गीपालन विकास योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को ६.८४ लाख की राशि आवंटित की गई है ।

(ग) योजना के अन्तर्गत लक्ष्य और उनकी प्राप्ति के लिये अपेक्षित राशि का अनुमान राज्य सरकार की सलाह से किया जाएगा ।

(घ) राजस्थान में अक्तूबर, १९६० तक १२ के लक्ष्य में से ग्यारह मुर्गीपालन विस्तार एवं विकास खंड खोले गये हैं । इन खंडों में ३३१९९ अंडे पैदा किये गये जिनमें से ७६३६ का प्रयोग प्रजनन के लिये किया गया और ९२४४ पक्षी बांटे गये तथा ९५ व्यक्तियों को मुर्गीपालन के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया एवं ८२ किसानों को राज्य में उनके मुर्गीपालन घरों के लिये तार का जाल लगाने के लिये प्रत्येक को ५० रुपये की सहायता दी गई । जिलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि योजना की प्रगति का समूचे राज्य के रूप में हिसाब रखा जाता है ।

राजस्थान के लिये उर्वरक

†१००५. श्री ओंकार लाल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ अवधि के लिये राजस्थान को कितना अमोनियम फास्फेट और दूसरे उर्वरक आवंटित किये गये हैं ; और

(ख) १९६०–६१ अवधि में अब तक राजस्थान को कुल कितने उर्वरक भेजे गये हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

(मीटरिक टनों में)

उर्वरक की किस्म	१९६०–६१ में आवण्टित	२८–२–६१ तक दिया गया
अमोनिया सल्फेट	१०,१२०	६,७८२
कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट	५००	४५०
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	५००	२५६

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में मत्स्य पालन का विकास

†१००६. **श्री ओंकार लाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य पालन के विकास के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक राजस्थान राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ख) यह राशि किन योजनाओं पर खर्च की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) और (ख). राजस्थान की मत्स्य पालन योजनाओं के लिये प्रारम्भिक आवंटन ९ लाख रुपये का था वास्तव में, निम्न योजनाओं पर ८ लाख रुपये खर्च होने की सम्भावना है :—

(१) १० मछली क्षेत्र और २० मछली के अंडों के क्षेत्र बनाना;

(२) मछवाहों की सहकारी समितियों आदि को सहायता;

(३) दो बर्फ के संयंत्र लगाना; और

(४) एक मछली बाजार बनाना ।

किराये की इमारतों में डाक घर

†१००७. **श्री ओंकार लाल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान के कोटा डिवीजन के झालावार कोटा और बूंदी जिलों में कितने डाकघर किराये की इमारतों में हैं; और

(ख) सरकार ने १९५९–६० में उनके किराये में कितनी राशि दी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन):** (क) २२ ।

(ख) १०,४३७ रुपये ७२ नये पैसे ।

पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर जल ठंडा करने की मशीनें

†१००८. **श्री ओंकार लाल :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में पश्चिम रेलवे के कितने स्टेशनों पर जल ठंडा करने की मशीनें (**वाटर कूलर**) लगाई गई हैं; और

(ख) १९६१–६२ में कितने और स्टेशनों पर लगाई जायेंगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). कोई नहीं ।

पश्चिम रेलवे में स्वास्थ्य इकाईयां

†१००९. **श्री ओंकार लाल :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना अवधि में वर्षवार, रेलवे बोर्ड के अनुदेशानुसार, पश्चिम रेलवे में कितनी स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित हैं ;

(ख) इस योजना के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ग) अब तक कुल कितनी राशि खर्च की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) (क) :

वर्ष	संख्या
१९५६–५७	शून्य
१९५७–५८	४
१९५८–५९	शून्य
१९५९–६०	१
१९६०–६१	१

(ख) ८,१४,००० रुपये ।

(ग) ७,२६,४०० रुपये ।

कुल्लू घाटी जाने वाले पर्यटक

†१०१०. श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में कितने पर्यटक कुल्लू घाटी में गये ; और

(ख) अब तक वहां कितने नये पर्यटक घर बनाये गये हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) भारत में विशिष्ट पर्यटन स्थानों में आने वाले भारतीय या विदेशी पर्यटकों की संख्या नहीं रखी जाती । इसलिये कुल्लू घाटी जाने वाले पर्यटकों सम्बन्धी सांख्यिकी उपलब्ध नहीं है । तथापि अप्रैल १९५९–मार्च १९६० और अप्रैल १९६० से जनवरी १९६१ तक जो विदेशी और भारतीय पर्यटक कुल्लू घाटी के रैस्ट हाउसों और गैस्ट हाउसों में ठहरे थे उनके बारे में राज्य सरकार ने जो आंकड़े बताये हैं वे नीचे दिये जाते हैं :

	अप्रैल १९५९— मार्च १९६०	अप्रैल १९६०— जनवरी १९६१
भारतीय	७८०५	११४००
विदेशी	२६३	३७७

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

कुल्लू और मनाली में दो अल्प आय वर्ग रैस्ट हाउस पंजाब सरकार द्वारा लागत के ५० प्रतिशत तक केन्द्रीय सरकार की सहायता से क्रमश: २.०१ लाख और १.०० लाख रुपये की लागत से बनाये गये हैं। राज्य सरकार ने भी ३५,००० रुपये की लागत से कुल्लू घाटी में पर्यटकों के लिये तम्बुओं की व्यवस्था की है, जिसका ५० प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार ने दिया है।

राज्य सरकार ने मनाली में स्नो व्यूहाल इमारत को भी लिया है जिसे वह ४६ लोगों के ठहरने वाला एक होटल बनायेगी । कुल्लू घाटी के सभी सरकारी रैस्ट हाउस पर्यटकों के लिये खोल दिये गये हैं ।

केन्द्रीय सरकार कुल्लू और मनाली में क्रमश: ३.६९ लाख और ३.८८ लाख रुपये की लागत पर उच्च श्रेणी के रैस्ट हाउस बना रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में नगरीय जल संभरण योजनाएं

†१०११. **श्री दलजीत सिंह** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य में नगरीय जल सम्भरण योजनाओं के लिये पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी है ; और

(ख) पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई और विचाराधीन योजनाएं कौन सी हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के पहले चार वर्षों में राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम (नगरीय) के अन्तर्गत राज्य में नगरीय जल सम्भरण योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को ऋण के रूप में ९२.६४६ रुपये की सहायता की है ।

(ख) इस समय ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है । पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सब योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं ।

जमाये हुए तेल का मूल्य

१०१२. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति (जमाये हुए) तेल के भार में मीट्रिक माप तौल के लागू होने से प्रति टीन कमी हुई है परन्तु इसी अनुपात से मूल्यों में कमी नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन मूल्यों में उसी अनुपात से कमी कराने के लिये कदम उठायेगी;

(ग) क्या सरकार वनस्पति निर्माताओं और विक्रेताओं ने इस तरह जो मुनाफा कमाया है उसे वापस कराने या उचित दण्ड देने का विचार है ;

(घ) जबकि मूंगफली का और अन्य तेलों का भाव बाजार में काफी कम है, जमाये हुए तेलों के दाम बराबर बढ़ने के क्या कारण हैं;

(ङ) वनस्पति तेलों को उचित दाम पर बिकवाने के लिये क्या सरकार का कोई कदम उठाने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थोमस): (क) मीट्रिक प्रणाली लागू होने से पूर्व जिन डिब्बों में वनस्पति बेचा जाता था उनका वास्तविक सामर्थ्य और तदनुसार मीट्रिक प्रणाली के अधीन अपनाये गये माप निम्न प्रकार हैं :

मीट्रिक प्रणाली लागू होने से पूर्व	मीट्रिक प्रणाली के अधीन	
मीट्रिक बांटों के समकक्ष		
१ पौण्ड .	४५३ ग्राम	५०० ग्राम
२ पौण्ड .	०.९ किलोग्राम	१ किलोग्राम
५ पौण्ड .	२.३ किलोग्राम	२ किलोग्राम
१० पौण्ड	४.५ किलोग्राम	४ किलोग्राम
३६ पौण्ड . . .	१६.३ किलोग्राम;	१६.५ किलोग्राम

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार विभिन्न माप के डिब्बों में बन्द जमे हुए घी की मात्रा में सामान्यत: मूल्य तदनुसार ही निर्धारित किये गये हैं। उदाहरण स्वरूप प्रसिद्ध मार्का १० पौण्ड के डिब्बे का मूल्य जुलाई, १९६० में १३ रुपये ४० नये पैसे था और अगस्त-सितम्बर, १९६० में ११ रुपये ८२ नये पैसे ४ किलोग्राम टिन का था।

(क) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सामान्यत: जमे हुए घी का मूल्य मुख्य रूप से मूंगफली तेल के मूल्य पर निर्भर करता है जो कि मुख्य कच्ची धातु है। पिछले गत मासों में मूंगफली तेल का मूल्य बहुत बढ़ गया और जमे हुए तेल का भाव आम तौर पर उसी के अनुपयत से हुआ है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये पारितोषिक

†१०१३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने कुछ राज्यों के कुछ जिलों को १९५८-५९ के रबी आन्दोलन में पिछले तीन वर्षों की औसत से १५ प्रतिशत अधिक खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये पारितोषिक दिये हैं ; और

(ख) यदि हां तो दिये गये पारितोषिकों का ब्यौरा क्या है और वे किन किन जिलों तथा राज्यों को दिये गये हैं ;

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४४]**

बिना टिकट यात्रा

†१०१४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३·५० बजे दिल्ली से जो बी० डी० बी० यात्री गाड़ी चलती है उस पर शनिवार को सरकारी कर्मचारी और बहुत से अन्य यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली और गुड़गांव के बीच बिना टिकट यात्रा सर्वाधिक होती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या की जाने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गाड़ी से यात्रियों को फेंका जाना

†१०१५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री १५ नवम्बर १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने फीरोज़ाबाद और मखनपुर स्टेशनों के बीच १८ सितम्बर १९६० को चलती गाड़ी से बाहर फैंके गये यात्रियों के मामलों की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है ।

फसलों का बीमा

†१०१६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया:
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दामानी:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १५ नवम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब सरकार से प्राप्त फसलों के बीमा की योजना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) जी हां ।

(ख) ५० लाख रुपये व्यय की यह योजना राज्य सरकार की तृतीय योजना में शामिल की गई है । पंजाब सरकार भारत सरकार के परामर्श से इन बातों का ब्यौरा तैयार कर रही है कि यह कहां कहां पर किस प्रकार लागू की जायगी और इस पर कितना व्यय होगा आदि ।

कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा सामान की खरीद

†१०१७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २३ नवम्बर १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्त ने अनियमित रूप से सामान की खरीद के बारे में जांच प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख). अभी नहीं । अभी आयुक्त केन्द्रीय सरकार के परामर्श से प्रतिवेदन पर विचार कर रहा है ।

कीटाणुओं द्वारा अनाज को क्षति

†१०१८. **श्री रा० चं० माझी:**
श्री सुबोध हंसदा:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा तैयार किये गये उस तरीके का उपयोग कर रही है जिस के द्वारा अनाज भरने के लिये प्रयुक्त होने वाली पटसन की बोरियां कीटाणु निरोधक बनाई जा सकती हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रति वर्ष कीटाणुओं द्वारा कितने टन अनाज नष्ट होता है ; और

(ग) क्या इस नये तरीके के द्वारा इस प्रकार की हानि रोकी जा सकती है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) प्रस्थापना विचाराधीन है।

(ख) कीटाणुओं द्वारा कितना अनाज नष्ट हुआ है इस का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) रसायन संचित बोरियों के उपयोग से ताजा अनाज या वह अनाज जो कीटाणुओं के प्रभाव से मुक्त है, उस का बाहर से कीटाणु आक्रमण से बचाव किया गया है।

चिकित्सा विज्ञानों की अखिल भारतीय संस्था

†**१०१९. श्री वें० प० नायर**: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा विज्ञानों की अखिल भारतीय संस्था, नई दिल्ली के पास इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम तथा ऐंनसीफालोग्राम द्वारा लिये गये ग्राफों को रिकार्ड करने के लिये पर्याप्त कागज नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिये पर्याप्त ग्राफ कागज उपलब्ध है, इलैक्ट्रो-ऐनसीफालोग्राम के लिये अनुसंधान कामों के लिये पर्याप्त ग्राफ कागज उपलब्ध है ,किन्तु रोगियों की क्लिनिकल जांच के लिये पर्याप्त कागज उपलब्ध नहीं है।

(ख) (१) क्लिनिकल कामों के लिये इलैक्ट्रो-ऐनसीफालोग्राम के लिये अपेक्षित मात्रा में ग्राफ कागज भारत में उपलब्ध नहीं है और यह विदेश से मंगवाना पड़ता है, जिस पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है।

(२) न्यूरौलोजिस्ट की नियुक्ति होने के पश्चात् पर्याप्त मात्रा में यह कागज उपलब्ध किया जायगा।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के गन्ना उत्पादक

१०२०. श्री ब्रजराज सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के गन्ना उत्पादकों ने हड़ताल कर के कारखानों द्वारा गन्ने का दिये जाने वाला न्यूनतम मूल्य बढ़वाने के लिये चीनी मिलों को गन्ना देना रोक दिया था ;

(ख) उक्त हड़ताल कितने दिन तक चली ;

(ग) क्या हड़ताल करने वाले गन्ना उत्पादकों की मांग पर विचार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय किया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी हां।

(ख) दो से तीन दिनों के लिये कई मिलों में गन्ने की पूर्ति का असर आंशिक रूप से पड़ा।

(ग) और (घ). गन्ने का वर्तमान न्यूनतम मूल्य जो गत वर्ष १.४४ रुपये से बढ़ा कर १.६२ रुपये प्रति मन किया गया था, ठीक समझा गया है और इस के बढ़ोत्री का कोई कारण नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल के कृषि संबंधी विकास के लिये केन्द्रीय सहायता

†१०२१. **श्री कोडियान :**
श्री वारियर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना में केरल में खेती के विकास के लिये केन्द्र से राज्य सरकार ने कैसे और कितनी वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) ३१ दिसम्बर १९६० तक राज्य को कितनी सहायता दी गई ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) चालू प्रक्रिया के अन्तर्गत, राज्य की वार्षिक योजना का परिव्यय पहले अनुमोदित किया जाता है और उस आधार पर विकास के विभिन्न शीर्षकों के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है । इस प्रक्रिया के अन्तर्गत खेती के कार्यक्रमों के लिये राज्यों की ओर से केन्द्रीय सहायता के लिये सामान्यतया कोई पृथक प्रार्थना नहीं की जाती ।

(ख) केरल सरकार को कृषि (सिंचाई तथा भूमि विकास की छोटी योजनाओं के समेत) के विकास के लिये दूसरी योजना के प्रारम्भ से लेकर, केन्द्रीय सरकार की ओर से दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :—

(आंकड़े लाख रुपये में)

	ऋण	अनुदान	कुल
१९५६–५७ .	१३.४	१६.५	२९.९
१९५७–५८ .	३१.४	१५.२	४६.६
१९५८–५९ .	४०.५	२३.७	६४.२
१९५९–६० .	८७.७	२९.६	११७.३
(अस्थायी तौर पर)			

१९६०-६१ के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाने की मंजूरी अभी जारी करनी है ।

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिये चिकित्सा छात्रवृत्तिकाएं

†१०२२. **श्री कोडियान :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्ति योजना के अधीन स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिये बम्बई और मद्रास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को २५० रुपये मासिक की छात्रवृत्तिका दी जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को केवल १५० रुपये मासिक की छात्रवृत्तिका दी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो छात्रवृत्तिका में अन्तर का क्या कारण है ; और

(घ) क्या सरकार इस भेद को दूर करने के लिये दिल्ली के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का बढ़ा कर २५० रुपये मासिक करने का इरादा रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सम्बन्धी स्थानकोत्तर प्रशिक्षण भारत की निम्न संस्थाओं में दिया जाता है :—

१. इंस्टीच्यूट आफ ओवस्टैट्रिक्स एण्ड जिनेकालोजी गवर्नमेंट हास्पिटल फार वीमैन एण्ड चिल्ड्रन, मद्रास ।
२. इंस्टीच्यूट आफ वीनरालोजी, गवर्नमेंट जनरल इस्पताल, मद्रास ।
३. इंस्टीच्यूट आफ अनारोली स्टेनले मैडिकल कालिज, मद्रास ।
४. बर्नार्ड इंस्टीच्यूट आफ रेडियोलोजी गवर्नमेंट जनरल हस्पताल, मद्रास ।
५. अपग्रेडिड डिपार्टमेंट आफ पेडियाट्रिक्स, मद्रास मैडिकल कालेज, मद्रास ।
६. अपग्रेडिड डिपार्टमेंट आफ पैथालौजी, आन्ध्र मैडिकल कालेज, विशाखापटनम ।
७. डिपार्टमेंट आफ प्लास्टिक सर्जरी मैडिकल कालेज, नागपुर ।
८. आल इण्डिया इंस्टीच्यूट आफ मैंटल हैल्थ, बंगलौर ।
९. इण्डियन कैंसर रिसर्च सैन्टर, बम्बई ।
१०. ओराकिक सर्जरी यूनिट, क्रिश्चियन मैडिकल कालेज, वैल्लोर ।
११. अपग्रेडिड डिपार्टमेंट आफ हिस्टरी आफ मैडिसन, उस्मानिया मैडिकल कालेज, हैदराबाद।
१२. सर सी० ई० एम० डैण्टल कालेज, बम्बई ।
१३. नायर हस्पताल डैंटल कालेज, बम्बई ।
१४. न्यूरो सर्जरी यूनिट क्रिश्चियन मैडिकल कालेज; वैल्लोर, और
१५. अपग्रेडिड डिपार्टमेंट आफ डी० टी० डी० वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीच्यूट, दिल्ली ।

इस योजना के अन्तर्गत, अभ्यर्थी की मूल योजना के अनुसार १५० रुपये और २५० रुपये मासिक की छात्रवृत्तिकाएं दी जाती हैं । २५० रुपये मासिक की छात्रवृत्ति का निम्न श्रेणियों के विद्यार्थियों को दी जाती हैं :—

(१) मैडिकल कालेजों में काम करने वाले अध्यापकों और डिमांस्ट्रेटरों ।

(२) जिनके पास पहले ही स्नातकोत्तर उपाधियां हैं अर्थात एम० डी०, एम० एस; एम० एस सी०; पी० एच० डी० आदि ।

(३) जिन्हें

(क) क्लिनिकल लाबरेटरी विषयों, तथा

(ख) गैर क्लिनिकल विषयों अर्थात फिजिआलोजी, अनाटोमी और कालोजी, के उन्नत भागों में प्रवेश दिया जाता है ;

(४) जिन विद्यार्थियों ने आल इण्डिया इंस्टीच्यूट आफ मैंटल हैल्थ, बंगलौर के डी० पी० एम० और डी० एम० पी० पाठ्य-क्रमों में प्रवेश पाने से पहले, राज्यों में मैंटल हस्पतालों में सुपरिन्टेंडेंट, डिप्टी सुपरिस्टेंटेंट और असिस्टेंट सर्जनों के नाते काम किया है ।

दिल्ली हस्पतालों में स्नातकोसर अध्ययन निम्न संस्थाओं में करवाया जाता है :—

१. लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, नई दिल्ली ।
२. सफदरजंग हस्पताल, नई दिल्ली ।
३. विलिंगडन हस्पताल, नई दिल्ली ।
४. इर्विन हस्पताल, नई दिल्ली; और
५. आल इण्डिया इंस्टीच्यूट आफ मैडिकल साइंसिस, नई दिल्ली ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रत्येक विद्यार्थी को १५० रुपये मासिक छात्रवृत्तिका दी जाती है।

(ग) और (घ). सब विद्यार्थियों को एक ही दर पर छात्रवृत्तिका देने का प्रश्न विचाराधीन है।

केरल में डाक व तार की इमारतें

†१०२३. **श्री कोडियान:**
श्री वारियर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग के लिये केरल में दफ्तर की इमारतें बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितनी इमारतें बनाई जायेंगी; और

(ग) यह विभाग राज्य में अपने दफ्तरों के लिये प्रति मास कितना किराया दे रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) और (ख). निम्न निर्माण प्रस्तावों की मंजूरी दी जा चुकी है :

१. **आदूर:** डाकघर की इमारत में वृद्धि तथा परिवर्तन।
२. **अल्लघी:** टेलीफून एक्सचेंज इमारत का निर्माण।
३. **कन्नानूर** : डाक घर इमारत का विस्तार।
४. **इर्नाकुलम:** स्वचालित एक्सचेंज इमारत का निर्माण।
५. **कोजीकोड:** प्रमुख डाक घर इमारत का निर्माण।
६. **काडाक्काबूर:** डाक घर तथा एस० पी० एम० क्वार्टरों का निर्माण।
७. **कान्हंगड** : डाक घर की इमारत का निर्माण।
८. **माय्यानाड:** डाक घर इमारत का निर्माण।
९. **पोंकुन्नम** : टैलीफून एक्सचेंज इमारत का निर्माण।
१०. **पठानापुरम** : डाक घर इमारत का निर्माण।
११. **त्रिवंद्रम** : डाक तथा तार घर इमारत का निर्माण।
१२. **तिरुवत्तार** : डाक घर इमारत का पुनर्निर्माण।
१३. **विलिंगडन आईलैंड** : डाक घर, आर० एम० एस० और एयर सार्टिंग आफिस का निर्माण।
१४. **विलिंगडन आईलैंड** (कोचीन) : टैलीफून एक्सचेंज इमारत का निर्माण।

(ग) २३,८२४ रुपये २८ नये पैसे।

हिमाचल प्रदेश में "ट्राउट" मछली पकड़ना

१०२४. **श्री पद्म देव:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की पव्वर, ऊहल और स्वपा नदियों में 'ट्राउट' मछली पकड़ने के लिये सरकार ने वर्ष १९६० में कितने लाइसेंस दिये; और

(ख) इसी वर्ष के लिये इस विभाग का आय तथा व्यय का ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) १०३।

(ख) इस विभाग की आय ३,५२,००० रुपये और व्यय ३,२१,००० रुपये हुए हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन

१०२५. **श्री पद्म देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने भारत सरकार को पर्यटन सम्बन्धी कोई योजना पेश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). इस सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४५]**

हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में नहरें

१०२६. **श्री पद्म देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के जिला मण्डी के इलाके वहल में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितनी 'कूलों' (नहरों) का निर्माण हुआ ;

(ख) निर्माण की गई कितनी कूलें सिंचाई का काम दे रही हैं और कितनी व्यर्थ पड़ी हैं; और

(ग) व्यर्थ पड़ी कूलों का क्या कारण है और इसका दायित्व किस पर है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में वालह नामक कोई स्थान नहीं है। परन्तु उस जिले में "बाल्ह" नामक क्षेत्र है, जहां पर पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में पांच कूलें बनाई गई हैं।

(ख) आजकल सिंचाई के लिये पांच में से चार कूलें प्रयोग में लाई जा रही हैं, एक कूल जिसका नाम "छतरू" कूल है, आजकल सिंचाई के लिये इस्तैमाल में नहीं लाई जा रही है।

(ग) घराटों (पानी मिलों) के मालिक लोग छतरू कूल की निकासी से ही उस कूल में पानी नहीं आने देते हैं और निकासी के स्थान से ही हेड-वर्क्स के स्तर की ओर उसको मोड़ दिया जाता है। इन मालिकों ने पानी के प्रयोग के लिये अधिकारों का अपना दावा किया है। यह मामाला हिमाचल प्रदेश प्रशासन के परीक्षण में है और यदि अभिलेखों ने उनके अधिकार सिद्ध किये, तो इनको हिमाचल प्रदेश छोटी नहरें अधिनियम के अन्तर्गत ले लिये जायेंगे और उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उन मालिकों को मुआवजा दे दिया जायेगा।

दूध और दूध उत्पादों का उत्पादन और खपत

†१०२७. **श्री वें० पें० नायर:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन राज्यों में दूध और दूध के उत्पादकों का उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है, जहां इन का उपभोग बहुत कम है, जैसे केरल और मद्रास में; और

(ख) भारत सरकार कब तक यह आशा करती है इन राज्यों में इन का उपभोग बढ़ाकर आखिल भारत के औसत के बराबर हो जाएगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) पशुधन के संरक्षण, बचाव और सुधार का काम राज्य सरकारों का है। भारत सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर बहुत सी पशु

---

†मूल अंग्रेजी में

पालन तथा डेयरी विकास योजनाएं आरंभ की हैं। उपलब्ध आंकड़े के अनुसार मद्रास और केरल राज्यों में दूध का उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति उपभोग १९५६ में निम्न मात्रा तक बढ़ा। तत्पश्चात् कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

	दूध का उत्पादन (हजार मनों में)		प्रति व्यक्ति दूध का उपभोग (औंसों में)	
	१९५१	१९५६	१९५१	१९५६
मद्रास	१९,६४३	२२,२२६	२.४०	२.७१
केरल	४,४०८	५,४२८	१.१८	१.४६

भारत सरकार द्वारा की गई दूसरी रचनात्मक कार्रवाई का संबंध (१) दिल्ली, पंजाब आदि में पकड़े गये आवारा हरियाना ढोरों; और (२) दूध की बस्तियों से उपलब्ध फालतू पर बढ़िया नस्ल के बछड़े बछड़ियों को दक्षिण भारत के राज्यों, में आवंटन से है।

(ख) क्योंकि ढ़ोर सुधार का काम धीरे धीरे से होता है, इस काम के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है।

उड़ीसा में ग्राम्य जल संभरण योजनाएं

†१०२८. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**
श्री कुम्भार :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में ग्राम्य जल संभरण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए, राज्य को कोई सहायता दी है,

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिए वर्ष वार कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) दूसरी योजना में उड़ीसा के ग्राम्य क्षेत्रों में पीने के जल की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये किन योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम (ग्राम्य) के अन्तर्गत अनुमोदित जल संभरण एवं स्वच्छता योजनाओं की लागत के ५० प्रतिशत के आधार पर सहाय्य-अनुदान दिया जाता है। दूसरी योजना के पहले चार वर्षों में दी गई सहायता की राशि नीचे दी जाती हैं।

वर्ष	दिया गया सहाय्य-अनुदान
	(लाख रुपयों में)
१९५६-५७	१०.५०
१९५७-५८	१२.९५५
१९५८-५९	१८.९९६८०
१९५९-६०	३.९०
कुल	४६.३५१८०

†मूल अंग्रजी में

(ग) ये योजनाएं शामिल हैं :—

(१) कूओं का निर्माण और मरम्मत

(२) नल कूप लगाना; और

(३) तलाबों का निर्माण और मरम्मत ।

उड़ीसा में पटसन उत्पादकों को सहायता

†१०२९. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में उड़ीसा राज्य को वहां के पटसन उत्पादकों की सहायता करने के लिए, संघ सरकार ने कोई वित्तीय उपबंध किया है

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का ; और

(ग) क्या इन वर्षों में उड़ीसा में पटसन का उत्पादन बढ़ा है ;

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) जी हां ।

(ख)

१९५८–५९	१.३९ लाख रुपये
१९५९-६०	१.९२ लाख रुपये
१९६०-६१	२.४६ लाख रुपये

(ग) हाल के वर्षों में पटसन का उत्पादन इस प्रकार रहा है :

	लाख गांठें
१९५७-५८	२.०८
१९५८-५९	१.७७
१९५९-६०	२.१२
१९६०-६१	२.६१

ग्रामदान कार्य

†१०३०. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **सामुदायिक विकास और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमदान कार्य को सामुदायिक विकास कार्य के साथ मिलाने की दिशा में क्या अग्रतर प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक कौन से निर्णय कार्यान्वित किये गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास और सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क) और (ख). अखिल भारत सर्व सेवा संघ ने यह सुझाव देना था कि उन क्षेत्रों में, जहां ग्रामदान गावों का बड़ा केन्द्रीकरण हो, अग्रिम परियोजनाएं खोली जायें और उसके लिए विस्तृत विकास योजना बनानी थी । केवल दो ऐसे प्रस्ताव, पहला उड़ीसा में बोइपभीरगुडा में और दूसरा महाराष्ट्र में अकालमुआ के लिए प्राप्त हुए हैं । पहले प्रस्ताव के बारे में उड़ीसा सरकार गृह-कार्य में

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रालय के परामर्श से फैसला करने वाली है । दूसरा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के विचाराधीन है । फैसला यह था कि ऐसी अग्रिम परियोजनाएं आखिल भारत सर्व सेवा संघ द्वारा संबद्ध राज्य सरकार के साथ व्यौरे की चर्चा करके तथा दोनों की सहमति से तैयार की जानी चाहियें ।

२. ग्रामदान एक विषय के रूप में मंत्रालय के पुनर्अध्ययन तथा अध्ययन केन्द्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है तथा ग्रामदान कार्यकर्ताओं को इन संस्थाओं में प्रशिक्षण के प्रत्येक पाठ्यक्रम में भाषण देने के लिए आमंत्रित वक्ताओं के रूप में नियमित रूप से बुलाया जाता है ।

३. ग्रामदान क्षेत्रों में सहकारी खेती अग्रिम योजनाएं आरम्भ के प्रस्तावों के बारे में अखिल भारत सर्व सेवा संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई है । प्रत्येक राज्य में ग्रामदान क्षेत्रों में एक अग्रिम परियोजना बनाने की संभाव्यता विचाराधीन है ।

४. प्रादेशिक भाषाओं में ३२४१८१ रुपये की लागत का ग्रामदान साहित्य अब तक खण्डों को दिया गया है ।

५. राज्यों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर निम्न कार्रवाई की गई है :—

गुजरात राज्य ने एक स्थानीय ग्रामदान कार्यकर्ता (सर्वोदय सेवा संघ के प्रतिनिधि) को, यदि क्षेत्र में कोई हो, खण्ड विकास समिति के सदस्य के नाते शामिल किया है । उत्तर प्रदेश भी ऐसा ही करने का विचार कर रहा है । बिहार में सामुदायिक विकास खण्डों में ग्रामदान गांवों के विकास को प्राथमिकता दी जाती है ।

मध्य प्रदेश में नवीन विस्तार-पूर्व खण्ड चुनते समय ग्रामदान गांवों वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है । इस राज्य में सर्व सेवा संघ ने खण्ड के कर्मचारियों को ग्रामदान आन्दोलन के सिद्धान्तों से अवगत कराने के लिये डिवीज़न स्तर पर सर्वोदय शिविर भी आयोजित किये थे ।

मद्रास में ११ ग्रामदान गांवों के लिये बनाई गई १० सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण की सुविधाओं का विस्तार किया गया है । कृषि उपज बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने ११ ग्रामदान गावों को बिजली दी है और कुछ मामलों में खर्च में सहायता की है ।

उड़ीसा में टीक की खेती

†१०३१. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी योजना में उड़ीसा में ८१०५ एकड़ भूमि पर टीक की खेती करने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य में कितनी भूमि पर यह खेती की गई है ; और

(ग) इस काम के लिये दूसरी योजना में राज्य को ऋण या सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख):** (क) जी हां ।

(ख) उपरोक्त लक्ष्य में से ८५०३.८१ एकड़ भूमि पर टीक की खेती की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राज्य सरकार से आशा है कि दूसरी योजना अवधि की समाप्ति पर इस योजना पर ५२४००० रुपये व्यय करेगी और यह राशि केन्द्र से ऋण के रूप में उनको दी गई है।

उड़ीसा के पुल

†१०३२. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना में अब तक नदियों के ऊपर पुल बनाने के लिये उड़ीसा को कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) अब तक किन नदियों के ऊपर प्रस्तावित पुल बनाये जा चुके हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर) :** (क) २७.३८ लाख रुपये का कुल अनुदान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) रक्षित से अनुमोदित किया गया है तथा ६१.६० लाख रुपये की राशि उड़ीसा सरकार को राष्ट्रीय राजपथों पर नदियों के ऊपर पुल बनाने के लिये दी गई है।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४६]**

पूर्व रेलवे पर बिजली से रेलें चलाना

†१०३३. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) दूसरी योजना अवधि में पूर्व रेलवे में कितने मील तक बिजली से रेलें चलाने का प्रस्ताव है ;

(ख) आज तक कितने मील त क यह हो गया है ; और

(ग) ए० सी० बिजली का प्रयोग कितने मील लाइन पर किया गया है और डी सी का कितने पर ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :**

	रूट की मीलें	मार्ग की मीलें
(क) अनुमानतः	१७७	५७५
(ख) और (ग). डी सी	८८	२७५
ए सी	६७	१९७

प्रकाश स्तम्भ

†१०३४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री नल्लाकोया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाश गृहों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति ने नौवहन के प्रकाश स्तम्भों और अन्य साधनों के विकास के लिये, नई दिल्ली में अपनी हाल की बैठक में क्या सिफारिशें की है ;

(ख) दूसरी योजना में आरम्भ की गई परियोजनाओं को कोई प्राथमिकता दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विभिन्न मदों में आवंटन को किस प्रकार बांटने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ग). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४७]**

(ख) जी , हां ।

त्रिपुरा के लिये चीनी का कोटा

†**१०३५. श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९–६० की तुलना में १९६०–६१ में चीनी के उत्पादन में ५३००० टन तक वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या त्रिपुरा के लिये चीनी का अभ्यंश बढ़ा दिया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के लोगों को दी गई चीनी भी नियंत्रित मात्रा की अपर्याप्तता के कारण चीनी का भाव बढ़ गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) १९६०–६१ मौसम में ७–२–६१ तक चीनी के उत्पादन में, इसी तिथि तक १९५९–६० के मौसम की तुलना में १·६१ लाख टन की वृद्धि हुई है ।

(ख) त्रिपुरा के लिये चीनी का मासिक अभ्यंश १५० टन निश्चित किया गया था और फरवरी, १९६० में इसे बढ़ा कर २०० टन तथा जून १९६० से २५० टन कर दिया गया था ।

(ग) २५० टन का वर्तमान मासिक अभ्यंश काफी समझा जाता है और साधारणतया मूल्यों की स्थिति संतोषजनक है । तथापि जनवरी, १९६१ में परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण स्टाक आने में विलम्ब होने के कारण मूल्यों में वृद्धि होने लगी और चुनी हुई दुकानों से वास्तविक उपभोक्ताओं को चीनी बांटने के लिये तुरन्त कार्रवाई की गई है ।

वनों को काटना

†**१०३६. श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन क्षेत्रों के अतिरिक्त वन और वृक्ष प्रति वर्ष काटे जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की सरकारों को वनों को काटने या वृक्षों को काटने से रोकने के लिये कार्रवाई करने के लिए कोई अनुदेश दिये हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) वृक्ष साधारण ढंग से काटे जाते हैं तथापि राज्य सरकारों का यह प्रथम प्रयत्न रहता है कि जहां तक संभव हो वृक्षों का अवांछित नाश रोका जाये ।

(ख) वनों का प्रबन्ध राज्यों का विषय है । केन्द्रीय वन विद्या बोर्ड, जिसमें राज्यों के वनों के प्रभारी मंत्री हैं तथा सभापति केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री हैं, समय समय पर १९५२ की राष्ट्रीय वन नीति की दृष्टि से स्थिति पर विचार करता है (जिसमें अन्य बातों के साथ साथ वनों और वृक्षों के बचाव के प्रश्न के बारे में विचार किया गया है) और यह बोर्ड उचित सिफारिशें करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†१०४७. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **रेलवे** मंत्री पिपलिया स्टेशन के समीप गाड़ी का पटरी से उतरने के बारे में २२ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०७७ के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ी का पटरी से उतरने का कारण यह था कि नई डाली हुई पटरी में नुक्स था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिये उत्तरदायी लोगों को दंड देने की कोई कार्रवाई की है ;

(ग) क्या रेलवे सम्पत्ति को कोई हानि हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी हानि हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) तथा (घ). अनुमानतः एक हजार आठ सौ रुपये ।

गुजरात में नई रेलवे लाइनें

†१०३८. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्री को, जब वह जनवरी, १९६१ के पहले सप्ताह में गुजरात में दौरा कर रहे थे इस आशय के बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोई नई रेलवे लाइन नहीं बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी, नहीं । वास्तव में गुजरात राज्य के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत सी नई लाइनें बनाई गई हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सेवा समितियां

†१०३९. **श्री हेम राज :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में कितनी सहकारी समितियों को सेवा सहकारी समितियों में बदल दिया गया था ;

(ख) उनमें से कितनी समितियां अभी तक चल रही हैं और कितनी समितियों का काम रुक गया है ; और

(ग) सरकार द्वारा इन समितियों को क्या विशेष रियायत दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) १–७–५९ से ३१–१०–६० तक की अवधि में ३३,१९० समितियों को सेवा सहकारी समितियों के रूप में पुनर्गठित किया गया था। १९६० के पत्री वर्ष के बारे में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सेवा समितियों के रूप में पुनर्गठन का उद्देश्य इन समितियों को सक्रिय बनाना है। इसलिये यह आशा है कि सभी पुनर्गठित समितियां सक्रियता से कार्य कर रही हैं।

(ग) सेवा समितियों को प्रबन्ध राजकीय सहायता के रूप में प्रति समिति को अधिकतम ९०० रुपये दिये जा रहे हैं यह राशि उसे ५ वर्ष की अवधि में पूरी की जायेगी। बीज और उर्वरक बांटने का कार्य भी इन्हीं समितियों के द्वारा किया जा रहा है।

कोट कपूरा—फाजिल्का बड़ी लाइन

†१०४०. **श्री राम कृष्ण गुप्त**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर रेलवे में कोट कपूरा और फाजिल्का के बीच की मीटर लाइन को बड़ी लाइन के रूप में बदलने की प्रस्थापना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्थापना को वित्तीय दृष्टि से न्यायोचित नहीं समझा गया है।

दिल्ली के गांवों में बिजली लगाना

१०४१. **श्री नवल प्रभाकर**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली के गांवों में बिजली लगाने के सभी लक्ष्य पूरे हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन गांवों में बिजली लगाई गई ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५३ ग्रामों का विद्युतन आयोजित था। इसमें से ४५ ग्रामों में विद्युतन कर दिया है। आशा है कि द्वितीय योजना के अन्त तक शेष ग्राम भी विद्युतिकृत कर दिये जायेंगे।

(ख) विद्युतिकृत ग्रामों के नाम निम्नलिखित हैं :—

(१) समायपुर
(२) अलीपुर
(३) अदचीनी
(४) बेगमपुर

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) बदली
(६) चत्तरपुर
(७) चिराग दिल्ली
(८) चौखण्डी
(९) खामपुर
(१०) कालू सराय
(११) किलोकरी
(१२) लावसपुर
(१३) स्वीपर कालोनी (बदली)
(१४) सराय काले खां
(१५) खिज़राबाद
(१६) तैमूर नगर
(१७) जोगा बाई
(१८) नजफ़गढ़
(१९) बघेला
(२०) बकोली
(२१) घड़ी झरिया मारिया
(२२) हस्थल
(२३) खिवकी
(२४) मण्डौली फ़ज़रपुर
(२५) नंगलोई
(२६) नांगली
(२७) नावदा
(२८) पीरा गढ़ी
(२९) नांगली राजापुर
(३०) पतपर गंज
(३१) सीरसपुर
(३२) शकूरपुर खास
(३३) शेख सराय
(३४) टिकड़ी खुर्द
(३५) जमशेद पुर
(३६) पालम
(३७) रामपुरा
(३८) अलीगंज तथा पिलंजी
(३९) कोटला मुबारक पुर
(४०) जसोला
(४१) मादीपुर
(४२) शकूरपुर
(४३) धीरपुर
(४४) बदरपुर
(४५) किशन गढ़ी

नरेला को बिजली देना

१०४२. श्री नवल प्रभाकर : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नरेला, दिल्ली को अब भी महंगी बिजली मिल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी, हां।

(ख) इस क्षेत्र में छोटे डीज़ल उत्पादन यन्त्रों द्वारा बिजली दी जाती है। इस कारण उत्पादन लागत अधिक है।

मृतकों का रक्त

१०४३. श्रीमती कृष्णा मेहता: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के किसी प्रोफेसर ने भारत को यह सलाह दी है कि भारत में भी मृतकों का रक्त लेने की कोई योजना बनाई जाय ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रूस में मृतकों के शरीर से रक्त निकाल लिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी, नहीं। प्राध्यापक ने मृतकों के रक्त के प्रयोग पर केवल एक व्याख्यान दिया था।

(ख) जी, हां।

(ग) यदि मृतक के रक्त का उपयोग किया जा सके तो इससे खून चढ़ाने के लिये पर्याप्त रक्त उपलब्ध करने की समस्या हल करने में सहायता मिलेगी तथापि धार्मिक भावनाओं को देखते हुये निकट भविष्य में इस प्रैक्टिस के लोकप्रिय होने की सम्भावना नहीं है।

ओखला वाटर वर्क्स

†**१०४४. श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओखला वाटर वर्क्स से प्राप्त होने वाला पानी विदूषित है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्रोत को बन्द करके किसी और स्रोत से जल संभरित करके इस कमी को पूरा करने के लिये कोई प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में विचार किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) यद्यपि यह सच नहीं है कि ओखला वाटर वर्क्स से प्राप्त होने वाला पानी विदूषित है, तथापि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ओखला वाटर वर्क्स का इनटेक दिल्ली में नदी के नीचे की ओर स्थित है, कभी कभी इनटेक के ऊपर की ओर से आने वाले तूफानी पानी और गन्दे नालों के पानी के कारण यहां का पानी विदूषित हो जाता है। बड़ा पुल नामक नाले में से जो कि इनटेक से केवल ३०० फुट ही ऊपर की ओर है मौनसून के मौसम में आंधी का पानी और गन्दे नालों का पानी आकर नदी में गिरता है। इसलिये पानी का फिल्ट्रेशन

†मूल अंग्रेज़ी में

करने से पहले और बाद में पानी में क्लोरीन मिलायी जाती है। इनटेक में एक साइफन भी लगा दिया गया है ताकि गन्दा पानी उसमें से गुजर कर जल शोधन संयंत्र की ओर न जा सके।

(ख) एक पाइप लाइन के द्वारा हिंडोन नदी से पानी प्राप्त करने के सम्बन्ध में यत्न किया जा रहा है ताकि ओखले के पानी की कमी को पूरा किया जा सके।

दिल्ली में केशोपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

†१०४५. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केशोपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गत दो वर्षों से कोई काम नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसकी स्थापना पर कितनी लागत आयी थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) मल सम्बन्धी कारखाने के लिये मुख्य 'सीवेज' उस समय तक पूरा नहीं हुआ था। वह अब पूरा हुआ है, परन्तु तिलक नगर से मल लाने के लिये अन्तिम कनेक्शन का कार्य जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके पूरा होते ही कारखाना चालू कर दिया जायेगा।

(ग) ७३ लाख रुपये।

खाद्य तथा कृषि संगठन का भूख से मुक्ति आन्दोलन

†१०४६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने खाद्य तथा कृषि संगठन के भूख से मुक्ति आन्दोलन में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस आन्दोलन के अंश के रूप में भारत इस समय किस किस खाद्य वस्तु का अंशदान कर सकता है ;

(ग) इस आन्दोलन में किस किस देश ने भाग लिया है ; और

(घ) विभिन्न खाद्य वस्तुओं के उपयोग की आदत का विकास करने के सम्बन्ध में नई दिल्ली में इस आन्दोलन की ओर से हाल ही में की गयी गोष्ठी में यदि किन्हीं उपायों के सम्बन्ध में सिफ़ारिशें की गयी थीं तो वे क्या क्या हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) जी, हां। भारत ने भी इस आन्दोलन में भाग लेना शरू कर दिया है। यहां पर इस अन्दोलन का उद्घाटन १ जुलाई, १९६० में किया गया था।

(ख) इस आन्दोलन में भाग लेने से यह तात्पर्य नहीं है कि इस के लिये आवश्यमेव खाद्य का अंशदान दिया जाय। आन्दोलन का लक्ष्य यह है कि विश्व की सभी वर्तमान तथा भावी आबादी के

†मूल अंग्रेजी में

लिये पर्याप्त खुराक को संभरित करने, उपलब्ध खुराक तथा अधिकतम खाद्य संभरण के बीच के अन्तर को पूरा करने के उपायों और इस अन्तर को पूरा करने के लिये कार्यवाइयां करने के लिये विभिन्न देशों को प्रेरणा देने सम्बन्धी समस्याओं के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्रदान की जा सके। भारत में इस आन्दोलन के अन्तर्गत हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ चुने हुये कार्यक्रमों के अधीन अत्यधिक तथा तीव्र यत्न किय जायेंगे।

(ग) नवम्बर, १९५९ में खाद्य तथा कृषि संगठन के रोम में हुए १०वें सम्मेलन में इस संगठन के सभी सदस्यों (लगभग ८० सदस्यों) ने इस आन्दोलन का समर्थन किया था। अनुमान है कि लगभग सभी सदस्य इस में भाग लेंगे।

(घ) १० जनवरी, १९६१ को इस आन्दोलन की गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाने के लिये किये जाने वाले यत्नों के साथ लोगों को भोजन सम्बन्धी आदतों को भी बदलने की जरूरत है, इसके लिये विशेषतया सब्जियों, फलों, दूध, मुर्गियों आदि के अधिक उत्पादन तथा उपयोग की आवश्यकता है। इस गोष्ठी में इस प्रकार के किन्ही विशिष्ट उपायों की सिफारिश नहीं की गयी थी।

तेजपुर के निकट कलदार घाट पर रेलवे पुल

†१०४७. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेजपुर के निकट जिया भारती नामक नदी पर कलदार घाट पर रेलवे पुल तैयार कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी, हां ;

(ख) लगभग १ करोड़ रुपय।

हीराकुद परियोजना के लिये मशीनरी

†१०४८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुद बांध परियोजना के लिये सेना से खरीदी गयी पुरानी मशीनरी पर कितनी राशि खर्च की गयी है ;

(ख) भारत को मिलने वाले पाउण्ड पावने के अपलेखन के लिये ब्रिट्रेन के हिसाब में कितनी राशि डाली गयी है ;

(ग) मशीनरियों के पुर्जों, टायरों और ट्यूबों की खरीद पर कितनी राशि खर्च की गयी है और निर्माणकाल में उन मशीनरियों को चलाने पर कितनी स्थापना सामग्री लागत आयी है ;

(घ) उन मशीनारयों के द्वारा किये गये कार्यों पर कितनी लागत आयी है ;

(ङ) क्या उन मशीनरियों के जो कि जब से यहां पहुंची हैं, व्यर्थ में निकम्मी पड़ी हैं, का खर्च भी परियोजना प्राक्कलन में सम्मिलित कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) क्या सरकार उड़ीसा पर भारत ऋण के बदले इस राशि का अपलेखन करने का विचार रखती है ; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) हीराकुड बांध परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस परियोजना के लिये लगभग ५४.२३ लाख रुपये की कीमत की युद्ध डिस्पोज़ल मशीनरी खरीदी गयी थी ।

(ख) क्योंकि देश के विभिन्न भागों के लिये खरीदी गयी सैनिक वस्तुओं और यंत्रों के लिये कीमत संग्रहीत पाउण्ड पावने में से इकटठी ही अदा कर दी गयी थी, यह बताना संभव नहीं है कि हीराकुड परियोजना के लिये खरीदी गयी मशीनरी के लिये कितनी राशि अदा की गयी है ।

(ग) इन पर आने वाले खर्च के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) परियोजना के खातों में यह अलग रूप से नहीं लिखा हुआ है कि इन मशीनरियों से कितनी कीमत का काम हूआ है ।

(ङ) जी हां ।

(च) और (छ). अतिरिक्त मशीनरी और फालतू पुर्जों को बचने के लिये एक प्रक्रिया तैयार कर ली गयी है । जब उन्हे बेचा जायगा, तो उनसे प्राप्त होने वाली राशि परियोजनाओं के हिसाब में जमा करायी जायगी ।

दिल्ली दूध योजना

†१०४९. श्री रामी रेड्डी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के लिये दूध इकट्ठा करने के लिये दिल्ली के आस पास दुग्ध संग्रह केन्द्रों की स्थापना के परिणाम स्वरूप ग्राम्य जनता को कोई लाभ प्राप्त हुये हैं और यदि हां तो वे क्या हैं ;

(ख) दिल्ली डेरी फार्म में क्या क्या वस्तुयें तैयार की जाती हैं ;

(ग) वे किस किस दर पर बेची जाती हैं ; और

(घ) ये कीमतें मार्केट की कीमतों की तुलना में कैसी हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा): (क) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) दिल्ली दुग्ध वितरण योजना ने उन दूध वालों के लिये दूध के लिये एक नियमित मार्केट सी बना दी है, जो कि दुग्ध योजना के द्वारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के ग्राम्य क्षेत्रों में स्थापित दुग्ध संग्रह केन्द्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं । योजना उन दूध वालों द्वारा बेचे जाने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त दूध को खरीद लेती है । इस से उन्हे दूध के उत्पादन के कार्य में प्रोत्साहन मिला है और अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है । इस के अतिरिक्त दूध वालों को अब अपेक्षाकृत अधिक कीमतें अर्थात् प्रतिमन लगभग २ या ३ रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). दिल्ली दुग्ध वितरण योजना के द्वारा निम्नलिखित वस्तुयें निम्नलिखित कीमतों पर बेची जा रही हैं :—

(१) शुद्ध दूध (गाय या भैंस का) . .	६२ नये पैसे प्रति लिटर
(२) टोन्ड मिल्क (वह दूध जिसमें से कुछ अंश तक क्रीम निकाल ली गयी है) . . .	४२ ,, ,, ,,
(३) खाने का माखन इकट्ठा यूल्य (५ किलोग्राम या अधिक) . . .	६.७५ रुपये प्रति किलो
(४) खाने का माखन १०० ग्राम के पैकेट .	०.७५ ,, ,, पैकेट
(५) खाने का माखन २५० ग्राम के पैकेट	१.८१ ,, ,, ,,
(६) घी १ किलो का टीन	७.५० ,, ,, ,,
(७) घी २ किलो का टीन .	१४.५० ,, ,, ,,
(८) घी ४ किलो का टीन	२८.५० ,, ,, ,,
(९) सुगन्धि युक्त दूध .	०.१६ रुपये प्रति ¼ लिटर
(१०) निरोगित सुगन्धि युक्त दूध	०·२० ,, ,, ,, ,,
(११) आइसक्रीम १२५ सी सी के कप .	०.४० रुपये प्रति

इसके अतिरिक्त योजना द्वारा निरोगित दुग्ध पाउडर भी तैयार किया जा रहा है। यह ३·५१ रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है।

(घ) उक्त प्रत्येक वस्तु की कीमत बाजार की कीमत से सामान्यतया कम है।

उड़ीसा के बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†१०५०. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य में बाढ़ से रक्षा के लिये किन्ही विशिष्ठ परियोजनाओं के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से कोई बातचीत की थी ; और

(ख) क्या योजना आयोग ने किन्ही विशेष योजनाओं के लिये मंजूरी दे दी है और तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में किस किस योजना को पूरा किया जायेगा और उन पर लगभग कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये उड़ीसा के लिये बाढ़ नियंत्रण प्रस्थापनाओं पर नवम्बर, १९६० में योजना आयोग और सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के पदाधिकारियों ने उड़ीसा के पदाधिकारियो से चर्चा की थी उन पर लगभग ३७४.४४ लाख रुपये के खर्चे का अनुमान है। उनके अन्तर्गत, नदियों के किनारों पर बांध बनाने और पक्के करने, ग्रामों की धरातल को ऊचा करने, किनारों के बंधों के लेविल को ऊंचा करने, नालियों में सुधार करने, नदियों के पानो को समुद्र तक पहुचाने के लिये नहरें काटना आदि सम्मिलित है ; राज्य सरकार से मंजूरी के लिये कोई भी योजना औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चारे की कमी

१०५१. **श्री वाजपेयी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों में चारे की भीषण कमी के फलस्वरूप हजारों जानवरों को राज्य से बाहर ले जाना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानत: कितने जानवर चले गये हैं ;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने उन क्षेत्रों में, जहां चारे की कमी है, चारा देने के लिये कोई व्यवस्था की है ;

(घ) क्या केन्द्र ने भी इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाये हैं ;

(ङ) यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है ;

(च) क्या यह सच है कि राजस्थान से मध्य प्रदेश जाते हुए बहुत से जानवर मर गये ; और

(छ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) मौनसून के न होने के कारण राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर प्रभागों में कमी की हालत हो गई है। ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अनुमान है कि इस कमी के फलस्वरूप राज्य से लगभग एक लाख पशु बाहर चले गये हैं।

(ग) राजस्थान सरकार ने बाहर जाने वाले पशुओं के रास्ते में चारे के डिपो खोल दिये थे और इन डिपों से मुफ्त चारा दिया गया। वे वर्तमान पशुओं की रक्षा के लिये चारे के डिपों और पशुओं के कैम्प भी खोल रहे हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंचाब के पड़ौसी राज्यों से और सूरतगढ़ फार्म से भी तथा केन्द्रीय चारा बैंक, धुलिया से सूखी घास और चारा दिलाने में राज्य सरकार की सहायता की। नलकूप संगठन ने जेसलमेर और बीकानेर जिलों में सात नलकूपों को बनाया और उन का परीक्षण किया। पानी को खैंचने और इकट्ठा करने के प्रबन्ध अब किये जा रहे हैं। इस के अतिरिक्त, प्रधान मंत्री के सहायता कोष से १५,००० रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

(च) और (छ). केन्द्रीय या राजस्थान सरकार को कोई भी ऐसी रिपोट नहीं मिली है। मध्य प्रदेश सरकार को लिखा गया है और इस की सूचना मिलते ही सभा की टेबल पर रख दी जायेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जिला पशुधन अफ़सरों को हिदायतें भेज दी हैं कि मध्य प्रदेश को आने वाले पशुओं को पशु-चिकित्सा की सुविधायें दी जायें और उन के लिये स्थानीय चारागाह देखे जायें या उन को चारा दिया जाये।

गोआ जाने वाले सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के जहाजों का बहिष्कार

†१०५२. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ ने सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के उन जहाजों का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है जोकि गोआ को वस्तुएं पहुंचाने का कार्य करते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गोआ को वस्तुएं पहुंचाने वाले जहाजों के क्या क्या नाम हैं ; और

(ग) इन जहाजों में भारत से क्या क्या वस्तुएं गोआ ले जाई जाती हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). जी, हां। अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी फेडरेशन ने सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के जहाजों का बहिष्कार करने की धमकी दी है क्योंकि उन्हें यह ज्ञात हुआ है कि उस के दो जहाज जुलाई, १९६० में गोआ से व्यापार करते रहे हैं। उन दो जहाजों के नाम 'डंकरी बेकन' और "काऊन बारो बेकन' हैं जोकि कम्पनी द्वारा भारकित किये गये थे। परन्तु उस फेडरेशन को दी गई सफाई को ध्यान में रखते हुए फिलहाल उस बहिष्कार को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) सिंधिया कम्पनी द्वारा दी गई सफाई के अनुसार उक्त दो जहाजों ने जिस समय गोआ से व्यापार किया था, वे उस समय इस कम्पनी द्वारा भारकित नहीं किये गये थे। इसलिये सिंधिया कम्पनी द्वारा इन जहाजों में गोआ को सामान पहुंचाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

उड़ीसा में ग्राम्य विश्वविद्यालय

†**१०५३. श्री का० चं० जेना**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने इस राज्य में एक ग्राम्य विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस मामले की इस समय क्या स्थिति है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में उस राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है। तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में देश में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न पर भारत सरकार अभी तक योजना आयोग के परामर्श से विचार कर रही है। इस बारे में निर्णय कर लेने के बाद ही उड़ीसा सरकार की प्रार्थना पर विचार किया जायेगा।

दक्षिण पूर्व रेलवे में राजघाट पर सवारी गाड़ियों के लिये हाल्ट स्टेशन

†**१०५४. श्री का० चं० जेना** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता द्वारा बारम्बार की जा रही इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेने का निर्णय कर लिया है कि उड़ीसा के बालासोर जिले में जलेश्वर और अमरदा रोड रेलवे स्टेशनों के बीच राजघाट पर सभी सवारी गाड़ियों के लिये एक हाल्ट स्टेशन बना दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की कार्यान्विति के लिये अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि केवल असुविधाजनक समयों पर ही वहां पहुंचने वाली सवारी गाड़ियों को वहां ठहरने की अनुमति दी जाती है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि तजरबे के तौर पर यात्रियों को टिकट बेचने के लिये जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है वह वहां पर शायद ही कभी होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). १-१०-१९६० से वहा पर एक ठेकेदार द्वारा संचालित गाड़ी हाल्ट स्टेशन स्थापित कर दिया गया है । इस हाल्ट स्टेशन पर एक विशिष्ट प्रकार की गाड़ियां ठहरती हैं और दूसरे प्रकार की गाड़ियों को भी ठहराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) इस सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई है और उस बारे में जांच की जा रही है ।

सतना रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों के लिये सुविधायें

†१०५५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री खुशवक्त राय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों को खजुराहो जाते और आते समय मार्ग में रात को सतना ठहरना पड़ता है और वहां पर उन यात्रियों की सुविधा के लिये कोई भी विश्राम गृह या प्रतिक्षा गृह नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)**: (क) और (ख) यह सच है कि यात्रियों को खजुराहो जाते आते समय रास्ते में सतना ठहरना पड़ता है । इस स्टेशन पर पहले से ही दो ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षा गृह हैं जिन में से एक पुरुषों के लिये है और दूसरा महिलाओं के लिये है ; और वहां एक तीसरे दर्जे का यात्री प्रतीक्षा गृह भी है । यह अनुभव किया जाता है कि उक्त सुविधायें पर्याप्त हैं ।

विभिन्न प्रकार की चीनी के मूल्य

†१०५६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ के मौसम में उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और पंजाब के चीनी कारखानों द्वारा तैयार की गई विभिन्न प्रकार की चीनी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अधीन कारखाना द्वारा मूल्य क्या क्या निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) क्या मार्केट की स्थिति को देखते हुए इन मूल्यों का पुनरीक्षण करने की कोई आशा है ;

(ग) क्या अब मूल्य बढ़ रहे हैं ;

(घ) क्या फैक्टरी मालिकों और उपभोक्ताओं से कोई शिकायतें आयी हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उन पर विचार किया जा रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार की फैक्टरियों की आई० एस० एस० डी०—२९ ग्रेड की चीनी के लिये ३७ ८५ रुपये प्रतिमन

---

†मूल अंग्रेजी में

और पंजाब और दक्षिण बिहार की चीनी के लिये ३८.३५ रुपये प्रति मन है ; विभिन्न ग्रेडों के भेदात्मक मूल्य निम्नलिखित हैं :—

आई० एस० एस० ग्रेड	प्रतिमन नये पैसे	आई० एस० एस० ग्रेड	प्रतिमन नये पैसे	आई० एस० एस० ग्रेड	प्रतिमन नये पैसे
ए–२९	(+)१७५	ए–२८	(+)१३७	ए–२७	(+)१००
बी–२९	(+)११२	बी–२८	(+) ७५	बी–२७	(+)३७
सी–२९	(+) ३७	सी–२८	–	सी–२७	(—)२५
डी–२९	–	डी–२८	(—)३१	डी–२७	(—)५६
ई–२९	(—) १९	ई–२८	(—) ५७	ई–२७	(—)७५

(ख) से (ङ). ज्ञात हुआ है कि उपभोक्ताओं से कोई भी शिकायत नहीं आयी, परन्तु चीनी उद्योग से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और उन पर विचार किया जा रहा है ?

मार्केट लेन, नयी दिल्ली के पास रेलवे लाइन पर पुल

†१०५७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने पुरानी दिल्ली और नयी दिल्ली के बीच एक दूसरी लाइन की व्यवस्था करने के लिये मार्केट लेन के पास रेलवे लाइन पर पुल बनाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह काम कब शुरू होगा और कब तक पूरा हो जायगा; और

(ग) उस पर कितना खर्च होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं। मार्केट लेन के पास रेलवे लाइन पर पुल बनाने की अभी कोई योजना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पश्चिम बंगाल में शहरों और गांवों के विकास के लिये नमूना योजना

†१०५८. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों और गांवों के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी नमूने की योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने कार्यान्वित की है; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) भारत सरकार ने ऐसी कोई 'नमूने की योजना' (माडल प्लान) तैयार नहीं की है जो देश के सभी भागों में लागू हो सके। फिर भी कुछ खास क्षेत्रों के शहरों और गांवों के विकास के लिये कुछ नमूने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं किन्तु जहां तक पश्चिम बंगाल राज्य का सम्बन्ध है, ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गयी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

पद्मपुकुर स्टेशन के पास रेल दुर्घटना

†१०५९. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में शालीमार के पास पद्मपुकुर स्टेशन पर २० जनवरी, १९६१ को जब रेलवे संरक्षण बल का एक सैनिक ड्यूटी पर तैनात था तब वह मालगाड़ी के नीचे कुचल गया और मर गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी हां। २० जनवरी, १९६१ को शालीमार के पास पद्मपुकुर स्टेशन पर रेलवे संरक्षण बल सशस्त्र शाखा का एक सैनिक एक लाइट इंजन के नीचे आ गया था।

(ख) यह अचानक ही हो गया।

आसनसोल में प्रवेश मार्ग और ऊपरी पुल

†१०६०. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने आसनसोल में प्रवेश मार्ग (अप्रोच रोडस) बनाने का निश्चय किया है बशर्ते कि सरकार ऊपरी पुल (ओवर ब्रिज) बनाये; और

(ख) यदि हां, तो वहां ऊपरी पुल बनाने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी):** (क) जी नहीं। राज्य सरकार ने तीसरी आयोजना की अपनी योजनाओं में आसनसोल में राष्ट्रीय राजपथ संख्या २ पर वर्तमान रेल फाटक (लेवल क्रासिंग) की जगह रोड ओवर ब्रिज बनाने की व्यवस्था शामिल की है। उसने अभी यह नहीं बताया है कि इस योजना में अपने हिस्से का खर्च पूरा करने के लिये आवश्यक निधि की व्यवस्था वह कब कर सकेगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्थानीय करों की बकाया रकमों का भुगतान

†१०६१. **श्री संगण्णा :** क्या **रेलवे** मन्त्री रायघाड़ा में अधिकृत क्षेत्र परिषद् (नोटिफाइड एरिया कौंसिल) द्वारा मांगी गयी स्थानीय करों की बकाया रकमों के बारे में ९ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस बारे में अभी हाल की स्थिति क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** जैसाकि ८-९-१९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७९ के उत्तर में बताया गया है, नोटिफाइड एरिया कौंसिल द्वारा मांगी गयी कर की रकम के औचित्य की छानबीन करने के लिये रेलवे प्रशासन से कहा गया है। चूंकि इसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है, दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन को यह हिदायत दी गयी है कि अन्तिम निबटारा न होने की दशा में १-१०-१९५७ से पहले जितना मकान किराया दिया जा रहा था उसके बराबर की रकम वह उस मद में अस्थायी भुगतान कर दे।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में बिजली परियोजनायें

†१०६२. **श्री संगण्णा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री उड़ीसा में बिजली परियोजनाओं के बारे में २८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच कोई अन्तिम निणय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण, बिजली परियोजनाओं सम्बन्धी मंत्रणा समिति तथा योजना आयोग ने भी तलछर तापीय बिजली घर परियोजना मंजूर कर ली है ।

भीमकुण्ड परियोजना के सम्बन्ध में, यह बिजलीघर तीसरी योजना के लिये उड़ीसा सरकार की योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है ।

बालीमेला परियोजना की रिपोर्ट पर अभी छानबीन की जा रही है ।

एग मार्क घी

†१०६३. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता निगम ने भारत सरकार के एगमार्क घी में मिलावट देखी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई मामला दायर किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श्या० देशमुख) :** (क) जी नहीं । कलकत्ता निगम ने एगमार्क घी के दो व्यापारियों से नमूने लिये हैं जो सौराष्ट्र में बन्द किये गये थे । उसने यह देखा कि वह नमूने पश्चिमी बंगाल के लिये निर्धारित स्तर के अनुरूप नहीं थे यद्यपि वे सौराष्ट्र में तैयार किये गये घी के लिये निर्धारित स्तर के अनुरूप थे ।

(ख) जी हां ।

गेहूं की फसल की हानि

१०६४. **श्री बाल्मीकी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में किन-किन राज्यों में गेंहू की फसल को गेरुवे से हानि हुई ; और

(ख) उसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पं० श्या० देशमुख) : (क) पिछले पांच वर्षों में गेहूं के गेरुवे रोग से जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आसाम, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर में गेहूं की फसलों को नुकसान पंहुचने की रिपोर्ट मिली थी । ने घटनायें राज्य से राज्य और वर्ष प्रतिवर्ष भिन्न भिन्न थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गेरुवा रोग को रोकने का एक सबसे अच्छा क्रियात्मक तरीका गेरुवा विरोधक गेहूं के किस्मों की खेती करना है। भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली और कुछ राज्यों के कृषि विभागों ने जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब, गेरुवा विरोधक बहुत सी किस्मों का उत्पादन किया है और साधारण खेती के लिये उनको दिया है।

गहूं गेरुवा नियन्त्रण की एक समन्वय योजना के अन्तर्गत गेहूं उत्पादित राज्यों में गेरुवा विरोधी गहूं के प्रजनन का कार्य चल रहा है।

दमदम हवाई अड्डा

†१०३५. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री आसर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमदम हवाई अड्डे को आधुनिक बनाने के काम में जिसमें आधुनिकतम रडार पद्धति कायम करने का काम भी शामिल है, कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि उसे आधुनिक बनाने का काम रोक दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) दमदम हवाई अड्डे को जेट विमानों के आवागमन के उपयुक्त बनाने के लिये उसमें सुधार करने की योजना मंजूर कर ली गई है और अनेक विकास कार्य जारी हैं। वहां आधुनिक नौचालन और अप्रोच-एड्स के तौर पर एयरोड्रम कन्ट्रोल रडार और बहुत ऊंची फ्रीक्वेन्सी के आम्नी डायरेक्शनल रेडियो रेन्ज तथा इन्स्ट्रूमेन्ट लैडिन्ग सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। यह हवाई अड्डा, बैंकाक, गुवन, कराची और बम्बई के साथ रेडियो-टेलीटाइप सर्किट के जरिये तथा दिल्ली के साथ लैन्डलाइन टेलीटाइप सर्किट के जरिये जुड़ा हुआ है।

(ख) जी नहीं। आधुनिकीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है और तीसरी योजना अवधि में दमदम हवाई अड्डे के विकास के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चावल लाने-ले जाने के लिये माल डिब्बों का न मिलना

†१०६६. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिसम्बर, १९६० के पिछले हफ्ते से अतिरिक्त चावल वाले मिदनापुर जिले से चावल ले जाने के लिये माल डिब्बे न मिलने के बारे में चावल के थोक व्यापारियों, जैसे राम-कृष्णपुर, हावड़ा के रामकृष्णपुर चावल व्यापारी संघ की शिकायतों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) सरकार ने चावल तथा दूसरा अनाज लाने-लेजाने की ऐसी कठिनाईयां दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) कोई खास शिकायतें नहीं मिली हैं लेकिन २ फरवरी, १९६१ के "आनंद बाजार पत्रिका" में एक लेख प्रकाशित हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अन्य यातायात पर जिसे ऊंची प्राथमिकता दी गई हो, उचित विचार करने के बाद व्यापारियों की मांग सन्तोषजनक ढंग से पूरी करने के लिये हर कोशिश की जाती है। दिसम्बर, १९६० से १० फरवरी, १९६१ तक कुल ४९७ माल डिब्बो में मिदनापुर से रामकृष्ण पुर के लिये चावल और धान लादा गया और १० फरवरी, १९६१ को केवल १३ माल डिब्बों में माल लादना बाकी था।

दामोदर घाटी निगम से दी गयी बिजली की दरों में असमानता

†१०६७. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि यद्यपि पश्चिमी बंगाल और बिहार के बिजली बोर्डों को दामोदर घाटी निगम से ही बिजली प्राप्त होती है फिर भी वे दोनो बिजली बोर्ड पश्चिम बंगाल और बिहार में भिन्न भिन्न दरों पर उपभोक्ताओं को बिजली बेचते हैं ; और

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम भी इन में से प्रत्येक राज्य को उसी तरह अलग अलग दर पर बिजली बेचता है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य के बिजली बोर्डों द्वारा बिजली की संप्लाई की दरों में अन्तर के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) जी नहीं।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या २९ पर पुल

†१०६८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री राष्ट्रीय राजपथ संख्या २९ वाराणसी-गोरखपुर सड़क पर पुलों के बारे में २६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६९६ के उत्तर के बार में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुल बनाने तथा निर्माण कार्य की योजनाएं कार्यान्वित करने के प्रत्येक मामले में क्या क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** :

(१) मोहानाघाट पर गोमती नदी पर पुल

अभी फिलहाल नौका सेवा की व्यवस्था की जायेगी। उपयुक्त पुल और नौका सेवा संबंधी अनुदानों पर विचार किया जा रहा है लेकिन पुल बनाने का काम चौथी पंचवर्षीय योजना तक स्थगित करना पड़ेगा।

(२) मऊ में टोंस नदी पर पुल

जनवरी, १९६१ के अन्त तक कुल ३५ प्रतिशत प्रगति हुई है। अनुमान है कि यह काम १९६२ के आखिर तक पूरा हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) डोहरी घाट पर घोघरा नदी पर पुल

पीपे के पुल के सम्बन्ध में अनुमान रद्दोबदल के लिये राज्य के मुख्य इंजीनियर के पास भेज दि गये हैं। मुख्य पुल परियोजना के लिये वैकल्पिक योजनाओं की छानबीन की जा रही है लेकिन निधि की कमी के कारण यह काम तीसरी पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं में शामिल करना संभव न होगा।

राष्ट्र मंडल चीनी करार

†१०६९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडल चीनी करार में 'निगोशियेटेड प्राइस कोटा' का क्या अर्थ है और वर्ष १९६० में निर्यात करने वाले राज्य क्षेत्रों के लिये विशिष्ट 'प्राइस कोटा' क्या है ; और

(ख) भारत इस करार में शामिल क्यों नहीं हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) राष्ट्रमंडल चीनी करार में दी गई परिभाषा के अनुसार, 'निगोशियेटेड प्राइस कोटा' का अर्थ यह है : चीनी की वह मात्रा जो निर्यात करने वाले प्रत्येक राज्य क्षेत्र ने उस तथाकथित राज्य क्षेत्र से जिस के लिये तय किया गया मूल्य (निगोशियेटेड प्राइस) लागू होता है, निर्यात की अधिकतम वार्षिक मात्रा के तौर पर मान ली हो। अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद् द्वारा जारी की गई शूगर ईयर बुक, १९५९ में प्रकाशित, वर्ष १९६० के आधारभूत निगोशियेटेड प्राइस कोटा इस प्रकार हैं :—

	टन
आस्ट्रेलिया	३,१६,५००
दक्षिण अफ्रीका . . .	१,५८,२५०
ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ (जिस में ब्रिटिश गायना भी शामिल है)	६,७६,३०८
ब्रिटिश हौंडुरस .	१८,९९०
मारिशस	३,५३,४२५
फिज़ी	१,२६,६००
पूर्व अफ्रीका	५,२७५

(ख) राष्ट्रमंडल चीनी करार ब्रिटिश सरकार तथा राष्ट्रमंडल के कुछ देशों में उन देशों के चीनी उद्योग तथा निर्यात करने वाले व्यापारियों की ओर से निर्यात सम्बन्धी हितों जैसे क्वीन्सलैंड चीनी बोर्ड, दक्षिण अफ्रीका चीनी संघ, ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ चीनी संघ, मारिशस चीनी सिन्डीकेट कोलोनियल शूगर रिफाइनिंग कम्पनी लिमिटेड, फ़िज़ी, के बीच १९४९ और १९५० में हुई चर्चाओं में तय की गई सामान्य बातों पर आधारित है। भारत उस समय चीनी निर्यात करने वाला देश नहीं था और इसलिये इन चर्चाओं में उस का हाथ नहीं था। इस करार में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जिस से राष्ट्रमंडल के अन्य देश उस में सम्मिलित हो सकें।

पत्तों से प्रोटीन

†१०७०. **श्री प्र० क० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ब्रिटेन के बायो-केमिस्ट डाक्टर एन० डब्ल्यू० पीरी ने जो अभी हाल भारत आये थे, पत्तों से खाया जाने वाला प्रोटीन निकालने का तरीका तैयार किया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो वह क्या तरीका है और क्या इस देश में पत्तों से प्रोटीन निकालने का इसी तरह का कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) डा० एन० डब्ल्यू० पोरी का तरीका संक्षेप में इस प्रकार है :—

ताजी हरी पत्तियों का गूदा तैयार किया जाता है और उसे दबा कर रस निकाला जाता है ताकि उस में कोई रेशा न रह जाये और फिर उसे ८० डिग्री सेन्टीग्रेड के तापमान पर गरम किया जाता है और फिर प्रोटीन छान लिया जाता है । उसे फिर पानी में रखा जाता है और बाद में फिर छान लिया जाता है । यदि मूल पत्ती में काफी तेज स्वाद हो तो धोने की यह प्रक्रिया बराबर दोहराई जा सकती है । अन्तिम पदार्थ गहरे हरे रंग का होता है जिस में न कोई सुगन्ध और न कोई स्वाद होता है । इस में ६० प्रतिशत पानी होता है अर्थात् यह मक्खन या खमीरे की तरह होता है । से करीब एक हफ्ते तक कमरे के तामपान में रखा जाता है और तब यह धीरे धीरे जमने लगता है । यह अनिश्चित समय तक ठोस जमा रहता है और इसे डिब्बों में बन्द किया जा सकता है । सामान्यतया भट्टी में या हवा के भाफ में सुखाने से यह कुछ कठोर पदार्थ बन जाता है । यह कठोरता आटे या किसी अन्य पदार्थ के साथ सुखाने पर दूर की जा सकती है ।

भारत में पत्तियों से प्रोटीन निकालने का काम १९४३ में डा० बी० सी० गुह और उस के साथियों ने शुरू किया था । उन्हों ने कलकता विश्वविद्यालय के व्यावहारिक रसायनशास्त्र विभाग में हरी पत्तियों से प्रोटीन निकालने का एक सरल घरेलू तरीका तैयार किया है । वह तरीका यह है कि हरी पत्तियों का २ प्रतिशत सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ रस तैयार किया जाता है, कपड़े से उसे छान लिया जाता है, नीबू या इमली के रस के साथ उसे थोड़ा गरमाया जाता है और फिर प्रोटीन पदार्थ ऊपर आ जाता है । यह प्रोटीन पदार्थ फिर कपड़े से छान लिया जाता है और वह हरे रंग का एक पदार्थ जिस का स्वाद पत्ती की तरह होता है । यदि आवश्यक हो तो, शराब से इस का सत निकाल कर इस का रंग भी दूर किया जा सकता है ।

हरी पत्तियों से प्रोटीन निकालने के ढंग का अध्ययन करने और इस दिशा में प्रयोगात्मक अग्रिम परियोजनाएं शुरू करने के लिये डा० एन० डब्ल्यू० पोरी को छः हफ्ते की अवधि के लिये भारत बुलाया गया था और वे अभी इसी देश में हैं । तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस विकास के तरीके का उपयोग करने का विचार है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

१०७१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कितना धन खर्च किया गया और इस प्रयोजन के लिये कितने केन्द्र खोले गये ;

(ख) क्या परिवार नियोजन के लिये कोई सफल औषधि तैयार की गई है और यदि हां, तो उस के प्रयोग और वितरण के लिये क्या व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में धन राशि और साधन बढ़ाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में १९५९-६० तक १३७.५५ लाख रुपये की एक राशि स्वीकृत की गई । १९६०-६१ में परिवार नियोजन पर किये गये व्यय के बारे में निश्चित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । दिसम्बर १९६० तक १४९२ स्थायी परिवार नियोजन निदानशालायें खोली गई और देश के १५८९ चिकित्सा और स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवार नियोजन पर सलाह उपलब्ध थी ।

(ख) मुख द्वारा लिये जाने वाले गर्भ निरोधक अभी इस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं कि भारत में उनके प्रयोग की सिफारिश की जाय ।

(ग) परिवहार नियाजन के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में २५ करोड़ रुपये की अस्थायी व्यवस्था की गई है ।

डाक-तार कर्मचारी

†१०७२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने डाक-तार कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि हड़ताल में भाग लेने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप रोक ी गई है ;

(ख) कितने कर्मचारियों को नीचे की श्रेणी में कर दिया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ कर्मचारियों को लगभग २५ रुपये से ८० रुपये माहवार का नुक्सान हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मामलों पर फिर विचार करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार

(क) ४०१२

(ख) जिन्हें निचले वेतन क्रम में कर दिया गया . १३९६
जिन्हें निचले पद में गिरा दिया गया १३१

(ग) संभव है ।

(घ) अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद ऐसे मामलों पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

रक्सौल में नया रेलवे स्टेशन

†१०७३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे में रक्सौल में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च हुआ ;

(ग) क्या वह काठमांडू में पशुपतिनाथ मन्दिर के ढांचे की तौर पर बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां तो इस स्टेशन के इस ांचे का क्या महत्व है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)** . (क) और (ख). रक्सौल स्टेशन पर कोई नयी इमारत नहीं बनाई गई है लेकिन यहां पर मौजूदा इमारत को नया रूप दिया गया है। अनुमान है कि इस पर १.६२ लाख रुपया खर्च हुआ।

(ख) इस स्टेशन के मुख्य प्रदेशद्वार से लेकर बीच तक का खाका पशुपतिनाथ मंदिर के ढांचे की तरह बनाया गया है। रक्सौल स्टेशन पर सभी यात्री, जो खास कर प्रत्येक वर्ष शिवरात्री के उत्सव के समय नेपाल आते हैं, इकट्ठा होते है और उस स्टेशन के इस महत्व के कारण ही ऐसा किया गया है।

कुण्डा पन बिजली परियोजना

†१०७४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुण्डापन बिजली परियोजना के तीसरे और आखिरी दौर में सहयोग के लिये कनाडा सरकार के साथ अन्तिम रूप से इस बीच समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कनाडा से कितनी सहायता मिलने का अनुमान है ; और

(ग) किस रूप में ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) विदेशी मुद्रा के तौर पर २.२२ करोड़ डालर। इस के अतिरिक्त २ करोड़ ५० लाख डालर के बराबर की सहायता भारत को पहले दी गई कनाडा की वस्तुओं की बिक्री से दी जायगी ताकि इस परियोजना पर पया व्यय का अधिकतर भाग वह पूरा कर सके।

(ग) पूरा संयंत्र और साज सामान आदि जिस के आयात करने की आवश्यकता है, कनाडा द्वारा दिया जायगा।

कुंडा बिजली घर

†१०७५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुंडा बिजली घर संख्या २ बन कर पूरा हो गया है और उसका उद्घाटन कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बिजली घर की उत्पादन क्षमता क्या है;

(ग) यह किस लागत से बनाया गया है; और

(घ) भारत और कनाडा के बीच इस व्यय का बंटवारा किस प्रकार किया गया था ?

†**सिंचाई और विद्युत् उप-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). कुंडा बिजली घर का उद्घाटन ३५ एम डब्ल्यू के दो जैनेरेटिंग सैटों से किया गया था। एक तीसरा सैट ३५ एम डब्ल्यू का शीघ्र लगाया जायेगा और १९६१-६२ में ३५ एम डब्ल्यू का चौथा सैट लगेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) परियोजना का प्राक्कलित व्यय ३५.४४ करोड़ रुपये है। जिसमें क्रम १ (बिजली घर संख्या १—४० एम डब्ल्यु) तथा क्रम २ (बिजली घर संख्या २—१४० एम डब्ल्यु)।

(घ) दोनों क्रमों के लिये १२.५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के पुर्जे कनाडा द्वारा दी गई सहायता से खरीदे जा रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन—कार्यक्रम

†१०७६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९ तथा १९६० में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रमों में भारत ने कितनी सहायता दी है और किस रूप में दी है;

(ख) संगठन से भारत को (१) यन्त्र (२) दवाइयें तथा (३) धन के रूप में १९६० में कितनी सहायता मिली थी;

(ग) १९६१ में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कितनी सहायता मिलेगी तथा कितनी मिल चुकी है; और

(घ) भाग (ख) और (ग) में बताई गई योजनाओं के अधीन किन रोगों के उन्मूलन का विचार किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वयं कोई कार्यक्रम नहीं आरम्भ करता है। भारतीय चिकित्सा कर्मचारियों को छात्रवृत्ति देकर, विशेषज्ञसलाहकार देकर, प्रशिक्षण कराने तथा मार्ग दर्शन कराने के लिये क्षेत्रीय कर्मचारी देकर तथा यन्त्रों आदि के लिये सहायता देकर राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ही वह सहायता देता है। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निश्चित पैमाने के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के व्यय सदस्य देशों में बांट दिये जाते हैं। १९५८, १९५९ तथा १९६० में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमित आय-व्ययक में भारत सरकार का अंश नीचे बताया जाता है :—

वर्ष	अमरीकी डालर	अनुमानतः रुपये
१९५८	४०२,८६०	१९,१८,१९०
१९५९	४०७,९२०	१९,४२,४७६
१९६०	३८२,२१०	१८,२०,०४७
जोड़	१,१९२,९९०	५६,८०,७१३

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विभिन्न कोषों के अधीन १९६० में भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई सहायता की धनराशि नीचे दी जाती है :—

कोष	अमरीकी डालर में धनराशि	अनुमानित रुपयों में धनराशि
नियमित . . .	४३८,९४०	२०,९०,१९०
टैक्निकल सहायता . . .	५३९,४९६	२५,६९,०२८
मलेरिया उन्मूलन विशष लेखा . .	३१५,४३४	१५,०२,०६६
जोड़	१,२९३,८७०	६१,६१,२८४

(१) यन्त्र, (२) दवाई और (३) कोषों के अधीन व्यय की अलग-अलग राशि नीचे दी जाती है।

(ग) विभिन्न कोषों के अधीन १९६१ में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है :—

कोष	अमरीकी डालरों में धनराशि	अनमानित रुपयों में धनराशि
नियमित . .	४५८,९१२	२१,८५,२९५
टैक्निकल सहायता	४५२,२५२	२१,५३,५८०
मलेरिया उन्मूलन विशेष लेखा . .	२६०,९२२	१२,४२,४८५
जोड़	१,१७२,०८६	५५,८१,३६०

(घ) तपेदिक मलेरिया तथा कोढ़।

भत्तेवाड़ा गोसदन, पंजाब

*१०७७. **श्री आसर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में भत्तेवाड़ा गोसदन में पिछले सप्ताह लगभग २०० अथवा उससे अधिक गाय मर गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना के कारण जानने के लिये कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं और इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). गोसदन राज्य सरकार के नियन्त्रण में है और उन्होंने अपने पशुपालन निदेशक को मामले की जांच के लिये नियुक्त किया है। उनकी

†मुल अंग्रेजी में

रिपोर्ट के अनुसार जनवरी, १९६१ में भारी वर्षा और ठंड के कारण सदन मे ८२ पशु मर गये थे। क्योंकि यह प्राकृतिक संकट के कारण मरे थे इसलिये किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।

वाटर वर्क्स योजना, हौजपेट

†१०७८. { **श्री अगाड़ी :**
श्री वोडयार :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हौजपेट, जिला बेल्लारी, मैसूर राज्य की वाटर वर्क्स योजना के लिये कोई ऋण अथवा सहायता स्वीकार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि स्वीकार की गई है और कब?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). हौजपेट जिला बेल्लारी, मैसूर राज्य की वाटर वर्क्स योजना २१ जनवरी, १९६१ को २७.०३ लाख रुपये की लागत से राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा सफाई कार्यक्रम के अधीन स्वीकार की गई थी। उपरिलिखित कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत जल सम्भरण तथा सफाई योजनाओं के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में २६७.२२८ लाख रुपये की सहायता मैसूर सरकार को दी गई थी। राज्य सरकार को स्वीकृत योजनाओं में से किसी पर भी धन व्यय करने की स्वतन्त्रता है। राज्य सरकार ने हौजपेट की वाटर वर्क्स योजना के लिये अभी कोई धन नहीं दिया है।

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था

†१०७९. { **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री १६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर की केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्था द्वारा आरम्भ की गई अनुसन्धान परियोजनाओं का आयोजन करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या किसी परियोजना में काम आरम्भ हो चुका है?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्था, जोधपुर में निम्नलिखित पांच डिवीजनों को उनके सामने बताये गये कारणों से, शामिल किया गया है :—

डिवीजन १ (मूलभूत साधनों की जांच के लिये)

शुष्क तथा अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में, भूतत्व विज्ञान, भू-पटल, पौदा परिस्थिति विज्ञान, मृदा विज्ञान, जलवायु तथा जल विज्ञान सम्बन्धी टैक्निकल बातों के बारे में भूमि पद्धति का विशद ज्ञान लेना तथा उसको समझना।

---

†मूल अंग्रेजी में

डिवीजन २ (साधनों के उपयोग की जांच के लिये)

कृष्यकरण, उपयोगी करण, प्रबन्ध, तथा संधारण सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिये तथा चरागाह कृषि-कर्म, तथा वन-विज्ञान आदि के विभिन्न क्षेत्रों में साधनों का सुधार।

डिवीजन ३ (भौतकीय तथा रासायनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में बाहरी सम्पर्क बनाने के लिये)

हवा की शक्ति, सूर्य की शक्ति, खारेपानी का खारापन दूर करने तथा गोबर से गैस बनाने के बारे में भौतिकीय तथा रासायनिक इंजीनियरिंग क्षेत्र में राष्ट्रीय शोधनशालाओं/संस्थाओं में सम्पर्क स्थापित करना।

डिवीजन ४ (मानव सम्बन्धी जांच के लिये)

घरेलू अर्थ-व्यवस्था आपके साधन तथा लोगों की आदतें, खान बदोशों को बसाना तथा उत्तम तरीके लागू करके किसानों का जीवन स्तर बढ़ाना आदि के सामाजिक और आर्थिक आंकड़े इकट्ठा करना।

डिवीजन ५ (पशुओं की विशेष जांच के लिये)

शुष्क, तथा अर्द्ध शुष्क क्षेत्र में वनस्पतियों का नाश करने वाले वन पशुओं, कीटाणुओं, कुतरने वाले जानवरों, पशुओं के खाद्य पदार्थों, पशु स्थिति विज्ञान, शरीर विज्ञान, जीव-विज्ञान, तथा कीट विज्ञान की समस्याओं का अध्ययन करना।

इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों के अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में पांच उप-केन्द्र और बनाये जायेंगे। दो १९६१-६२ में, दो १९६२-६३ में और एक १९६३-६४ में।

डिवीजन १, २ तथा ४ में परियोजना में काम आरम्भ हो गया है। डिवीजन १ में थोड़े कर्मचारी हैं तथा डिवीजन २ और ४ में पूरे कर्मचारी हैं डिवीजन ३ में भी काम आरम्भ कर दिया गया है। पदाधिकारी नियुक्त हो जाने के बाद डिवीजन में काम आरम्भ हो जाने की आशा है। कार्यक्रम के अनुसार डिवीजनों में कर्मचारियों की भरती की जाती है।

हिन्दी पत्र

१०८०. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५५ के दौरान में गृह-कार्य मन्त्रालय ने यह आदेश दिया था कि जिन राज्य सरकारों ने हिन्दी को अपनी राज-भाषा स्वीकार कर लिया है उन्हें अंग्रेजी में लिखे जाने वाले पत्रों के साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाये ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों को अंग्रेजी में लिखे जाने वाले पत्रों के साथ उनका हिन्दी अनुवाद न भेजने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि गृह-कार्य मन्त्रालय के उपरोक्त आदेश का ठीक से पालन किया जाये ?

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति):(क) जी हां। इन आदेशों के अनुसार जिन राज्य सरकारों ने हिन्दी को अपनी राज्य भाषा बना लिया है उन्हें अंग्रेजी में लिखे गए सभी पत्रों के साथ, यदि सम्भव हो तो उनके हिन्दी अनुवाद भी जाने चाहियें।

(ख) अंग्रेजी पत्रों के हिन्दी अनुवाद भेजने के लिये वर्तमान प्रबन्ध पर्याप्त नहीं है।

(ग) जैसे जैसे राष्ट्रपति के आदेश दिनांक २७-४-१९६० (गजट आफ इण्डिया दिनांक ७-५-६० में प्रकाशित) में विचारित किये गये विभिन्न प्रारम्भिक उपाय, जो अपना लिये गये हैं, यथासमय अधिक प्रभावशाली बनते जायेंगे वैसे वैसे हिन्दी का प्रयोग बढ़ता जाएगा।

हिन्दी में प्रशिक्षण

१०८१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खण्ड स्तर सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र,कोटा में हिन्दी में प्रशिक्षण देने के लिये जो हिन्दी अनुभाग खोलने का विचार था क्या वह खोल दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं,तो इसमें देर लगने के क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) खण्ड स्तर सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में अलग हिन्दी अनुभाग आरम्भ नहीं किया गया है।

(ख) राजस्थान के कुछ प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्रशिक्षण न समझ सकने के कारण हिन्दी अनुभाग आरम्भ करने का विचार था। क्योंकि पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षणार्थियों ने हिन्दी के माध्यम से पढ़ाने के लिये इच्छा प्रकट नहीं की अतः एक अलग कक्षा आरम्भ न की जा सकी। फिर भी सहकारिता तथा अन्य विषयों को हिन्दी के माध्यम से पढ़ा सकने वाले एक लैक्चरार की नियुक्ति ५-११-१९५९ से विशेष रूप से कर दी गई है। लैक्चरार और प्रशिक्षणार्थी आपस के पाठ सम्बन्धी प्रश्नोत्तर व चर्चा चर्चा अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी खुले रूप से करते हैं।

हिन्दी में तार भेजने का समय

१०८२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जिन तारघरों में हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था है क्या वहां हिन्दी में तार भेजने के लिये वही समय निश्चित है जो अंग्रेजी में तार भेजने के लिये है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अन्तर को दूर करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) जी हां।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली के गोल मार्केट क्षेत्र में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर

†१०८३. **श्री माने :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के गोल मार्केट क्षेत्र में डाक तथा तार के क्वार्टर बड़ी खराब हालत में हैं और केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग को इनकी मरम्मत करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां तो, इन क्वार्टरों की हालत सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी हां ।

(ख) यह क्वार्टर पुराने हैं और इनकी मियाद भी खत्म हो चुकी है । बहुत से क्वार्टरों क कमरों में तथा बरामदों में फर्श दुबारा होना चाहिए तथा दीवारों पर प्लास्टर दुबारा होना चाहिए । आवश्यक मरम्मत तब तक की जा रही है जब तक इन क्वार्टरों को गिरा न दिया जाये और इस स्थान पर कई मंजिल की इमारत न बन जाये । यह निर्णय नवम्बर १९६० में दिया गया था । प्रतिदिन की शिकायतें भी दूर की जा रही हैं ।

कुछ बीमा किये गये लिफाफों पर बीमा फीस की वसूली

†१०८४. **श्री माने :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६० में नई दिल्ली के कुछ बैंकों से कुछ ऐसे बीमा किए गए पत्र स्वीकार किए गए और रायसीना रोड डाकखाने में बुक किए गए जिनमें बैंक अधिकारियों द्वारा बताये मूल्य से अधिक मूल्य के नोट थे ;

(ख) क्या बीमा फीस घोषित मूल्य जोकि वास्तविक मूल्य से कम थी, पर लगाई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी हां ।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ग) वर्तमान नियमों के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की गई है । नियमों के संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया गया था और उस पर अभी भी विचार किया जा रहा है ।

टेलीफोन कनेक्शन्स

†१०८५. **श्री माने :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बन्द हो गए संगठनों के नाम से अब भी कितने टेलीफोन रखे जा रहे हैं; और

(ख) दिल्ली में बन्द हो गए संगठनों के नाम के टेलीफोनों को वापस लेकर चालू संगठनों को देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) टेलीफोन विभाग इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं रखता है और न ही इसको रखना आवश्यक समझता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि विभाग को इसका पता लगेगा तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

ढोंडा डीह स्टेशन के निकट भूमि का अर्जन

१०८६. श्री सरजू पांडेय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद-कटिहार (मीटर गेज) सेक्शन पर स्थित ढोंडा डीह स्टेशन के निकट ईंटें बनाने के लिये जो भूमि अर्जित की गई थी वह खाली पड़ी है ;

(ख) क्या उन जमीनों के मालिकों ने अपनी ज़मीन की वापसी के लिये कोई अभ्यावेदन विभाग को दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं । ढोंडा डीह स्टेशन पर अभी हाल में जो ज़मीन ली गयी है उसे ईंटें बनाने के काम में लाया जा रहा है ।

(ख) इस तरह की कोई अर्ज़ी नहीं मिली है ।

(ग) सवाल नहीं उठता । लेकिन ईंटें बनाने के लिए ली गयी उन पुरानी ज़मीनों को छोड़ देने के सवाल पर रेलवे विचार कर रही है जहां अब ईंटें नहीं बनायी जा सकतीं, क्योंकि वहां ईंटों के लायक मिट्टी खत्म हो गयी है ।

कल्याणपुर में फ्लैग स्टेशन

†**१०८७. श्री बै० ना० कुरील :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राय बरेली (उत्तर प्रदेश) ज़िले में लक्ष्मणपुर तथा ऊंचाहार रेलवे स्टेशनों के बीच कल्याणपुर में एक फ्लैग स्टेशन बनाने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां ।

(ख) काम के प्राक्कलनों को स्वीकृति दे दी गई है और अपेक्षित भूमि का अर्जन किया जा रहा है ।

दामोदर घाटी निगम नहर

†**१०८८. श्री सुबिमन घोष :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम नहर में, इसके चालू हो जाने के बाद किस प्रकार की नावें चलेंगी;

(ख) नावों के गुजरने वाल प्रत्येक लाकगेट के निकट नहर की चौड़ाई क्या है ;

(ग) क्या प्रत्यक लाकगेट के निकट एक समान ही चौड़ाई है ; और

(घ) जहाज़ चलाने योग्य नहर में दुर्गापुर से इसके अन्त तक कितने लाकगेट बनाय गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) १००′ × १७′ के आकार की तथा छः फीट तक डूबने वाली नावें इसमें चलाई जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). लाक्स इस प्रकार के लगाये गये हैं कि दो २००/२५० टन के जहाज बहाव के ऊपर से नीचे को तथा नीचे से ऊपर को चलाये जा सकते हैं। लाक चेम्बर के अन्दर का आकार २८६ फुट लम्बा तथा २० फुट चौड़ा है।

(घ) २२।

लक्कादीव द्वीप समूह में बेतार का तार

†१०८९. **श्री नल्लाकोया :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि लक्कादीव, अमीनदीवी द्वीप समूह में बेतार का तार न होने के कारण बड़ी कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो द्वीप समूह में शीघ्रता से बेतार का तार स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां।

(ख) मिनीकाय, अमीनदीवी, आंद्रोथ तथा कावरयी ीप समूहों में बेतार के तार केन्द्र खोल दिए गए हैं और कालपनी, अगार्थी, फिल्तान तथा चेटलार द्वीप समूहों में बेतार के तार केन्द्रों को खोलने के यंत्र लिए जा रहे हैं।

दिल्ली में उत्तर रेलवे पर टेलीफोन आपरेटर

†१०९०. **श्री बहादुर सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **रेलवे** मंत्री २२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२७१ के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उत्तर रेलवे पर कितने टेलीफोन आपरेटर हैं;

(ख) फरवरी, १९५७ में घोषित वेतन-क्रम वृद्धि योजना का लाभ उनमें से कितने व्यक्तियों को दिया गया है ;

(ग) योजना के पैराग्राफ १२ के अनुसार वेतन-क्रम वृद्धि के परिणामस्वरुप कितने टेलीफोन आपरेटरों की पदोन्नति क्लर्कों में हो गई है ;

(घ) अब तक कितने ेलीफोन आपरेटर ऊंचे ग्रेड में पदोन्नत हो चुके हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि दिल्ली में सभी ेलीफोन आपरेटरों का पदधरणाधिकार क्लर्कों में ही निश्चित किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो पदोन्नति योजना के फलस्वरूप वह किस तिथि से ऊंचे वेतनक्रमों में पदोन्नति के अधिकारी होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १६।

(ख) टेलीफोन एक्सचेंजों में काम करने वाले क्लर्कों पर लागू विशेष वेतन ही उनको दिया गया है।

(ग) ६।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) जी हां।

(च) जिस तिथि से वह ऊंचे पदों का कार्य सभालेंगे।

खड़गपुर-नईसपुरा रेलवे स्थापनाओं में जल संभरण

†**१०६१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खड़गपुर-नैनपुरा रेलवे स्थापनाओं में जल की कमी को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) क्या रेलवे उपनगरों में जल संभरण की अवस्था के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन नियत की गई धन राशि में से कुछ अंश नैनपुरा रेलवे स्थापनाओं पर व्यय की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). दूसरी पंचवर्षीय योजना में, नीमपुरा रेलवे उपनगर समेत, खड़गपुर की रेलवे स्थापनाओं में जल संभरण योजना के लिए १३,४५,३८५ रुपये की राशि निश्चित की गई है। काम का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है और आशा है कि शेष जून १९६१ तक पूरा हो जायेगा।

भावनगर में डाक तथा तार कार्यालय

†**१०६२. श्री याज्ञिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावनगर में कांग्रेस अधिकारियों को सरकार ने कांग्रेस पण्डाल के निकट कार्यालय बनाने के लिए ली गई भूमि का कितना किराया दिया है ; और

(ख) कार्यालय बनाने के कारण सरकार को कितनी हानि अथवा लाभ हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) भूमि तथा झोंपड़ी का किराया १३५० रुपये।

(ख) डाक, तार तथा टेलीफोन तीनों सेवाओं के लिए कांग्रेस पंडाल के निकट बनाये गये नये कार्यालय से लाभ हुआ है। सही आंकड़े बताना तो कठिन है परन्तु अनुमान है कि लाभ ३००० रुपये का हुआ है।

भावनगर में विशेष रेलवे कार्यालय

†**१०६३. श्री याज्ञिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावनगर में कांग्रेस अधिकारियों को सरकार ने कांग्रेस पंडाल के निकट कार्यालय बनाने के लिए ली गई भूमि का कितना किराया दिया है।

(ख) कार्यालय बनाने में सरकार का और क्या व्यय हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दर्शकों की सुविधा के लिए बनाये गये विशेष कर्यालय को बनाने के कारण सरकार को कितनी हानि अथवा लाभ हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :(क) ७५० रुपये

(ख) सरदारनगर में कांग्रेस कैम्प के निकट अस्थाई पूछताछ, बुकिंग और रिजर्वेशन कार्यालय बनाने के लिए अनुमानतः १३०० रुपये ।

(ग) कांग्रेस अधिवेशन के लिए अतिरिक्त यातायात के बारे में सुविधाओं की जो व्यवस्था की गई थी वही सरदार नगर कांग्रेस कैम्प के लिए भी थी इसलिए लाभ तथा हानि का निर्धारण संभव नहीं है ।

बड़े नगर निगमों से जल संभरण योजनायें

†**१०९४. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को बड़े नगर निगमों से पन्द्रह करोड़ रुपये की लागत की जल संभरण और सफाई की योजनायें मिली हैं ;

(ख) यदि हां तो उन योजनाओं के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उन योजनाओं पर विचार कर लिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८]**। दूसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न निगमों द्वारा भेजी गई जल संभरण तथा सफाई योजनाओं के प्राक्कलन व्यय लगभग १३.७८ करोड़ रुपये थे ।

(ग) जी, हां ।

वी० एम० हास्पिटल, अगरताला

†**१०९५. श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी० एम० हास्पिटल, अगरताला, त्रिपुरा के अहाते में और हस्पताल के बिल्कुल सामने बन रही नई इमारत के लिये भारत सरकार के मुख्य शिल्पकार से अनुमति मांगी गई है और यह प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्माण-कार्य किस प्रकार चल रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). वर्तमान वी० एम० हास्पिटल, अगरताला के सामने चेस्ट क्लिनिक के लिये एक इमारत बन रही है । इस इमारत के स्थान और नक्शे पर स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय के सीनियर शिल्पकार द्वारा स्थानीय इंजीनियरिंग आफिसर और स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय के क्षय-रोग परामर्शदाता के परामर्श से अन्तिम रूप दिया गया था ।

उत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा

†**१०९६. श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में अब तक उत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने व्यक्ति पकड़े गये ;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उनसे जुर्माने के रूप में कुल कितनी रकम वसूल की गयी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १ अप्रैल, १९६० से ३१ जनवरी, १९६१ तक की अवधि में १५,०२,५०४.

(ख) १८,१५२ व्यक्तियों को सजा दी गयी क्योंकि वे किराया और जुर्माना न दे सके और रेलवे को धोखा देने के ख्याल से यात्रा करते पाये गये थे ।

(ग) १ ३४,३४२ रुपये ।

बाजपुर और गुलारभोज स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन

†**१०९७. चौ० रणबीर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर ज़ोन के मुरादाबाद-लालकुआं सेक्शन पर बाजपुर और गुलारभोज स्टेशनों के बीच एक फ्लैग स्टेशन बनाने की प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह फ्लैग स्टेशन कब खोला जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख) बाजपुर और गुलारभो स्टेशनों के बीच एक रेलवे स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की पूर्वोत्तर रेलवे जांच कर रही है ।

रोहतक और मकरौली स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन

†**१०९८. चौ० रणबीर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की रोहतक-गोहाना शाखा लाइन पर रोहतक और मकरौली स्टेशनों के बीच एक फ्लैग स्टेशन खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सितम्बर, १९६० की बाढ़ के दौरान प्रस्तावित स्थान पर एक अस्थायी विराम बनाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो स्थायी विराम के रूप में फ्लैग स्टेशन की कब मंजूरी दिये जाने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बाढ़ के दौरान बनाये गये विराम को स्थायी तौर पर रखने की आवश्यकता की उत्तर रेलवे ने जांच की परन्तु इसको मंजूर नहीं किया गया क्योंकि इसमें पर्याप्त औचित्य नहीं था ।

सफीदों और बुधाखड़ा स्टेशनों के बीच फ्लग स्टेशन

†**१०९९. चौ० रणबीर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की जींद-पानीपत शाखा लाइन पर सफीदों और बुधाखड़ा स्टेशनों के बीच एक फ्लैग स्टेशन खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से चालू हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख) सफीदों और बुधाखेड़ा स्टेशनों के बीच एक कन्टेक्टर-चालक ट्रेन हाल्ट खोलने का प्रस्ताव है । क्योंकि अपेक्षित भू-अर्जन कार्यवाही चल रही है, इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि यह हाल्ट कब से चालू हो जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में नये पुल

†**११००. श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में कोई नये रेलवे पुल बनाये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो पुल कहां पर और कितनी लागत से बनाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) यह समझा जाता है कि माननीय सदस्य गंगा नदी के ऊपर पुल का निदेश कर रहे हैं । रेलवे की तृतीय पंचवर्षीय योजना में निधियों के आवंटन के भीतर गंगा पर कोई नया पुल बनाना संभव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पगलडिया और ब्रह्मपुत्र नदी का तलकर्षण

†**११०१. श्री हेम बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने कामरूप में पगलडिया नदी और किसी स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी के तलकर्षण के बारे में केन्द्र से प्रविधिक सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सहायता दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सहकारी मुद्रणालय

†**११०२.** { **श्री उस्मान अली खां :**
श्री रामी रेड्डी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सहकारी मुद्रणालयों के विकास सम्बन्धी एक योजना राज्य सरकारों में परिचालित की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को योजना के बारे में राज्यों की प्रतिक्रिया का पता चल गया है ; और

(ग) क्या उस पर कोई निर्णय कर लिया गया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक तीन राज्य सरकारों और चार संघीय प्रशासनों से उत्तर प्राप्त हुए है । एक राज्य को छोड़ कर जो योजना को व्यावहारिक और कारगर समझती है राज्य सरकारों के

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर अन्तरिम स्वरूप के हैं। संघीय प्रशासकों से प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि उन क्षेत्रों में योजना की कार्यान्विति की गुंजायश कम है।

(ग) जी, नहीं।

कम सुविधायें प्राप्त लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास

†११०३. **श्री कुम्भार** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री सामुदायिक विकास योजनाओं के अधीन देश के कम सुविधायें प्राप्त लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये संसद् सदस्यों और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के बीच नई दिल्ली में २१ दिसम्बर, १९६० को हुई बातचीत के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् सदस्यों के सुझाव पर मंत्रालय ने क्या योजनायें तैयार की गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)** : (क) संसद् सदस्यों के सुझावों को श्री जे० पी० नारायण की अध्यक्षता में समाज के अविकसित सेक्शनों के कल्याण सम्बन्धी अध्ययन दल को विचारार्थ भेज दिया गया है ;

(ख) अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

जम्मू तथा काश्मीर में बाढ़ नियंत्रण

†११०४. **शेख मुहम्मद अकबर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने वर्ष १९६१–६२ के दौरान बाढ़-नियंत्रण योजनाओं के लिये ऋण और अनुदान के रूप में कुल कितनी धन राशि मांगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : जम्मू तथा काश्मीर की तृतीय योजनाओं की प्रस्थापनाओं के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष १९६१–६२ में बाढ़-नियंत्रण योजनाओं के लिये २०४.३५ लाख रुपये का केन्द्रीय ऋण मांगा है।

खाद्य उत्पादन के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता

†११०५. **शेख मुहम्मद अकबर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य उत्पादन के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया गया है और उन्हें कुछ ढीला कर दिया गया है ताकि तृतीय पंच वर्षीय योजना के दौरान राज्यों की मांगों को यथा संभव अधिकाधिक पूरा किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० व० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख) अभी तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्यों को वित्तीय सहायता देने के बारे में नियमों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अतः इस समय ब्यौरा बताना अथवा यह बताना कि तृतीय योजना में राज्यों को अधिक सहायता दी जायेगी, सम्भव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नय वतन दरों में बकाया वतन तथा वेतन-वृद्धियां

†११०६. **श्री कुम्भार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिये स्वीकार की गई वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दक्षिण-पूर्व रेलवे के अधिकांश कर्मचारियों को नयी वेतन-दरों में बकाया और वेतन-वृद्धियां नहीं दी गयी हैं ;

(ख) यदि हां, उन कर्मचारियों की क्या संख्या है और उनकी कुल संख्या में क्या प्रतिशतता है ;

(ग) भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) शीघ्र भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) २८-२-१९६१ तक अधिकृत वेतन दरों को स्वीकार करने वाले कर्मचारियों में से ८१ प्रतिशत को अधिकृत वेतन-दर में मासिक वेतन दिया गया और ३८ प्रतिशत को जुलाई, १९५९ और उसके बाद की बकाया दी जा चुकी है और बाकियों को अभी भुगतान करना शेष है ।

(ग) भुगतान में विलम्ब मुख्यत: कर्मचारियों द्वारा नये वेतन दरों को स्वीकार करने में विलम्ब है ।

(घ) भुगतान के शीघ्र निपटाने के लिये रेलव को अतिरिक्त कमंचारी नियुक्त करने के अधिकार दिये गये हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

समवाय अधिनियम के कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : श्री कानूनगो की ओर से मैं समवाय, १९५६ की धारा ६३८ के अन्तर्गत, ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उक्त अधिनियम के कार्य तथा प्रशासन के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या २, ०४/६१]

कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : श्री सु० कु० डे की ओर से मैं :

(१) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ५२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २२२ में प्रकाशित कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) संशोधन नियम १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २२३ ।

(ख) दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २२४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या क्रमशः एल० टी०-२७०५/६१ और २७०६/६१]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कांगों के लिये भारतीय सैनिक

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अभी एक महीना हुआ तब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कांगो में भारतीय सैनिक भेजने के लिए कहा था कांगो में अपने सैनिकों को भेजने की हमारी इच्छा उस समय तक नहीं थी जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की नीति में परिवर्तन न हो जाये अर्थात् उनकी नीति हमारे विचारोनुकूल न बन जाये। अभी हाल में सुरक्षा परिषद् ने कांगो के सम्बन्ध में जो संकल्प पारित किया है उससे स्थिति में कुछ हद तक परिवर्तन हो गया है। ऐसा लगता है कि अब एक अधिक सही तथा अधिक प्रभाव-पूर्ण नीति अपनाई जायेगी। इस संकल्प के बारे में बहुत सी अफरीकी एशियायी शक्तियों से परामर्श लिया गया था और हम से भी राय ली गई थी। अतः इस प्रकार हमारे ऊपर भी कुछ दायित्व आ गया था।

कांगो की स्थिति परिवर्तनशील एवं भ्रामक है। हम पहले तो वहां अपने सैनिकों को भेजने के लिए तैयार नहीं थे। हमने इन बातों पर फिर से विचार किया और कांगो में अपनाई जाने वाली नीति के बारे में हमने विचार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पास भेज दिये। जब उनका उत्तर मिला तो सामान्य रूप से हमें काफी संतोषजनक पाया। इस मसले की सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करने के बाद कांगो में सेना के लिए राष्ट्र संघ के मातहत सेना की एक ब्रिगेड रखने का निर्णय किया गया। किन्तु ऐसा करते समय हमने राष्ट्र संघ के महासचिव को सूचित कर दिया है कि हम यह नहीं चाहते हैं कि कांगो और बेल्जियम सैनिकों और अन्य भाड़े के सैनिकों को छोड़कर हमारी सेना का संघर्ष राष्ट्र संघ के किसी भी सदस्य देश की सेना के साथ हो। हमने यह भी कह दिया कि यह ब्रिगड एक यूनिट के रूप में कार्य करेगा और उसे किसी अन्य भी यूनिट के साथ सम्बद्ध नहीं किया जाना चाहिये हमने कांगो में कार्य कर रहे बेल्जियनों को बहुत जल्दी हटाने पर जोर दिया क्योंकि एसा प्रतीत हुआ कि यह वहां की समस्या की जड़ है। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हमारे सैनिकों को कांगो में लोकप्रिय आन्दोलनों के विरुद्ध किसी भी कार प्रकाम में न लाया जाये। परिवहन की व्यवस्था राष्ट्र संघ द्वारा की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : एक औचित्य प्रश्न है। यह प्रस्ताव मेरे नाम से था। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री ने यह वक्तव्य अपनी ओर से ही दिया है अथवा अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान दिलाये गये प्रश्न के उत्तर में दिया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह इसी रूप में लें कि यह उनके अविलम्बनीय प्रस्ताव के बारे में है। चूंकि प्रधान मंत्री को बाहर जाना था अतः वह चाहते थे कि उनका वक्तव्य जल्दी ही हो जाये।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वक्तव्य के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती।

†**श्री हेम बरुआ** : तो फिर एक स्पष्टीकरण ही सही।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : लेकिन प्रश्न के रूप में नहीं।

†**श्री हेम बरुआ** : कांगो के सैनिकों से हमारे सैनिकों की सुरक्षा के बारे में सरकार ने विचार कर लिया है। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि जब हमारी सीमा पर ही भय बना हुआ है तो ३००० सैनिकों को बाहर भेजने की क्या आवश्यकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री ने सैनिकों को भेजने के प्रयोजन के बारे में ही तो अभी बताया है।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : संवैधानिक स्थिति के बारे में मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है लेकिन क्या हम संसदीय स्वीकृति के बिना अथवा संसद् के अनुसमर्थन के बिना अपनी सैनाएं विदेशों में भेज सकते हैं। यह पहला ही अवसर है जबकि ऐसा हुआ है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सरकार ने ऐसा करना ठीक समझा। भला जब तक कोई प्रश्न न उठे तो मैं किस प्रकार इस बारे में अपनी राय दे सकता हूं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : कांगो में अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ वहां ठीक कार्य करने में, असमर्थ रहा है मैं प्रधान मंत्री से केवल यही पूछना चाहता हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की बात पर विश्वास किया जा सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि जब सरकार ने सैनिक भेजने के बारे में निणय कर लिया है तो इन बातों पर अवश्य ही विचार कर लिया होगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या यह सभी सैनिक एक साथ रखे जायेंगे अथवा अलग अलग स्थानों पर इनकी टुकड़िया भेजी जायगी। क्या इन सशस्त्र बलों की सेवाएं युद्ध सेवाएं मानी जायेंगी अथवा नहीं ? क्या उन्हें विदेशों के लिए दिया जाने वाला भत्ता भी मिलेगा अथवा नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : युद्ध सेवा सम्बन्धी प्रश्न का तो में उत्तर नहीं दे सकता मैं सके बारे में पूछूंगा। लेकिन मैं यह बता चुका हूं कि वह एक इकाई समझी जायेगी और

---

†मूल अंग्रेजी में

वे अपने ही कमांडर के अधीन कार्य करेंगे। जहां तक उनको एक स्थान पर रखने अथवा विभिन्न टुकड़ियों के रूप में विभिन्न स्थानों पर रखा जायेगा इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें---(उड़ीसा), १९६०-६१

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं उड़ीसा राज्य के बारे में वर्ष १९६०-६१ के लिए अनुदानों की अनपूरक मागों को बताने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूं।

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान् मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

> "कि राज्य सभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियमों के नयम १२५ के उपबंधों के अनुसरण में यह सूचना देनी है कि राज्य सभा ने २ मार्च, १९६१ को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा २० फरवरी, १९६१ को पारित किये गये दो सदस्य निर्वाचन क्षेत्र (समाधान) विधेयक १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

समिति के लिये निर्वाचन

दिल्ली विकास अधिकार की परामर्श परिषद

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "कि दिल्ली विकास अधिनियम १९५७ की धारा ५ की उप-धारा (२) के खण्ड (ज) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, श्रीमती सुचेता कृपालानी के स्थान पर जिन्होंने लोक-सभा से त्याग-पत्र दे दिया है, दिल्ली विकास प्राधिकार की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में काम करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि दिल्ली विकास अधिनियम १९५७ की धारा ५ की उप-धारा (२) के खण्ड (ज) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसेकि अध्यक्ष निदेश दें, श्रीमती सुचेता कृपालानी के स्थान पर जिन्होंने लोक-सभा से त्याग-पत्र दे दिया है, दिल्ली विकास प्राधिकार की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में काम करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे आय-व्ययक----सामान्य चर्चा----जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा में रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी होगी। माननीय मंत्री कितना समय लेंगे। इसकी चर्चा के लिए हमारे पास २ घंटे और १० मिनिट हैं।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : एक घंटा और १५ मिनट।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे बजट पर अपने कुछ सुझाव देने से पूर्व मैं यह आवश्यक समझता हूं कि एक चर्चा पिछले दिनों में जो पर्याप्त विवाद का विषय बनी रही है उस पर कुछ कहूं और उस बारे में भी कुछ आवश्यक सुझाव दूं मैं नहीं कह सकता कि किस वातावरण में आकर रेल मंत्री ने इस प्रकार का निश्चय किया था कि पाकिस्तान के दोनों भागों के लिये भारत में से होकर रेल श्रंखला चालू की जाये जहां तक मेरा अपना सबम्न्ध है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की वर्तमान गतिविधियों को देखते हुये अच्छा यह होगा कि रेल मंत्री जी इस विचार को न केवल स्थगित करें बल्कि अपने मस्तिष्क से सर्वथा ही हटा दें, कारण अब तक यह स्थिति रही है कि पाकिस्तान की नियत भारत के प्रति अच्छी नहीं रही है भारत सरकार की ओर से जितनी सद्भावना दिखाई जाती रही है उस सद्भावना का उत्तर पाकिस्तान की ओर से सद्भावना के रूप में नहीं मिला है। भारत सरकार ने सब से पहले नेहरू लियाकत पैक्ट किया, लेकिन नेहरू लियाकत पैक्ट का जो परिणाम हुआ उस में पाकिस्तान की ओर से सद्भावना के रूप में उत्तर नहीं आया उस के पश्चात् फिर जब नेहरू नून पैक्ट हुआ तो उस के ऊपर प्रधान मत्री की और भारत सरकार की स्थान स्थान पर आलोचना भी हुई। लेकिन पाकिस्तान की ओर से उस का उत्तर भी सद्भावना के रूप में नहीं आया जब सिन्धु जल योजना के सम्बन्ध में नया समझौता हुआ तो उस समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार की ओर से ८४ करोड़ रुपये ही पाकिस्तान को नहीं दिये गये बल्कि तीन नदियों का पानी भी दिया गया, लेकिन उस के पश्चात् हमारे प्रधान मंत्री की पीठ पाकिस्तान की ओर से मुड़ी भी नहीं थी वे भारत पहुंचने भी नहीं पाये थे कि पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति जनरल आयूब खां ने एक जहरीला अपना वक्तव्य कश्मीर के सम्बन्ध में दिया। इन सब स्थितियों को देखते हुये मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत में होकर दोनों पाकिस्तानों के मध्य एक रेल श्रंखला चलाने का सुझाव अपने मस्तिष्क से वे निकाल दें। पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल उसी प्रकार की है जैसे किसी छोटे से तम्बू में शरण लेने के लिये एक ऊंट आया था। उसने तम्बू के मालिक से यह कहा था कि मुझे सिर छपाने के लिये जगह दे दो। उसने अपनी सद्भावना के अनुरूप कह दिया कि अच्छी बात है, जाड़े का समय है, सिर अन्दर कर लो। धीरे धीरे उस ऊंट ने तम्बू के अन्दर दोनों पैर किये और होते होते अंत में उस तम्बू के मालिक को उससे बाहर निकलना पड़ा। कहीं ऐसी स्थिति न हो कि आज जो रेल श्रंखला भारत से पाकिस्तान को मिलने जा रही है उस का दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़े और ऐसी अकल्पित कठिनाइयां आयें, जोकि आज न आपके मस्तिष्क में हैं और न किसी अन्य भारत वासी के मस्तिष्क में हैं। मैं चाहूंगा कि रेल मत्री श्री जगजीवन राम जी अपने हाथ से ऐसी गांठ लगा कर न जायें जिस को आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने दांतों से खोलना पड़े। इस लिये बेहतर यही है कि भारत होकर जो रेल श्रंखला पाकिस्तान को जाने का सुझाव है उसका त्याग कर दिया जाये।

दूसरी चीज जो मैं रेल मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं। वह यह है कि इस बार उन्होने अपने बजट भाषण में बहुत झिझकते झिझकते पहली बार रेलवे में हिन्दी की प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा

---

†मूल अंग्रेजी में

की है। इसके लिये मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, परन्तु साथ ही साथ उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमारे कुछ इस प्रकार के विभाग हैं जिनके लिये हमने अपने आदेश दिये हैं कि वहां यदि हिन्दी में पत्र आयें तो उनका हिन्दी में ही उत्तर दिया जाये लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि शायद अभी तक अनिवार्यता रूप में यह बात वहां भी चालू नहीं हुई है।

दूसरी बात यह है कि आप हिन्दी को सविधान में राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं और उसको स्वीकार करते समय आपकी यह पवित्र मनोवृत्ति थी कि १५ वर्ष के अन्दर हम हिन्दी को इतना ऊंचा रूप दे देंगे । मेरा निवेदन है कि कम से कम कुछ इस प्रकार के जो नियत फार्म हैं कि जिनकी भाषा कभी नहीं बदलती, उनके आदेश कभी नहीं बदलते, अगर ऐसे फार्म आप हिन्दी में चालू करें या फिर दोनों भाषाओं में आरम्भ कर दें तो नियत समय पर हिन्दी को रेल विभाग के अन्दर ला सकेंगे ।

तीसरे आपने रेलवे का परिचय देने के लिये एक पत्रिका निकाली है, जो--भारतीय रेल--करके है। लेकिन यह पत्रिका देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी अभी तक जो अंग्रेजी की पत्रिका है यह पत्रिका उसका अनुवाद मात्र है। मैं यह चाहता हूं कि यह पत्रिका स्वतंत्र रूप में रेलों के सम्बन्ध में जानकारी दे और इस प्रकार की जानकारी दे कि जिससे जो हिन्दी में रेलों के सम्बन्ध में जानकारी लेने वाले पाठक हैं उनको संतोष मिल सके। मुझे विश्वास है कि जब अगला बजट रेल मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत किया जाये तो रेल मंत्री और भी विस्तार से और संतोषजनक भाषा में इस चीज की चर्चा कर सकेंगे ।

एक बात भाषण में देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और वह यह है कि आपने रिपोर्ट में कहा है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती ही चली जा रही है। मेरा अपना अनुमान है कि जब आपकी ओर से इतनी सावधानी बरती जाने पर भी बिना टिकट यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो आप इस सम्बन्ध में थोड़ा सा निरीक्षण करके देखें कि कहीं आपकी मैशिनरी के अन्दर तो किसी प्रकार की कोई दुर्बलता नहीं है जिससे कि जब आप चाहते हैं कि यह संख्या घटे तब यह संख्या प्रति वर्ष धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही है।

एक बात और मैं आपको सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा । आपने अभी तक एयर कंडीशन गाड़ियां चलाई हैं मद्रास के लिये, कलकत्ता के लिये और बम्बई के लिये लेकिन जो गाड़ी नई दिल्ली से दोपहर को अमृतसर के लिये अमृतसर मेल करके चलती है उसको एयर कंडीशन नहीं किया है इस बारे में मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था। डीलक्स गाड़ियों में सबसे बड़ी असुविधा यह है कि यात्रियों को जो रात्रि निकालनी पड़ती है उससे लोग घबराते हैं लेकिन यह गाड़ी इस प्रकार की है कि इधर से जाते समय और उधर से आते समय भी इसकी यात्रा दिन ही दिन में पूरी हो जाती है अगर पंजाब के लिये नई दिल्ली से जो अमृतसर मेल चलती है उसको वातानुकूलित कर दिया जाये तो मेरा अपना अनुमान है कि उसमें आपको कोई घाटा भी नहीं रहेगा और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे ।

एक और बात मैं विशेषरूप से रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं वह ऐसी है जिससे कि प्रत्येक भारतीय का मस्तिष्क लज्जा के साथ झुक जाता है। रेलवे स्टेशनों पर जब कोई यात्री टिकट लेने जाता है तो खिड़की पर लिखा रहा है, "जेब कतरों से सावधान, खिड़की छोड़ने से पहिले अपने दाम गिन ले"। मैं रेलवे मंत्री से कहना चाहता हूं कि जब यात्री यह लिखा देखता है कि "जेब कतरों से सावधान" तो और किसी ओर चाहे उसका ध्यान जाये या न जाये परन्तु अपनी जेब पर उसका ध्यान अवश्य जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि चोर भांप लेते हैं कि इसकी जेब के अन्दर कुछ माल है

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक और चीज है । वह यह कि जो विदेशी यात्री हमारे देश में आते हैं वे प्रत्येक स्टेशन पर इस प्रकार के वाक्य लिखे देखते हैं कि "जेब करतरों से सावधान और खिड़की छोड़ने से पहिले अपने दाम गिन लीजिये" तो उनको यह मालूम पड़ता है कि स्वतंत्र होने के १३ वर्ष पश्चात् भी हिन्दुस्तान का नैतिक स्तर इतना ऊंचा नहीं उठा है कि खिड़कियों पर इस प्रकार के वाक्य लिखने की आवश्यकता न रहे। मेरा अपना अनुमान है कि इस वाक्य से कोई विशेष लाभ तो यात्रियों को होता नहीं इसलिये अगर इस वाक्य को हटा दिया जाये तो ज्यादा उपयुक्त होगा। यह एक मेरा सुझाव है ।

एक और बात जिसकी ओर मैंने गत वर्ष भी आपका ध्यान दिलाया था, वह यह है कि भारत सरकार की अपनी मनोवृत्ति कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है कि वह तृतीय श्रेणी के यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा देना चाहती है और रेल मंत्रालय को जो बहुत बड़ी आय होती है वह भी तृतीय श्रेणी के यात्रियों ही से होती है। लेकिन देखा गया है कि जो उच्च श्रेणी के यात्री हैं उनको तो रेल विभाग की ओर से कंडक्टर गार्ड भी मिलता है और दूसरा गार्ड भी उनको पर्याप्त सुविधा देने का ध्यान रखता है। लेकिन तृतीय श्रेणी के जो यात्री हैं उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इनमें विशेष कठिनाई उन महिला यात्रियों को होती है जिनके साथ कोई पुरुष नहीं होता। और जिनके साथ छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। वे भीड़ के कारण रह जाती हैं । अगर रेलवे मंत्रालय की ओर से कुछ यात्री सहायक हर स्टेशन पर नियुक्त किये जायें जो गाड़ियों के साथ चलें और जिनका विशेष काम तृतीय श्रेणी के यात्रियों को गाड़ी में चढ़ाने का हो, खास कर वृद्ध यात्रियों को और महिलाओं को चढ़ाने का तो इससे उनको बहुत सुविधा हो जायेगी। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो यात्री पहले से बैठे हैं वे औरों को प्रवेश नहीं करने देते। ऐसे समय में रेल विभाग की ओर से यात्रियों की सहायता के लिये आदमी होने चाहियें जो उनको गाड़ी में चढ़ाने में सहायता दें खासकर वृद्ध यात्रियों को और महिलाओं को, जो भीड़ के कारण चढ़ने से रह जाते हैं और उनको दूसरी गाड़ी के लिये बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी होती है। इस लिये तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये गाड़ी के साथ चलने वाले सहायकों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, और मेरा अपना अनुमान है कि रेल मंत्री जी इसके सम्बन्ध में विचार करेंगे ।

एक बात मैं कोयले की ढुलाई के सम्बन्ध में आपको कहना चाहता हूं । यहां यह चर्चा हुई है कि कोयले की कमी के कारण बहुत सी फैक्टरियों को और उद्योगों को बड़ा नुक्सान हो रहा है । मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इनके अतिरिक्त बहुत से छोटे-छोटे उद्योग भी हैं जैसे ईंटों के भट्टे आदि, इनके सामने भी कोयले की कमी के कारण बड़ी कठिनाई आ गयी है। आपने जब सन् १९६०-६१ का बजट पेश किया उस समय आपने सन् १९५८-५९ के बजट के सम्बन्ध में कहा था कि ४.१७ करोड़ का घाटा रेलवे को सड़कों से माल की ढुलाई के कारण उठाना पड़ा। लेकिन इस बार आप लोगों को यह सुझाव दे रहे हैं कि कोयले की कमी को पूरा करने के लिये सड़क परिवहन का लोग इस्तेमाल करें। उस समय आप ने कहा था कि चूंकि रेलवे को सड़क परिवहन के कम्पिटीशन में आना पड़ा इस लिये ४.१७ करोड़ का घाटा हुआ और अब आप स्वयं लोगों को यह सुझाव दे रहे हैं कि कोयला ढोने के लिये वे सड़क परिवहन का इस्तेमाल करें। यह मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा हो अगर आप इस सम्बन्ध में थोड़ा सा निरीक्षण करें और देखें तो सही कि कहीं आपके विभाग में तो कोई इस प्रकार की दुरभिसंधि नहीं है। आप नहीं चाहते कि खान वालों को कम डिब्बे मिलें और न खान वाले चाहते हैं कि उनको डिब्बे न मिलें या कम मिलें। तो कहीं बीच में तो इस प्रकार का कोई भ्रष्ट तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कि जिससे डिब्बे पूरे होते हुये भी उन स्थानों पर

कोयला नहीं पहुंच पाता जहां पहुंचना चाहिये। इस सम्बन्ध में अगर आप देखें तो मेरा अपना अनुमान है कि इस दुर्बलता के निराकरण में एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी।

और एक चीज़ मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। वह यह कि भारतवर्ष का एक भाग है जो स्वतंत्रता के लिये लड़ने वाले क्रान्तिकारियों का विशेष स्थान रहा है। वह भाग मध्यप्रदेश के उन जंगलों में है जहां शिवपुरी, गुना, उज्जैन, ग्वालियर आदि स्थान हैं। यह शिवपुरी वही स्थान है जहां सन् १८५७ में क्रान्तिकारी वीर तांत्या तोपे को फांसी पर चढ़ाया गया था। मुझे यह बात कहते हुए प्रसन्नता होती है कि रेलवे मंत्रालय ने उज्जैन-गुना लाइन को बनाने का निश्चय किया है। इस आधार पर कि उस क्षेत्र को थोड़ा विकसित किया जाए। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि उज्जैन-गुना लाइन को बढ़ा कर शिवपुरी तक लाया जाय और शिवपुरी और ग्वालियर के बीच जो छोटी लाइन है और जिस पर कोई विशेष यात्रा नहीं होती उस को बड़ी लाइन कर दिया जाये। मेरा अपना अनुमान है कि रेलवे विभाग के पास वहां के आंकड़े होंगे कि उस लाइन से बराबर हानि हो रही है। अग उज्जैन, गुना, शिवपुरी होते हुए बड़ी लाइन कर दी जाय तो मध्यप्रदेश का बहुत बड़ा पिछड़ा हुआ भाग प्रगति कर सकेगा। दूसरा लाभ यह होगा कि वह क्षेत्र जो स्वातंत्र्य आन्दोलन के समय में क्रान्तिकारी का गढ़ रहा है वहां के लोगों को भी यह संतोष होगा कि हमारे क्षेत्र की ओर भी रेलवे मंत्रालय ने ध्यान दिया और हमारा कुछ विचार किया।

दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूं, और पिछली बार भी मैंने यह कहा था, वह यह है कि हमारी गवर्नमेंट बार-बार घोषणा करती है कि हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी समाज व्यवस्था का कुछ व्यावहारिक रूप भी हमारे साथ आना चाहिये। आप इस बात पर तो विशेष ध्यान देते हैं कि मेनलाइन पर कौन-कौन से नगर पड़ते हैं और उन को कौन-कौन सी सुविधा और दी जाये। लेकिन समाजवादी समाज व्यवस्था की रचना करना है तो आप को ब्रांच लाइनों की ओर भी ध्यान देना होगा। आखिर उन के ऊपर जो स्थान हैं वहां भी भारतीय नागरिक ही रहते हैं और उनकी यात्रा और माल ढुलाई आदि के काम भी होते हैं। तो जहां तक ब्रांच लाइनों का सम्बन्ध है, उस ओर भी आप को ध्यान देना चाहिये।

अभी कल ही मुझे बिजनौर जाने का मौका मिला था और मैंने देखा कि जो छोटी लाइन गज़रौला से बिजनौर होती हुई नजीबाबाद को गई है इस पर दो तीन स्टेशनों पर जैसे सिसौना और खारीझालू पर न सिगनल हैं और न फोन हैं। कल मैंने सिसौना के स्टेशन पर पूछा कि चांदपुर से आने वाली गाड़ी कितनी लेट है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फोन ही नहीं है, हम आप को क्या बतलायें कि गाड़ी कितनी लेट है या राइट टाइम है। इन स्टेशनों पर न फोन है और न सिगनल है, लेकिन वहां पर स्टेशन मास्टर है, टिकट बाकायदा दिये जाते हैं और सारी बातें होती हैं। जब आप समाजवादी समाज व्यवस्था की रचना करने जा रहे हैं तो आप जहां बड़ी लाइनों की ओर ध्यान देते हैं वहां आप को छोटी लाइनों की ओर भी ध्यान देना चाहिये। मैंने देखा खारीझालू में १५ हजार की आबादी है। लेकिन इस स्टेशन पर और न सिसौना पर वेटिंग रूम है। बरसात में, गरमियों में और विशेषकर जाड़े के दिनों में यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसकी ओर भी आप का ध्यान जाना चाहिये।

एक अन्तिम बात कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा। मैंने आप की सलाहकार परिषद् में भी यह सुझाव दिया था और आज फिर मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा रेलवे ट्रेनिंग स्कूल चंदौसी में है जहां कि स्टेशन मास्टर्स और ए० एस० एम्स०

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

इत्यादि ट्रेनिंग लेते हैं और इसके अतिरिक्त वहां पर उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी मंडी भी है। मुरादाबाद से रात्रि को रामपुर होकर बरेली के लिये २, ३ एक्सप्रेस गाड़ियां पास होती हैं तो उनमें से किसी एक गाड़ी को चंदौसी होकर बरेली के लिये कर दिया जाय यह मेरा आपको सुझाव है।

मुझे विश्वास है कि आप मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे रेलवे बजट पर बोलने का मौका दिया। रेलवे मंत्रालय को उस के काम और प्रगति के लिये आमतौर से सदन की हर एक दिशा से बधाई मिली है और उस की सराहना की गई है और वास्तव में वह बधाई का पात्र भी है। रेलवेज़ ने एफिशिएंसी के लिहाज से और आत्मनिर्भरता के लिहाज से काफी प्रगति की है। जिस तरीके से माननीय मंत्री ने कहा है यह ठीक ही है कि हम धीरे-धीरे रेलवे इंजनों और डिब्बों के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं बल्कि आगे चल कर हम एक्सपोर्ट के लिये भी अपना माल भेज सकते हैं। लेकिन मैं उनका ध्यान इस चीज की ओर दिलाऊंगा कि यह सारी चीजें जिन में कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं वह ब्रौडगेज और मीटरगेज पर ही है। मैं पहले भी यह चीज उनके ध्यान में लाया था और आज इस मौके पर फिर कहना चाहता हूं कि यह तमाम प्रगति और आत्मनिर्भरता नैरोगेज पर नहीं हो रही है। उसके लिये जो प्राविजन होता है वह बहुत ही कम होता है और आज भी नैरोगेज लाइंस की हालत अच्छी नहीं है। नैरोगेज को तो उस तरह से उपेक्षित छोड़ दिया है जैसे कि कोई एक नाकारा और निकम्मी चीज को किनारे रख कर छोड़ देता है। इस लिहाज से मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आप ब्रोडगेज और मीटरगेज की तरफ ध्यान देते हैं उसी तरह से नैरोगेज की तरफ भी दें। अब जैसाकि आप कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं और आप समझते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो आपको अपनी नैरोगेज पर जो इंजन और कोचेज़ हैं उनको भी यहां बना लेना चाहिये।

प्लानिंग कमिशन से जो हमें नोट मिला है उस में दिया हुआ है कि इस समय जो आप की गवर्नमेंट रेलवेज़ हैं इनकी ब्रौडगेज का माइलेज अभी १६३९२ है मीटरगेज का १५५०८ है और नैरोगेज का २७३६ है। अब इस २७३६ मील की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। नैरोगेज लाइंस के इंजन बहुत पुराने हैं और मैं कांगड़ा वैली रेलवे के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि उटकमंड की लाइन पर चलने वाले इंजन इतने पुराने हो चुके हैं कि वे ५ मील से ज्यादा बगैर पानी लिये हुए नहीं चल सकते। बहुत दफे तो ऐसा होता है कि इंजनों को पानी लेने के लिये पम्प नहीं सुलभ होते हैं जहां से कि वे पानी ले सकें। इंजनों को पानी लेने के लिये जोहड़ों से पानी लेना होता है। मैं अपना जाती तजुर्बा बतलाता हूं कि एक दफे मुझसे रिक्वैस्ट किया गया कि जोहड़ से इंजन में पानी भरना है लेकिन डर है कि कहीं गांव वाले मार न बैठें और मुझे उस के वास्ते जाना पड़ा, काफी वहां आध घंटे मुझे बहस करनी पड़ी तब कहीं जाकर जोहड़ से इंजन के वास्ते पानी लिया गया और तब कहीं जा कर इंजन गाड़ी ले कर आगे बढ़ सका। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो आपका रौलिंग स्टाक है उसकी तरफ ध्यान दिया जाय।

नैरोगज तकरीबन ३००० मील के है। आपको इसका सर्वे कराना चाहिये कि इस में से कितना नैरोगेज ऐसा है जो मीटरगज या ब्रौडगेज में तबदील हो सकता है। आप यह कह रहे हैं कि आपका जो मीटरगेज या ब्रौडगेज का रौलिंग स्टाक है उस के मामले में आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो बजाय इसके कि नैरोगेज के लिये आप तमाम चीजें बाहर से मंगवायें, नैरोगेज लाइन्स का सर्वे कराया जाय और यह देखा जाय कि उन की कौन-कौन सी लाइंस ऐसी हैं जिन को कि आप मीटरगेज या ब्रोडगेज

में तबदील कर सकते हैं और उन को आप तबदील कर दें। पिछले दिनो मैंने इस बारे में एक सवाल किया था और आप ने जो आंकड़े दिये थे उन से यह पता चलता था कि फर्स्ट प्लान में इतने लोको-मोटिव्स और कोचेज बाहर से इम्पोर्ट करने पड़े और सेकेंड प्लान में इतने इम्पोर्ट करने पड़े। उस के लिये फारेन कंट्रीज़ को हमें फर्स्ट प्लान में २.९८ करोड़ रुपये देने पड़े, सेकेंड प्लान में १.१५ करोड़ देने पड़े और थर्ड प्लान में १.७७ करोड़ रुपया देना है। अब मेरा इस बारे में यह सुझाव है कि अगर आपके पास कैपिसिटी ज्यादा हो तो इन चीजों का प्रोडक्शन यहां करा जाय और इस तरह से हमारा काफी रुपया फौरेन एक्सचेंज का बच जायगा और साथ ही हमें रौलिंग स्टाक जल्दी जल्दी तैयार हो कर मिल सकेगा। अब बाहर फौरेन कंट्रीज़ से जो हम इम्पोर्ट करते हैं तो उस में फौरेन एक्सचेंज हमारा खत्म होने के अलावा उन के मिलने में काफी अर्सा लग जाता है। अगर वहां आज एक आर्डर प्लेस करते हैं तो उस के यहां हमें मिलने में २, २ साल लग जाते हैं और माल वहां से नहीं आता है। और यहां पर नैरोगेज लाइंस की एफिशिएंसी बहुत पीछे पड़ जाती है।

अब मैं एक और बात मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं। यह ठीक है कि पहले से अब रेलवे एक्सीडेंट्स न होने देने के लिये अधिक सावधानी बर्ती जाने लगी है लेकिनरे लवे एक्सीडेंट्स के सम्बन्ध में आपने जो आंकड़े दिये हैं उनमें जो आप ने कुल एक्सीडेंट्स की तातादद दी है वह १९९७ है। उस में से ड्यू टु दी फेलयर औफ रेलवे स्टाफ उन की तादाद ११२४ है। इस तादाद को देखते हुए मैं समझता हूं कि रेलवे एक्सीडेंट्स कम करने की दिशा में जो प्रशासन की प्रगति है वह उतनी अच्छी और संतोषजनक नहीं मालूम होती है। आपका स्टाफ भी अभी इस मामले में इतनी कोताही बर्तता है कि जिस की वजह से हजारों यात्रियों की जानें चली जाती हैं और इतना भारी नुकसान पहुंचता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस तरफ भी आप को कुछ अधिक ध्यान देना चाहिये।

इस के अलावा मुझे कुछ लौस औफ रेलवे और पबलिक प्रापरटी के सम्बन्ध में भी निवेदन करना है। हम ने आये दिन की क्राइम्स और चोरियों वगैरह को जोकि रेलवे में होती रहती हैं रोकने के लिये तीन किस्म की पुलिस रखी हुई है। एक तो आर्डिनेरी सिविल पुलिस है। इस के अलावा हम ने रेलवेज़ में एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कायम की हुई है और एक आप की रेलवे पुलिस है लेकिन इस के बावजूद जो आंकड़े आपने सन् १९५९-६० के दिये हैं वे संतोषप्रद नहीं हैं और उन से तो ऐसा मालूम देता है कि आगे से कुछ प्रगति नहीं हो रही है और हालत यह है कि जिस जगह पर भी हम जायें हमें रेलवेज़ पर पिलफ़ेज और थेफ्ट्स के केस होते दिखते हैं और ऐसे केसों की तादाद थोड़ी नहीं होती। कहीं पर बल्ब नहीं है तो कहीं पर सुईच नदारद मिलता है। किसी जगह पंखा गायब मिलता है तो कहीं पर हम पाते हैं कि शीशा नहीं है। हर एक तरह की चोरियां होती हैं और जितना धन हम इस के लिये खर्च कर रहे हैं उस को देखते हुए इन वारदातों और चोरियों वगैरह में जो कमी आनी चाहिये वह कमी हमें देखने को आज नहीं मिल रही है। अभी तक चोरियों में कोई नुमायां कमी नजर नहीं आई है। मंत्री महोदय को इस तरफ भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। मुझे तो यह भी नजर आता है कि आप की सिविल पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे पुलिस इन तीनों में कोआर्डिनेशन नजर नहीं आता क्योंकि अगर उन में वह कोआर्डिनेशन होता तो यह हालत कायम नहीं रह सकती थी।

इस के अलावा मैं एक बात यह भी मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारे जो देहाती इलाके हैं उन की तरफ रेलवे का ध्यान और गवर्नमेंट का ध्यान कुछ कम जाता था और अभी

[श्री हेम राज]

तक बहुत ही कम जाता है । मैं एक बात आप के नोटिस में लाना चाहता हुं कि हमारा यह रेलवेज़ ऐक्ट ९० साल पुराना हो गया है और आज के हालात में इसमें अमेंडमेंट होना जरूरी हो गया है । उस में आप ने एकोमोडेशन वर्क्स के लिये एक ला रक्खा था कि जिस वक्त रोड बनती हैं और बनवाई जायें या उस के बाद अगर कोई उनको बनवाना चाहता है तो उस वक्त वहां की जो लोकल एथौरिटी है यह उस को बनवाये और उस पर खर्च करे । अब पहले तो रूरल एरियाज का डेवलपमेंट नेगलेक्टेड रहता था और इतनी ज्यादा देहातो में तरक्की नहीं होती थी । अब हमारे दो फाईव ईयर प्लान बने और उन के दरमियान देहातों में काफी डेवलपमेंट वर्क हुआ और काफी सड़कें वगैरह वहां पर निकाली गईं । जहां जहां रेलवे लाइन आती है वहां पर लेविल क्रौसिंग की व्यवस्था नहीं है जोकि की जानी चाहिये । अब हम ने ऐडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन किया है और जिसके नतीजे के तौर पर गांवों में पंचायत समितियां बन गई हैं और जिला परिषदें बन गई हैं और वह एक तरह से जिले गवर्नमेंट हैं और उन के लिये यह तमाम रुपया खर्च होना है और डेवलपमेंट का काम होना है । आपने इसका जो गालिबन् ११ सैक्शनें है उस में लिखा है कि सारा पैसा वह खर्च करें । गवर्नमेंट ने ओवर-ब्रिजिज़ के बारे में सरवे कराया है और इसके मुताल्लिक लोकल बाडीज़ को लिखा है, लेकिन वह इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है कि देहाती इलाकों में पंचायत समिति, ज़िला परिषद् या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने जो सड़कें बनवाई हैं, उन पर अगर लैवल क्रासिंग की ज़रूरत है, तो उस को सरवे कराया जाये । मैं ने इस विषय में एक बिल का नोटिस दिया था, लेकिन उस में मैं भाग्यवान नहीं निकला, क्योंकि प्रैज़िडेंट साहब ने उस को अपनी मन्जूरी नहीं दी और मैं उस को पेश न कर सका । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देहात में अब तक जो तरक्की हुई है, वह सारी की सारी वहीं की वहीं रह जायगी, अगर वहां आने जाने के लिये लैवल क्रासिंग की व्यवस्था नहीं की जाती है । कहीं पर कोई नहर निकली है, जिस की आवपाशी के लिये ज़रूरत होती है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के रूल्ज़ बड़े सख्त हैं, इस लिये लोकल बाडीज़ उन को नहीं बनवा सकती हैं । मैं ने एक जगह के एस्टीमेंट्स बनवाने की कोशिश की । गवर्नमेंट के जो एस्टीमेट बनते हैं, उन में वह सर्वे के लिए पहले खर्च ले लेती है और सर्वे का खर्च म्यूनिसिपैलिटीज़ और लोकल बाडीज़ नहीं दे सकती हैं । फिर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस की वजह से ये काम नहीं हो सकते हैं । आवश्यकता इस बात की है कि इस विषय में प्रोसड्यर में तब्दीली की जाय या रेलवे एक्ट की धाराओं में तरमीम की जाय, या इन शर्तों को नर्म कर दिया जाय । तभी देहात के लोग वहां हो रही तरक्की से लाभ उठा सकेंगे और इस सिलसिले में रेलवे विभाग बहुत मददगार साबित हो सकता है ।

पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ लाइनें बनाने की सिफारिश की है । मेरा ख्याल है कि रेलवे विभाग चंडीगढ़ को सब से ज्यादा एहमियत देगा और यह होना भी चाहिए और वह मेन लाइन पर आ जाना चाहिए । उस के साथ ही व्यास डैम बनना भी मन्जूर कर लिया गया है । उस के लिये मुकेरियां-तलवाड़ां लाइन बनाने का विचार किया गया है । तलवाड़ां से डेढ़ मील के फ़ासले पर व्यास डैम बनेगा, जिस के लिये बहुत सी मशीनरी और दूसरी चीज़ें ले जानी पड़ेंगी । मेरा सुझाव यह है कि इस लाइन को ऐसे इलाके से ले जाया जाये कि वहां का पापुलस इलाका भी सर्वे हो जाय । उस का एलाइनमेंट ऐसा न हो कि पापुलस इलाके से वह बाहर बाहर ही रह जाये । मैं चाहता हूं कि यह लाइन बनाई जाये और ऐसे इलाके से ले जाई जाये, जहां आबादी ज्यादा से ज्यादा हो ।

अब मैं कांगड़ा वैली रेलवे के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जहां मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूं । जितनी भी नैरो-गेज लाइन्ज़ हैं, वे आम तौर पर पहाड़ों में हैं । वहां पर जितने भी प्लैटफार्म्ज़

हैं, वे सब अनकवर्ड हैं । आप जानते हैं कि पहाड़ों में बारिश ज्यादा होती है । मैं प्रार्थना करता चाहता हूं कि पहाड़ों के सब प्लैटफ़ार्म्ज़ कवर्ड होने चाहिए । वहां पर पानी का भी इन्तज़ाम नहीं है । कांगड़ा वैली में एक वाटर ैंक चलता है । वह कितनी जगहों को पानी दे सकता है, यह आप महसूस कर सकते हैं ।

पहाड़ों की रेलों का किराया बहुत ज्यादा है । पहले भी हम ने इस के बारे में आवाज़ उ ाई थी और सरकार की ओर से कृपा होने पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है । लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि वहां के किराये को प्लेन्ज़ की लाइन्ज़ के बराबर लाया जा , ताकि दुःखी और ग़रीब लोगों को कुछ राहत और शान्ति मिल सकें ।

यहां से नांगल के लिये एक गाड़ी तो लगा दी गई है । लेकिन आप जानते होंगे कि नांगल, हिमाचल प्रदेश, आनन्दपुर साहब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और दूसरी जगहों को जाने वालों की तादाद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि स के लिये एक और गाड़ी चलाई जाय और अगर वह न चलाई जा सके, तो और ज्यादा डिब्बे उस में जोड़ दिये जायें, ताकि बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश और आनन्दपुर साहब जा े वाले यात्रियों के लिये सहूलियत हो सके ।

चंडीगढ़ से कालका मेल के साथ पठानकोट जाने के लि े एक डिब्बा बाई-वीकली लगाया गया था । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चंडीगढ़ हमारे सूबे की राजधानी है । हर डिस्ट्रिक्ट से वहां लोग पहुंचते हैं । इस लिये वहां से पठानकोट के लिये ैली एक डिब्बा लगना चाहिए ताकि आने जाने वालों को सहूलियत हो सके ।

जहां तक डिपार्टमेंटल केटरिंग का सम्बन्ध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने उस की नुक्ता-चीनी की है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह नुक्ता-चीनी कुछ जायज़ नहीं है । मैं ने देखा है कि रेलवे डिपार्टमेंट यात्रियों को जो आम खाना देता है, वह घाटे के ज़रिये देता है और वह खाना बनिस्बत बाहर के खाने के सस्ता है । मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंटल केटरिंग बहुत अच्छी तरह चल रहा है और उस में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होनी चाहिए ।

ो-पाकिस्तान रेल लिंक के बारे में हमारे देश और पाकिस्तान में जो एग्रीमेंट होने वाला है, उस के बरखिलाफ़ बहुत आवाज़ें उठाई गई हैं । अभी हमारे मित्र, शास्त्री जी, ने कहा है कि अभी ी हमारे देश मे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बग़ैर पासपोर्ट के रह रहे हैं, जो कि स्पाईज़ का काम करते हैं । इस लिये इस बारे मे सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इस से इस तरह की कार्यवाहियां और बढ़ जायेंगी ।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन सब बातों की तरफ़ ध्यान देंगे और कांगड़ा वैली रेलवे और बैरो-गृज के मुताल्लिक मैं ने जो ज़रूरी बातें कहीं हैं, उन पर विचार कर के वहां की हालत को बहतर बनाया जायगा ।

†**श्री सोमानी** (दौसा) : पिछले दस वर्षों में रेलवे का कार्य बहुत ही शानदार रहा है । आशा है कि भविष्य में भी ये रेलें हमारे देश के आर्थिक विकास में पूरी पूरी सहायक होंगी । लेकिन साथ ही मैं रेलवे मन्त्री का ध्यान कोयले के परिवहन में उत्पन्न गतिरोधों से होने वाली हानि की ओर आकर्षित करता हूं । काफ़ी दिनों के बाद यह कठिनाई चली आ रही है । और यह स्पष्ट है कि रेलवे मन्त्रालय तथा ईंधन मन्त्रालय के बीच सम्मन्वय न होने के कारण ही यह कठिनाई पैदा हुई है । इस कठिनाई को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सोमानी]

दूर करना कोई असम्भव बात नहीं है। इस प्रयोजन के लिये एक उच्च शक्तिय समन्वय समिति नियुक्त की जानी चाहिये। ऐसा करने पर ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि परिवहन में गतिरोध उत्पन्न होने के कारण औद्योगिक उत्पादन को हानि नहीं होने पायेगी। वास्तव में यह बड़ी चिन्ता की बात है कि कोयला खानों पर कोयले का भण्डार बहुत अधिक इकट्ठा हो गया है और रेलवे कोयले को वहां ले जाकर निर्दिष्ट स्थानों पर पहुंचाने में असफल रही है। रेलवे को लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिये कि वह अच्छी किस्म की संचालन प्रविधियों को अपना कर अपनी आय बढ़ाये। संचालन व्यय को नियन्त्रण में रखा जाना चाहिये। निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से निर्यात की जाने वाली चीजों के भाड़े की दरों में संशोधन करके उनमें कुछ कमी की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों को शीघ्रता से निबटाया जाना चाहिये।

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलों की सफलता हमारे देश के पब्लिक सेक्टर की सफलता का प्रतीक है। उसकी सफलता और बढ़ती यदि यात्रियों से होने वाले लाभ की तरह माल के यातायात में भी विशेष सुविधा होती और सुविधा के साथ ही उससे देश की आय भी बढ़ती। गत वर्ष और इस वर्ष भी जो अनुमानित आय रेलों के यातायात से सोची गई थी उससे कम आमदनी हुई है। गत वर्ष कारण यह बतलाया गया था कि ट्रान्सपोर्ट के जो अन्य साधन हैं उनसे प्रतिद्वन्दिता के कारण रेलवे पर असर पड़ा है। इस वर्ष मजदूरों और रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के कारण ऐसा हुआ है। सही है। लेकिन साथ ही यह भी है कि रेल एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में जो समय ले लेती है उससे बड़ी कठिनाई होती है। एक मिसाल पिछले महीने की है। देवरिया सदर ऐसे जिले के हेडक्वार्टर से एक वैगन चला जिसमें लाइव स्टाक था। वह पचास मील प्रतिदिन की रफ्तार से भी कम चला और आठ दिनों में लगभग ४०० मील का सफर तय कर सका। रेलवे विभाग ने फलों और लाइव स्टाक के लिये ये विशेष नियम बना रक्खे हैं कि इसके लिये यातायात की सुविधा दी जाय। लेकिन तब भी वैसी केवल वही की बात नहीं है। दिल्ली की बात ही ले लीजिये। यहां के फल के व्यापारी लगभग १ करोड़ रुपया रेलवे विभाग को देते हैं। लेकिन उन के माल के आने में यहां विशेष कठिनाई है। मुझे तो आश्चर्य होता है। रेलवे विभाग का दोष हो या न हो या यहां के कारपोरेशन की ही कुछ कमजोरी हो—लेकिन एक जगह पर जहां से रेलवे विभाग को छोटे स्टेशन पर या साइडिंग पर लगभग १ करोड़ रु० प्राप्त होता है वहीं पर रेलवे विभाग ने शहर की गन्दी चीजों की लोडिंग का इन्तजाम कर रक्खा है और उसके कारण फलों वगैरह से जो बीमारी फैलती है, उसके लिये जम्मेदार होती है। यह छोटी सी बात है, लेकिन यातायात की अच्छी सुविधा न होने के कारण जो देश की क्षति हो रही है उस का मैंने उल्लेख किया है।

अन्य बातों को छोड़ कर मैं अपनी पूर्वोत्तर रेलवे की चर्चा करना चाहता हूं। वह ब्राडगेज की गुडस ट्रेन के मुकाबले भी धीमी चलती है। वहां आज केवल यही नहीं है कि यात्रियों की सुविधा पूरी हो जाने से सब कठिनाइयां दूर हो गई हैं, यहां की यह कठिनाइयां हमारे देश के लिये किसी भी समय विशेष चिन्ताजनक हो सकती हैं। इस ओर मैं सरकार और रेलवे विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्वोत्तर रेलवे और सीमान्त पूर्वोत्तर रेलवे ऐसी रेलवे हैं जो देश की रक्षा के लिये विशेष उपयोगी या जिम्मेदार हो सकती हैं। आज से लगभग दो साल पहले जब चीन ने हमारी भारत भूमि पर आक्रमण भी नहीं किया था, चीन की बढ़ती हुई शक्ति की आशंका से मैंने इस बात का उल्लेख किया था इस सदन में कि पूर्वोत्तर और सीमान्त पूर्वोत्तर रेलवे को बढ़ाने और ठीक तरह से चलाने के साथ साथ उसकी कार्यक्षमता में भी तेजी से सुधार होना चाहिये। वह उस कार्यक्रम के अनुसार नहीं

होना चाहिये जैसे कि ब्राडगेज की लाइनों पर होता है। इसके लिये विशेष सुविधा होनी चाहिये। और बजट में विशेष रूप में उसका प्रबन्ध होना चाहिये। आप को मालूम है कि सीमा पर इस समय जो समस्या उत्पन्न हुई है उसके सम्बन्ध में अगर आप आसाम से लेकर मुरादाबाद तक चले आइये तो जितनी भी तराई आसाम, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में है, उसमें केवल ये दो रेलवे लाइनें ही काम करती हैं। खास कर भोकामा घाट से आगे चलें तो ट्रेनों की इतनी ज्यादा दिक्कत होती है जिसका ठिकाना नहीं है। यहां साइडिंग भी अनुपयुक्त होती है, विशेषतया सोनपुर से गोरखपुर और गोंडा तक आवश्यक जान पड़ता है कि वहां पर डबल लाइन हो या ब्राडगेज वहां तक बढ़ाया जाय। इसी तरह से सिलीगुड़ी से जो ट्रेन लखनऊ तक जाती है। वह मथुरा या आगरा कैण्ट तक जा सकती है, वैसी ही एक दूसरी ट्रेन की सुविधा के लिये भी योजना बनाई जानी चाहिये और उसे शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित करना चाहिये, जिससे आसाम से इस लाइन पर ट्रेन को काठगोदाम तक जल्दी ही पहुंचाया जाय। वहीं तक नहीं बल्कि लखनऊ से काठगोदाम वाली लाइन पर होते हुए उसे मुरादाबाद तक पहुंचाया जाय ताकि कोई संकट राष्ट्र के ऊपर उत्पन्न होने पर हम इस लाइन को और भी ज्यादा सक्रिय बना सकें। हम सब चाहते हैं कि लड़ाई न हो, लेकिन फिर भी हम को इस लाइन को ऐसी बना कर रखना चाहिये जिससे भविष्य में उस आशंका के लिये जिसकी चर्चा मैंने दो साल पहले की थी, यह ठीक से काम कर सके।

इस सब बातों के साथ नई ट्रेनें तो होनी ही चाहियें, इनके अलावा कुछ और छोटी मोटी बातों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। शाहजहांपुर है, बरेली है, उससे आगे टनकपुर एक रेलवे स्टेशन है जो भारत की बिल्कुल उत्तरी सीमा पर है। वहां तक ब्राडगेज आसानी से बढ़ाया जा सकता है किसी भी समय हम वहां पर उसका उपयोग बढ़ा सकते हैं। यह तो हुई हमारे देश के हित के दृष्टिकोण की बातें। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि हमारी पूर्वोत्तर रेलवे की विशेषतायें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे मन्त्री महोदय को भी यह जान कर आश्चर्य होगा कि कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो अपने क्षेत्र में प्रमुख हैं परन्तु वहां पर जो पेट्रोमैक्स की रोशनी की सुविधा थी, जिसमें कोई विशेष खर्च भी नहीं होता था, वह भी बन्द कर दी गई है। भाट पार रानी, सलेमपुर स्टेशन है, उनकी तहसील की आबादी साढ़े छः लाख है, बरहज बाजार है, जहां से कई करोड़ का शीरा बाहर जाता था, भले ही वह नदी द्वारा जाता था लेकिन वहां पहुंचने के लिये रेलवे का भी प्रयोग होता था। वहां पर भी पेट्रोमैक्स की रोशनी जैसी छोटी मोटी चीजें भी बन्द कर दी गई हैं। इसी तरह लार रोड का एक स्टेशन है, उस स्टेशनों के सम्बन्ध में जब मैंने प्रश्न किया तो जवाब मिला कि एकानमी की दृष्टि से पैट्रोमैक्स बन्द करके कैरोसन के लैम्प का इन्तजाम किया गया है। यह एकानमी ऐसे स्टेशन पर की गई है जहां पर कई रेलें रात में आती हैं और जो कि तहसील हेडक्वार्टर है। वहां पैट्रोमैक्स का खर्चा बन्द करके कैरोसिन के तेल से लैम्प जलाया जाय तो कितनी एकानमी होगी और लोगों को कितनी असुविधा होगी, दोनों की तुलना करके आप समझ सकते हैं कि कितना लाभ होगा।

इस सम्बन्ध में मैं रेलवे विभाग का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में ट्यूब वैल की बिजली की लाइनें लगाई जा चुकी हैं जो स्टेशनों के पास से होकर जाती हैं, लेकिन आप के विभाग का ध्यान इस तरफ नहीं गया है कि दो चार खम्भे लगा कर स्टेशनों को कनैक्ट करके बिजली की रोशनी दे दें। बिजली की रोशनी कैरोसिन की रोशनी से सस्ती ही रहेगी और इसके लिये योजना होनी चाहिये। जहां पर ट्यूब वैल हो या कोई और बिजली की लाइन हो, उससे हम को लाभ उठाना ही चाहिये जो हमारे छोटे मोटे स्टेशन हों, जहां पर यह सुविधा बन्द की गई हो, मैं चाहता हूं कि वहां पर बिजली की रोशनी की सुविधा दी जाय।

[श्री विश्वनाथ राय]

टाइम टेबल की भी कुछ छोटी मोटी बातें हैं मैं आपको बतलाऊंगा कि सलेमपुर एक बड़ा स्टेशन है जहां पर साढ़े छः लाख की तहसील वाले आदमी आते हैं। इसमें एक्सप्रेस जब गोरखपुर से इलाहाबाद को जाती है तो एक तरफ तो वह रुकती है लेकिन जब वह दूसरी तरफ से आती है तो नहीं रुकती है। इस बात में कोई तर्क नहीं है। जब वहां पर एक तरफ से कोई सुविधा है तो दूसरी तरफ से भी वह सुविधा होनी चाहिये। हो सकता है कि इससे पांच मिनट की देर हो जाय, लेकिन तब भी मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से ही यह सुविधा होनी चाहिये ऐसे ही कानपुर पैसेन्जर की बात है। कटिहार से कानपुर तक की पैसेंजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होकर जाती है। वहां से दूसरी ट्रेन प्रदेश की पश्चिमोत्तर सीमा की ओर जाती है। सीतापुर होते हुए बरेली को भी उन दोनों ट्रेनों के कनैक्शन के लिये तो मुश्किल से आधा घंटा का समय होता है और कभी कभी तो लखनऊ स्टेशन पर यात्रियों को दौड़ना भी पड़ता है। पहले तो दिल्ली लखनऊ स्टेशन पर एक्सप्रेस के सम्बन्ध में भी ऐसा ही होता था। धन्यवाद है कि रेलवे ने इसके सम्बन्ध में अब एक घंटे का समय कर दिया है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर कटिहार ट्रेन से लखनऊ बरेली ट्रेन में कनैक्शन लेने के लिये यात्रियों को विशेष सुविधा मिलनी चाहिये। क्यों नहीं रेलवे अधिकारी इस तरफ ध्यान देते। जब हर साल दो बार विचार होता है, संशोधन होता है, फिर भी लखनऊ जैसे स्टेशन पर यह सुविधा न दी जाए यह आश्चर्य की बात है।

मेरे अपने क्षेत्र में भी भटनी एक बड़ा स्टेशन है, जंक्शन स्टेशन है। इलाहाबाद से गोरखपुर लाइन पर चलने वाली गाड़ी वहां आ कर मिलती है। वहां से बरहज के लिये भी ट्रेन जाती है। वहां भी मेन लाइन की ट्रेन जाती है, लेकिन बरहज की तरफ जाने वाली ट्रेनों के लिये बहुत कम सुविधा है। और ऐसी भी एक ट्रेन है जो १५–२० मिनट पहले बरहज को जाती है और उस के बाद हमारी मेन लाइन की ट्रेन पहुंचती है। यों तो ये बहुत छोटी मोटी मामूली बातें हैं लेकिन यात्रियों के लिये विशेष कष्ट की बात हो जाती हैं। उन असुविधाओं को दूर करना आप के लिये बहुत मामूली बात है। इस में कुछ खर्च नहीं है। केवल इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

साथ ही मैं रेलव विभाग से सम्बन्धित एक दो ऐसी बातें कहना चाहता हू जिन्हें देखकर हमारे समाज की तरफ रेलवे विभाग की उपेक्षा, उस के स्वास्थ्य की तरफ उपेक्षा, मालूम होती है। देवरिया सदर स्टेशन पर घूमते हुए मैं ने बड़े बड़े पोस्टर देखे जिन पर यह छपा है कि शेर छाप बीड़ी पियो, पहलवान छाप बीड़ी पियो। वहां पर महात्मा गांधी की शिक्षा सम्बन्धी बातें, या हमारे दूसरे नेताओं की शिक्षा सम्बन्धी बातें नहीं लिखी हैं जो समाज के लिये लाभकारी हों। लेकिन वहां तो जगह जगह लिखा है कि बीड़ी पियो, वही सिनेमा की फिल्मों के दृश्य दिखाई देते हैं। सही है, कल्चर के दृष्टिकोण से या कला के दृष्टिकोण से सिनेमा का प्रचार करें लेकिन यह बीड़ी भी दूसरी नसीली वस्तुओं का प्रचार शोभाजनक और समाज के लिये हित कर नहीं है।

अब मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें भी कहना चाहता हूं। सलेमपुर की चर्चा मैं ने की। वहां पर शेड भी नहीं है। उस की आवश्यकता है।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : बीड़ी सिगरेट तो हर स्टेशन पर बिकती हैं।

श्री विश्वनाथ राय : इस को भी बन्द करने के लिये मंत्री महादय को कुछ काम करना चाहिये।

श्री जगजीवन राम : अभी आप ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है कि उस को रोक दिया जाय।

श्री विश्वनाथ राय : मैं रेलवे मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुरतीपार स्टेशन पर एक मुसाफिरखाना तो हो गया है, लेकिन वहां अभी बुकिंग नहीं खुली है। इस पर विचार होना चाहिये। वह ऐसा क्षेत्र है जहां पर आवागमन की सुविधा अभी उतनी नहीं है जितनी और जगहों पर है। बुकिंग हो जाने से वहां लोगों को सुविधा होगी और उचित मूल्य पर वहां माल मिल सकेगा।

भटनी और मऊ बड़े स्टेशन हैं, जंक्शन स्टेशन हैं। वहां पर रेल लाइनों के बीच में स्टेशन हैं, दो तरफ लाइन है। इ ालिये यात्रियों को आने जाने के लिये सदा लाइन पार कर के आना जाना पड़ता है। यहां पर ओवर ब्रिज होना ही चाहिये। मैं धन्यवाद देता हूं कि देवारया के रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज हो रहा है। उस से भी अधिक भटनी और मऊ में आवश्यकता है।

एक बात मैं सारे भारत के लिये कहना चाहता हूं। वह यह कि जिस स्टेशन पर कोई बड़ी फैक्टरी होती है, चाहे चीनी की फैक्टरी हो या कोई दूसरी फैक्टरी हो वहां बहुत यात्री आते हैं। उन यात्रियों के लिये पैसिंजर हाल प्रायः नहीं हैं। ऐसे स्थानों पर जहां साल में एक दो लाख आदमी आते हों केवल उन फैक्टरियों के सम्बन्ध में, उन स्टेशनों पर पैसिंजर हाल और वेटिंग रूम न होने से यात्रियों को विशेष असुविधा होती है। इस बात को भी कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाय कि जिन स्टेशनों के पास कोई बड़ी फैक्टरी हो, जहां हजारों मजदूर काम करते हों, वहां स्टेशन पर पैसिंजर हाल और वेटिंग रूम भी हो।

कोल वैगन्स की चर्चा हो चुकी है। हमारे जिले में भी बहुत सी सहकारी समितियां काम कर रही हैं वे कोयले की कमी की वजह से बन्द सी हो रही हैं। उन की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

अन्त में मैं रेलवे मंत्रालय को उस की सफलताओं के लिये बधाई देता हूं। रेलवे विभाग हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी बड़ी प्रेरणा दे रहा है इस के लिये धन्यवाद देता हूं।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा): पश्चिमी किनारे की, जो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बहुत समृद्ध है, रेलवे विकास की दृष्टि से बहुत उपेक्षा की गई है। पूर्वी किनारे में काफी रेलवे लाइनें हैं जिस प्रकार मद्रास से कलकत्ता तक पूर्वी किनारे पर एक रेलमार्ग है उसी प्रकार कोचीन से बम्बई तक पश्चिमी किनारे पर भी एक रेलमार्ग होना चाहिये। कारवार क्षेत्र में कई उद्योग प्रारम्भ किये जा रहे हैं। कारवार एक पत्तन होने के कारण वहां मंगलौर की अपेक्षा विकास की अधिक संभावनायें हैं। उस का सम्बन्ध रेलमार्ग से होना चाहिये। यदि कारवार हुबली रेलमार्ग का निर्माण आरंभ किया जाये तो उस से जरूरतें पूरी हो जायेंगी। कारवार मतस्य केन्द्र भी है। अगर हम कारवार पत्तन पर ३ करोड़ रुपये व्यय करें तो विश्व का एक बहुत अच्छा पत्तन बन जायगा। अतः मेरा निवेदन है कि रेलवे मंत्री मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

†**श्री जगजीवन राम** : रेलवे आय-व्ययक सम्बन्धी इस वाद-विवाद में लगभग ५० माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। सभी दलों के सदस्यों ने रेलवे के काम की सराहना की है। इस सराहना से हमारे अन्दर आत्म-तुष्टि की भावना नहीं आयेगी। हम और दूने जोश से अपने कर्तव्य में जुट जायेंगे। यह सही है कि हमारे सामने बहुत भारी काम है और उस में कुछ त्रुटियां तो रह ही जायेंगी। आप की रचनात्मक आलोचना के सहारे हम अपनी त्रुटियां दूर करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

इस वाद-विवाद को एक मोट तौर पर इन शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है : वित्तीय संचालन सम्बन्धी, कर्मचारियों सम्बन्धी, सुविधाओं सम्बन्धी और नई लाइनों की मांग के संबंध में ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : और परिवहन-गतिरोध सम्बन्धी ।

†**श्री जगजीवन राम** : वह संचालन सम्बन्धी शीर्ष में सम्मिलित है ।

वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में श्री विमल घोष ने सुझाव दिया है कि रेलवेज़ की ओर से सामान्य राजस्व के लिये किये जाने वाले अंशदान को बढ़ा कर ४ से ४$^{1}/_{4}$ प्रतिशत नहीं किया जाना चाहिये । मैं इस के लिये उन का कृतज्ञ हूं । पर रेलवे को राष्ट्रीय हितों को भी तो सामने रखना है । रेलवे अभिसमय समिति ने इस प्रश्न के दोनों पक्षों पर काफी गहराई से विचार किया था । इसलिये मैं उस के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता ।

कभी-कभी बड़े ऊंचे ढंग से कुछ बातें कही जाती हैं । कभी-कभी कहा जाता है कि पूंजी की समूची वृद्धि के बाद भी लाभांश में केवल $^{1}/_{4}$ प्रतिशत की वृद्धि होगी । यह सही नहीं है । रेलवे से जो लाभांश सामान्य राजस्व को मिलता है उस में दो प्रकार से वृद्धि होगी । जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के समय से लगा कर तृतीय योजना की समाप्ति के समय तक के काल में पूंजी १,५५६ करोड़ से बढ़ कर २,३०६ करोड़ रुपये हो जायगी, तो लाभांश की वृद्धि दो प्रकार से होगी —पूंजी की वृद्धि के अनुपात में और दूसरे लाभांश की दर बढ़ने के फलस्वरूप । इसलिये तब तक लाभांश ५६.६६ करोड़ रुपये से बढ़ कर ६० करोड़ रुपये हो जायेगा ।

श्री अ० चं० गुह ने कहा है कि रेलवेज़ की शुद्ध अतिरिक्त राशि १६५६-६० में २० करोड़ से घट कर १६६०-६१ में १४ करोड़ और १६६१-६२ में ८.६ करोड़ रुपये रह गई है । मैं ने अपने आय-व्ययक भाषण के दूसरे पैरा में बताया था कि १६५६-६० की अतिरिक्त राशि १२ करोड़ रुपये मानी जानी चाहिये, क्योंकि वतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सिलसिले में १६५६-६० के लिये ८.५ करोड़ रुपये १६६०-६१ में अदा किय जा रहे हैं । इसलिये १६५६-६० की अतिरिक्त राशि १२ करोड़ और चालू वर्ष की अतिरिक्त राशि २२ करोड़ रुपये बैठती है । कुछ कारणों से यदि माल-यातायात की आय में कमी न होती, तो १६६०-६१ की अतिरिक्त राशि और भी अधिक रहती । अपने आय-व्ययक भाषण के पैरा ३६ में मैं ने बताया है कि १६६१-६२ को अतिरिक्त राशि में कुछ कमी इसलिये आई है कि अवक्षयण रक्षित निधि में २० करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं । इसलिये यदि १६६०-६१ में ४ प्रतिशत के हिसाब से ही लाभांश दिया जायेगा, तो अतिरिक्त राशि १२.५ करोड़ रुपये होगी ।

श्री गुह ने माना है कि रेलवे ने अपने संधारण और संचालन, इत्यादि का सारा व्यय स्वयं वहन करने के बाद सामान्य राजस्व में भी थोड़ा अंशदान किया है । वास्तव में, रेलवेज़ ने द्वितीय योजना की ११२५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था के लिये एक-तिहाई संसाधन जुटाये हैं । यह रेलवेज़ के निर्धारित अंशदान से कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि रेलवेज़ को द्वितीय योजना के लिये ३७५ करोड़ रुपये का ही अंशदान करना था ।

श्री गुह, और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी, आलोचना की है कि रेलवेज़ का संचालन-व्यय बढ़ता जा रहा है । वे इस बात को मानते हैं कि प्रति कर्मचारी व्यय में अभी इस समय कटौती नहीं की जा सकती । श्री गुह का सुझाव था कि कर्मचारियों की संख्या और स्टोर्स के उपयोग में मितव्ययता की जानी चाहिये । मैं उन का ध्यान पुनरीक्षण के पृष्ठ ५१ की ओर आकर्षित करना चाहता

†मूल अंग्रेजी में

हूं । उस में बताया गया है कि कुल ट्रेन-मीलों की वृद्धि के अनुपात में ही कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि कर्मचारियों की संख्या कम ही बढ़ी है । और यातायात की वृद्धि के साथ संचालन-व्यय तो बढ़ेगा ही । पुनरीक्षण में यह सब काफी ब्यौरे के साथ पेश किया गया है ।

स्टोर्स और कर्मचारियों के बारे में काफी मितव्ययता की गई है । पर, मैं श्री गुह की इस बात से सहमत नहीं कि ईंधन और प्रशासकीय व्यय में और अधिक मितव्ययता की गुंजाइश ही नहीं है ।

श्री नौशीर भरूचा को वैसे तो रेलवेज़ के बारे में काफी जानकारी रहती है, लेकिन इस बार उन्हों ने या तो कुछ आंकड़ों को ग़लत समझा है या उन की व्याख्या ग़लत ढंग से की है । वह कहते हैं कि द्वितीय योजना काल में अवक्षयण की व्यवस्था अपर्याप्त रही है । इस के बारे में, मुझे दो बातें कहनी हैं । भारतीय रेलवेज़ के लिये हम अवक्षयित आस्तियों का चालू मूल्य ही लेखते हैं और चालू मूल्य उन के वास्तविक मूल्य से तीन गुना या चौगुना रहता है । इसलिये आस्तियों की मूल-उत्पादन लागत के हिसाब से हम ने अवक्षयण निधि अधिक ही रखी है । १९४९ की अभिसमय समिति की सिफारिश के अनुसार, हम ने अवक्षयण निधि में आस्तियों के सुधार की भी गुंजाइश रखी है । इस प्रकार आस्तियों का जो सुधार हुआ है और मुद्रा-स्फीति के कारण उन के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है—उन दोनों ही को अवक्षयण निधि से ही पूरा किया गया है । उस के लिये हमें कभी दूसरी निधि से उधार नहीं लेना पड़ा । इस से सिद्ध होता है कि अवक्षयण निधि पिछले बीस वर्ष में पर्याप्त रही है । और तृतीय योजना के लिये हम जो अवक्षयण निधि रख रहे हैं, वह पांच वर्ष की भारित पूंजी की ३.५ प्रतिशत होगी । इसलिये श्री भरूचा का यह सोचना ग़लत है कि अवक्षयण निधि और अतिरिक्त राशि की वृद्धि भ्रामक है । श्री भरूचा कहना चाहते हैं कि पिछले पांच साल में अतिरिक्त राशि कुल २० करोड़ रुपये रही है । मैंने अपने आय-व्ययक भाषण के सातवें पैरा में बताया था कि वह ७६ करोड़ रही है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं अपनी गलती मानता हूं ।

†**श्री जगजीवन राम** : श्री भरूचा ने कहा है कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों से होने वाली आय दो करोड़ रुपय से अधिक नहीं है, जब कि उसमें १९५५–५६ से १९६० तक, चार वर्ष में ३४ प्रतिशत वृद्धि हुई है और इस बीच यात्री-किरायों की दर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ हैं ।

पता नहीं उनको इन आंकड़ों से उलझन क्यों हुई । उन्होंने खुद कहा है कि आय-व्ययक में जो आय दिखायी गई है, उसमें यात्री कर सम्मिलित है, और उसमें से १२.५ करोड़ रुपये राज्य सरकारों में वितरित किये जायेंगे । इसीलिये आगामी वर्ष में यात्रियों से होने वाली आय में १३ करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है ।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

श्री भरूचा की शिकायत है कि ईंधन पर होने वाला व्यय तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है पर कर्मचारियों के वेतनों और मजूरियों पर होने वाला व्यय पिछले ४–५ साल में केवल २२ प्रतिशत ही बढ़ा है । शायद समय की कमी के कारण, उन्होंने पिछले पांच साल के दौरान हुए ईंधन संबंधी व्यय का ब्यौरेवार विश्लेषण नहीं देखा । उस पुनरीक्षण की प्रतियां सदस्यों को दी गई थीं ।

उस पुनरीक्षण में ब्यौरे के साथ बताया गया है कि १९५०–५१ के मुकाबले १९५९–६० में कोयले की खपत की मात्रा ५३ प्रतिशत बढ़ गई है और कुल मिलाकर टन-मीलों में ६३ प्रतिशत वृद्धि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

हुई है। पुनरीक्षण में बताया गया है कि इस काल में घटिया किस्म का कोयला ही रेलवेज को अधिक मिला है। उससे कोयले की खपत और भी बढ़ी है। और इसीलिये उसकी कुल लागत भी बढ़ गई है। अच्छे किस्म का कोयला मिलता तो यह वृद्धि न हो पाती।

रेलवे अभिसमय समिति की नयी लाइनों सम्बन्धी सिफारिश को भी ग़लत ढंग से समझा गया है। समिति की सिफारिश यह नहीं है कि नयी लाइनों से जब तक लाभ नहीं होने लगेगा तब तक वे लाभांश अदा नहीं करेंगी। सिफारिश यह है कि पांच साल तक नयी लाइनों पर लाभांश नहीं दिया जायेगा। छठवें वर्ष से रेलवेज उन पर पूरा लाभांश अदा करेगी। और यदि कोई नयी लाइन अधिक लाभप्रद सिद्ध हो, उस पर ज्यादा मुनाफ़ा होने लगे, तो रेलवेज उस लाइन की पूंजी आस्तियों पर चालू लाभांश अदा करने के साथ ही, पिछले पांच साल का उचित लाभांश अदा करेगी।

आशा है कि इस स्पष्टीकरण से रेलवे अभिसमय समिति का मंशा जाहिर हो गया होगा।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि क्या रेलवे यातायात की वृद्धि उसी अनुपात में हुई है जिस अनुपात में पूंजी-विनियोजन की वृद्धि हुई है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। मैंने अभी अभी युद्ध-पूर्व, प्रथम योजना से पूर्व और द्वितीय योजना से पूर्व की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया था। १६३८–३६ में बड़ी लाइन के ६३ इंजन प्रतिदिन दस लाख टन-मील माल का यातायात करते थे। आज उसके लिये भाप से चलने वाले केवल ४३ इंजन लगते हैं। यह सुधार मुख्यतया इंजनों के बहतर उपयोग के द्वारा किया गया है। १६३८–३६ में बड़ी लाइन के चार पहिये वाले २८४६ माल-डिब्बे प्रतिदिन दस लाख टन-मील माल के यातायात में लगते थे। १६५०–५१ में उसके लिये २३०४, और १६५५–५६ के अन्त तक केवल १८४८ माल-डिब्बों की आवश्यकता रह गई है। १६५६–६० में तो केवल १६८६ माल-डिब्बे ही लगते हैं उसके लिये। छोटी लाइनों पर भी ऐसा ही सुधार हुआ है। हालांकि इस बीच कोयले और अयस्कों की ढुलाई बहुत बढ़ गई है।

प्रथम योजना पूर्व के काल की अपेक्षा अब बड़ी लाइन का चालू रेलवे-मार्ग ७० प्रतिशत अधिक है। १६३८–३६ के मुकाबले वह अब तीन गुना हो गया है। दूसरे शब्दों में भौतिक आस्तियों, इंजनों, माल-डिब्बों और रेलवे मार्ग, इत्यादि का अब कहीं बहतर उपयोग हो रहा है।

इन दो योजनाओं के काल में, दस वर्षों में, पूंजी की वृद्धि के अनुपात से कहीं अधिक वृद्धि यातायात में हुई है जब कि युद्ध-पूर्व के काल की अपेक्षा अब उतनी पूंजी से केवल एक-तिहाई या एक-चौथाई भौतिक आस्तियां ही उपलब्ध हो पाती हैं। १६५०-५१ में भारित पूंजी ८३४.१ करोड़ रुपये थी और उसका अधिकांश युद्ध-पूर्व के मूल्यों पर ही पूंजी आस्तियां खरीदने में लगा था। दो योजनाओं में तो कुल ७२७.७ करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है। फिर भी यातायात में इससे कहीं अधिक वृद्धि हुई है। मैं ने अपने आय-व्ययक भाषण के पैरा ३१ में यही बताया था, पर श्री भरूचा ने उसे ठीक ढंग से नहीं समझा।

लेखे के अनुसार, दो योजनाओं के काल में भारित पूंजी ८७ प्रतिशत ही बढ़ी है, लेकिन यदि पूंजी-वृद्धि का हिसाब १६३८–३६ की लागत के अनुसार लगाया जाय तो ३३ प्रतिशत वृद्धि ही हुई है। जब कि माल-यातायात में १०० प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो ८७ प्रतिशत से भी कहीं अधिक है। अतिरिक्त पूंजी का अनमान कम-दर वाले यातायात की वद्धि से लगाना ग़लत होगा।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि कुछ नयी लाइनों की निर्माण-लागत विकास निधि की बजाय पूंजी खाते में क्यों डाली गई है। यह १९५४ की रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों के अनुकूल ही किया गया है। उसकी सिफारिश थी कि नयी लाइनों की लागत आरम्भ से ही पूंजी खाते मे डाली जाय। महालेखा परीक्षक ने भी इस ऋण को पूंजी-खाते में डालना ही उचित बताया था। रेलवेज़ के लिये तो उसका यही अर्थ होता है कि विकास निधि में से उतनी राशि का ब्याज नहीं देना पड़गा, लेकिन दूसरी ओर रेलवेज़ को उस राशि पर सवा चार प्रतिशत लाभांश देना पड़ेगा। निश्चय ही, इससे सामान्य राजस्व को लाभ होगा।

श्री अशोक मेहता ने कहा है कि जोनल रेलवेज़ के कार्य के परिणाम भी आय-व्ययक भाषण में बताये जाने चाहियें। पुनरीक्षण के अन्तिम पैरा में यही कोशिश की गई है। उसे आय-व्ययक सम्बन्धी ज्ञापनों के साथ ही सदस्यों को दिया गया था। उसमें पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवेज़ की स्थिति दिखाई गई है। इन रेलवेज़ के वित्तीय परिणाम आय-व्ययक के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दर्शाये गये हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि दोनों संयुक्त पूर्वोत्तर रेलवेज़ का व्यय १९५७–५८ के मुकाबले १९५९–६० में उनके विभाजन के बाद दोगुना क्यों हो गया है। दोनों विभाजित रेलवेज़ की आय १९५९–६० में कुल मिलाकर २९.५ करोड़ है, जब कि १९५७–५८ में वह ३२.५ करोड़ रुपये थी। यह यातायात की कमी के कारण नहीं, बल्कि अन्य रेलवेज़ की आय का भाग उनको बांटने के कारण हुआ है। १० करोड़ रुपयों में से, ३ करोड़ रुपये उस मद में दे देने पड़े।

इस काल में दोनों विभाजित रेलवेज़ के संचालन-व्यय में लगभग १८ प्रतिशत वृद्धि हुई, अर्थात् ५.८ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। जब कि भारत की समस्त रेलवेज़ के संचालन-व्यय में १० प्रतिशत वृद्धि हुई है। विभाजन के बाद प्रशासनिक-व्यय में भी काफी वृद्धि हुई है। पुनरीक्षण में इसका कारण बताया गया है। खास तौर से आसाम रेल सम्पर्क के कुछ भागों को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिये १९५७–५८ के बाद से जो उपाय किये गये हैं, उससे आस्तियों में वृद्धि होने के साथ ही संधारण और मरम्मत का व्यय काफी बढ़ गया है। फिर भी मैं इन दोनों रेलवेज़ का विशेष अध्ययन कराऊंगा इस दृष्टि से कि उनका संचालन-व्यय किस प्रकार कम किया जा सकता है।

इन वित्तीय प्रश्नों के अलावा, कई स्थानीय प्रश्न भी उठाये गये थे जैसे प्लेट फार्मों पर सायबानों, स्टेशनों पर सुविधाओं इत्यादि के। हमारे देश का जलवायु ऐसा है कि भीषण वर्षा और भीषण गर्मी के कारण प्लेटफार्मों पर सायबान होना जरूरी है। सभी प्लेटफार्मों पर इस की व्यवस्था अवश्य की जायगी, यात्री सुविधायें भी जुटाई जायेंगी, लेकिन एक कार्यक्रम के अनुसार। सभी स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये गतवर्ष आदेश जारी किये गये थे। इस बार फिर जारी किये गये हैं कि गर्मियों के दिनों में पीने के पानी का इन्तजाम हो। आवश्यक होने पर नलकूप भी तैयार किये जायेंगे।

सरकार लेविल क्रासिंगों पर ऊपर के पुल बनाने को तैयार है, पर सम्बन्धित अधिकारियों को भी उसके व्यय का कुछ भाग वहन करने के लिये तैयार होना चाहिये। जरूरत हो तो सड़क की सतह ऊंची करने के व्यय में भी उनको अंशदान करना चाहिये। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे ऊपर के पुलों और नीचे के पुलों की सूचियां तैयार करें और उनकी प्राथमिकता तय करें। उनको ऐसी परियोजनाओं के लिये समुचित धन का भी प्रबन्ध करना चाहिये।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : राज्यों का अंशदान कितना रहेगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : ऐसे मामलों में कोई प्रतिशत भाग निर्धारित करना कठिन होता है। ऊपर के पुल बनाना रेलवेज़ का काम है, और वहां तक सड़कें बनाना राज्य-सरकारों का। देहाती क्षेत्रों में तो यह व्यय नाममात्र का रहेगा। लेकिन शहरी क्षेत्रों में या बड़े शहरों में उनकी लागत कई गुनी बढ़ जायेगी। लेकिन बात आसान है। कुछ माननीय मित्रों ने ऊपरी पुलों के निर्माण की बात कही। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ज्योंही राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारी रेलवे के पास पहुंच करते हैं तभी पुल के लिए स्थान निर्धारित करना पड़ता है।

जहां पर राष्ट्रीय राजपथ के ऊपर से पुल बनाना हो, वहां परिवहन मन्त्रालय की जिम्मेदारी है।

कुछ स्टेशनों पर गाड़ियां ठहराने की प्रार्थना की गयी। यह स्थिति बड़ी विचित्र है; एक ओर तो लोग तेज़ रफ्तार गाड़ियां चाहते हैं और दूसरी ओर यह चाहते हैं कि उन्हें ठहरना पड़े। दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी। एक माननीय सदस्य ने शिकायत की कि वे अपने निर्वाचन-क्षेत्र का दौरा नहीं कर पाये क्योंकि एक स्थान पर गाड़ी नहीं रुकती। ऐसी हर प्रार्थना को मान लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि यदि ऐसा कर दिया जाय तो एक्सप्रेस गाड़ी, एक्सप्रेस कैसे रह जायगी। हां हम रुकने का समय थोड़ा करके यह देखेंगे कि कहां कहां ऐसा करना सम्भव है। यदि हम से यह प्रार्थना की जाती है कि एक एक्सप्रेस गाड़ी को हम एक खास स्टेशन पर रुकवायें और हम यह जान लेते हैं कि दूसरे स्टेशन पर यातायात ज्यादा है तो हम उस स्टेशन पर गाड़ी रुकवा नहीं सकते। यदि दोनों स्टेशनों पर गाड़ी रुकवायें तो वह एक्सप्रेस नहीं रहती। तब भी रेलवे बोर्ड से इन सुझावों पर विचार करने को कहा जायगा और जो सम्भव होगा वही किया जायगा।

अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की प्रार्थना भी की गयी है। हम आये साल नयी गाड़ियां चला रहे हैं और पुरानी गाड़ियों के डिब्बे बढ़ाते जा रहे हैं। फिर भी साधनों की उपलब्धि की दृष्टि से जहां कहीं सम्भव होगा, वहां हम नयी गाड़ियां चलाने की कोशिश करेंगे।

दूसरी मांग नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये थी। मैंने रेलवे बोर्ड से इस सम्बन्ध में जितनी भी मांगें हैं, सब की सूची बनवाने के लिये कहा था। इस सूची में वे मांगें शामिल नहीं हैं जो राज्य सरकारों ने कीं थीं या जो सदस्यों ने बाद में की थीं। कुल मिला कर ११९८ मील लम्बी छोटी लाइनों के निर्माण की मांग की गयी है जिन पर १०८.६ करोड़ रुपया व्यय होगा। ७७७ मील बड़ी लाइनों के निर्माण पर ८९.८ करोड़ रुपया लागत आएगी। कुल मिला कर यह लम्बाई १९७५ मील हो जाती है और उसका व्यय १९८.४ करोड़ रुपया बैठता है। मोटे तौर पर २००० मील समझो और उधर व्यय की रकम २०० करोड़ रुपया।

मैं चाहता हूं योजना आयोग, मुझे यह रुपया दे दे। मेरी कामना है कि आयोग के साधन इतने हों कि वह ऐसा कर सके। हमारा विचार नयी लाइनें बनाने का है और योजना आयोग से हमने प्रार्थना की है। मुझे आशा है कि कुछ न कुछ हमें जरूर मिल जायगा। इससे ज्यादा इस समय और ज्यादा नहीं कहा जा सकता।

यह प्रश्न भी उठाया गया कि जहां सड़कें काफी हों वहां पर रेलवे लाइनें बनाने की क्या जरूरत है। श्री आल्वा ने कहा कि रेलवे विभाग का कहना है कि वह डंडेली से लाइन निर्माण का काम तब शुरू कर देंगे यदि राज्य सरकार यह आश्वासन देंगी कि सड़क परिवहन की अनुज्ञप्तियां खुले-आम नहीं दी

†मूल अंग्रेज़ी में

जायेंगी। इसमें आपत्ति की बात ही क्या है। जो लाइन वहां है वह मैसूर राज्य के पास है। यदि हम उसे ले लेंगे तो हमें उसके सुधार का काम तुरन्त शुरू करना पड़ेगा। जब तक हमें लाभ का आश्वासन न होगा तब तक हम वहां जाकर धन का विनियोजन नहीं करेंगे। यातायात तो वहां के दो तीन उद्योगों से ही प्राप्त होगा। यदि रेलों से केवल कच्चा माल ही ढोया जायगा और तैयार माल ट्रकों से ले जाया जायगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि उस लाइन को लें या न लें। मैं समझता हूं इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है।

नई लाइन शुरू करते समय हमें लाभालाभ की बात पर भी विचार करना है। उसके लिये एक सर्वेक्षण होगा और यह देखा जायगा कि क्या रेलवे लाइन लाभकारी रहेगी या कि नहीं। यह सब बातें जरूरी हैं और इन पर किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिये। अपने लिये और, और रेलवे के लिये और सिद्धान्त वे अपनाना चाहते हैं। एक ओर तो वे यह कहते हैं कि परिवहन के मामले में स्वतन्त्रता होनी चाहिये। हमें उसमें आपत्ति नहीं किन्तु उतनी ही स्वतन्त्रता रेलवे को भी दी जानी चाहिये।

कई अवसरों पर मैंने यह अनुभव किया है कि रेलवे केवल वाणिज्यिक संघठन ही नहीं है बल्कि एक उपयोगी संस्थान भी है। कभी कभी ऐसी रेलवे लाइन भी बनानी पड़ती है जो भले ही आर्थिक दृष्टि से ठीक न हों। लेकिन उनके पीछे एक दूसरी ही बात होती है।

श्री अशोक मेहता तथा डा० कृष्णास्वामी ने नियोगी समिति का उल्लेख किया है लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उस समिति ने कोई सिफारिश नहीं की है। यह एक अंतरिम प्रतिवेदन है अंतिम प्रतिवेदन तो आयेगा। इस प्रतिवेदन में तो समिति ने स्थिति का विश्लेषण ही किया है और कुछ प्रश्न उठाये हैं ताकि लोग उन पर विचार कर सकें। आज हमारे देश में सभी प्रकार के परिवहन के विकास की गुंजाइश है और कभी कभी समन्वय का भी प्रश्न उठाया जाता है और मैं समझता हूं कि सभी प्रकार के परिवहनों के बनाये रखने के लिये इसकी आवश्यकता भी है। मेरा विचार है कि यदि सभी प्रकार के परिवहनों का यदि अच्छे ढंग से विकास होता है तो इसमें कोई डर की बात नहीं है। हमें इस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि देश के प्रत्येक भाग में एक या दो प्रकार के परिवहनों का विकास इस ढंग से करना चाहिये कि वहां आवागमन के मामले में कभी भी कोई गत्यावरोध न हो। और देश के आर्थिक विकास में कोई कमी न आये।

जहां तक कि नई रेलवे लाइनों के बनाने की बात है पहले हमें छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना चाहिये। जहां कि ऐसा करने की अधिक आवश्यकता समझी गई है वहां ऐसा किया भी गया है।

रेलवे लाइनों के बदलने में देरी अवश्य हुई है और हम अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सके हैं। पूना से बंगलौर तक अधिक रेलवे लाइन बिछाने की बात कही गई है। इस सम्बन्ध में मेरे पास एक कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम के अनुसार कार्य हो भी रहा है। कुछ क्षेत्रों में रेलवे लाइनें बदल दी गई हैं और कुछ क्षेत्रों में अधिक रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं। शेष क्षेत्रों में यह कार्य तीसरी योजना में किया जायेगा। जहां अधिक आवश्यकता समझी गई वहां पहले काम हुआ और जहां बाद को आवश्यकता समझी गई वहां बाद को काम होगा।

कुछ मित्रों ने नैरोगेज रेलवे लाइनों के राष्ट्रीयकरण की बात कही है। और इस सिलसिले में एक दो लाइनों का उल्लेख भी किया है। हमारे देश में दो तीन तरह की रेलवे लाइनें हैं। श्री इलियास ने जिस लाइन का उल्लेख किया है वह जिला बोर्ड के पास है। एक निश्चित अवधि के बीत जाने के बाद जिला बोर्ड को इस बात की छूट रहेगी कि वह उसे बेच सके। वह दस वर्ष की अवधि एक दो वर्ष बाद समाप्त हो जायेगी। ऐसे मामलों में जहां कि कुछ रेलों का करार हमारे साथ है। कुल मिला कर उनकी संख्या १० या ११ है। इनके समझौते अलग अलग हैं जो १९६२ से लेकर १९६४ तक समाप्त होंगे।

[श्री जगजीवन राम]

अतः प्रश्न इस बात का है कि क्या उन्हें लिया जाये अथवा नहीं। लेकिन इन रेलों की हालत अच्छी नहीं है अतः यह अच्छा नहीं है कि सरकार अपना धन इन रेलों को खरीदने पर लगाये। इससे तो यही अच्छा है कि वह धन नई रेलवे लाइनों के बनाने पर व्यय किया जाये। लेकिन साथ ही यह बात भी है कि जिन क्षेत्रों में परिवहन का कोई और साधन नहीं है वहां सरकार उन नैरोगेज लाइनों को खरीद लेगी।

भारत में होकर पाकिस्तान के एक भाग से दूसरे भाग तक लाइन बनाने के करार का अनुसमर्थन करने के प्रश्न पर विचार करने में सरकार माननीय सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखेगी और ऐसी व्यवस्था करेगी कि हमारे राष्ट्र के हितों को किसी प्रकार की क्षति न हो।

अर्थ व्यवस्था के मामले में रेलों का दायित्व भी प्रशंसनीय है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि रेलें वे सभी कार्य करें जो कि करने के लिये उनसे कहा जाता है। हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं जिसका अभिप्राय यह है कि हमारा उत्पादन एवं वितरण निरन्तर सुयोजित रूप से बढ़ रहा है। अतः हमारा यातायात भी सुयोजित हो गया है। लेकिन फिर भी हमारे आयात सीमित हैं अतः प्राथमिकता निश्चित करना आवश्यक हो जाता है। अतः जब देश सुयोजित अर्थ-व्यवस्था के आधार पर प्रगति कर रहा है जब उत्पादन के लिये भी योजनाएं बनाई जा रही हैं और जब रेलवे के जिम्मे एक निश्चित मात्रा में यातायात को संभालने का उत्तरदायित्व डाला गया है तो रेलवे के लिये यह कठिन है कि वह सारे यातायात को संभाल पाये, जो उससे कहा जाये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

देश के विभिन्न भागों में कोयले की कमी महसूस की जा रही है अतः जहां तक कोयले का प्रश्न है दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष के ५६० लाख टन के अनुमानित उत्पादन में से ५१० लाख टन कोयला ढोने की जिम्मेदारी रेलवे पर डाली गई थी और रेलवे ने इतनी मात्रा में कोयला ढो भी दिया है।

फिर कानपुर को कोयला ढोने का भी प्रश्न उठाया गया था जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है। कानपुर तक कोयला ढोने के लिये मुगलसराय से ऊपर की ओर कोयला लाना होता है। मुगल-सराय की निर्धारित क्षमता १६०० वैगन प्रति दिन है और मोटे तौर पर हम उस लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं। एक नई लाइन जो तैयार हो गई है यदि वह जुलाई तक चालू हो गई तो सरकार १५० से २०० तक वैगन इस ओर भेजने में समर्थ हो सकेगी।

यदि पश्चिमी भारत की जरूरत मध्य भारत की कोयला खानों से पूरी हो जाये और यदि दक्षिण भारत की आवश्यकता सिंगरेनी कोयला खान से पूरी हो जाये, तो इन क्षेत्रों को रेलवे अधिक कोयला अच्छी तरह पहुंचाने में समर्थ हो सकेगी।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन में दिखाया गया है कि विभिन्न कोयला खदानों में सुयोजित उत्पादन कितना हुआ था और कितना उत्पादन अब हो रहा है। लेकिन रेलवे की क्षमता १६०० वैगन प्रति दिन की निश्चित थी। लेकिन दूसरे क्षेत्रों की मांग बढ़ गई है। कोयले की मांग हर जगह बढ़ गई है। बहुत से छोटे कुटीर उद्योग धंधे शुरू हो गये हैं। उन्हें कोयले की अधिक आवश्यकता है। गांवों की समृद्धि में वृद्धि हुई है। लोग कच्चे मकान के स्थान पर पक्का मकान चाहते हैं और इसके लिये कोयले की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब की स्थिति उस समय बड़ी अच्छी हो जायेगी यदि पश्चिमी भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति मध्य भारत की कोयला खदानों से होने लगे।

†**श्री बजराज सिंह** : कोयले का आवंटन कौन करता है ।

†**श्री जगजीवन राम** : कोयले का आवंटन कोयला आयुक्त करता है न कि रेलवे । जहां तक कि अन्य माल ढोने का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं अपने भाषण में बता चुका हूं । इसमें जो कमी हुई है उसके कारणों का में उल्लेख कर चुका हूं । मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि किस प्रकार परिवहन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और किस प्रकार सभी संभव उपायों से कोयले को ढोया जा सकता है, इस प्रश्न पर उच्चतम स्तर पर विचार किया जा रहा है ।

श्री अशोक मेहता ने रेलवे वर्कशापों में खर्चे की कमी का उल्लेख किया है । कोई अधिक कमी तो नहीं हुई है अब तक हम इन पर लगभग ५० करोड़ रुपये व्यय करेंगे । कुल मिलाकर कार्य संचालन की ओर १५ क ोड़ रुपये की कमी होगी ।

इंजन डिब्बों आदि के संधारण के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है । मैं बताना चाहता हूं कि उनका संधारण संतोषजनक रखा है । और उनके खराब हो जाने की घटनायें बहुत कम हुई हैं । सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी कि धन की कमी के कारण अनुसंधान के काम में बाधा न पड़ने पाये । अगले वर्ष से रिसर्च एन्ड डिजाइंस आर्गेनाइजेशन की गतिविधियां तथा उसकी सफलताओं को बताने वाला एक संक्षिप्त नोट परिचालित करने का विचार है ।

सड़क परिवहन निगम में हमने ६ करोड़ रुपये लगाये थे जिसमें से हम अब तक ५.७३ करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं । श्रीमती पार्वती कृष्णन ने मालगाड़ियों की चाल के बारे में प्रश्न उठाया है । शायद उन्होंने इनकी चाल ही के आंकड़े देखे हैं न कि उसने कितने मील का रास्ता तै किया है । लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मालगाड़ियों की रफ्तार में उस मात्रा में कमी नहीं हुई है जिस मात्रा में बोझ में वृद्धि हुई है । लेकिन फिर भी मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार प्रयत्न करेगी कि रफ्तार को और बढ़ाया जाये ।

श्री फ्रेंक एन्थनी ने रेलवे कर्मचारियों की कमी का उल्लेख किया है । यह तो ठीक है कि हमने और भर्ती पर रोक लगा दी है । लेकिन चालक कर्मचारियों की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई है ।

कुछ सदस्यों का कहना है कि मैंने आयव्ययक प्रस्तुत करते समय हड़ताल का उल्लेख नहीं किया । मैंने ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी । क्योंकि यह हड़ताल केवल रेलवे कर्मचारियों की ओर से ही नहीं थी बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों की ओर से थी । और दूसरे इसके बारे में यहां सभा में काफी वादविवाद हो भी चुका था । । मेरे विचार से रेलवे कर्मचारियों को इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि वे हड़ताल पर जाते । वेतन आयोग का कोई विशेष प्रभाव उन पर नहीं था । वह तो केवल सहानुभूति की दृष्टि से ही हड़ताल में शामिल हुए थे । मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि जब तक रेलवे कर्मचारियों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं होगी तब वे रेलों को सौंपे गये भारी काम के दायित्व को पूरा नहीं कर सकते ।

हड़ताल तो सभी सरकारी कर्मचारियों की थी । रेलवे कर्मचारी उसमें शामिल हो गये थे । मुझे रेलवे प्रशासन और रेलवे कर्मचारियों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने की चिन्ता है । इसलिये मैंने कई बार इस समस्या का विश्लेषण करने की कोशिश की है । यदि वेतन आयोग का प्रश्न न होता, तो शायद रेल कर्मचारी हड़ताल में शामिल ही न होते । मैं जानता हूं कि रेलवे कर्मचारियों को ही रेलवे के संचालन का सारा भार अपने कंधों पर उठाना पड़ता है । लेकिन मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्यगण कर्मचारियों के असन्तोष और असन्तुष्टि की बातें इतनी बढ़ा-चढ़ा कर न

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

करें। दस लाख कर्मचारियों के इस विशाल संगठन में यह तो नहीं हो सकता कि कोई भी असन्तुष्ट न हो। हां, लेकिन कुल मिलाकर दोनों के सम्बन्ध सन्तोषजनक होने चाहिये।

कर्मचारियों को 'शिकार बनाना'---यह शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन यह एक शब्द जिसके बल पर ही कुछ ट्रेड यूनियन नेता और कार्यकर्त्ता फलते-फूलते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि हम किसी भी कर्मचारी को हड़ताल में शामिल होने के लिये शिकार नहीं बनाना चाहते। सभा को मालूम है कि हड़तालियों की आपत्तिजनक कार्यवाहियों का विवरण सभा-पटल पर रखा गया था। उनके विरुद्ध तो कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। लोग उनके बारे में नमक-मिर्च लगाकर आंकड़े पेश कर रहे हैं। जिन ७४६ कर्मचारियों को सजायाफ्ता होने के कारण पहले नौकरी से हटाया गया था, उनमें से ६२८ को काम पर ले लिया गया है। अब नौकरी पर से हटाये गये लोगों की संख्या ११८ रह जाती है।

अभी इस समय निलम्बित कर्मचारी केवल १९५ हैं, और उनमें से ३७ ऐसे हैं जिनके विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं। हमने रेलवे प्रशासनों से कहा है कि वे राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करके उन मुकदमों को शीघ्र ही निबटवायें। मेरे और देश के लिये बड़े सन्तोष की बात तो यह है कि उस हड़ताल में रेलवे कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या ने कोई भाग नहीं लिया था।

जिन लोगों ने उनको बहकाने की कोशिशें की थीं, वे असफल ही रहे थे। रेलवे कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी ड्यूटी पर रहा और उनके इस काम की कई तरह से इज्जत की गई है। श्री फ्रैंक एन्थनी को भी शायद वह मालूम है।

श्री फ्रैंक एन्थनी का सुझाव है कि एक स्वतंत्र निष्पक्ष अपीलीय प्राधिकार नियुक्त किया जाये। उनको शायद मालूम न हो, रेलवेज़ में ऐसा एक प्राधिकार मौजूद है। तीसरी श्रेणी के कर्मचारी महाप्रबन्धक को लिख सकते हैं कि उनके मामले रेलवे दर न्यायाधिकरण को सौंप दिये जायें। उस न्यायाधिकरण में उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश भी रहता है।

मैंने शायद अपने समय से कुछ ज्यादा ले लिया है।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा): यूनियनों और फेडरेशन की मान्यता के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री जगजीवन राम** : अभी उसके लिये कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। सरकार उस प्रश्न पर विचार करेगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि अभी इस समय कर्मचारियों के पास कोई माध्यम नहीं है जिस के जरिये वे अपने कष्ट बता सकें। क्या मान्यता मिलने तक, वार्ता के लिये मासिक बैठकों की अनुमति दी जायेगी ?

†**श्री जगजीवन राम** : कर्मचारी अपने सम्बन्धित अधिकारियों के सामने अपने कष्ट रख सकते हैं और चाहें तो सीधे मुझे लिख सकते हैं।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** (जोरहाट): माननीय मंत्री ने आसाम के अधिक नगरों के साथ रेलवे सम्पर्क जोड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा। नागा-उत्पातों को देखते हुए, वह अविलम्बनीय है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : वह तृतीय योजना में सम्भव नहीं ।

मैं माननीय सदस्यों को एक बार फिर आश्वस्त करता हूं कि हम किसी भी कर्मचारी को शिकार नहीं बनाना चाहते । सरकार ने इस मामले में काफी नरमी से काम लिया है । आप सभी जानते हैं । इसलिये "शिकार बनाने" की चीख-पुकार अनुचित है । जो थोड़े से मामले रह गये हैं, उनका निबटारा भी शीघ्र ही हो जायेगा, न्यायपूर्ण ढंग से ।

रेलवेज़ की सफलताओं की सराहना के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं । वह सब रेलवे कर्मचारियों की मेहनत, अनुशासन और उनकी देशभक्ति का ही परिणाम है । आपकी सराहना से उनका उत्साह और बढ़ेगा । वे अधिक अनुशासित और कार्यक्षम बनेंगे ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : रेलवेज़ उत्तर भारत के कारखानों के लिये कोयले के संभरण की क्या व्यवस्था कर रही है ?

†**श्री जगजीवन राम** : कोयले के यातायात की कठिनाई से किसी भी उद्योग पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है । कोयला-नियंत्रक ने उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति जारी रखी है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सामान्य चर्चा समाप्त हुई । अब सभा विधान कार्य शुरू करेगी ।

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी)** : मैं, श्री मोरारजी देसाई की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :

> "कि उत्तर प्रदेश के कुछ अधिनियमों के अधीन गन्ने पर उपकरों के आरोपण और संग्रह का मान्यीकरण करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

माननीय सदस्य जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने अपने एक बहुमत निर्णय से १३ दिसम्बर, १९६० को उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम को विधि-विरुद्ध और राज्य विधान मंडल की शक्ति से परे घोषित कर दिया था । उस निर्णय के फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने पर उपकर नहीं लगा सकती और न उसकी वसूली कर सकती है । उस निर्णय से पहले राज्य सरकार चीनी कारखानों में गन्ने के प्रवेश पर १९ नये पैसे का उपकर लगाती थी । उससे भी पहले, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश चीनी कारखाना नियंत्रण अधिनियम, १९३८ के अन्तर्गत, और बाद में उत्तर प्रदेश गन्ना (संभरण और क्रय का नियंत्रण) अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत इसी प्रकार का उपकर लगाती थी । १९५६ के जिस अधिनियम को विधि-विरुद्ध घोषित किया गया है, उसकी धारा ९ में व्यवस्था थी कि १९३८ या १९५३ के अधिनियमों के अन्तर्गत, २६ जनवरी, १९५० और १९५६ के अधिनियम के राज्यीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि,—२३ जून, १९५६—के बीच लगाया गया कोई भी उपकर मान्यता-प्राप्त माना जायेगा । अब उस अधिनियम को विधि-विरुद्ध घोषित कर देने के बाद, २६ जनवरी, १९५० के बाद लगाये गये वैसे सभी उपकर अमान्य हो गये हैं ।

निर्णय की भाषा से यही अर्थ निकलता है कि किसी कारखाने में गन्ने का प्रवेश, **सातवीं अनुसूची** की सूची २ की प्रविष्टि ५२ के अर्थ के अनुसार, किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी भी माल का प्रवेश नहीं

†मूल अंग्रेज़ी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

माना जा सकता, इसलिये उस पर कोई भी उपकर नहीं लगाया जा सकता। इससे राज्य सरकार के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि २६ जनवरी, १९५० से २३ जून, १९५६ तक के वसूले हुए उपकर को लौटाया जाय। वह कुल मिलाकर ४५ करोड़ रुपये बनता था। निर्णय के मुताबिक, तो राज्य सरकार को वैसी कोई क्षमता ही नहीं थी। और चूंकि यह निर्णय १३ दिसम्बर, १९६० को दिया गया था, इसलिये समय की सीमा से भी उसे कोई लाभ नहीं हो सकता था। उसका काल तो तभी से शुरू होता है जब से ग़लती शुरू हुई।

इसीलिये उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने के लिये कहा। केन्द्रीय सरकार सभी बातों पर विचार करके इसी निष्कर्ष पर पहुची कि राशि काफी बड़ी है और यदि उसकी वापिसी की जायगी तो उसका लाभ चीनी के उपभोक्ताओं को नहीं बल्कि चीनी कारखानेदारों को, मालिकों को ही होगा। इसीलिये निर्णय किया गया कि पहले की वसूली को मान्यता दी जाय। इसी दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने १३ दिसम्बर से पूर्व लगाये गये और वसूले गये उपकरों को वैध बनाने के लिये यह कदम उठाया।

चूंकि कारखानों के मालिक वापसी के लिये तुरन्त मुकदमे दायर कर देते, इसलिये राजस्व को बचाने के लिये, राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) अध्यादेश, १९६१ की उद्घोषणा कर दी। यह विधेयक उसी के स्थान पर है। उद्घोषणा के समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था। अध्यादेश ३ फरवरी, १९६१ से लागू किया गया था। अर्थात् ३ फरवरी, १९६१ तक लगाये और वसूले गये उपकर वैध होंगे। यह विधेयक अब उसे संसद के अधिनियम का रूप देने के लिये है। आशा है, सभा सर्वसम्मति से इसका समर्थन करेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। लेकिन स्वागत करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि हर ऐसे समय पर जब कभी जन-हित में कोई काम सरकार को करना हो या जन-हित में किसी काम को करने के लिए सरकार को बाध्य कर दिया जाता है, क्यों जरूरत महसूस होती है कि आर्डिनेंस बना कर ही उस काम को किया जाए? अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि १३ दिसम्बर को जब कि पिछला अधिवेशन लोक सभा का चल रहा था और सरकार को पता लग गया था कि वे विभिन्न कानून जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश में यह गन्ना उपकर वसूल किया जाता था गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं, तो क्यों नहीं सरकार ने उसी अधिवेशन में कोई कानून इस सदन के सम्मुख रखा? उसके बाद भी अधिवेशन चलता रहा और सरकार को पता भी लग गया था कि वे भिन्न भिन्न कानून जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश में यह गन्ना उपकर वसूल किया जाता था, गैर कानूनी करार दे दिये गये हैं लेकिन फिर भी कोई कानून सरकार ने इस सदन के सामने पेश नहीं किया। तभी इस संसद में यह प्रश्न उठाया गया था काम-रोको प्रस्तावों के द्वारा तथा अन्य दूसरे तरीकों से और पूछा गया था कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है। इसके उत्तर में सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं और हमको उत्तर प्रदेश सरकार से इस बारे में सलाह मश्विरा करना है। मुझे खुशी है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को तथा केन्द्र की सरकार को यह आभास हुआ कि यह ४५ करोड़ रुपया जो कि शक्कर उपभोक्ताओं ने दिया है और जिसको गन्ना मिलों के मालिक हजम करना चाहते थे, उनको उसने हज्म न करने दिया जाए और इसके बारे में उचित व्यवस्था कर दी जाएं। इसी चीज को ध्यान में रख कर उसने आर्डिनेंस जारी किया। लेकिन अफसोस की बात तो यह कि १३ दिसम्बर के बाद

भी जब संसद का अधिवेशन चल रहा था सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि कोई कानून बनाया जाए। अगर उसने तब कोई कानून यहां उपस्थित किया होता तो इस आर्डिनेंस की जरूरत न पड़ती ।

प्रश्न केवल इतना नहीं है कि ये जो तीन एक्ट हैं जिन के बारे में इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि उनमें जो व्यवस्थायें हैं, वे कानूनी हो जायें यह पिछले दस साल से अमल में थीं, और पिछले दस साल से अमल में रहते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार या केन्द्रीय सरकार को यह क्यों पता नहीं लग पाया कि जिस एंट्री के मातहत ये ऐक्ट बनाये गये हैं, वह एंट्री शायद राज्य सरकार का विषय नहीं है। और इसके लिये भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आवश्यकता पड़ी जो कि साफ तौर से मालूम होता है कि यह राज्य सरकार का विषय था ही नहीं ।

मैं समझता हूं कि कोई भी आम तौर से कानून का ज्ञान रखने वाला इस बात को जान सकता था कि सम्भवतः राज्य सरकार इस तरह का कोई कानून गन्ने की बिक्री पर कर लगाने का नहीं बना सकती थी । और जब यह हालत थी तो मुझे आशंका होती है ।

जहां तक इस सैस को कानूनी बनाने का सवाल है मैं पूरी तरह सरकार के साथ हूं और जो ४५ करोड़ रुपया शक्कर के उपभोक्ताओं से मिला है वह सरकार के पास रहना चाहिये, वह मिल मालिकों की जेब में नहीं जाना चाहिये । लेकिन मुझे आशंका है कि जब यह कानून बन जाए तो यह गन्ने का कर और किसी शक्ल में वसूल होता रहे और सम्बन्धित क्षेत्र की जिला परिषदें इस तरह का कोई कानून बना लें जिससे वह टैक्स वसूल कर सकें। नतीजा यह निकलेगा कि यह तो जितना उपकर वसूल किया जाता था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी घोषित किया वह तो वसूल होता ही रहेगा, दूसरे और कर उस क्षेत्र में जिला परिषद वसूल करने लगेगी । नतीजा यह होगा कि शक्कर और तेज हो जाएगी । हम देखते हैं कि जो शक्कर हम आज विदेशों को भेजना चाहते हैं वह हिन्दुस्तान में जिस भाव पर बिक रही है उससे आधे से भी कम दाम पर भेजना चाहते हैं । लेकिन उस शक्कर को हिन्दुस्तान के उपभोक्ता को कम दाम पर देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। और जब यह विधेयक कानून बनने जा रहा है तो सरकार को विचार करना चाहिये कि कोई ऐसी बात तो भविष्य में न होने पाए कि जिससे शक्कर के उत्पादन पर और कोई विशेष भार पड़े जिससे शक्कर और ज्यादा तेज हो जाए ।

इस सन्दर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अभी जो गन्ने पर यह उपकर लगता था उसका मंशा था कि गन्ने का विकास हो, उसका मंशा था कि उस क्षेत्र में गन्ने के उत्पादन के स्थान से कारखानों तक सड़कें बनाई जायें। यह रुपया उस पर लगना चाहिए था । मुझे अफसोस है कि केन्द्रीय सरकार ने यह भी नहीं देखा कि यह रुपया किस उद्देश्य के लिये वसूल किया जा रहा है किसान से और शक्कर के उपभोक्ता से उस उद्देश्य के लिए लगाया गया है या नहीं। यह नहीं देखा गया कि उस रुपये से उस क्षेत्र में गन्ने का विकास किया गया या नहीं और उसके लिये सड़कें बनाई गई या नहीं। मुझे अफसोस है कि इस उद्देश्य के लिये यह रुपया खर्च किया नहीं गया। केन्द्रीय सरकार को देखना चाहिये था कि जो गन्ने पर उपकर लगता है उसका सही इस्तेमाल उत्तर प्रदेश सरकार करती है या नहीं। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो इस तरह का कर भविष्य में वसूल किया जाए उसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हो जिसके लिए वह वसूल होता है, जैसे कि गन्ने के विकास के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए या गन्ने के लिए कोई विशेष व्यवस्थायें करने के लिए। यदि इस कानून के द्वारा केन्द्रीय सरकार यह कर सके कि उत्तर प्रदेश की सरकार से यह करा सके कि यह रुपया किसी अन्य कार्य पर खर्च न किया जा सके, तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

[श्री ब्रजराज सिंह]

इस बीच में यह आशंकाएं प्रकट की जा रही थीं कि शक्कर मिलों के मालिक इस ४५ करोड़ रुपये को जो कि शक्कर के उपभोक्ता से वसूल हो चुका था, सरकार की जेब से निकाल कर अपनी जेब में हड़प करना चाहते थे और इस के लिए कई तरीके इस्तेमाल कर रहे थे । लेकिन खुशी है कि भारत की संसद् में प्रश्नों के उठाने से देश में प्रभाव पड़ा। पिछले अधिवेशन में प्रश्न हुए थे और इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार भी डरी । यह चर्चा एक समय शुरू हो गयी थी कि इस ४५ करोड़ रुपए को इधर उधर कर के किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव फंड में लगा दिया जाए लेकिन खुशी है कि यह चीज पूरी न हो सकी । लेकिन अच्छा होता यदि इस के लिए आर्डिनेन्स की जरूरत न होती। अगर हमको अपने जनतंत्र को सफल बनाना है तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको कम से कम आर्डिनेन्स बनाने की जरूरत हो। यह कोशिश करनी चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा मामले संसद् के सामने ही आ जाएं। यह बहाना न किया जाए कि संसद् का अधिवेशन नहीं हो रहा था इसलिए हमें आर्डिनेन्स बनाने की जरूरत पड़ी। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि जिन विषयों पर जरूरत हो उनको संसद के सामने जब अधिवेशन चल रहा हो तो लाया जाए और कानून बनवाया जाए। यह न होना चाहिए कि जब संसद न चल रही हो तो सरकार आर्डिनेन्स जारी करे ।

कहा जाता है कि ऐसे मसालों पर विचार करने के लिये सरकार को समय चाहिये। में कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को समय चाहिये तो जो सरकार के विशेषज्ञ हैं उन को पहले से यह देखना चाहिए कि किसी कानून में ऐसी कमी तो नहीं है कि वह गैर कानूनी घोषित हो जाए, और अगर ऐसी सम्भावना है तो उस विषय को संसद के सामने रखना चाहिए। म कहना चाहता हूं कि ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि आर्डिनेन्स बनाने की जरूरत ही न रहे। यह कानून पिछले अधिवेशन में पास हो जाना चाहिए था जिस से कि जनता को किसी तरह की आशंका की करने की गुंजाइश ही न रहती। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में कम से कम आर्डिनेन्स जारी किए जायेंगे और इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि आर्डिनेन्स पास करने की जरूरत ही न हो । जब अधिवेशन चालू हो तो सारे मसले सदन के सामने रखे जाएं और सारे कानून समय रहते सदन की राय लेकर बना लिए जाएं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। १३ दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सन्, १९५६ का जो विधेयक उत्तर प्रदेश ने पास किया वह ठीक नहीं था, उसको वैसा करने का हक नहीं था और मरकजी सरकार को ही ऐसा करने का हक है और वही इस तरह का कानून पास कर सकती है और इस तरह का सैस वसूल कर सकती है । जब कामरोको प्रस्ताव द्वारा मंत्री महोदय से मैंने इसरार किया कि मरकजी सरकार को कोई ऐसा कानून लागू करना चाहिए कि जिस से करोड़ों रुपया सैस का जो उत्तर प्रदेश सरकार में निर्माण कार्य में लग सकता है वह सरमाएदारों की जेबों में न चला जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल हाल ही में २१ फरवरी को सदन में पूछा गया था।

इस के उत्तर से स्पष्ट है कि तकरीबन साढ़े ३ करोड़ या ३ करोड़ ६७ लाख रुपया बतौर सैस के उत्तर प्रदेश के चीनी मिलमालिकों से हासिल करना बाकी है ।

यह केन सैस का पैसा इतना बाकी है । मैं इस बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि इस में साफ तरीके से कहा गया है कि जो कुछ भी २६ जनवरी सन् १९५० से लेकर ३ फरवरी १९६१ तक जो कुछ भी पैसा बकाया है उस के बारे में बिल में यह कहा गया है कि उपकर की वापसी के बारे में किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

उस से साफ जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत का यह मुद्दा है कि इस पैसे के बारे में कोई अपील अगर हुई भी हो और उत्तर प्रदेश में अगर हाईकोर्ट के आला हाकिम यह सोचते भी हों कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह पैसा उन्हें वापिस मिलना चाहिए तो उसको इस में रोका गया है और जो कि मैं समझता हूं कि ठीक है । लेकिन आज यह केन सैस का पैसा है कितना ? उत्तर-प्रदेश के लोगों से हमें मालूम होता है कि यह रुपया हमेशा वहां के मिल मालिक रोकते थे। वह पैसा देते नहीं थे । इस से साफ जाहिर यह हुआ कि अपनी मरजी से वह पैसा देते नहीं थे और कोशिश यह करते थे कि किसी हालत से कचहरी के मार्फत ऐसे कानून को जो कि सन् १९५६ में पास किया गया था उसको रद्द कर दिया जाय। बहुत से ऐसे कारखाने चीनी के उत्तर प्रदेश में हैं जो कि केन सैस का पैसा सरकार को नहीं भेजना चाहते। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आखिर कितना करोड़ रुपया आज भी बकाया है ? क्या वह वाकई में ३ करोड़ ६७ लाख है जैसा कि उन्होंने २१ फरवरी को बतलाया था कि इतना पैसा बकाया है ? या उस से भी ज्यादा है ? और कितने लोगों ने उस को वापिस लेने के लिए आलरेडी अपीलें कर दी थी ? उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या फैसला किया है ? इस केन सैस के पैसे से आखिर क्या किया जायेगा ? मुझे जहां तक मालूम है हो सकता है कि मेरी नासमझी हो या मुझे गलत इत्तिला मिली हो बहरहाल जो भी हो मेरी इत्तिला यह है कि केन सैस से उत्तर प्रदेश की उस राजनैतिक पार्टी को जोकि बरसरे हुक्तदार है उसको चंदा दिया गया । चंदा देने के बारे में इस सदन् में काफी बहस हुई और कहा यह गया कि यह कोई खास ऐसी चीज नहीं है जिस पर कि लोगों को ऐतराज करना चाहिए। लेकिन यह शुगरकेन का पैसा जो करोड़ों की शक्ल में उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथों में आया करता है और हमेशा आता रहेगा इसका आखिर इस्तेमाल क्या किया गया ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह चीनी के उद्योगपति उस पैसे को जो कि वाकई बनता हो उसको अपील करवा कर कम करवा लेते हों और उस के ऐवज में वह रूलिंग पार्टी को चन्दा दे देते हों क्योंकि ऐक्ट में यह प्राविजन है कि उस के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का डैसीशन फाइनल होगा । इस चीज को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो बकाया हासिल करने का कानून बना है वह स्वागत योग्य है और मैं आशा करता हूं कि इस से ४५ करोड़ रुपया ही नहीं महफूज होगा बल्कि और भी पैसा जो बाकी है वह भी महफूज रहेगा और उत्तर प्रदेश की सरकार के पास रहेगा । इसलिए मेरे सामने यह कुछ सवालात हैं जिन के कि आधार पर मैं पूछना चाहता हूं कि यह पैसा कितना है और यह सन् १९५७–५८ से हमेशा ऐरियर्स में क्यों रहा ? कुछ सवालात पार्लियामेंट में मैं ने करने की कोशिश की। कुछ मंजूर हुए और कुछ नामंजूर कर दिये गये । लेकिन

[श्री स० मो० बनर्जी]

यह बात बिलकुल सही मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि हमेशा केन सैस का पैसा मिलमालिकों की जेब से निकल कर सरकार के हाथों में बहुत मुश्किल से आया है। अब उन्होंने कुछ पैसा दिया है जिस से कि लोगों के दिमाग में जरा भ्रम हो गया है। जो कि मैं उत्तर प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते दूर करना चाहता हूं कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश की रूलिंग पार्टी और चीनी मिलमालिकों के बीच में एक समझौता सा एक साठगांठ हो गयी हो कि यह पैसा चंदे की शक्ल में जा कर कुछ बाकी पैसा वह खुद इस्तमाल करें?

एक सवाल यह भी हमारे सामने है कि यह बिल जब कानून बन जायगा तो इसका असर खंडसारी उद्योग पर जो गुड़ और राव बनाते हैं उन पर भी पड़ेगा। इसलिए उन के ऊपर कितना पैसा ड्यू है कितना बकाया है यह भी मैं जानना चाहता हूं ? अब अगर वह पैसा उन से लेने की कोशिश की जायगी तो यह आखिर शुगर के कारखानों के जो मालिकान हैं वे तो करोड़पति हैं लेकिन यह राव, खंडसारी और गुड़ की इंडस्ट्रीज वाले जो कि करोड़पति नहीं होते और इन छोटे उद्योगों के मालिकों के सामने कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस के लिए मैं चाहता हूं कि यह सैस की रकम उन से इस तरीके से वसूल की जाय जिस से उनको परेशानी न हो। उन की दिक्कतों को हल करने के लिये सरकार ने क्या सोचा है ? मैं यह नहीं कहता कि यह पैसा जो उन पर वाजिब आता है वह वसूल न किया जाय लेकिन जो वसूल करने में दिक्कतें आई हैं या छोटे उद्योग वालों को पैसा देने में जो दिक्कतें आती हैं उस के बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय।

अन्त में मैं इस बिल का स्वागत करते हुए कहूंगा कि यह देखा जाय कि यह शुगरकेन सैस का पैसा किस तरीके से इस्तेमाल हो, किस तरीके से हमेशा यह बकाया रहा और किस तरीके से आगे यह इस्तेमाल किया जाय। अब मरकजी हुकूमत जो इस मामले में सम्बंधित है उस को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर मुझे कोई भरोसा नहीं है लेकिन वहां पर जिस तरीके से चीजें चला करती हैं और खास कर वहां की पालिटिक्स को जैसा कि कहा जाता है कि वह शुगर पालिटिक्स है, केन्द्रीय सरकार को सतर्कता वर्तनी ही चाहिए। अगर उस शुगर पालिटिक्स में मिठास नहीं रही है और वहां जिस पोलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है मालूम ऐसा देता है कि वहां के शुगर मैगनेट्स को अपने हाथों में रखना चाहते हैं और जिसका कि असर जनता के ऊपर खराब पड़ता है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। भले ही इस के लाने में देरी हुई हो लेकिन सही चीज की गई है और इसलिए देर आयद दुरुस्त आयद वाली कहावत चरितार्थ हुई है। मैं इस बिल का एक बार फिर स्वागत करते हुए अपना स्थान गृहण करता हूं।

श्री काशीनाथ पांडे (हाता) : उपाध्यक्ष महोदय, इस में कोई संदेह नहीं है कि यह बिल इस प्रकार का है जिसका कि सब स्वागत करें। लेकिन हमारे विरोधी दल के भाइयों द्वारा कई बातें कही गई हैं यह इस बात का सबूत है कि सैस के संबंध में उन्हें पूरी बात मालूम नहीं है। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि आखिर यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही कैसे हुआ ? अगर उधर से सख्ती न हुई होती उसकी वसूली करने के बारे में तो मिल-

मालिक सिर्फ देर लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में न जाते। मैं आपको एनफौरमेशन की तौर पर बतलाना चाहता हूं कि सैस ही एक ऐसी चीज है जिस में पडरौना और कठकुईया शुगर मिल्स् नीलाम हो चुकी हैं और सैस की वजह से राम लक्ष्मण, डोई वाला और खड्डा शुगर मिल्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं।

अब हमारे विरोधी दल के भाइयों ने चंदे देने की बात कही है तो चंदा उन को भी मिलता है। अब आज चंदे की बात तो हो नहीं रही है सैस की बात हो रही है। अब उपाध्यक्ष महोदय, चीज यह है कि आज जो स्पीचें यहां हुई उनको सुन कर ऐसा मालूम पड़ा कि जैसे आम जल्सों में स्पीचें दी जा रही हों। मैं चाहता हूं कि यहां हाउस में स्पीच देने से पहले बेहतर यह हो कि असलियत का पता लगा लिया जाय और पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही यहां पर कोई बात या दावा किया जाय। अब सैस और लैंड रेवेन्यु दोनों एक ही तरह के हैं। ऐक्ट में है कि यह सैस जनरल रैवेन्यु का पार्ट है। मैं आप से बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कोई भी राजनैतिक पार्टी चंदा वसूल कर सकती है लेकिन लैंड रेवेन्यु के लिए कोई चन्दा वसूल नहीं करता। उसकी कोई इस तरीके की बारगेनिंग नहीं होती है।

दूसरी बात मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारे श्री ब्रजराज सिंह ने यह बात कही कि साहब यह सैस वसूल करना बहुत अच्छा है लेकिन आगे चल कर उस में यह सन्देह मालूम पड़ता है कि उस से चीनी ज्यादा मंहगी हो जायगी। उसका मतलब यह है कि वह इस के पक्ष में भी है और विरोध में भी हैं। अब सैस केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है बल्कि बिहार और अन्य प्रान्तों में भी है। पंजाब में अभी तक नहीं था लेकिन अब वह इस तरह का सैस लगाने की सोच रहे हैं।

शुगर इंडस्ट्री को डेवलप करना यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और उस के लिए बड़ा भारी स्टाफ रखना होता है। उसके लिए सीड्स मंगाते हैं। कई केन रिसर्च सेंटर्स हैं जहां पर कि अभी चीजों के बारे में अन्वेषण होता है। यह सारा खर्च कहां से आयगा ? कौन देगा इस को ? यह सब खर्च उस सैस से होता है। आज कोई भी शुगर फैक्ट्री यू० पी० में नहीं है, जिस के इर्द-गिर्द पक्की सड़कें नहीं बनी हैं। अगर माननीय सदस्य यह समझें कि पक्की सड़कें बनवाना प्लान का एक काम है और उस के अन्तर्गत वे बन रही हैं, तो फिर प्रश्न यह है कि अगर वह खर्च नहीं हुआ, तो वह कहां गया। माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते कि सैस के उस रुपये को किसी इंडिविडुअल ने खा लिया। आखिर वह कहीं न कहीं किसी पब्लिक काम में खर्च हुआ। जब रुपये की जरूरत हुई, तो उस फंड को किसी न किसी काम में लगाया गया। वह किसी इंडिविडुअल ने, किसी चीफ़ मिनिस्टर ने, नहीं खा लिया।

मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, खास तौर से इस वजह से कि बहुत सी मिलों ने पूरा सैस दे दिया, लेकिन जो मिलें देना नहीं चाहतीं थीं, वे कोर्ट में जा कर इसमें अड़ंगा लगा रही थीं और उन लोगों की आदत को तोड़ने के लिए इस बात की आवश्यकता थी कि इस बिल को **विद रीट्रास्पेक्टिव इफैक्ट** लागू किया जाये, ताकि उन को सबक हो जाये कि वे गवर्नमेंट के जो ड्यज दबायेंगे, वे उनको हज्म नहीं होंगे, बल्कि गवर्नमेंट कोई न कोई उपाय कर उन ड्यूज़ को वसूल कर सकती है।

[श्री काशीनाथ पांडे]

यह बिल इस लिये भी जरूरी है कि बिहार में जो केन सैस वसूल होता है, वह कैसे वेलिडेट, हो, इस के लिये कानून की आवश्यकता थी। जो कोई भी रेवेन्यू वसूल होता है, उसी से कोई भी सरकार चलती है। अगर कोई माननीय सदस्य यह समझें कि आगे सैस लगाने से चीनी मंहगी हो जायगी, तो इस का मतलब यह है कि हमारे यहां इंडस्ट्री भी नहीं ठहर सकेगी। केन सैस देना किसान के फ़ायदे में है, क्योंकि यहां पर यह इंडस्ट्री चलती है, तभी वह गन्ने का क्राप बोता है और अगर यहां फ़ैक्ट्रीज न चलें, तो फिर उस गन्ने का गुड़ ही बनेगा और परिणाम यह होगा कि इतना गन्ना भी नहीं लगाया जा सकेगा और चीनी इम्पोर्ट होगी, जैसा कि पहले होता था। इस लिये किसान, पब्लिक, मिल-मालिक और उपभोक्ताओं के फ़ायदे के लिये यह ज़रूरी है कि इस तरह का सैस ज़रूर लगना चाहिए। इस वक्त तो वह वसूल होता ही है। मैं तो इस के हक में हूं कि उस को आगे भी वसूल करना चाहिए। जो मिल-मालिक जिस पैसे को ले चुके हैं, उस को पब्लिक के काम के लिये लिया जाये। इस का विरोध करना अच्छा नहीं है। यह बात कहने का कोई अर्थ नहीं है कि इस से चीनी और महंगी हो जायेगी। और चीजें भी मंहगी हैं, तो चीनी भी मंहगी होगी। यह नहीं हो सकता कि चीनी न मंहगी हो। इसलिये किसानों के हित के लिये, उत्पादन बढ़ाने के लिये, रास्ते आदि बनाने के लिये, केन का डेवेलपमेंट करने के लिये और किसान को उन्नत और हर तरह से सुखी करने के लिये इस सैस का वसूल करना आवश्यक है।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय सदस्य ने अभी अपने भाषण के दौरान में कहा है कि विरोधी दल के सदस्य कभी कभी जिस तरीके से बाहर भाषण देते हैं, उस से भिन्न बातें यहां कहते हैं। मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह यहां पर एक तरीके का और बाहर दूसरे तरीके का भाषण देते हैं। क्या वह दो ज़बान से बात करते हैं? **सर, इट इज़ एन एस्पर्शन**।

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आर्डिनेंस का सदुपयोग सब से अच्छे काम के लिये कभी हुआ है, तो वह उस अवसर पर कि जब यू० पी० सैस एक्ट के वेलिडेशन के लिये यह आर्डिनेंस लगाया गया। अभी विरोधी दल के एक समाजवादी सदस्य ने कहा है कि वह इस बिल और आर्डिनेंस का स्वागत तो करते हैं, लेकिन आर्डिनेंस क्यों जारी किया गया, क्यों नहीं बिल पहले से लाया गया। इस बारे में वह एतराज़ करते हैं। मैं समझता हूं कि आर्डिनेंस का मतलब ही यह है कि जब किसी बहुत ही आवश्यक राष्ट्रीय काम, या सामाजिक हित के काम के लिये पूरा अवसर और पूरा समय न हो, तो उस वक्त आर्डिनेंस लागू किया जाये। इस दृष्टिकोण से जब सुप्रीम कोर्ट से करोड़ों रुपये के वारे-न्यारे का प्रश्न उठा और उस के बारे में निर्णय हुआ और उस के कारण न सिर्फ़ यू०, पी० बल्कि भारत के अन्य प्रान्तों के शुगरकेन सैस के संबंध में बहुत असर पड़ने वाला था, तो उस के बारे में आर्डिनेंस तुरन्त जारी करना अत्यन्त आवश्यक था।

दूसरी बात यह है कि यह शुगर फ़ैक्ट्रीज़ का क्रशिंग सीज़न है और अगर इस में देरी करें, तो हो सकता है कि दूसरे सूबों वाले इसी तरह इंजेक्शन और रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल करें और अपने फ़ायदे के लिये किसानों के हितों की उपेक्षा करें और गैर कानूनी दृष्टिकोण और कानूनी बातें निकालें। इस

लिये आर्डिनेंस का जारी किया जाना गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिये तो लाभकारी है ही, साथ ही देश के हित के लिऐ और खेती की तरक्की के लिए उससे जो लाभ उठाया जाता है, उस के लिये भी यह लाभ प्रद हुआ है ।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि यह बिल पहले क्यों नहीं लाया गया, तथ्य यह है कि हमारी एक प्रदेशीय सरकार ने एक एक्ट पास किया था और जब यह सवाल उठा था कि उस को रद्द किया जाये, तब इस आर्डिनेंस की बात उठी थी। यह बात पहले ही तो नहीं सोची जाती कि जो एक्ट हम पास कर रहे हैं, उस में कोई नुक्स होगा और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के दिमाग तो हम नहीं जानते। यह संसद् इस लिये है कि वह देश के हित के लिये कानून बनाए और वह बनाती है और पूरी समझ-बूझ के साथ यहां पर कानून पास किये जाते हैं। चाहे प्रदेश असेम्बली हो और चाहे इस सदन का प्रश्न हो, अपने अच्छे से अच्छे दिमाग से और अच्छे से अच्छे तर्कों से बिल पास किय जाते हैं। जिस समय हमारे माननीय सदस्य अपना कोई कानून पेश करते समय वाद-विवाद और बहस-मुबाहसा करते हैं, उस वक्त यही समझा जाता है कि वे अपने अच्छे से अच्छे दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं और तब वह कानन पास किया जाता है । लेकिन हमारे विधान ने जो जूडिशरी बनाई है, वह बिल्कुल स्वतंत्र है और वह अपने दिमाग़ और मस्तिष्क को और कानूनी ज्ञान और बारीकियों को विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल करती है और इस प्रकार कानून की कमज़ोरियां निकालती है। इस अवस्था में पहले से ही यह सोच लेना संभव नहीं है कि अमुक कानून में ये कमज़ोरियां हैं और वह रद्द हो जायेगा । जब हमारा एक कानून रद्द किया गया, तो फिर आर्डिनेंस की ज़रूरत पड़ी। उस समय आर्डिनेंस लागू कर दिया गया और अब यह बिल सदन के सामने आ गया है ।

श्री अजराज सिंह : सवाल यह है कि १३ तारीख़ को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ और २३ तारीख़ तक लोक सभा चलती रही । इन दस दिनों में लोकसभा के पिछले अधिवेशन में यह कानून आ सकता था, और पास किया जा सकता था। इस प्रकार इस आर्डिनेंस की आवश्यकता न रहती।

श्री विश्वनाथ राय : अगर इस सम्बन्ध में जल्दी की जाती, तो वही कमज़ोरी इस बिल में भी आ सकती थी, जिस की वजह से यू० पी० का एक्ट रद्द हुआ। कानून कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे कोई लेक्चर दे दिया। विभिन्न दृष्टिकोणों से देख कर उस को तैयार किया जाता है। हमारे माननीय सदस्य स्वयं वकील हैं। वह जानते हैं कि एक मामूली केस को तैयार करने के लिये कितनी तैयारी करनी पड़ती है और जहां करोड़ों रुपये की बात हो, वहां बारीकी से सोच कर ही कानून पेश करना पड़ता है। इसलिये इस विषय में विशेष रूप से सचेत होने की आवश्यकता थी। अगर केवल दो चार लाख रुपये की बात होती, तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इससे सरकार को पहले प्लान में ३०.५७ करोड़ रुपये मिले। चाहे उस में से बाकी रह गया हो, यह बात दूसरी है। दूसरे प्लान में ४८.०७ करोड़ रुपये मिलने वाले हैं—जो मिल चुके हैं। जो बाकी हैं, वे मिलेंगे। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में नौ करोड़ रुपये से भी ज्यादा करीब करीब हर साल इस शूगरकेन सेस से सरकार को मिलना था। सरकार को मिलने का मतलब यह नहीं है कि वह ट्रेज़री में जाता है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीति यह रही है कि उस रुपये का ज्यादा हिस्सा गन्ना बोने वाले लोगों के हित के लिये और कृषि के हित के लिये इस्तेमाल किया जाये। इस सम्बन्ध में मैं विशेष कर विरोधी बेंचों के सदस्यों से कहना चाहता

[श्री विश्वनाथ राय]

हूं कि आज नहीं, १९३९ के क्रशिंग सीजन की बात है, जब कि हिन्दुस्तान में गन्ने को खेती करने वाले किसानों की सब से बड़ी हड़ताल अठारह दिन तक एक फ़ैक्ट्री के खिलाफ़ चलाई गई थी। संयोग से में उस की देख-रेख कर रहा था। उसी वक्त यू० पी० सरकार ने यह आश्वासन दिया कि किसानों की मांगों के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा और उचित प्रबन्ध किया जायेगा। और भी लोगों ने अपने तरीके से काम किया होगा, लेकिन यह सही है कि श्री केशवदेव मालवीय, जो इस समय यहां पर मिनिस्टर हैं, उस समय वहां इडस्ट्रीज के मिनिस्टर थे और उन्होंने लिखित रूप में यह कहा था कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर के सरकार कोई निश्चय करेगा और तब वह हड़ताल खत्म हुई। बाद में यह सैस एक्ट वहां लागू हुआ और यह तय हुआ कि हमारे जो चौदह प्वायंट्स थे--जैसे सिंचाई, सड़कें, किसानों के रहने के लिये जगह आदि--उन पर अमल किया जाये। मेरा तात्पर्य यह है कि यह बात नहीं है कि यह रुपया गवर्नमेंट के खजाने में जाकर और कामों में खर्च होता है। वह किसानों के लिये विशेषकर खर्च किया जाता है। यह सही है कि सारा रुपया नहीं किया जाता है, उसका कुछ अंश किया जाता है। इसी के सम्बन्ध में हमारे विरोधी बेंच पर बैठने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि यह जो रुपया है वह रूलिंग पार्टी को चन्दे के तौर पर दिया जाता है . . .

श्री स० मो० बनर्जी : यह मैंने नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि इसमें से कुछ हिस्सा दिया जायेगा, कुछ लोग देते हैं।

श्री विश्वनाथ राय : इसका कुछ हिस्सा हो सही, मैं एक रुपया दिया जाता है, यह मान कर चलने के लिए तैयार हूं। हमारे माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि एक एक सेर का भी हिसाब रहता है और इसका भी हिसाब रहता है कि इतना केन फ़ैक्ट्री ने खरीदा है और इतने रुपये फी मन के हिसाब से सैस उस पर लगना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साईज़ डिपार्टमेंट के जो अफ़सर हैं वे वहां रहते हैं, शूगर केन की परचेज़ को वे देखते हैं, हमेशा ही नहीं लेकिन अक्सर देखते हैं। चीनी के उत्पादन को भी वे देखते हैं। माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि यह सरकारी रकम है और सरकारी रकम को चन्दे के रूप में किसी पार्टी को नहीं दिया जा सकता है। हां ऐसा हो सकता है कि जब फ़ैक्ट्री को मुनाफा होता है तो वह उसमें से चन्दा किसी पार्टी को चाहे तो दे दे। यह कहना कि केन-सैस का पैसा चन्दे के रूप में दे दिया जाता है, समझता हूं निरर्थक तर्क है और ऐसा तर्क है जो कानून की दृष्टि से बिल्कुल असत्य है . . .

श्री स० म० बनर्जी : क्या मैं इस मामले को साफ तौर से कह सकता हूं। बात यह है कि केन सैस वे देते नहीं और जब उन से इस पैसे की मांग की जाती है तो वे कहते हैं कि चन्दा ले लो और चले जाओ। सैस का रुपया मत मांगो। मैं हिन्दी में बोल रहा हूं और माननीय सदस्य इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

श्री विश्वनाथ राय : माननीय सदस्य जब इंग्लिश में भी बोलते हैं तो हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। कठिन इंग्लिश उनकी जो होती है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सम्भव है कि उनको इंग्लिश की जानकारी ज्यादा हो और इस वजह से हिन्दी में अपनी बात कहने में वह गलती कर जाते हों।

मैं मानता हूं कि पार्टीज़ को चन्दा दिया जाता है और दिया जाता रहेगा। लेकिन चन्दे की रकम केन सैस में से नहीं दी जा सकती है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूं कि केन सैस न दे पाने के कारण दो तीन फैक्ट्रीयों के प्राप्राइटर्ज़ बदल गये हैं। जहां तक

चन्दे लेने का सम्बन्ध है, सोशलिस्ट पार्टी भी लेती है और दूसरी पार्टीज़ भी लेती हैं। फर्क इतना है कि रूलिंग पार्टी जो चन्दा लेती है, उसको बतलाने में झिझक कतो नहीं है जबकि दूसरी पार्टीज़ चन्दे लेती भी हैं और साथ ही साथ उनको छिपाती भी हैं। ऐसा करके वे समाज को अन्धकार में रखना चाहती हैं। असलियत यह है कि ये जो चन्दे दिये जाते हैं ये केन-सैस में से नहीं दिये जाते बल्कि जो नफा होता है फैक्ट्रीज़ को उस में से दिये जाते हैं।

सैस की वसूली की बात यहां कही गई है। मैं ने फैक्ट्रीज़ को सैस का रुपया न देने के कारण नीलाम होते देखा है और नीलामी के बाद दो दो और तीन तीन प्रोप्राइटर्ज़ के हाथों जाते देखा है .....

श्री ब्रज राज सिंह : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कानून में भी व्यवस्था है।

जब राज्य सरकार माफ कर सकती है तो उसके बदले में वह चन्दा भी ले सकती है। अन्तर इतना ही है कि सभी चन्दे लेते हैं लेकिन कुछ हैं जो इस चीज़ को छिपाते नहीं हैं जबकि दूसरे छिपाते हैं। लेकिन ये चन्दे सरकारी पैसे में से नहीं दिये जाते हैं।

सवाल यह पैदा होता है कि जब सैस वसूल नहीं होता है तो क्या किया जाये ? क्या सेस इस वास्ते वसूल नहीं होता है कि चन्दे दे दिये जाते हैं या इसके कोई और कारण होते हैं ? चन्दे का सवाल अलग है और उसका सैस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब सवाल इतना रह जाता है कि जब सैस वसूल नहीं होता है तो क्या किया जाना चाहिये। जब जबर्दस्ती सैस वसूल करने की बात आती है तो फैक्ट्री के बन्द होने का खतरा पैदा हो जाता है। जब फैक्ट्री बन्द होने लगती है तो न केवल हमें प्रोप्राइटर्ज़ का ध्यान रखना होता है बल्कि उसमें जो हज़ार डेढ़ हज़ार श्रमिक काम करते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है और साथ ही साथ हर फैक्ट्री में जो लाख डेढ़ लाख आदमी ऐसे होते हैं जो गन्ना बोते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, उनके हितों का भी ध्यान रखना होता है। केन-सैस की वसूली के लिए अगर फैक्ट्री को बन्द किया जाता है तो इसका नतीजा यह भी होता है कि जो ये लाख डेढ़ लाख गन्ना बोने वाले हैं, उनको भी नुक्सान होता है। शूगर का जो उत्पादन बन्द होता है वह अलग से सोचने वाली बात हो जाती है। इस वास्ते फैक्ट्र को बन्द करना लास्ट स्टेप होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो सैस है उसको वसूल न किया जाये। वह वसूल तो होना ही चाहिये लेकिन उसके और कई तरीके हो सकते हैं। मुझे एक फैक्ट्री के बारे में पता है जिसका प्रोप्राइटर पाकिस्तान चला गया और उसका जो शेयर था उसमें से पैसा वसूल किया गया। वह फैक्ट्री दूसरे के हाथ में चली गई है। समय नहीं है कि मैं ऐसे केसिज़ को बता सकूं नहीं तो मैं आपको कई केसिज़ बता सकता हूं।

इस सैस के वैलीडेशन के लिए जो कानून सरकार की तरफ से पेश किया गया है, यह कृषकों के लाभ के लिए है, समाज के लाभ के लिए है। तीसरे प्लान में लगभग ६० करोड़ रुपया केन-सैस के द्वारा गवर्नमेंट को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश इत्यादि में जो शूगर फैक्ट्रीज़ हैं वहां से यह रुपया सरकार को प्राप्त होगा। इसलिए जो बिल आया है, उसका स्वागत होना चाहिये। साथ ही साथ यह जो कर है इसकी वसूली में जैसे हमारे विरोधी सदस्य चाहते हैं, सख्ती होगी। लेकिन सख्ती का मतलब यह नहीं है कि शूगर फैक्ट्रोज़ को ही बन्द कर दिया जाये। इसकी वसूली के और भी तरीके हो सकते हैं और वे अपनाये जायेंगे और चन्दे वाली जो बात है या दूसरी जो बातें हैं, वे पैदा नहीं होती हैं। प्रदेश सरकार के हाथ में वसूली की बात अब नहीं रह जायेगी। अब तो केन्द्रीय सरकार का यह एक्ट होगा और उसमें केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप

करने का पूरा अधिकार होगा। इस वास्ते विरोधी बेंचों पर बैठने वाले माननीय सदस्यों के दिलों में ऐसी कोई आशंकायें नही होनी चाहियें कि वह वसूल नही होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : चूंकि राज्य सरकार को इस समय अधिक धन की आवश्यकता है अतः इस प्रकार के विधेयक का हमें स्वागत करना चाहिये। सरकार को बताना चाहिये कि उपकर के रूप में इकट्ठा किये गये धन को गन्ने की किस्म को सुधारने और गन्ने का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी अनुसंधान कार्य में लगाया है या नही। उत्तर प्रदेश में गन्ने से निकलने वाली चीनी का अनुपात सब से कम है। सभा को यह भी बताया जाना चाहिये कि क्या राज्य सरकार ऐसी स्थिति में है कि चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये मिल मालिकों को प्रोत्साहित करने हेतु वह उपकर में कमी कर दे। सब से मुख्य बात यह है कि उपकर के रूप में वसूल किये गये धन को प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार कैसे खर्च करेगी। क्या कारण है कि उपकर वसूल नहीं किया जा सका और अभी ४ करोड़ रुपये बकाया हैं जब कि राज्य सरकार को अधिनियम के अधीन उपकर वसूल करने का पूरा अधिकार प्राप्त था।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : सभापति महोदय, अब जिस विधेयक पर वाद विवाद हो रहा है उस विधेयक को सरकार ने सदन के समक्ष प्रस्तुत कर के सचमुच गन्ना उत्पादकों के साथ बड़ा हित किया है। मिल मालिकों ने जो करोड़ों रुपया गन्ना उत्पादकों से गन्ने के विकास के नाम पर इकट्ठा किया था यू० पी० के कानून के अनुसार, वे उसे तिकड़म से या किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं दे रहे थे या नहीं देना चाहते थे, इसलिये उन्होंने उच्चतम न्यायालय की शरण ली और निर्णय उन के पक्ष में रहा। वह पवित्र धन जो कि मिलमालिकों की जेब में गया था और जो कि किसानों की जेब से आया था, वह गन्ने के विकास पर ही खर्च किया जाये, इस पवित्र उद्देश्य से प्रेरित हो कर सरकार ने यह विधेयक उपस्थित किया, इस लिये सदन के सारे सदस्य, चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, उस का समर्थन कर रहे हैं।

अभी इस वाद विवाद में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिसने स्वतः इसे कानून का रूप दिया, करोड़ों की तादाद में केन सैस का जो पैसा इकट्ठा किया गया उसे वह वर्षों तक वसूल क्यों नहीं कर पाई। वह पैसा मिल मालिकों के पास ही बना रहा। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर कुछ सदस्यों में वाद विवाद हुआ। एक तरफ से कहा गया कि इस के पीछे कुछ राजनीतिक विचार थे। उस पक्ष के कुछ सदस्यों ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि विरोधी पक्ष वाले बाहर कुछ कहते हैं और यहां कुछ कहते हैं। मैं उन माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि कम से कम मेरे जैसे लोग, जो इस पक्ष में बैठते हैं, वे दो जबान से नहीं बोला करते हैं। जो वाणी जनता में बोली जायेगी, जो विचार वहां रखे जायेंगे, उसी सत्य का उद्घाटन वे यहां करते हैं। वे लोग और हुआ करते हैं जो जनता में कुछ कहते हैं और सदन में दूसरी बात कहते हैं।

दूसरी बात मैं निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा जब कि यह प्रश्न विवाद के रूप में आ गया है इस विधेयक के सम्बन्ध में कि उत्तर प्रदेश की सरकार के जरिये से जो केन सैस का पैसा वहां के निर्माण कार्य में तथा कृषकों और गन्ना उत्पादकों के हित में खर्च होना

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये था, उस की वसूली में देरी क्यों होती रही ? हमारे मित्र इस बात का समर्थन करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब कभी भी मज़दूरों ने, गन्ना उत्पादकों ने, इस बात के लिये हड़ताल की, या वहां की विधान सभा में यह विवाद हुआ, तो सदा यह मांग रखी जाती थी कि सैस का जो पैसा मिल-मालिकों के पास मौजूद है, जो कृषकों का पैसा है, जिस की एक एक पाई नियम के अनुसार वसूल की गई है, उस को वे क्यों रखे हुए हैं। या तो मिल-मालिक अपनी पूंजी में उसका दुरुपयोग करते रहे, या उस को रख कर कोई दूसरा लाभ उठाते रहे। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि वह वहां की विधान सभा की चार पांच साल की कार्यवाहियां देखें कि कितनी बार इस बात की मांग की गई और यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को जिस सख्ती से मिल-मालिकों से सैस का पैसा वसूल करना चाहिए, वह उस ने नहीं की।

आज यह कहा गया है कि चन्दा नहीं लिया गया। मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक चन्दे का प्रश्न है, वह सब राजनैतिक पार्टियां लेती हैं—थोड़ा बहुत लेती हैं। उस सिद्धान्त से कोई इन्कार नहीं करता है। लेकिन जब लम्बा चन्दा लिया जाता है, जब लाखों की बात होती है, तो प्रश्न है कि वह चन्दा कौन ले सकता है, कौन सी पार्टी ले सकती है, यह आप समझते हैं। यह भी स्पष्ट है कि जब बड़ी बड़ी रकमें ली और दी जाती हैं, तो न लेनदार और न देनदार बताता है। उत्तर प्रदेश में केन सैस के पैसे को जो मिल-मालिकों ने रोका, उसके पीछे सब से बड़ी क्या बात थी, अगर इस की जांच-पडताल की जाये, तो उत्तर प्रदेश के बड़े ज़िम्मेदार लोग निकलेंगे, जिन्होंने सौदेबाज़ी करके लाखों की तादाद में अपनी पार्टी के लिये चन्दा लिया और मिल-मालिकों को सुविधा दी गई, जिस की वजह से मिल-मालिकों को यह अवसर मिला कि वे सुप्रीम कोर्ट में आयें और इस प्रकार से इस मामले को डीले दिया गया।

हमारे मित्र, श्री पांडे, ने कहा कि सैस का पैसा इतनी सख्ती से वसूल किया गया कि दो मिलें बेच देनी पड़ीं। ठीक है। वह दो मिलों का उदाहरण देते हैं, लेकिन इस बात की भी जांच की जाये कि उत्तर प्रदेश में कितने मिल-मालिक हैं, जिन्होंने समय पर पैसा नहीं दिया और इस बात की रपट है कि चार करोड़ रुपया बाकी है, जिस को सरकार वसूल नहीं कर पाई है। इस के पीछे क्या भावना थी ? बात साफ़ है। मैं चाहूंगा कि इस की जांच की जाये। जो लोग उत्तर प्रदेश में राजनैतिक दलों से सम्बन्ध रखते हैं, वहां के सार्वजनिक जीवन से समझ सम्बन्ध रखते हैं, वे जानते हैं कि वहां चुनाव, चन्दा और चीनी की एक कहावत बन गई है, उन का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध बन गया है। यह बात साफ़ होनी चाहिए कि कौन इस का शोषण करता है और लाभ उठाता है।

इस विधेयक को पास करने के साथ ही साथ केन्द्र सरकार और मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें कि आखिरकार इस पैसे को वसूल करने में क्यों देर होती रही और इस के पीछे क्या कारण थे। मुझे विश्वास है कि अगर इस की जांच करने के लिये कोई समिति भारत सरकार ने बनाई, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के बड़े ज़िम्मेदार मंत्री, बड़े राजनैतिक लोग निकलेंगे, जो इस साज़-बाज़ में शामिल रहे और इस प्रकार लाखों की तादाद में चन्दा लिया गया, जिसकी वजह से उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया, जो केन सैस के नाम पर, उन्नति के नाम पर गन्ना-उत्पादकों से लिया गया।

जहां गन्ने के क्षेत्र की जांच-पड़ताल की जाये, वहां—चूंकि यह कहा गया है कि सैस के पीछे उद्देश्य था कि इस से किसानों की मदद की जाये और गन्ने का अच्छा उत्पादन हो—इस बात की भी जांच की जाये कि केन सैस से जो पैसा वसूल किया गया, उसका कितना बड़ा भाग गन्ने के उत्पादन की उन्नति पर खर्च किया गया और जो पैसा बाकी रहा उस की भी जांच होनी

[श्री जगदीश अवस्थी]

चाहिए। इस विवाद में हमारे मित्रों ने कहा कि हम लोग भी चन्दा लेते हैं, आप भी चन्दा लेते हैं। इस जांच से यह स्पष्ट हो जायेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन लोग, कौन पार्टी है, जो लाखों रुपया चन्दा लेती है और लेने के बाद बड़ी हिम्मत के साथ कहती है कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई विचित्र भावना नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब ने, जो सार्वजनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं, यह कसम खाई है कि जो हम जनता में कहेंगे, वहीं करेंगे। यह करनी और कथनी का भेद समाप्त होना चाहिए। हमने--चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के--समाजवाद और समानता की कसम खाई है। अगर समाजवाद इसी प्रकार से आने वाला है कि मिल-मालिक कुरकों से जो पैसा लेते हैं, उनको उस गाढ़ी कमाई का कानून के नाम पर दुरुपयोग करते हैं और सरकार उनका साथ दे, तो उस सरकार का, चाहे वह इस पक्ष की हो, चाहे उस पक्ष की, उद्घाटन होना चाहिए, जनता के सामने उस का चित्र आना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि जब मंत्री महोदय जवाब देंगे, तो निश्चित रूप से इस बात के प्रकाश के लिए कोई कमेटी एपायंट करने की बात कहेंगे। जब जांच-पड़ताल होगी, तो सब तथ्य सामने आयेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि इस विधेयक में नहीं रह जायेगी, जिस से मिल-मालिक नाजायज़ फ़ायदा उठा सकें।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मुझे खुशी है कि सभी राजनैतिक दलों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। इसके विरोध में किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। विधेयक के सिद्धान्त के बारे में सरकारी तथा गैर सरकारी दलों में कुछ भी मतभेद नहीं है। इस विधेयक के अनुसार हम कोई नये कर नहीं लगा रहे हैं। यह विधेयक तो केवल २६ जनवरी १९५० और ३ फरवरी, १९६१ के बीच किये गये कार्य को मान्यता प्रदान करता है। उसके बाद जो कुछ हुआ है उसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है जिसने उपकर को क्रय कर में बदलने वाला अध्यादेश जारी किया है। शायद वे ऐसा विधेयक भी बनाने जा रहे हैं। ३ फरवरी, १९६१ से उन्होंने इसे विक्रय कर में बदल दिया है। हम इस बात का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे कि यह विधेयक ऐसा बने कि किसी भी प्रकार यह अवैध न हो।

यह विधेयक वहां १९५० से नहीं है। यह वहां १९३८ से है। तब से लेकर अब तक किसी ने भी इसमें कोई कमी नहीं पाई। यह भूल तो बहुत दिनों बाद जानकारी में आई। सन् १९५० और १९५३ में भी बहुत से अधिनियम बने। लेकिन अचानक ही यह भूल अब जानकारी में आई।

हम उच्चतम न्यायालय के प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करवाया है, हम विधान इत्यादि बना कर इस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह बात उत्तर प्रदेश पर ही लागू नहीं होती है अपितु और भी कई राज्य उपकर लगा रहे हैं यथा आंध्र, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर और उड़ीसा। केवल पंजाब ने अपनी विधि सम्बन्धी बुद्धि के द्वारा इसे क्रय कर कहा है। अन्य सभी राज्य इसे गन्ना उपकर अधिनियम के अधीन ले रहे हैं। आंध्र राज्य में उन्होंने १९५२ में विधान पारित किया। अन्य राज्यों से हम इस सम्बन्ध में वार्ता कर रहे हैं। जब वे इस सम्बन्ध में अनुरोध करेंगे तो हम राज्य सरकारों द्वारा उसके अधीन जमा की गयी राशि को वैधता प्रदान करने के लिये दूसरा विधान बनायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

वस्तुतः हम अध्यादेश बहुत अनिच्छा से ही जारी करते हैं। १३ तारीख को निर्णय होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश से हम ने २२ तारीख को अध्यादेश जारी करने को कहा था। उन्होंने कहा कि हम इस सम्बन्ध में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियों के अधीन केवल केन्द्रीय सरकार ही इस मामले में अध्यादेश जारी कर सकती है। हम ने इसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अतः यह कहना गलत है कि यह विधान १३ से २१ दिसम्बर के बीच में पारित हो जाना चाहिये था। वस्तुतः जब उत्तर प्रदेश ने केन्द्रीय सरकार से यह अध्यादेश पारित करने को कहा तभी हमने इस पर कार्यवाही की। हम उस समय सिवाय अध्यादेश निकालने के और कुछ नहीं कर सकते थे। वस्तुतः वह एक ऐसा अवसर था जब कि हम अध्यादेश को न्यायोचित ठहरा सकते थे।

इस सम्बन्ध में दूसरी आलोचना यह कही गयी है कि उपकर से प्राप्त धन को गन्ना उद्योग के सुधार में व्यय नहीं किया जा रहा है। १९३८ में जब इसे प्रारम्भ किया गया था तो उद्देश्य यही था। तत्पश्चात उपकर में समय समय पर वृद्धि की गयी। उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों में पहले पहल इसकी दर बहुत कम थी। मद्रास में यह पहिले पहल केवल ४ आना था जो अब बढ़ कर १ रु० हो गया है। आंध्र प्रदेश में यह ५ रु० और मैसूर में यह ६ रु० प्रति टन है। इसमें सन्देह नहीं कि राज्य सरकारें इस राशि का एक बड़ा अंश चीनी कारखानों में आस पास संचार साधनों के विकास, गन्ने के लिये सिंचाई सुविधाओं तथा अनुसंधान इत्यादि में व्यय कर रहे हैं। कानपुर में चीनी अनुसंधान केन्द्र है उसका व्यय इसी उपकर की राशि से ही दिया जा रहा है।

निस्संदेह मैं यह दावा नहीं कर सकता हूं कि राज्य सरकारें सारा धन या इस धन का एक बड़ा भाग इस कार्य के लिये व्यय कर रही हैं, तथापि मद्रास सरकार, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है, उपकर से होने वाली आय का ९५ प्रतिशत भाग सिंचाई सुविधाओं के सुधारने में व्यय कर रही है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : उत्तर प्रदेश अधिनियम में यह बात कही गयी थी कि इस उपकर से संग्रहीत सारी राशि गन्ना उद्योग के सुधार में व्यय की जायेगी तथापि ऐसा नहीं किया जा रहा है।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : उस अधिनियम को अब उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है। अतः १९५०–५१ में जो कुछ किया गया था उसकी याद करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब वह बिक्री कर या क्रय कर के अधीन आयेगा। वसूली के सम्बन्ध में कई प्रश्न उठाये गये। इस सम्बन्ध में कई आरोप भी लगाये गये। उत्तर प्रदेश सरकार को भूतपूर्व अधिनियम के अधीन यह अधिकार था कि वे वसूली से छूट दे सकते थे। कार्यपालिका सरकार को सामान्यतः इस प्रकार की शक्तियां होती हैं। उदाहरणार्थ यदि अकाल पड़ जाये तो आप सारे जिले में कर की छूट दे देते हैं। अतः यह कोई असामान्य बात नहीं है न इसका राजनैतिक कारणों के लिये उपयोग किया गया। जहां तक उपकर का सम्बन्ध है राज्य सरकार इसकी वसूली के लिये बहुत उत्सुक है और वह चाहती है कि कोई भी व्यक्ति इस कर से न बचने पावे। इतना ही नहीं जो पक्ष उच्चतम न्यायालय में विजित हुआ है उसे भी इस उपकर से छूट नहीं मिलेगी।

१९५० से अब तक इस उपकर के अधीन ४५ करोड़ रुपये जमा किये गये। यह कहा गया है कि ४ करोड़ रुपये बकाया हैं। यह राशि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आय कर की बकाया रकम २७३ करोड़ है, तथा पिछले १० वर्षों में केवल राजस्थान में बकाया राशि ५० लाख रुपये है,

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

बहुत अधिक नहीं है । हम इस बकाया वसूली का पूरा प्रयत्न करते हैं तथापि हमारी अपनी कठिनाइयां हैं । प्रत्येक राज्य में तकावी ऋण की बहुत बड़ी राशि बकाया है ।

प्रत्येक राज्य सरकार बकाया वसूली के सम्बन्ध में सक्रिय है, बकाया का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के सामने है तथा आयकर विभाग, प्रशुल्क विभाग, बिक्री कर विभाग, भू-राजस्व विभाग, तकावी, सिंचाई इत्यादि सभी विभागों के सामने है । निस्संदेह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को बकाया वसूली के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये । उपकर की वसूली में किसी व्यक्ति के पाकिस्तान चले जाने से, या चीनी के जल्दी न निकलने से विलम्ब हो जाता है । जब तक चीनी बाहर नहीं निकलती है तब तक उन्हें रकम नहीं मिल सकती है । तथापि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क उत्पादन स्थान पर ही देना होता है, निकासी तब तक नहीं करने दी जाती है जब तक वे शुल्क नहीं चुकाते हैं । तथापि उपकर तभी मिलता है जब कि चीनी की बिक्री हो जाती है । इसमें कुछ प्राशसनिक कठिनाइयां भी हैं ।

माननीय सदस्य ने यह कहा है कि ऐसा राजनैतिक कारणों से किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश सरकार इन ४ करोड़ रुपयों को अवश्य वसूल करेगी और यदि नहीं कर सकेगी तो उन्हें बट्टे खाते में डाल देगी । इन मामलों में कुछ राशि बट्टे खाते में भी डालनी होती है । यदि किसी पक्ष का दिवाला निकल जाये तो उसके नाम की राशि को आगे बढ़ाते जाने से यह अच्छा है कि उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाये ।

यह मामला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सम्बन्ध रखता है मेरे विचार से वह वही करेंगे जो उनके हित में होगा । हम राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते हैं । अतः इस सम्बन्ध में सुझाव देने से कोई लाभ नहीं है । वे अपने कर्त्तव्य से भली भांति परिचित हैं तथा उनके हित में जो होगा वह उसके लिये भरसक प्रयत्न करेंगे ।

कुछ गन्ने वाले कांग्रेसी भी हैं । यदि वे कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के कोष में चन्दा दे रहे हैं तो उनको कोई दोषी नहीं ठहरा सकता है । यदि वे प्रजा समाजवादी दल में हैं और अपने दल को चन्दा दे रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकता है । तथापि यह चन्दा उस राशि से नहीं दिया जा रहा है जो सरकार को भुगतान करनी है । उस सम्बन्ध में आपको समवाय अधिनियम के अधीन कार्यवाही करनी पड़ेगी । इस अधिनियम के अधीन नहीं । इस अधिनियम से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

जहां तक उपकर का सम्बन्ध है, इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने राजनैतिक या अन्य कारणों से कभी छूट नहीं दी है । वहां उत्तरदायी सरकार काम कर रही है हम उन पर विश्वास कर सकते हैं ।

मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक को सभा के सभी दलों की सहमति प्राप्त हुई है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उत्तर प्रदेश के कुछ अधिनियमों के अधीन गन्ने पर उपकरों के आरोपण और संग्रह का मान्यीकरण करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**सभापति महोदय** : इस सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं आये हैं, अतः मैं सभी खंडों को एक साथ मतदान के लिये रखती हूं । प्रश्न यह है :

---

†मूल अंग्रेजी में

"खंड १, २, ३ और ४, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाय।"

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ पर अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभा को ज्ञात है कि सितम्बर, १९६० में बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) अधिनियम पारित किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि परिसमापित होने वाले बैंकों के निक्षेपकों को तत्काल सहायता दी जा सके तथा जहां कहीं निक्षेपकों तथा सामान्य जनता के हित में हो, ऐसे बैंकों का पुनर्निर्माण अथवा एकीकरण किया जा सके।

इन नयी शक्तियों के अधीन, हमने छोटे और मध्यम प्रकार के बारह बैंकों को जिनके निक्षेप दायित्व अनुमानतः १० करोड़ से कुछ अधिक थे, शोधकाल मंजूर किया है। यह आवश्यक था कि उनके आस्तियों तथा दायित्वों में समायोजन सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच होने तक उनकी आस्तियों का जड़ीकरण किया जाये, क्योंकि यदि निक्षेपकों की मर्जी पर राशियां निकालने की छूट दी जाती रही तो पुनः समायोजन और एकीकरण के लिये उचित वातावरण तैयार नहीं होने पायेगा। शोधकाल के लिये केवल छह महीने की अवधि दी जा सकती है, तथा यदि संभव हो सके तो पुर्नानिर्माण और एक बैंक को अन्य बैंकों में मिलाने का कार्य इस अवधि के पूर्व हो जाना चाहिये; अतः हमें तत्सम्बन्धी योजनाओं को शीघ्र और अविलम्बनीय रूप से बनाना पड़ा तथा वह प्रक्रिया जिसमें सामान्यतः महीनों लग जाते हैं उसे कुछ ही सप्ताहों के अन्दर पूरी करनी पड़ी।

संविधि के उपबंधों के अधीन तथा संबंधित पक्षों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करने के उपरांत हमने प्रभात बैंक, भारत-वाणिज्यिक बैंक तथा बैंक आफ नागपुर के सम्बन्ध में योजनाओं पर अन्तिम स्वीकृति दे दी है। व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह भी आवश्यक है कि शोधकाल के आदेशों को उठाने से पूर्व, योजनाओं के स्वीकृत करने के पश्चात भी एक महीने का समय दिया जाये। यह अवधि बीतने के पश्चात् हम यह आशा करते हैं कि उक्त तीन बैंकों के मामले में इस महीने में, किसी भी समय शोधकाल सम्बन्धी आदेश उठा लिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बै० गोपाल रेड्डी]

सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं की प्रतिलिपियां बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ४५ की उपधारा (११) के उपबंधों के अधीन, सभा पटल पर पहिले ही रखी जा चुकी हैं। सभा की जानकारी के लिये मैं पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावों की मुख्य बातें संक्षेप में रखना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये योजनायें निक्षेपकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनायी गयी हैं। अतः पुनर्निर्माण और मिलाने की योजना से निक्षेपकों को हानि होने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। अपितु निक्षेपकों को कई प्रकार से लाभ होने की आशा है। हस्तांतरिती संस्था ठोस या वसूल होने वाली आस्तियों के मूल्य का लेखा अपने नाम जमा कर लेगी। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण मार्गोपाय सुविधा उनको मिल जायेगी। निक्षेपकों को ऋणों तथा अग्रिम धन की वसूली तक नहीं ठहरना पड़ेगा। बैंक के संघटकों को निर्धारित तारीख से पहले ऋण चुकाने को कह कर असुविधा नहीं दी जायेगी। बैंकों के सामान्य व्यापार में उतना ही आघात पहुंचेगा जितना आवश्यक है।

बैंक आफ नागपुर को बैंक आफ महाराष्ट्र में मिलाने सम्बन्धी जो योजना स्वीकृत की गयी है, उसके सम्बन्ध में हस्तांतरिती बैंक ने यह राय प्रगट की है कि वे शोधकाल आदेश उठने पर, निक्षेपकों को पूरा पूरा रुपया चुका देंगे। दुर्भाग्यवश अन्य बैंकों की हालत इतनी संतोषजनक नहीं है। तथापि उनके निक्षेपकों की वे राशियां जो उनके नाम तत्काल नहीं बढ़ाई गयी हैं बारह वर्षों के भीतर जैसे जैसे राशि वसूल होगी दे दी जायेगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हम इन योजनाओं में निक्षेपकों का प्रत्येक अधिकार कायम रखने के लिये उचित उपबंध कर रहे हैं, इस प्रकार परिसमापन व्यय भी नहीं होने पावेगा तथा हस्तांतरक बैंकों को होने वाला आवर्त्ती व्यय भी धीमे धीमे कम होता जायेगा। हमें यह भी आशा है कि उन आस्तियों से जिन्हें ठोस या वसूल होने योग्य नहीं माना जा रहा है, उनसे भी काफी भुगतान हो सकेगा।

यह योजनायें उस अध्यादेश के अधीन जारी की गयी हैं जो अभी हाल जारी किया गया था। इस अध्यादेश के द्वारा केन्द्रीय सरकार को सितम्बर, १९६० के संशोधक अधिनियम द्वारा दी गयी शक्तियों में और भी वृद्धि की गयी है। वर्तमान विधेयक केवल उस अध्यादेश का स्थान ले रहा है अतः यह सभा इस सम्बन्ध में जानना चाहेगी कि मुख्य अधिनियम में अभी कुछ ही महीनों पूर्व किये गये संशोधनों में परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करने की क्या आवश्यकता थी।

मैं इस सम्बन्ध में सभा को यह बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ के अधीन दी गयी शक्तियां जिन्हें लगभग छह महीने पूर्व संशोधित किया गया था, कुछ असामान्य प्रकार की हैं। उस समय हम कुछ व्यक्तियों अथवा किसी संस्था के अधिकारों का केवल उतना ही अतिक्रमण करना चाहते थे जितना कि आवश्यक था। हमने यह भी अनुभव किया कि नयी धारा ४५ के उपबंधों पर विस्तार से जाये बिना ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना संभव है।

योजनाओं की, जिन्हें सितम्बर, १९६० के संशोधक विधान बनाने के तत्काल पश्चात बनाया गया था, बारीकी से जांच करने पर, यह स्पष्ट हो गया कि केन्द्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि किये बिना इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में खतरा पैदा हो सकता है।

यह कठिनाई विशेषतः उन बैंकों के कर्मचारियों के संबंध में थी जिनका पुनर्निर्माण करना था; योजना में यह स्वीकार किया गया है कि हस्तांतरक बैंकों के सारे कर्मचारी नये बैंकों

के अधीन सेवा करेंगे और उन की वर्तमान सेवा शर्तें तीन वर्षों तक जारी रहेंगी इस के पश्चात् हस्तांतरिती बैंकों से यह कहा जायेगा कि वे इन कर्मचारियों को भी वही सेवा शर्तें मजूर करें जोकि उनके कर्मचारियों को दी गयी हैं। इन उपबन्धों को योजनाओं में कर्मचारियों के हित में रखा गया है। हमें यह सलाह दी गई है कि इन स्थितियों में यह व्यवस्था अत्यन्त उचित है तथा यदि योजना को अन्य किसी आधार पर चुनौती भी दी जाये तो भी यह व्यवस्था कायम रह सकती है

यदि केवल सरकार ही इस से संबंधित होती तो मूल धारा के उपबंधों पर निर्भर करना तथा योजना पर आंच न आने देना सम्भव हो सकता था तथापि हस्तांतरिती बैंकों ने कुछ ज्ञात कारणों से उन संभावित मुकदमों के जो हस्तांतरक बैंकों के कर्मचारियों द्वारा अधिक सुविधाओं की मांग किये जाने के फलस्वरूप पैदा हो सकते थे खर्च तथा अनिश्चितताओं को स्वीकार करना उचित नहीं समझा। यद्यपि हस्तांतरिती बैंक उन सभी कर्मचारियों को. इस बात के बावजूद भी कि उन शाखाओं पर होने वाली हानियां जिन्हें वे ले रहे हैं तत्काल नहीं रोकी जा सकती है खपाने को तैयार हो गये हैं तथापि यह बताया गया कि हस्तांतरक तथा हस्तांतरिती बैंकों के निक्षेपकों के हित में यह अच्छा नहीं होगा कि वे इन कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि से होने वाले व्यय का भी सीधे इन बैंकों की आस्तियों से भुगतान कर दिया जाये।

ऐसे मामलों में उपयुक्त संक्रमण अवधि की व्यवस्था करनी पड़ती है बैंकों के कर्मचारियों को बैंकों की चालू आय या लाभ से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है तथापि वे पूंजी आस्तियों से अपना वेतन नहीं ले सकते हैं।

ये पूंजी आस्तियां निक्षेपकों की हैं अतः उन्हें कर्मचारियों की बढ़ी हुई सुविधाओं या वेतनों के लिये व्यय करना केवल इस कारण कि टैक्नीकल आधार पर कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन दिये जा सकते हैं उचित नहीं होगा।

हम इस सारी स्थिति का पुनरीक्षण करने पर इस बात के लिये तैयार हो गये हैं कि विधि में इस प्रकार परिवर्तन कर दिया जाये कि ऐसे किसी हल की न्यायिक वैधता के संबंध में कोई अनिश्चितता न रहने पावे जिसे ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारियों, निक्षेपकों तथा सामान्य जनता के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम कहा जाये। यह विधेयक जो कि अध्यादेश के स्थान पर रखा जा रहा है तदनुसार संगत उपबंधों को क्रियान्वित करने के खतरों को दूर करता है इस प्रकार इस योजना पर अब सरलता से अमल हो सके।

इस संशोधन से लाभ उठा कर हमने हस्तांतरक बैंकों से संबंधित कर्मचारियों संबंधी उपबंध, धारा ४५ के क्षेत्र में वृद्धि की है। हम यह बात भी स्पष्ट कर रहे हैं कि आस्तियां और दायित्व बिना किसी औपचारिक कार्यवाही के नये बैंकों के खाते में जमा हो जायेंगी और यह योजना किसी भी विधि में प्रतिकूल उपबंधों के होने के बावजूद भी लागू होगी। यह बात धारा ४५ के मूल रूप की भाषा में भी विद्यमान थी। तथापि बैंकों ने हमें यह सुझाव दिया कि संबंधित या पीड़ित पक्ष द्वारा किसी प्रकार की मुकदमेबाजी को दूर रखने के लिये इसे स्पष्ट कर दिया जाये।

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

जब यह विधेयक पिछले वर्ष सितम्बर में पारित किया गया था तो हमने भारत के राज्य बैंक तथा उस के सहायक बैंकों को इस धारा के अंतर्गत शामिल नहीं किया था उस समय इन बैंकों के पुनर्निमाण और मिलाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ था हमने यह सोचा था कि भारत के राज्य बैंक अधिनियम की धारा ३५ तथा भारत के राज्य बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम की धारा ३८ का किसी बैंक के द्वारा अपनी आस्तियों को सरकारी क्षेत्र के संविहित बैंकिंग निगम को हस्तांतरित करने में उपयोग किया जा सकता है। इस के पश्चात् हम से यह कहा गया कि इस संबंध में राज्य बैंक से संबंधित प्रक्रिया काफी विस्तृत है, तथा यद्यपि वे उपबंध सामान्य स्थिति के लिये तथा ऐसे मामलों के लिये जहां पर कि मिलने वाला बैंक स्वयं ही कार्यवाही करने को उत्सुक हो उपयुक्त है। तथापि अतिरिक्त साधन के रूप में ऐसे बैंकों के लिये जिन्हें राज्य से संबद्ध किसी बैंक से अनिवार्य रूप से मिलाया जा रहा हो अधिक सीधी प्रक्रिया जिस के अधीन दोनों बैंकों के निदेशकों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती उपलब्ध होनी चाहिये। सावधानी से विचार करने के पश्चात् हम ने इस सुझाव को स्वीकार करने का निश्चय किया और तदनुसार इस विधेयक में जो कि जारी किये गये अध्यादेश का स्थान ले रहा है परिवर्तन किये जा रहे हैं।

अब मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं कि किस प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा ली गयी अथवा जिन शक्तियों के लिये जाने का प्रस्ताव किया गया है उपयोग किया जायेगा। मैं अपने भाषण के प्रारम्भ में बता चुका हूं कि बारह बैंकों के मामले में शोधकाल की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस से सामान्य रूप से बैंकिंग पद्धति पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। यह आंशिक रूप से इस कारण हुआ कि कुछ अनिवार्य भुगतान शोधकाल के दौरान भी किये गये। जिन स्थितियों में बैंकों का पुनर्निमाण किया गया या उन्हें अन्य बैंकों में मिलाया गया, उन की सामान्य रूप से प्रशंसा हुई है और जनता इस नतीजे पर पहुंची है कि वाणिज्यिक बैंकों के भविष्य के संबंध में निराशावादी होने का कोई कारण नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के जो अधिकार हैं उन का प्रयोग किया जाना है। मुझे इस बात का हर्ष है कि १२ बैंकों के मामलें में जो आदेश जारी किये गये हैं उनका प्रभाव अच्छा ही हुआ। इस का कारण यह था कि ऋण अदा करने की जो कानूनी मोहलत थी उस में कुछ आवश्यक अदायगियों की अनुमति दे दी गयी थी। परन्तु जिन हालात में बैंकों का परस्पर विलय किया जा रहा है उस को सब ने ही ठीक समझा है। लोगों में यह भी धारणा हो गयी है कि इस मामले में डरने की कोई आवश्यकता नहीं।

हम ने भी इस दिशा में बड़ा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। हम भी अपने अधिकारों का प्रयोग केवल इस विचार से ही करेंगे कि बैंकिंग प्रणाली का सामुहिक तौर पर हित हो। जो कुछ अनुभव हम ने प्राप्त किया है उसे देखते हुए हमारा विचार है कि जिस प्रकार कार्य पीछे चला है उसी प्रकार ठीक ढंग से कार्य आगे भी चलता रहेगा। समय आ गया है अब वे बैंक जिन्होंने गत १२ वर्षों में आशातीत प्रगति की है वे अपने खातेदारों की बड़ी शानदार सेवा कर सकेंगे। यह सेवा भी ऐसी होगी कि बैंकिंग के इतिहास में न देखी गयी होगी न सुनी गयी होगी।

यही इस विधेयक का उद्देश्य है । अतः मैं सदन से सिफारिश करता हूं कि वह उस पर विचार करे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । हम तो काफी समय से बैंक कर्मचारियों की ओर से अखिल भारतीय बैंकिंग कर्मचारी संघ की ओर से यह मांग कर रहे थे कि इस प्रकार के अधिकार सरकार को प्राप्त करने चाहिए । जिन बैंकों को रुपया चुकाने की मोहलत दी गयी है उन के पुनरूत्थान की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बात का तो सब स्वागत ही करेंगे । परन्तु इस दिशा में मेरा निवेदन है कि सरकार को यह देखना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कम है वहां रुपया चुकाने की मोहलत यथासंभव कम हो। क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि रुपया जमा करने वालों अथवा सहकारी समितियों को हानि न हो। सरकार से मेरा यह भी निवेदन है कि केरल में रक्षित बैंक आफ इंडिया के कारण जो काफी गड़ बड़ी हो रही है वहां की बैंकिंग व्यवस्था पर भी विचार करे।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि जो बैंक ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं उनकी जांच बड़ी सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए जिस से कि उन्हें बड़े बैंकों के साथ मिलाया जा सके। पलाई बैंक और लक्ष्मी बैंक जैसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं होनी चाहिये ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जिन बैंकों को एक दूसरे में विलय किया जा रहा है उनकी प्रादेशिक शाखायें बन्द न हों जिन बैंकों का परस्पर विलय होगा उन बैंकों के कर्मचारियों को अन्य बैंकों के कर्मचारियों के स्तर पर लाने के लिये जो तीन वर्ष की अवधि रखी गयी है उसे घटा कर एक वर्ष कर दिया जाय । इस प्रकार के कर्मचारियों के लिये यदि कोई राष्ट्रीय पंचाट हैं तो कर्मचारियों को उस से पूरा लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिये । जिन छोटे बैंकों का विलय होगा यदि उनके खातेदारों को उन का पूरा रुपया नहीं दिया गया तो छोटे बैंकों में रुपया जमा करने वाले लोग रुपया जमा करने में संकोच करेंगे। मेरा यह भी सुझाव है कि निक्षेप बीमा योजना को स्वीकार तथा लागू किया जाना चाहिये ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो एक मात्र मानवीय सदस्य ने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये हैं उन्हों ने इसका स्वागत किया है ।उन्हों ने जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं उन पर निश्चित रूप से विचार किया जायगा । उन्हों ने इस दिशा में कठिनाइयों को अनुभव किया है और कहा है कि मोहलत कम से कम होनी चाहिये । इस प्रकार के मामलों को लटकाये रखना भी किसी के हित की बात नहीं । सरकार की इच्छा यह नहीं है कि ऋण चुकाने के लिये दी गई मोहलत की अवधि को बढ़ाया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बे०गोपाल रेड्डी]

रक्षित बैंक को उन बैंकों का सर्वेक्षण करना चाहिये, जो गलत ढंग से चल रहे हैं। रक्षित बैंक यह प्रयत्न कर रहा है कि इस दिशा में व्यवस्था को ठीक किया जाय। सर्वेक्षण से बड़े महत्वपूर्ण परिणाम निकल सकते हैं, परन्तु फिर भी सुधार होते-होते भी कुछ समय अवश्य लग जायगा। विलय होने वाले बैंकों की शाखायें ठीक रहें ताकि गावों में लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से एक दम से वंचित न होना पड़े। यह अच्छा सुझाव है और इस दिशा में समुचित कार्यवाही की जायगी। जहां तक सम्भव होगा सरकार प्रयत्न करेगी कि विलय किये गये बैंकों की शाखायें चालू रहे। इसी प्रकार पंचाट के लाभ के प्रश्न पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया जाना है। बड़े-बड़े बैंकों को प्रोत्साहित करना होगा कि वे आगे आ कर इन डूबे हुए बैंकों को अपने में मिलायें। बैंकों के विलय का काम पूर्ण होते ही, मेरा यह विश्वास है कि बैंक सामान्य रूप से काम करना आरम्भ कर देंगे। यह तो सम्भव नहीं कि सब के सब रुपये के १६ आने ही अदा करें परन्तु १० आने से १४ आने तक अदायगी अवश्य हो जायगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंडों के लिये कोई संशोधन नहीं है, अतः मैं सभी खंडों को एक साथ प्रस्तुत करता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ६ तक, खंड ७, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ से ६, खंड ७, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

†**श्री प्रभात कार** : केरल के चार बैंक जिन्हें ऋण अदा करने की कानूनी मोहलत दी गयी है, एक में विलीन होने वाले हैं। इन बैंकों के सर्वोच्च अधिकारियों को, जो उन बातों के लिये उत्तरदायी हैं, और जिन के कारण ही बैंकों की यह शोचनीय स्थिति हुई है, उनको बहुत अधिक अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहियें। नये बैंकों को चलाने के लिये नये अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहियें। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हुआ अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय को उन सुझावों पर अवश्य विचार करना चाहिये जो कि मैं ने प्रस्तुत किये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : आशा करनी चाहिये कि विधेयक को शीघ्रता से कार्यवाही करने के लिये काम में लाया जायेगा। जिन खातेदारों का धन जमा है, उनको अधिकाधिक किस्तों में उनका धन वापिस किया जाना चाहिये।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : यह सम्पूर्ण संशोधन विधेयक रुपया जमा करने वालों के हितों की सुरक्षा करने के लिये है। इसलिये इस में देरी करने का प्रश्न नहीं उठता। हम देखेंगे कि यह कार्य शीघ्रता से किया जाये। श्री प्रभातकार के सुझाव से मैं सहमत हूं। कि जो लोग कुप्रबन्ध के उत्तरदायी हैं उन्हें फिर से प्रबन्ध में न लिया जाये। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वे प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते और कभी-कभी हमें उनके अनुभवों से लाभ उठाना पड़ता है। अगर हम उन सब को निकाल दें तो बैंकों के प्रबन्ध में जानकारी रखने वालों की बड़ी कमी हो जायेगी। यह ठीक है कि हम उन्हें नियंत्रणकारी पद न दें लेकिन अधीनस्थ पदों पर तो उन्हें रखना ही होगा। अतः मैं उन के संशोधनों से तो सहमत हूं लेकिन हमें प्रशासकीय पहलू भी तो देखना होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें—रेलवे, १९६०-६१

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा रेलवे आय-व्ययक, १९६०-६१ सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में चर्चा करेगी। माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव जिन्हें कि वे प्रस्तुत करना चाहते हैं सभा पटल पर रख देंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वर्ष १९६०-६१ के लिये रेलवे मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	विविध व्यय	३,३८,०००
७	कार्यवहन-व्यय —संचालन (ईंधन) . . .	४,२६,४१,०००
८	कार्यवहन व्यय—कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन	७९,६८,०००
१३	चालू लाइनों पर काम (राजस्व)—श्रम कल्याण .	४६,०५,०००
१६	चालू लाइनों पर काम—परिवर्धन .	३३,००,१८,०००
१७	चालू लाइनों पर काम—प्रतिस्थापन . .	९,०९,२४,०००
१८	चालू लाइनों पर काम—विकास निधि	४,१०,१२,०००

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : शुरू में ११ मांगे रखी गई थीं जिन में से दो भारित अंशों के लिये थीं । मांग संख्या ९ और १४ को वापस कर लेने का निश्चय कर लिया गया है । मांग संख्या ६ का केवल भारित अंश ही रहेगा । बचत करने के उपायों के फलस्वरूप ही इन मांगों को वापस लेना संभव हो सका है । राजस्व के अधीन जो अधिक धन की मांग की गई है वह मुख्यरूप से सामान्य संचालन व्यय के लिये ही है । वृद्धि का एक बहुत बड़ा भाग इसीलिये ही है कि आय व्ययक के बाद वर्ष में ो अवसरों पर कोयले की कीमतें बढ़ीं और १ जनवरी, १९६० से श्रम कल्याण उपकर की दर में वृद्धि हो गयी ।

†**त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं मांग संख्या २, ७ और ८ के बारे में ही अपने विचार प्रकट करूंगा । सिकन्द्राबाद में जो सिगनल इंजीनियरिंग एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन्स स्कूल है उसे रेलवे बोर्ड ने अपने अधीन कर लेने का जो निश्चय किया है, उसका स्वागत है क्योंकि यह अखिल भारतीय प्रशिक्षण स्कूल है । सरकार को बताना चाहिये कि इस स्कूल से सम्बद्ध जो वर्कशाप है, उस की क्या स्थिति रहेगी । मेरा निवदन है कि इस वर्कशाप के कर्मचारियों को या तो नियमित बनाया जाये या उन्हें स्थायी बनाया जाना चाहिये ।

कोयले के मूल्य में ृद्धि हो जाने के कारण तथा श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हो जाने के कारण कोयले पर अतिरिक्त खर्चा होगा । इसलिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये कि कोयले का लाभप्रद ढंग से उपयोग किया जा । इस प्रकार जो बचत होगी उस से व्यय की वृद्धि की पूर्ति हो जायेगी । एक प्रोत्साहनदायक योजना बनाई जानी चाहिये पोतों से दक्षिण भारत में कोयला भेजना बन्द किया जाना चाहिये । वर्दियों के बारे में एक समिति बनाई गई जिस ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । लेकिन पता नहीं है कि रेलवे बोर्ड ने वर्दियों के बारे में क्या निर्णय किया । मेरा निवेदन है कि वर्दियां नियमित रूप से तथा समय पर नहीं ी जातीं । सिकन्दराबाद-मनमाड सेक्शन पर गैंगमैनों को कंबल नहीं दिये जाते । सिकन्दराबाद से खंडवा तक एक सीधी गाड़ी चलाई जानी चाहिये । आश्चर्य की बात है कि इस्पात की कमी के कारण मरम्मत के कुछ कामों को ोकना पड़ा । पर पता लगा है कि कुछ फर्मों को वैगन बनाने के लिये इस्पात दिया गया है । परिवहन में गत्यावरोध वैगनों की कमी के कारण है । इस कठिनाई को दूर किया जाना चाहिये ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : यह कहना गलत है कि तटीय नौवहन के द्वारा कोयले की ढुलाई मंहगी पड़ती है । कोयले के आवागमन में जो कठिनाई है, उसे दूर किया जाना चाहिये ।

माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं मांग संख्या १४ की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । हावड़ा डिवीजन की महिला टिकट चैकरों को काफी परेशान किया जाता है । इस बारे में काफी शिकायतें मिली हैं । मेरा निवेदन है कि उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये और उन शिकायतों की छान-बीन की जानी चाहिये ।

मांग संख्या १८ के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । डिब्बों में खतरे की जंजीरें निकाल दी गई हैं । पूर्वी रेलवे के कृष्णानगर नवदिपघाट पर चलने वाली गाड़ियों के डिब्बों में दरवाजे भी नहीं हैं । इस प्रकार उन गाड़ियों में चलना बड़ा खतरनाक है । मेरा निवेदन है कि जनाने डिब्बे में खतरे की जंजीर के स्थान पर पुश बटन लगाये जाने चाहियें । रात्रि को चलने वाली गाड़ियों में प्रत्येक जनाने डिब्बे में महिला पुलिस चलनी चाहिये । वैसे तो सभी रेलों में खाने की व्यवस्था ठीक है और शाकाहा ी भोजन की व्यवस्था बड़ी अच्छी है । सभी चाहते हैं कि शाकाहारी भोजन मिलता रहे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा निवेदन है कि खाने में इटली और दोसे का प्रचार भी बढ़ाया जाये क्योंकि यह सभी लोगों द्वारा पसन्द किया जाता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : मेरा ऐसा विचार है कि यदि आय व्ययक अच्छे ढ़ंग से तैयार किया जाये तो अनुपूरक अनुदानों की मांगों की आवश्यकता नहीं है । अत: अनुपूरक अनुदानों के तौर पर मांगी गयीं राशियों से पता चलता है कि आय व्ययक त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से तैयार किया गया है । अनुपूरक मांग तभी प्रस्तुत की जाये जब कि कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई हो । अत: आयव्ययक बनाते समय अधिक सावधानी से काम लेना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं देखता हूं कि ये अनुपूरक अनुदानों की मांगें लोक लेखा समिति के सामने नहीं रखी गई हैं । भविष्य में उन्हें लोक लेखा समिति के सामने रखा जाना चाहिये । ताकि वह इन की जांच कर सके । और सभा को अपनी राय दे सके । कोई भी राशि अच्छी तरह जांच किये बिना नहीं खर्च की जानी चाहिये । चूंकि स्पष्टीकरण करने वाले विवरण में जो कुछ दिया हुआ है वह काफी नहीं है । अत: उन को सभा में रखने से पूर्व उन की अच्छी तरह से जांच की जानी चाहि ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सिकन्दराबाद स्थित प्रशिक्षण स्कूल रेलवे बोर्ड द्वारा अपने मातहत ले लिया जा रहा है जिस का स्वागत है । सभी प्रादेशिक स्कूल रेलवे बोर्ड के नियंत्रण में लाये जाने चाहियें । क्योंकि उन्हें अलग रेलों के अधीन रखने से कोई लाभ नहीं है । इन स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के साथ भी अच्छा बर्ताव करने की आवश्यकता है । उनका वेतन भी केन्द्रीय सरकार के स्कूलों के अध्यापकों के समान होना चाहिये ।

आज कल रेलों द्वारा खेल कूद की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । अत: रेलवे में खेल कूद की स्थिति सुधारने के लिये एक समिति बनाई जानी चाहिये ।

रेलों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे कांग्रेस संघ पर काफी रुपय व्यय किय जा रहा है यह तो ठीक है कि हमारी रेलें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आगे आये लेकिन इस व्यय किये जाने वाले रुपये की बात मेरी समझ में नहीं आई । अत: सरकार बताये कि क्या इस से हमें कुछ लाभ हुआ है । मेरा निवेदन है कि ले खन सामग्री और वर्दियों में भी सुधार किया जाना चाहिये ।

खाने की व्वयस्था में भी रेलों में अखिल भारतीय स्तर पर खाने का मीनू रखा जाना चाहि । उत्तर तथा दक्षिण के सभी अच्छे खानों का प्रबन्ध रेलों की खान पान व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी आप कितना समय और लेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : दो या तीन मिनट ।

†**श्री नरसिंहन्** : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं कल अपना भाषण जारी रखूंगा ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** आपकी अनुमति से मैं यह बताना चाहता हूं कि अनुदानों की अनुपूरक मागों (उड़ीसा), १९६०-६१ पर चर्चा जो सभा में वित्त मंत्री द्वारा आज

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्यनारायण सिंह]

प्रस्तुत की गई थी बुधवार, ८ मार्च, १९६१ को उड़ीसा राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा समाप्त होने के तुरन्त बाद होगी ।

सभा को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सामान्य आय व्ययक पर सामान्य चर्चा अनुदानों की मांगों--रेलवे, १९६१-६२ पर चर्चा एवं मतदान समाप्त हो जाने के बाद शुरू होगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ७ मार्च, १९६१/१६ फाल्गुन, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, ६ मार्च, १९६१ / १५ फाल्गुन, १८८२ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१५६७–१६००

तारांकित प्रश्न संख्या

५६२	आश्चर्यजनक धान 'तिपखिया' .	१५६७–६८
५६३	यमुना जल—विद्युत परियोजना .	१५६८–७०
५६४	अन्तर्देशीय जल परिवहन	१५७०–७१
५६५	कुलपहाड़ स्टेशन पर गोदाम .	१५७१–७२
५६६	राज्यों को विद्युत उत्पादन के लिए आवंटन	१५७२—७५
५६७	पंजाब के लिए क्षेत्रीय योजना का निर्माण .	१५७५–७६
५६८	राजस्थान नहर में नौवहन सुविधाएं . .	१५७६–७७
५७०	मुगलसराय और कलकत्ता के बीच बिजली की रेलगाड़ियां .	१५७७—८०
५७१	चलती गाड़ियों में शिकायतों की पेटी . . .	१५८०–८१
५७४	आयात की गई वस्तुओं ..। नौवहन .	१५८१—८३
५७६	डीजल बसों से धुआं	१५८३–८४
५७७	प्रादेशिक खाद्य निदेशक, कलकत्ता . . .	१५८४–८५
५७८	टिड्डियों का आक्रमण	१५८५–८६
५७९	बेकार जाने वाले खाद्य का उपयोग . . .	१५८७
५८०	रेलवे के सेवानिवृत्त व्यक्तियों के दावों का निपटारा . .	१५८७–८८
५८२	पूर्व रेलवे के अम्बिका कलना स्टेशन के निकट लोहे की वस्तुओं की चोरी	१५८८–८९
५८३	लकाद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपों में डाक्टरों की कमी	१५८९—९१
५८४	जोरहाट में भोगडोई पुल	१५९१–९२
५८५	'लक्जरी' कारों का आयात	१५९२–९४
५८६	महाराष्ट्र में गन्ने की खेती	१५९४
५८७	नेत्र बैंक	१५९५

2186(Ai)LSD—11

	विषय	पृष्ठ
अल्प सूचना		
प्रश्न संख्या		
	कांगो में राष्ट्र संघ का विशेष प्रतिनिधि . .	१५९५–९८
५	भारत में जासूसी	१५९८–१६००
प्रश्नों के लिखित उत्तर	.	१६०१––७६
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
५६९	बम्बई के बूचड़खाने के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ की रिपोर्ट	१६०१
५७२	कौरबा (भोपाल) में तापीय विद्युत संयंत्र . .	१६०१–०२
५७३	पोचमपाद परियोजना	१६०२
५७५	वंशधारा परियोजना	१६०२–०३
५८१	खाद्यान्न का राज्य-व्यापार . . .	१६०३
५८८	डबरा (मध्य प्रदेश) की चीनी मिल में हड़ताल . .	१६०३–०४
५८९	बड़ी लाइन और मीटर लाइन के डीजल रेलवे इंजनों की खरीद	१६०४–०५
५९०	इलाहाबाद एक्सप्रैस में चोरी . . .	१६०५
५९१	लुमडिंग और मरिआनी के बीच रात की गाड़ियों का बन्द किया जाना	१६०५–०६
५९२	कर्णफूली बान्ध	१६०६
५९३	खाद्य जोन	१६०६–०७
५९४	तपदिक की रोकथाम	१६०७
५९५	रेलवे कर्मचारी का चुनाव लाने की अनुमति . .	१६०७–०८
५९६	दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच अन्तराज्यीय बस सेवा.	१६०८
५९७	प्रादेशिक खाद्य निदेशक के कार्यालय में धोखा देही	१६०८–०९
५९८	नौवहन सामान सम्बन्धी नये नियम . . .	१६०९
५९९	कलकत्ता में टिड्डियों का आक्रमण . .	१६०९–१०
६००	ग्राम्य जीवन बीमा	१६१०
६०१	डीजल रेलवे इंजनों का निर्माण . . .	१६११
६०२	मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार समिति . . .	१६११
६०३	क्षय रोग	१६११–१२
६०४	रेलवे में भिखारियों आदि से निपटने के लिए विशेष दल .	१६१२

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(**जारी**)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

९७४	दिल्ली के गांवों के लिए पानी की सप्लाई . . .	१६१२–१३
९७५	राज्यों को रासायनिक उर्वरकों का दिया जाना . .	१६१३
९७६	दिल्ली में दवाओं की खरीद .	१६१३
९७७	पंजाब में गांवों में बिजली लगाना . .	१६१४
९७८	पुरी स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर निरामिष भोजनालय	१६१४
९७९	मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर भोजन-व्यवस्था .	१६१४
९८०	मध्य रेलवे में सिकन्दराबाद डिवीज़न में रेलवे क्वार्टर .	१६१५
९८१	जनगांव (आन्ध्र प्रदेश) में ऊपरी पुल . . .	१६१५
९८२	पश्चिम रेलवे में रेलवे स्कूल	१६१५–१६
९८३	रेलवे लाइनों की तोड़फोड़	१६१६
९८४	कृषि के लिये भूमि का कृष्यकरण .	१६१७
९८५	दिल्ली दूध योजना .	१६१७
९८६	राजस्थान में भू-संरक्षण . . .	१६१८
९८७	बीकानेर में टिड्डियों के संबंध में छानबीन . .	१६१८
९८८	उड़ीसा में डाकखानों की इमारतें . .	१६१८–१९
९८९	डाक-तार विभाग में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	१६१९
९९०	सम्बलपुर–टिटलागढ़ रेलवे लाइन .	१६१९–२०
९९१	उड़ीसा में सिंचाई की छोटी परियोजनाएं	१६२०–२१
९९२	उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाना .	१६२१–२२
९९३	कांटामांजी और टिटलागढ़ स्टेशनों पर भारिक	१६२२
९९४	दक्षिण रेलवे में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन केन्द्र .	१६२२–२३
९९५	दिल्ली राष्ट्रीय राजपथ और पुल	१६२३–२४
९९६	मध्य प्रदेश में डाक घरों के भवन . .	१६२४
९९७	औषध नियंत्रण अधिनियम . . .	१६२४–२५
९९८	पूर्व रेलवे में डाक्टरों के लिये क्वार्टर .	१६२५
९९९	रेलवे कर्मचारियों की सेवाओं का समाप्त किया जाना	१६२५
१०००	उत्तर रेलवे पर विश्राम गृहों का निर्माण .	१६२५–२६
१००१	पंजाब में राष्ट्रीय राज पथ	१६२६

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर— (जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१००२	राजस्थान में पैकेज प्रोग्राम . .	१६२६
१००३	राजस्थान के लिये अनाज का उत्पादन लक्ष्य . .	१६२६–२७
१००४	राजस्थान में मुर्गी पालन का विकास . . .	१६२७
१००५	राजस्थान के लिये उर्वरक .	१६२७
१००६	राजस्थान में मत्स्य पालन का विकास	१६२८
१००७	किराये की इमारतों में डाक घर . .	१६२८
१००८	पश्चिम रेलवे स्टेशनों पर जल ठंडा करने की मशीनें .	१६२८
१००९	पश्चिम रेलवे में स्वास्थ्य इकाइयां .	१६२८–२९
१०१०	कुल्ल घाटी जाने वाले पर्यटक . .	१६२९
१०११	पंजाब में नगरीय जल संभरण योजनाएं .	१६३०
१०१२	जमाये हुए तेल का मूल्य .	१६३०–३१
१०१३	खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये पारितोषिक .	१६३१
१०१४	बिना टिकट यात्रा . .	१६३१
१०१५	गाड़ी से यात्रियो को फेंका जाना .	१६३१–३२
१०१६	फसलों का बीमा . . .	१६३२
१०१७	कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा सामान की खरीद	१६३२
१०१८	कीटाणुओं द्वारा अनाज को क्षति .	१६३२–३३
१०१९	चिकित्सा विज्ञानों की अखिल भारतीय संस्था	१६३३
१०२०	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के गन्ना उत्पादक	१६३३
१०२१	केरल के कृषि संबंधी विकास के लिये केन्द्रीय सहायता	१६३४
१०२२	स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिये चिकित्सा छात्रवृत्तियां .	१६३४—३६
१०२३	केरल में डाक व तार की इमारतें .	१६३६
१०२४	हिमाचल प्रदेश में "ट्राउट" मछली पकड़ना	१६३६
१०२५	हिमाचल प्रदेश में पर्यटन . .	१६३७
१०२६	हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में नहरें .	१६३७
१०२७	दूध और दूध उत्पादों का उत्पादन और खपत	१६३७–३८
१०२८	उड़ीसा में ग्राम्य जल संभरण योजनाएं	१६३८–३९
१०२९	उड़ीसा में पटसन उत्पादकों को सहायता	१६३९
१०३०	ग्रामदान कार्य	१६३९–४०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०३१	उड़ीसा में टीक की खेती	१६४०–४१
१०३२	उड़ीसा में पुल	१६४१
१०३३	पूर्व रेलवे पर बिजली से रेले चलाना	१६४१
१०३४	प्रकाश स्तम्भ	१६४१–४२
१०३५	त्रिपुरा के लिये चीनी का कोटा	१६४२
१०३६	वनों को काटना	१६४२
१०३७	गाड़ी का पटरी से उतर जाना	१६४३
१०३८	गुजरात में नई रेलवे लाइन	१६४३
१०३९	सेवा समितियां	१६४३–४४
१०४०	कोट कपूरा—फाजिल्का बड़ी लाइन	१६४४
१०४१	दिल्ली के गांवों में बिजली लगाना	१६४४–४५
१०४२	नरेला को बिजली देना	१६४६
१०४३	मृतकों का रक्त	१६४६
१०४४	ओखला वाटर वर्क्स	१६४६–४७
१०४५	दिल्ली में केशोपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	१६४७
१०४६	खाद्य तथा कृषि संगठन का भूख मुक्ति से आन्दोलन	१६४७–४८
१०४७	तेजपुर के निकट कलदार घाट पर रेलवे पुल	१६४८
१०४८	हीराकुद परियोजना के लिये मशीनरी	१६४८–४९
१०४९	दिल्ली दूध योजना	१६४९–५०
१०५०	उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण योजनायें	१६५०
१०५१	चारे की कमी	१६५१
१०५२	गोआ जाने वाले सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के जहाज़ों का बहिष्कार	१६५१–५२
१०५३	उड़ीसा में ग्राम्य विश्वविद्यालय	१६५२
१०५४	दक्षिण पूर्व रेलवे में राजघाट पर सवारी गाड़ियों के लिये हाल्ट स्टेशन	१६५२–५३
१०५५	सतना रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों के लिये सुविधायें	१६५३
१०५६	विभिन्न प्रकार की चीनी के मूल्य	१६५३–५४
१०५७	मार्केट लेन, नयी दिल्ली के पास रेलवे लाइन पर पुल	१६५४

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर---जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०५८	पश्चिम बंगाल में शहरों और गांवों के विकास के लिए नमूना योजना	१६५४
१०५९	पदमपुकुर स्टेशन के पास रेल दुर्घटना	१६५५
१०६०	आसनसोल में प्रवेश मार्ग और ऊपरी पुल	१६५५
१०६१	स्थानीय करों की बकाया रकमों का भुगतान	१६५५
१०६२	उड़ीसा में बिजली परियोजनाएं	१६५६
१०६३	एगमार्क घी	१५५६
१०६४	गेहूं की फसल को हानि	१६५६–५७
१०६५	दमदम हवाई अड्डा	१६५७
१०६६	चावल लाने–ले जाने के लिए माल डिब्बों का न मिलना	१६५७–५८
१०६७	दामोदर घाटी निगम से दी गयी बिजली की दरों में असमानता	१६५८
१०६८	राष्ट्रीय राजपथ संख्या २९ पर पुल	१६५८–५९
१०६९	राष्ट्र मंडल चीनी करार	१६५९
१०७०	पत्तों से प्रोटीन	१६५९–६०
१०७१	परिवार नियोजन कार्यक्रम	१६६०–६१
१०७२	डाक–तार कर्मचारी	१६६१
१०७३	रक्सौल में नया रेलवे स्टेशन	१६६१–६२
१०७४	कुण्डा पन बिजली परियोजना	१६६२
१०७५	कुंडा बिजली घर	१६६२–६३
१०७६	विश्व स्वास्थ्य संगठन---कार्यक्रम	१६६३–६४
१०७७	भत्तेवाड़ा गोसदन, पंजाब	१६६४–६५
१०७८	वाटर वर्क्स योजना, हौजपेट	१६६५
१०७९	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था	१६६५–६६
१०८०	हिन्दी पत्र	१६६६–६७
१०८१	हिन्दी में प्रशिक्षण	१६६७
१०८२	हिन्दी में तार भेजने का समय	१६६७
१०८३	नई दिल्ली के गोल मार्केट क्षेत्र में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर	१६६८
१०८४	कुछ बीमा किए गए फिकाफों पर बीमा फीस की वसूली	१६६८
१०८५	टेलोफोन कनेक्शन्स	१६६८–६९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१०८६ ढोंडा डीह स्टेशन के निकट भूमि का अर्जन	१६६९
१०८७ कल्याणपुर में फ्लेग स्टेशन . . .	१६६९
१०८८ दामोदर घाटी निगम नहर . .	१६६९–७०
१०८९ लक्कादीव द्वीपसमूह में बेतार का तार . .	१६७०
१०९० दिल्ली में उत्तर रेलवे पर टेलीफोन आपरेटर .	१६७०–७१
१०९१ खड़गपुर नईमपुर रेलवे स्थापनाओं में जल संभरण	१६७१
१०९२ भावनगर में डाक तथा तार कार्यालय	१६७१
१०९३ भावनगर में विशेष रेलवे कार्यालय .	१६७१–७२
१०९४ बड़े नगर निगमों से जल संभरण योजनायें .	१६७२
१०९५ वी० एम० हास्पिटल, अगरताला .	१६७२
१०९६ उत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा . .	१६७२–७३
१०९७ बाजपुर और गुलारभोज स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन	१६७३
१०९८ रोहतक और मकरौली स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन .	१६७३
१०९९ सफीदों और बुधाखेड़ा स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन .	१६७३–७४
११०० उत्तर प्रदेश में नये पुल	१६७४
११०१ पगलडिया और ब्रह्मपुत्र नदी का तलकर्षण . .	१६७४
११०२ सहकारी मुद्राणलय	१६७४–७५
११०३ कम सुविधायें प्राप्त लोगों का सामाजिक–आर्थिक विकास .	१६७५
११०४ जम्मू तथा काश्मीर में बाढ़ नियंत्रण .	१६७५
११०५ खाद्य उत्पादन के लिये राज्यों की केन्द्रीय सहायता . .	१६७५
११०६ नये वेतन दरों में बकाया वेतन तथा वेतन–वृद्धियां	१६७६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६७६–७७

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३८ के अन्तर्गत, ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये उक्त अधिनियम के कार्य तथा प्रशासन के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ५२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २२२ में प्रकाशित कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र--जारी

(३) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २२३ ।

(ख) दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २२४ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान दिलाना . . १६७७—७९

श्री हेम बरुआ ने कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना में शामिल होने के लिये ३,००० सैनिक भेजने के सरकार के कथित निर्णय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उड़ीसा), १९६०-६१ . . . १६७९

राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) ने उड़ीसा राज्य के बारे में वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों को बताने वाला एक विवरण उपस्थापित किया ।

राज्य सभा से संदेश १६७९

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ८ मार्च १९६१ के अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा २० फरवरी, १९६१ को पारित किये गये दो सदस्य निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

समिति के लिये निर्वाचन १६७९

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने दिल्ली विकास प्राधिकार परमर्श परिषद् के सदस्य के रूप में काम करने के लिये लोक-सभा के सदस्यों में से एक सदस्य का निर्वाचन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा . . . . १६८०—१७०१

रेलवे आय-व्ययक, १९६१-६२ पर और आगे चर्चा जारी रही । रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।

विधेयक--पारित किये गये . . . . . १७०१—२३

(१) राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) ने उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।

विषय पृष्ठ

विधेयक—पारित किये गये—जारी

(२) राजस्व तथा असैनिक व्यय मन्त्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) ने बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित हुआ ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६०-६१ . . . १७२३—२६

वर्ष १९६०-६१ के लिये आय-व्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, ७ मार्च, १९६१/१६ फाल्गुन, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि ।

वर्ष १९६०-६१ के लिये आय-व्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर और आगे चर्चा ।

GMGIPND—LS III—2186 (AI) LSD—4-4-61—125